

वार्षिक रिपोर्ट  
2013 - 2014



सत्यमेव जयते

इस्पात मंत्रालय  
भारत सरकार





सत्यमेव जयते

# **वार्षिक रिपोर्ट**

## **2013-14**

**इस्पात मंत्रालय**  
**भारत सरकार**

— |

| —

— |

| —

# विषय सूची

अध्याय	पृष्ठ सं.
1 मुख्य उपलब्धियां	02
2 इस्पात मंत्रालय का संगठनात्मक ढांचा और क्रियाकलाप	07
3 भारतीय इस्पात क्षेत्र : विकास एवं संभावनाएं	12
4 सार्वजनिक क्षेत्र	20
5 निजी क्षेत्र	31
6 अनुसंधान और विकास	35
7 ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन	41
8 सूचना प्रौद्योगिकी का विकास	52
9 सुरक्षा	58
10 शिप ब्रेकिंग	63
11 समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण	65
12 सतर्कता	68
13 शिकायत निवारण तंत्र	74
14 निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का कार्यान्वयन	78
15 हिन्दी का प्रगामी प्रयोग	80
16 महिला सशक्तिकरण	86
17 इस्पात के इस्तेमाल को प्रोत्साहन	91
18 निगमित सामाजिक दायित्व	94
19 इस्पात मंत्रालय के अधीन तकनीकी संस्थान	102
20 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन	104
21 पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास	107
22 अंतरराष्ट्रीय सहयोग	109
<b>अनुलग्नक</b>	110–130
<b>परिशिष्ट</b>	132–197

वर्ष 2013–14 के उत्पादन, वित्तीय और अन्य संबंधित आकड़े अनंतिम हैं।

## मुख्य उपलब्धियां

### 1.1 इस्पात क्षेत्र की प्रवृत्तियां एवं विकास

- भारत ने कच्चे इस्पात का उत्पादन करने वाले देशों में विश्व में चौथी स्थिति बनाई हुई है और आशा है कि यह शीघ्र ही कच्चे इस्पात का उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन जाएगा।
- भारत डायरेक्ट रेड्यूस्ड आयरन (डी आर आई) या स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक है।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के तदनुसारी पांच वर्षों में कुल तैयार इस्पात की घरेलू मांग वर्ष 1991–92 और 2010–11 के बीच प्राप्त 8 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि की तुलना में 10 प्रतिशत से अधिक की औसत वार्षिक वृद्धि की दर से बढ़ने की संभावना है।
- बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के उद्देश्य से वर्ष 2019–20 तक लगभग 488.66 मिलियन टन की योजनाबद्ध क्षमता के लिए विभिन्न राज्यों के साथ 301 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- प्रस्तावित प्रमुख निवेश ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल राज्यों में हैं।
- देश में प्रस्तावित इस्पात की क्षमता में वृद्धि के फलस्वरूप वर्ष 2020 तक 5–10 लाख करोड़ रुपये के निवेश के होने की संभावना है।
- देश में कच्चे इस्पात की क्षमता जो वर्ष 2012–13 में 970.2 लाख टन थी, की तुलना में वर्ष 2013–14 (अनंतिम) में 995.7 लाख टन थी।
- कच्चे इस्पात का उत्पादन जो वर्ष 2012–13 में 784.2 लाख टन था, की तुलना में वर्ष 2013–14 (अनंतिम) में 815.4 लाख टन था।
- देश में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत जो वर्ष 2008–09 में 45 किलोग्राम थी, वर्ष 2013–14 में बढ़कर लगभग 60 किलोग्राम हो गई है।
- इस्पात क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2 प्रतिशत का योगदान देता है और 6 लाख से अधिक लोगों को नियोजित करता है।

वर्ष 2013–14 के दौरान गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में उद्योग परिदृश्य निम्नानुसार रहा :

- कच्चे इस्पात का उत्पादन 815.40 लाख टन था, वर्ष 2012–13 की तुलना में इसमें 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मुख्य उत्पादकों ने इस अवधि के दौरान 259.30 लाख टन का उत्पादन किया, जो गत वर्ष की तुलना में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि है। प्रमुख उत्पादकों ने इस अवधि के दौरान 183.08 लाख टन का उत्पादन किया, जो गत वर्ष की तुलना में 0.6 प्रतिशत कम है। शेष अर्थात् 373.02 लाख टन अन्य उत्पादकों का योगदान था, जो गत वर्ष की तुलना में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि है।
- स्वयं उपभोग/आई पी टी के उपरांत, बिक्री के लिए पिग ऑयरन का उत्पादन 72.89 लाख टन रहा (पिछले वर्ष की तुलना में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि)। प्रमुख उत्पादकों का योगदान लगभग 8 प्रतिशत रहा, जबकि शेष योगदान (92 प्रतिशत) प्रमुख और अन्य उत्पादकों से मिला।
- वर्ष 2013–14 (अनंतिम) के दौरान कुल तैयार इस्पात (मिश्र + गैर-मिश्र) के मामले में :
  - बिक्री के लिए उत्पादन 850.5 लाख टन था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
  - निर्यात 55.9 लाख टन रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.2 प्रतिशत अधिक है।
  - आयात 54.5 लाख टन रहा जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 31.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
  - भारत कुल तैयार इस्पात का विशुद्ध निर्यातक बना रहा।
  - इस्पात की वास्तविक खपत 738.9 लाख टन हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

### 1.2 इस्पात मंत्रालय द्वारा वर्ष के दौरान किए गए प्रमुख उपाय

- घरेलू बाजार में कच्ची सामग्री की उचित मूल्यों पर सुगम उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए लौह अयस्क पर 30 प्रतिशत की दर से निर्यात शुल्क और लौह अयस्क पैलेट पर 5 प्रतिशत की दर से निर्यात शुल्क लगाया गया। लौह अयस्क का निर्यात जो वर्ष 2009–10 में 1173.7 लाख टन था, वर्ष 2013–14 में कम होकर 122.4 लाख टन रह गया।

- इस्पात मंत्रालय को आईएसओ 9001:2008 प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार के तहत यह पहला मंत्रालय बन गया है जिसे ऐसा प्रमाणपत्र दिया गया है।
- 3000 लाख टन प्रति वर्ष इस्पात के लक्षित उत्पादन को प्राप्त करने पर ध्यान देने के साथ इस्पात उद्योग के विकास के लिए मौजूदा राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2005 के स्थान पर "नई राष्ट्रीय इस्पात नीति" का मसौदा बनाने की प्रक्रिया जारी है।
- 3000 लाख टन की लक्षित क्षमता को प्राप्त करने के लिए "इस्पात क्षेत्र के लिए दीर्घावधिक परिप्रेक्ष्य" तैयार किया जा रहा है।
- देश की लोहा और इस्पात क्षेत्र की अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास की जरूरतों की पहचान करने और संस्थागत तंत्र विकसित करने के लिए भी कार्य बल की स्थापना की गई है।
- इस्पात मंत्रालय निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सी सी आई) द्वारा गठित परियोजना मानीटरिंग समूह (पी एम जी) के साथ सहयोग से निर्णयों को तेजी से लेने/इस्पात क्षेत्र की विलम्बित परियोजनाओं के मुद्दों के समाधान का कार्य सक्रिय रूप से कर रहा है।
- सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में इस्पात उद्योग की अवसंरचना संबंधी बाधाओं और कच्ची सामग्री से संबंधित अन्य मुद्दों के समाधान के लिए अंतर-मंत्रालयी समूह (आई एम जी) की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं।
- अफगानिस्तान, जापान, ब्राजील, उरुग्वे, तनजानिया, जिम्बाब्वे, कनाडा और पौलैंड के साथ एम ओ यू, एमओए और एल ओ एल के माध्यम से कच्ची सामग्री के प्रतिभूतिकरण के लिए कदम उठाए गए हैं।
- इस्पात विकास निधि (एस डी एफ) से सहायता प्राप्त स्कीम के तहत 389.36 करोड़ रुपए की एस डी एफ सहायता से 696.27 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ अब तक 83 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। प्लान फंड स्कीम के तहत 125.20 करोड़ रुपए की कुल लागत से 09 आर एंड डी परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं जिनमें 89.22 करोड़ रुपए की योजना निधि शामिल है।
- भारत में लगभग 1800 इस्पात रि-रोलिंग मिलें हैं और उनमें से अधिकांश ने पुरानी और अप्रचालित प्रौद्योगिकियां अपनायी हुई हैं जिसके फलस्वरूप बहुत अधिक ऊर्जा की खपत और जी एच जी निस्सारण होता है। इस मुद्दे को हल करने के लिए इस्पात मंत्रालय ने यू एन डी पी और जी ई एफ के सहयोग से भारत में चुनी हुई रि-रोलिंग मिलों में ऊर्जा कुशलता सुधार परियोजना क्रियान्वित की है। परियोजना के फलस्वरूप जीवाश्म ईंधन की खपत में उल्लेखनीय बचत (20-50 प्रतिशत) हुई है जिसके परिणामस्वरूप जी एच जी निस्सारण में बराबर की कटौती हुई है। परियोजना के परिणामों से उत्साहित होकर यू एन डी पी, इस्पात मंत्रालय और आस्ट्रेलियाई सरकार ने एस एम ई क्षेत्र में नई ऊर्जा दक्षता सुधार परियोजना शुरू की है।
- नागरिकों/ग्राहकों को तुरंत सेवाएं प्रदान करने के लिए इस्पात मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे सेवोत्तम अनुपालन योग्य नागरिक चार्टर को अद्यतन बनाया गया है।
- इस्पात मंत्रालय में विभिन्न कार्य प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई है और विवेकाधिकार की संभावनाओं को न्यूनतम किया गया है।
- मंत्रालय में संसदीय आश्वासनों, लेखापरीक्षा पैरों, डाक डायरी और फाइल संचलन के लिए लैन आधारित ट्रैकिंग एवं निगरानी सेवा को पूर्णरूपेण चालू किया गया है।
- इंटरनेट पोर्टल की मार्फत मंत्रालय में ई-मांग, स्टॉक और मालसूची प्रबंध प्रणाली, दौरे पर अधिकारी की सूचना प्रणाली, ई-प्रस्तुतीकरण और अनुमोदन प्रणाली, ज्ञान प्रबंध प्रणाली और स्टील एम आई एस को प्रचालनात्मक बनाया गया है।
- इस्पात मंत्रालय ने इस्पात उद्योग के सहयोग से भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2013 में "इस्पात पैवेलियन" लगाया जहां इस्पात और खनन क्षेत्र से कई मर्दे प्रदर्शित की गईं।

### 1.3 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा प्रमुख विस्तारण/अधिग्रहण/संयुक्त उद्यम

#### स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

- i) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भिलाई, बोकारो, राऊरकेला, दुर्गापुर और बर्नपुर में अपने एकीकृत इस्पात संयंत्रों और सेलम में विशेष इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण शुरू किया है। चालू चरण में कच्चे इस्पात की क्षमता 128 लाख टन से बढ़ाकर 214 लाख टन प्रति वर्ष की जा रही है। चालू चरण में लगभग 61,870 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है। इसके अतिरिक्त सेल की खानों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए 10,000 करोड़ रुपए (अनुमानित) रखे गए हैं।



- ii) मार्च, 2014 तक विभिन्न आधुनिकीकरण और विस्तार पैकेजों के लिए लगभग 59,288 करोड़ रुपए के आदेश दिए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान 9890.48 करोड़ रुपए के व्यय सहित मार्च, 2014 तक संचयी व्यय 53,270 करोड़ रुपए रहा है।
- iii) सेलम इस्पात संयंत्र का विस्तार पूरा किया जा चुका है। अन्य संयंत्रों में कुछ संपर्क सुविधाओं को पूरा किया गया है और प्राथमिक क्षेत्र जैसे कच्ची सामग्री के संचालन की प्रणालियां, कोक ओवन बैटरियां, सभी सिंटर संयंत्रों में इकाइयां भी और देश की सबसे बड़ी धमन भट्टी को पूरा किया गया है। दो कंटीन्यूअस कार्स्टिंग मशीनों और एक रोलिंग यूनिट को भी पूरा किया गया है। आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण योजना को पूर्ण गति से निष्पन्न किया जा रहा है। आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण के चालू चरण के वर्ष 2015 तक पूरा होने की आशा है।

### एन एम डी सी लिमिटेड

- (i) एन एम डी सी लि., छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में नगरनार में 30 लाख टन प्रतिवर्ष का ग्रीनफील्ड एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित कर रहा है।
- (ii) भारतीय इस्पात उद्योग की लौह अयस्क के लिए बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए एन एम डी सी की निकास क्षमता को बढ़ाने के लिए पूर्वी तट रेलवे की कोटटावालसा – किरनडुल लाइन के 150 किलोमीटर जगदलपुर – किरनडुल खंड के दोहरीकरण के लिए एन एम डी सी लि. और भारतीय रेलवे के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- (iii) एन एम डी सी ने बैलाडिला में लौह अयस्क सज्जीकरण संयंत्रों वाली 150 लाख टन प्रतिवर्ष सलरि पाइप लाइन परियोजना, नगरनार में 20 लाख टन प्रतिवर्ष संयंत्र और बैलाडिला से नगरनार से होकर विजाग सलरि पाइप लाइन प्रणाली स्थापित करने के लिए गतिविधियां शुरू की हैं। बैलाडिला से नगरनार तक सलरि पाइप लाइन प्रणाली का भाग एन एम डी सी के स्वामित्व में होगा और निष्पादित किया जाएगा और विजाग में 60 लाख टन प्रतिवर्ष के पैलेट संयंत्र के साथ नगरनार से विजाग तक सलरि पाइप लाइन प्रणाली का भाग संयुक्त उद्यम के तहत स्थापित किया जाएगा जिसमें एन एम डी सी और आर आई एन एल प्राथमिक सदस्य होंगे।

### राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल)

- (i) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की कारपोरेट हस्ती है – देश का एक मात्र पहला तट आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र जो 30 लाख टन प्रतिवर्ष तरल इस्पात की क्षमता से स्थापित किया गया है, ने 63 लाख टन प्रतिवर्ष की क्षमता का अपना विस्तार पूरा कर लिया है और तरल इस्पात का उत्पादन शुरू कर दिया है। संयंत्र प्रचालनात्मक कुशलता के उच्च स्तर से प्रचालित होता है। आर आई एन एल आधुनिकीकरण की स्कीमें क्रियान्वित कर रहा है जो वर्ष 2016–17 तक 10 लाख टन क्षमता को और बढ़ाएगी और इसकी समग्र क्षमता 73 लाख टन प्रतिवर्ष हो जाएगी। आर आई एन एल ने वर्ष 2025–27 तक चरणों में 200 लाख टन प्रतिवर्ष तक अपनी क्षमता के विस्तार के लिए अपनी निर्देशात्मक योजनाएं तैयार की हैं।
- (ii) आर आई एन एल द्वारा 50,000 एक्सल प्रतिवर्ष के उत्पादन के लिए न्यू जलपाइगुडी, पश्चिम बंगाल में एक्सल संयंत्र की स्थापना की जा रही है।

## 1.4 वर्ष 2013–14 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की उपलब्धियां

### 1.4.1 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

- वर्ष 2013–14 वित्तीय वर्ष के लिए कर पूर्व-लाभ 3225 करोड़ रुपए और कर-उपरांत लाभ 2616 करोड़ रुपए रहा।
- वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान 51,866 करोड़ रुपए का बिक्री कारोबार दर्ज किया गया जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5.10 प्रतिशत अधिक था।
- 31.03.2014 को 42,666 करोड़ रुपए का निवल मूल्य।
- सेल ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी राशि 834 करोड़ रुपए के 20.02 प्रतिशत की दर से शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान किया।
- सेल के कार्यनिष्पादन को लोक उद्यम विभाग ने वर्ष 2012–13 के लिए एम ओ यू रेटिंग के अनुरूप “उत्कृष्ट” का दर्जा प्रदान किया है।

### 1.4.2 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल)

- वर्ष 2013–14 के लिए कच्चे इस्पात, तैयार इस्पात और बिक्री योग्य इस्पात में सी पी एल वाई की तुलना में क्रमशः 4 प्रतिशत, 3 प्रतिशत और 4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।



- लगातार 13वें वर्ष के लिए उत्पादन शत-प्रतिशत क्षमता से अधिक रहा और मौजूदा इकाइयों के लिए कच्चे इस्पात, तैयार इस्पात और बिक्री योग्य इस्पात में 112 प्रतिशत, 117 प्रतिशत और 112 प्रतिशत की क्षमता का उपयोग प्राप्त किया गया।
- अवधि के दौरान सी पी एल वाई की तुलना में 6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 23.57 लाख टन मूल्यवर्धित इस्पात उत्पादों का उत्पादन किया गया, जो बिक्री योग्य इस्पात का लगभग 78 प्रतिशत है।
- वर्ष के दौरान 13,489 करोड़ रुपए का बिक्री कारोबार प्राप्त किया गया।
- बिक्री योग्य इस्पात की बिक्री 30.3 लाख टन थी, इसमें 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- 747 करोड़ रुपए की निर्यात बिक्री में 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- आर आई एन एल के कार्यनिष्पादन को लोक उद्यम विभाग ने वर्ष 2012-13 के लिए एम ओ यू रेटिंग के अनुसार "उत्कृष्ट" का दर्जा प्रदान किया।

#### 1.4.3 एन एम डी सी लिमिटेड

- एन एम डी सी ने वर्ष 2013-14 के दौरान पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि (सी पी एल वाई) के दौरान 246.7 लाख टन की तुलना में घरेलू बाजार में 282.1 लाख टन की बिक्री की।
- कंपनी ने सी पी एल वाई में 956 करोड़ रुपए के मूल्य से 16.0 लाख टन के निर्यात की तुलना में चालू वर्ष में लगभग 1600 करोड़ रुपए मूल्य के 23.0 लाख टन लौह अयस्क का जापान, दक्षिण कोरिया और चीन को निर्यात किया।
- सी पी एल वाई के दौरान 262.7 लाख टन बिक्री की तुलना में वर्ष के दौरान कुल बिक्री 305.1 लाख टन थी।
- एन एम डी सी ने सी पी एल वाई में 271.8 लाख टन के लौह अयस्क के उत्पादन की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान 301.8 लाख टन का उत्पादन किया।
- एन एम डी सी ने सी पी एल वाई के दौरान अर्जित 9465 करोड़ रुपए के कर पूर्व लाभ की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान 9700 करोड़ रुपए का कर पूर्व लाभ अर्जित किया।
- एन एम डी सी को लोक उद्यम विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए एम ओ यू रेटिंग के अनुसार "उत्कृष्ट" का दर्जा प्रदान किया गया है।

#### 1.4.4 मॉयल लिमिटेड

- मॉयल लिमिटेड ने वर्ष 2012-13 के दौरान 11.35 लाख टन (अनंतिम) मैंगनीज अयस्क का उत्पादन किया।
- वर्ष 2013-14 में कंपनी की कुल आय 1274.25 करोड़ रुपए (अनंतिम) थी।
- वर्ष 2013-14 में कंपनी का कर-पूर्व लाभ 796.33 करोड़ रुपए (अनंतिम) रहा।
- वर्ष 2013-14 में कंपनी का कर-पश्चात लाभ 509.56 करोड़ रुपए (अनंतिम) रहा।
- मॉयल ने वित्त वर्ष 2012-13 के लिए 92.40 करोड़ रुपए का लाभांश अदा किया।
- मॉयल के निष्पादन को लोक उद्यम विभाग ने वर्ष 2012-13 के लिए एम ओ यू रेटिंग के अनुरूप "उत्कृष्ट" का दर्जा प्रदान किया है।

#### 1.4.5 एम एस टी सी लिमिटेड

- वर्ष 2013-14 के लिए वाणिज्य और व्यापार को शामिल करके कुल कारोबार 26662.15 करोड़ रुपए रहा।
- वर्ष 2013-14 के दौरान एम एस टी सी ई-वाणिज्य में 19401.08 करोड़ रुपए और ट्रेडिंग में 7261.07 करोड़ रुपए का कारोबार किया है।
- गोवा सरकार ने राज्य में लौह अयस्क की ई-नीलामी के लिए एम एस टी सी को नियुक्त किया। जनवरी, 2014 से मार्च, 2014 के दौरान 270.00 करोड़ रुपए मूल्य की ई-नीलामी के माध्यम से 16.6 लाख टन लौह अयस्क बेचा गया था।
- वर्ष 2013-14 के दौरान मै. उड़ीसा खनन निगम, राज्य का पीएसयू, का क्रोम अयस्क 842.13 करोड़ रुपए के लिए बेचा गया था।
- वर्ष 2013-14 के दौरान कर्नाटक में निजी खनिकों और एन एम डी सी के लिए ई-नीलामी के माध्यम से 6608.00 करोड़ रुपए के लिए लौह अयस्क बेचा गया था।
- एम एस टी सी के कार्यनिष्पादन को लोक उद्यम विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए एम ओ यू रेटिंग के अनुसार "उत्कृष्ट" का दर्जा प्रदान किया गया था।

#### 1.4.6 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एच एस सी एल)

- एम ओ यू में तय किया गया समग्र कारोबार लक्ष्य पार किया गया है (106.5 प्रतिशत)।
- वित्तीय वर्ष 2013 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान समग्र कारोबार में 105.33 करोड़ रुपए (8.24 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान आदेश बुकिंग लक्ष्य से 65.56 प्रतिशत बढ़ गई। वित्तीय वर्ष 2013 की तुलना में 96.51 प्रतिशत का सुधार हुआ है।
- 86.86 करोड़ रुपए का प्रचालनात्मक लाभ (अनअंकेक्षित) दर्ज किया गया।
- एच एस सी एल के कार्यनिष्पादन को लोक उद्यम विभाग द्वारा वर्ष 2012–13 के लिए एम ओ यू रेटिंग के अनुसार “बहुत अच्छा” दर्जा प्रदान किया गया।

#### 1.4.7 मेकॉन लिमिटेड

सितम्बर, 2008 में, मेकॉन ने अपने ऋणात्मक निवल मूल्य को धनात्मक करके उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की और सितम्बर, 2009 तक अपने संचित घाटे को पूर्णतः समाप्त कर दिया। लेखापरीक्षित खातों के अनुसार 31.12.2013 की स्थिति के अनुसार, मेकॉन का निवल मूल्य 391.29 करोड़ रुपए है। 31.03.04 की स्थिति के अनुसार कंपनी के (-) 257.91 करोड़ रुपए के ऋणात्मक निवल मूल्य की तुलना में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में मेकॉन ने सरकार को वरीयता शेयर पूंजी पर 2.32 करोड़ रुपए और इक्विटी शेयर पूंजी पर 8.03 करोड़ रुपए का लाभांश अदा किया। मेकॉन के कार्यनिष्पादन को लोक उद्यम विभाग ने वर्ष 2012–13 के लिए एम ओ यू रेटिंग के अनुरूप “अच्छा” का दर्जा प्रदान किया है।

#### 1.4.8 के आई ओ सी एल लिमिटेड

- के आई ओ सी एल ने सी पी एल वार्ड के दौरान पैलेट के 12.65 लाख टन उत्पादन और 12.36 लाख टन बिक्री की तुलना में वर्ष 2013–14 के दौरान पैलेट का 17.10 लाख टन का उत्पादन और 16.15 लाख टन की बिक्री की।
- के आई ओ सी एल ने मिनचेरी आर एफ, रायादुर्गम रैंज, बोमानहाल, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में 1513 हेक्टेयर क्षेत्र में लौह अयस्क भंडार के संयुक्त गवेषण और विदोहन के लिए और खान मुख पर डाउनस्ट्रीम परियोजनाओं की और स्थापना के लिए मैसर्स ए पी एम डी सी और मैसर्स आर आई एन एल के साथ त्रिपक्षीय एम ओ यू पर हस्ताक्षर किए।
- विशाखापत्तनम में 60 लाख टन प्रतिवर्ष के पैलेट संयंत्र सहित 80 लाख टन प्रतिवर्ष निस्स्यन्दन संयंत्र की स्थापना तथा नगरनार से विशाखापत्तनम तक 130 लाख टन प्रतिवर्ष सलरि पाइप लाइन की स्थापना के लिए के आई ओ सी एल, एन एम डी सी और आर आई एन एल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- के आई ओ सी एल लिमिटेड के कार्यनिष्पादन को लोक उद्यम विभाग ने वर्ष 2012–13 के लिए एम ओ यू रेटिंग के अनुसार “बहुत अच्छा” का दर्जा प्रदान किया है।

## इस्पात मंत्रालय का संगठनात्मक ढांचा और क्रियाकलाप

### 2.1 प्रस्तावना

इस्पात मंत्रालय इस्पात मंत्री के अधीन है। यह मंत्रालय लौह और इस्पात उद्योग की आयोजना और विकास, लौह अयस्क, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैंगनीज अयस्क, क्रोमाइट्स, फेरो-अलॉय, स्पंज आयरन आदि जैसी आवश्यक सामग्री के विकास तथा अन्य संबंधित क्रियाकलापों के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय को आवंटित विषयों का ब्योरा अनुलग्नक-I में देखा जा सकता है। प्रभारी मंत्री और उप-सचिव स्तर तक के अधिकारियों की सूची अनुलग्नक-II में दी गई है।

#### 2.1.1 इस्पात मंत्रालय के प्रमुख कार्य

- सरकारी और निजी क्षेत्रों में स्टील संयंत्रों, री-रॉलिंग उद्योग और फेरो-एलॉयज का विकास।
- लौह और इस्पात तथा फेरो इलॉयज के उत्पादन, वितरण और कीमतों से जुड़ी नीतियों का निर्धारण।
- सार्वजनिक क्षेत्र में कच्चे लोहे की खानों और मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, लाइमस्टोन जैसे अन्य अयस्क खानों और लौह इस्पात उद्योग में उपयोग होने वाले अन्य खनिजों (खदान पट्टे या इससे जुड़े अन्य मामलों को छोड़कर) का विकास।
- देश में इस्पात के सभी उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच बातचीत के लिए एक मंच उपलब्ध कराना।
- इस्पात उद्योग के लिए अपेक्षित बुनियादी ढांचा और अन्य संबंधित सुविधाओं की पहचान।
- 8 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, उनकी सहायक कंपनियों एवं इंटरनेशनल कोल वैचर्स प्राइवेट लिमिटेड (आई सी वी एल) नामक एक विशेष उद्देश्य वाहक (संयुक्त उद्यम कंपनी) के कार्यनिष्पादन की देखरेख करना।

#### 2.1.2 जिम्मेदारियों का आबंटन

31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, इस्पात मंत्रालय में सचिव, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, तीन संयुक्त सचिव, छह निदेशक दो उप सचिव, एक संयुक्त निदेशक (रा.भा.) और अन्य सहायक अधिकारी और कर्मचारी हैं। मंत्रालय में एक आर्थिक सलाहकार और एक मुख्य लेखा नियंत्रक भी है। औद्योगिक सलाहकार के प्रभार के तहत तकनीकी विंग तकनीकी स्वरूप जैसे अनुसंधान और विकास स्कीम के कुछ सचिवालय कार्य का निर्वहन करने के अलावा तकनीकी मामलों के संबंध में सलाह देता है।

## 2.2 मंत्रालय के प्रमुख अनुभागों / इकाइयों के कार्य

### 2.2.1 प्रशासन

- सामान्य कार्यालय प्रशासन और देखभाल संबंधी कार्य
- कार्यालय के उपकरण, खरीद और रखरखाव
- नागरिक सुरक्षा
- विभागीय सुरक्षा
- चिकित्सा दावे
- मंत्रालय के अधिकारियों / कर्मचारियों को विभिन्न फुटकर मदें जारी करना
- प्रोटोकॉल मामले

### 2.2.2 स्थापना

इस्पात मंत्रालय के सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के प्रशासनिक / कार्मिक मामले और महिलाओं के कल्याण से जुड़े मामले।

### 2.2.3 संसद प्रकोष्ठ

इस्पात मंत्रालय से संबंधित संसदीय मामले, राष्ट्रपति का अभिभाषण एवं बजट; परामर्शदात्री समिति और स्थायी समिति की बैठकें, संसदीय समितियों के दौरे / अध्ययन दलों द्वारा इस्पात मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा परियोजनाओं के दौरे।


### 2.2.4 पुस्तकालय

पुस्तकों, मैनुअल, अखबारों, पत्र-पत्रिकाओं, अन्य संदर्भ पुस्तकों की खरीद और पुस्तक सूची यानी कैटलॉग के रखरखाव आदि से जुड़े तमाम मामलों से संबंधित कार्य पुस्तकालय देखता है।

### 2.2.5 एन आई सी प्रकोष्ठ

एन आई सी कक्ष सूचना और संचार टेक्नोलॉजी (आई सी टी) के संबंध में मंत्रालय की सहायता करता है। इसमें ई-गवर्नेंस के डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन, मंत्रालय के इंटरनेट पोर्टल के उपयोग और आई सी टी समर्थित सेवाओं, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एन आई सी) डोमेन में मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाइट के डिजाइन, होस्टिंग और रखरखाव, मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करके सूचना-तकनीक के क्षेत्र में

इस्पात मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट



क्षमता निर्माण, मंत्रालय व इसके पी एस यू तथा अधीनस्थ संगठनों में आई सी टी से संबंधित मामलों में तकनीकी सलाह उपलब्ध कराना इसके कार्यक्षेत्र में शामिल है।

### 2.2.6 हिन्दी अनुभाग

राजभाषा नीति के क्रियान्वयन के लिए इस्पात मंत्रालय में एक हिन्दी अनुभाग कार्य कर रहा है।

### 2.2.7 सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ (आर टी आई कक्ष)

यह प्रकोष्ठ इस्पात मंत्रालय में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन और इस मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य कार्यालयों में इसके कार्यान्वयन की निगरानी के अलावा मुख्य सूचना आयुक्त को आरटीआई क्रियाकलापों से जुड़ी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

### 2.2.8 समन्वय अनुभाग

विभिन्न अनुभागों/डेस्कों को आबंटित विषयों से जुड़े सभी मामलों के बीच समन्वय और निम्नलिखित कार्यों की देखरेख करना :

- इस्पात मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
- भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस्पात पैवेलियन को स्थापित करने की गतिविधियों का समन्वय करना।
- गणतंत्र दिवस की झांकी।
- परिचय सामग्री।
- ग्राहक नागरिक चार्टर।
- अन्य मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त प्रारूप मंत्रिमंडल नोट पर टिप्पणी तैयार करना।
- सीपीजीआरएएमएस के द्वारा शिकायत दूर करने के तंत्र की निगरानी।
- अन्य मंत्रालयों/विभागों के संसदीय प्रश्न/आश्वासन, इस्पात मंत्रालय से संबंधित प्रश्न जिनके लिए समग्र रूप से समन्वय अपेक्षित हो।
- इस्पात संयंत्रों में सुरक्षा से संबंधित मामलों का समन्वय।

### 2.2.9 सतर्कता डेस्क

यह इकाई जिन महत्वपूर्ण गतिविधियों को देखती है, उनमें शामिल हैं :

- कदाचार/लोभ-लालच की संभावना वाले संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और सरकारी क्रियाकलापों में विश्वसनीयता/कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपाय करना।
- शिकायतों की जांच और उचित जांच उपाय शुरू करना।
- केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच रिपोर्टों पर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को मंत्रालय की टिप्पणी देना।
- सीवीसी और कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग की सलाह से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सीवीओ) की नियुक्ति।

### 2.2.10 बजट अनुभाग

बजट अनुभाग मंत्रालय के साथ-साथ इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) की वार्षिक योजनाओं, पंचवर्षीय योजना परिव्यय, ब्यौरेवार मांगों तथा पूरक अनुदान मांगों, परिणाम बजट को तैयार करने तथा उन्हें अंतिम रूप देने, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को निधियां निमुक्त करने और जेंडर बजटिंग संबंधी कार्य करता है।

### 2.2.11 वित्त अनुभाग

वित्त अनुभाग इस्पात मंत्रालय के सभी वित्तीय प्रस्तावों की जांच तथा अनुमोदन और लेखापरीक्षा पैराओं संबंधी कार्य करता है।

### 2.2.12 तकनीकी शाखा

अनुसंधान और विकास से संबंधित पूरे सचिवालय/प्रशासनिक कार्यों को निपटाना, ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन और सर्वश्रेष्ठ एकीकृत स्टील संयंत्र के लिए प्रधानमंत्री की ट्रॉफी के विजेता का निर्णय लेने के अलावा तकनीकी सलाह देना।

### 2.2.13 औद्योगिक विकास शाखा

औद्योगिक विकास शाखा (आई डी डब्ल्यू) मुख्य रूप से निजी क्षेत्र में लोहा और इस्पात उद्योग की तरक्की और विकास से जुड़ी हुई है।

### 2.2.14 अन्य अनुभाग / डेस्क

सेल ओपी, पीसी, सीआईपी, आरएस अनुभाग, आरएम-1 और आरएम-11 अनुभागों, केडीएच अनुभाग, एमएफ डेस्क और वीएसपी डेस्क अपने-अपने पीएसयू से जुड़े सभी मामलों को देखते हैं।

### 2.2.15 लौह और इस्पात विकास आयुक्त (डी सी आई एंड एस) कक्ष

व्यय सुधार आयोग (ई आर सी) की सिफारिशों के आधार पर कोलकाता में लोहा और इस्पात के लिए विकास आयुक्त (डी सी आई एंड एस) कार्यालय और इसके चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और नई दिल्ली स्थित चार क्षेत्रीय कार्यालयों को 23 मई, 2003 से बंद करने का प्रशासनिक निर्णय लिया गया। सेकेंडरी सेक्टर से आंकड़ों के संग्रह को छोड़कर बाकी कार्यों को इस्पात मंत्रालय के डी सी आई एंड एस कक्ष को अन्तरित कर दिया गया।

डी सी आई एंड एस कक्ष लघु उद्योग निगम (एस एस आई सी)/राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन एस आई सी) के जरिए लघु उद्योग (एस एस आई) को लोहा और इस्पात मदों के आवंटन से संबंधित मामले देखता है।

उचित कीमतों पर लघु उद्योगों को कच्चे माल मिल जाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार निगमों को लगभग 500–550 रुपए प्रति टन का नाममात्र संचालन शुल्क देती है। एस एस आई इकाइयों को वितरित करने के लिए पिछले तीन सालों के दौरान लोहा और इस्पात के सामान का आबंटन इस प्रकार है :

(मात्रा '000 मीट्रिक टन में)

कारपोरेशन	2011–12	2012–13	2013–14
एस एस आई सी	567	567	621
एन एस आई सी	143	143	228
<b>कुल</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>849</b>

### 2.2.16 आर्थिक विश्लेषण तथा परिणाम रूपरेखा दस्तावेज प्रभाग

- मंत्रिमंडल सचिवालय को प्रस्तुत करने के लिए मंत्रालय का वार्षिक परिणाम रूपरेखा दस्तावेज (आरएफडी) तैयार करना।
- परिणाम रूपरेखा दस्तावेज में बताए गए उद्देश्यों, लक्ष्यों और सफलता मानकों की मॉनीटरिंग।
- मंत्रिमंडल सचिव को मासिक डी ओ पत्र के रूप में प्रमुख उपलब्धियां प्रेषित करना।
- मंत्रालय के इस्पात क्षेत्र के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के तकनीकी-आर्थिक मापदंडों की मॉनीटरिंग।
- इस्पात क्षेत्र के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के भौतिक एवं वित्तीय निष्पादन की मानीटरिंग।
- इस्पात क्षेत्र संबंधी डाटा का संग्रह, संकलन, विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण।

### 2.3 इस्पात मंत्रालय से संबंधित अन्य संगठन

#### 2.3.1 संयुक्त संयंत्र समिति (जे पी सी)

आईएसओ 9001:2008 द्वारा प्रमाणित संयुक्त संयंत्र समिति देश में एकमात्र ऐसी संस्था है जिसे इस्पात मंत्रालय/भारत सरकार ने सरकारी तौर पर भारतीय लोहे और इस्पात उद्योग के संबंध में आंकड़े एकत्र करने का अधिकार दिया है जिसके परिणामस्वरूप इस उद्योग से संबंधित पूरा डाटा बैंक न केवल तैयार हो पाया है बल्कि उसे बनाए रखा जा रहा है।

जे पी सी का मुख्यालय कोलकाता में है। इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नै में आंकड़े एकत्र करने में लगे हैं जबकि आर्थिक शोध इकाई नई दिल्ली, तकनीकी-आर्थिक अध्ययन तथा नीतिगत विश्लेषण का कार्य करती है। जेपीसी के अध्यक्ष, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव होते हैं तथा इसमें सेल, आर आई एन एल, टाटा स्टील और रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधियों को सदस्यों के रूप में स्थान दिया गया है।

जेपीसी के चार क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता स्थित मुख्यालय से निकट संपर्क स्थापित कर निम्नलिखित महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं :

- उत्पादकों से उत्पादन, भंडार और कच्चे माल संबंधी आंकड़ों का संग्रह।
- सीमा शुल्क गृहों से आयात और निर्यात संबंधी आंकड़ों का संग्रह।
- घरेलू बाजार में कीमतों सम्बन्धी आंकड़ों का संग्रह।
- उद्योग के साथ नियमित फालोअप/निगरानी और उन पर संपर्क गतिविधियां।
- गलती करने वाले इस्पात उत्पादक यूनिटों का दौरा कर मौके पर आंकड़े एकत्र करना।
- क्षेत्र विशेष सर्वेक्षण के दौरान क्षेत्रीय स्तर पर सूचना एकत्र करने में सक्रिय भूमिका।
- इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद की बैठकें, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में इस्पात पवेलियन जैसे अवसरों पर संगोष्ठी/प्रदर्शनियों में संगठनात्मक सहयोग।

#### 2.3.2 आर्थिक अनुसंधान इकाई

जेपीसी की नई दिल्ली स्थित आर्थिक अनुसंधान इकाई अनुसंधान सहयोग, भविष्य के बारे में संभावनाएं व्यक्त करने तथा नीतिगत मामलों/तकनीकी-आर्थिक अध्ययनों की समीक्षा का कार्य करती है। ईआरयू प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री ट्रॉफी और इस्पात मंत्री ट्रॉफी के लिए सचिवालय के तौर पर भी कार्य करती है। हाल के समय में, ईआरयू ने इस्पात के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए मांग-आपूर्ति अनुमान संबंधी कार्य को पूरा किया है। ईआरयू इस्पात निर्यातक मंच का सचिवालय है, जो उद्योग और विभिन्न सरकारी निकायों का एक संघ है जिसे देश में इस्पात के निर्यातों में सुविधा देने के लिए स्थापित किया गया है।

#### 2.3.3 जेपीसी के क्रियाकलाप

##### ग्रामीण इस्पात मांग का अध्ययन

जेपीसी ने ग्रामीण भारत में इस्पात की मांग के मूल्यांकन के संबंध में एक अध्ययन किया है। इस अध्ययन से ग्रामीण भारत में इस्पात खपत के स्तर से संबंधित जानकारी प्रकाश में आई है जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इस्पात खपत के स्तर और प्रवृत्ति को समझा जा सकता है।

### जेपीसी द्वारा निधि प्रबंधन सेवाएं

जेपीसी इस्पात विकास निधि (एस डी एफ) प्रबंधन समिति के सचिवालय के रूप में भी कार्य करती है। इस्पात मंत्रालय के सचिव इसके अध्यक्ष हैं जबकि इसके अन्य सदस्य सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, सचिव, योजना आयोग हैं और संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय उसके सदस्य सचिव हैं। इस्पात विकास निधि उद्योग को टेक्नोलॉजी उन्नयन, प्रदूषण नियंत्रण उपायों, अनुसंधान तथा विकास से संबंधित गतिविधियों जैसी परियोजनाएं हाथ में लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जेपीसी को फेरस स्क्रेप समिति (एफ एस सी) के सचिवालयीन कार्य भी सौंपे गए हैं जिनमें अन्य के अतिरिक्त फेरस स्क्रेप डेवलपमेंट फंड (एफ एस डी एफ) का प्रबंधन भी शामिल है।

#### 2.3.4 फेरस स्क्रेप समिति (एफ एस सी)

जेपीसी को फेरस स्क्रेप समिति (एफ एस सी) के सचिवालयीन कार्य भी सौंपे गए हैं, जो अन्य कार्यों के साथ-साथ फेरस स्क्रेप विकास कोष का भी प्रबंधन करती है। एफ एस सी की स्थापना 1979 में भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा तत्कालीन इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय, इस्पात विभाग, द्वारा की गई और अनिवार्य वस्तु अधिनियम से इस्पात को हटाने के पश्चात 10 जुलाई, 2013 को इसका पुनर्गठन किया गया।

इस समय इसमें निम्नलिखित सदस्य हैं :

- संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार (इस्पात विकास विंग के प्रभारी)
- निदेशक (वित्त), इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार
- लोहा, इस्पात स्क्रेप एंड शिपब्रेकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष
- गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी

एफएससी निम्नलिखित कार्य करती हैं :

- शिप ब्रेकिंग क्रियाकलापों के लिए आवश्यक अवसरचना के विकास के लिए सहायता
- स्क्रेप उठाने-रखने/प्रक्रियागत सुविधाओं के लिए सहायता
- शिप ब्रेकिंग के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन।

### 2.4 मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की सूची

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	मुख्यालय	सहायक कंपनियां
1	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड, पोस्ट बॉक्स नं. 565, सेलम-636005 (तमिलनाडु)
2	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, विशाखापत्तनम-530031, (आंध्र प्रदेश)	बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज, एजी 104, सौरभ अबासन द्वितीय तल, सेक्टर-II सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700091
3	एन एम डी सी लिमिटेड	खनिज भवन, 10-3-311/ए, कैसल हिल्स, मसाब टैंक, हैदराबाद -500028, (आंध्र प्रदेश)	जे एंड के मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, 143-ए, गांधी नगर, जम्मू -180004 (जम्मू एवं कश्मीर)
4	मॉयल लिमिटेड	मॉयल भवन, 1-ए, काटोल रोड, नागपुर-440013, (महाराष्ट्र)	
5	एम एस टी सी लिमिटेड	225-सी, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता-700020 (पश्चिम बंगाल)	फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड, एफ एस एन एल भवन, इक्विपमेंट चौक, सेंट्रल एवेन्यू, भिलाई -490001 (छत्तीसगढ़)
6	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	5/1, कमीसेरिएट रोड, (हेस्टिंग्स), कोलकाता-700022, (पश्चिम बंगाल)	
7	मेकॉन लिमिटेड	मेकॉन बिल्डिंग, रांची - 834002 (झारखंड)	
8	के आई ओ सी एल लिमिटेड	II ब्लॉक, कोरमंगला, बंगलुरु - 560034 (कर्नाटक)	
9	आई सी वी एल लिमिटेड	इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	



## भारतीय इस्पात क्षेत्र : विकास एवं संभावनाएं

### 3.1 प्रस्तावना

वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के समय देश में केवल तीन इस्पात कारखाने – टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी और विश्वेश्वराया आयरन एंड स्टील लिमिटेड और कुछ विद्युत आर्क भट्टी आधारित कारखाने भी थे। वर्ष 1947 तक देश में भले ही इस्पात उद्योग का आकार छोटा रहा हो, लेकिन उसका योगदान महत्वपूर्ण था। उस समय इस्पात उद्योग की वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग 10 लाख टन थी और यह पूरी तरह निजी क्षेत्र में था। आजादी के समय 10 लाख टन क्षमता के उद्योग से बढ़कर अब भारत दुनिया में कच्चे इस्पात का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक और स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक लोहा एवं इस्पात उद्योग देश के सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) में करीब दो प्रतिशत का योगदान करता है। किसी समय में भारतीय इस्पात उद्योग की विश्व में उपस्थिति लगभग न के बराबर थी जबकि अब भारतीय इस्पात उद्योग विश्व में अपने उत्पादों की गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात अपने लम्बे इतिहास में भारतीय इस्पात उद्योग ने चुनौतियों और कारोबारी उतार-चढ़ाव का सामना किया है। इस क्षेत्र में पहला बड़ा परिवर्तन पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं (1952–70) के दौरान आया जब आर्थिक व्यवस्था के अनुरूप लौह एवं इस्पात उद्योग को सरकारी नियंत्रण में लिया गया। 50 के दशक के मध्य और सन् 1970 के दशक के आरंभ में भारत सरकार ने भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो में बड़े एकीकृत इस्पात उद्योगों की स्थापना की। इन वर्षों के दौरान उद्योग के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित नीतियां थीं :

- क्षमता नियंत्रण के उपाय : क्षमता की लाइसेंसिंग, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता विकसित करने के लिए आरक्षण।
- दोहरी कीमत निर्धारण प्रणाली : निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के बड़े और एकीकृत उत्पादकों के लिए कीमत और वितरण नियंत्रण व्यवस्था काम कर रही थी जबकि शेष उद्योग मुक्त व्यापार व्यवस्था के अंतर्गत था।
- मात्रात्मक प्रतिबंध और उच्च शुल्क अवरोध।
- रेलवे मालभाड़ा समकरण नीति : संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास सुनिश्चित करना।
- प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और पूंजीगत वस्तुओं तथा वित्तीय संग्रहण तथा निर्यात।



श्री लाल बहादुर शास्त्री (भूतपूर्व प्रधान मंत्री) और श्री डी.जे.बेल (भूतपूर्व जीएम) 11 जनवरी, 1964 को सेल संयंत्र का दौरा करते हुए।

**3.1.1** इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत व्यापक पैमाने पर क्षमता निर्माण ने भारत को दुनिया का 10वां सबसे बड़ा इस्पात निर्माता बना दिया। इसके अलावा कच्चे इस्पात का उत्पादन भी वर्ष 1947 के 10 लाख टन प्रति वर्ष से बढ़कर एक दशक के भीतर 150 लाख टन हो गया। वर्ष 1970 के दशक के बाद कुछ समय तक आर्थिक मंदी ने भारतीय इस्पात उद्योग के विकास पर बुरा प्रभाव डाला। परंतु 1991-92 में हालात में परिवर्तन हुआ और देश ने वैश्वीकरण के संदर्भ में नियंत्रित शासन के स्थान पर उदारीकरण और नियंत्रणमुक्त व्यवस्था प्रारंभ की। वर्ष 1990 के दशक के आरंभ में लाई गई आर्थिक नीति ने देश के इस्पात उद्योग पर निम्न प्रकार से प्रभाव डाला :

- सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से बड़े पैमाने की क्षमताओं को हटा दिया गया। अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंसिंग की आवश्यकता को भी हटाकर स्थानीय प्रतिबंधों का विषय बना दिया गया।
- संपूर्ण व्यवस्था में निजी क्षेत्र की प्रमुख भूमिका हो गई।
- कीमत निर्धारण और वितरण पर नियंत्रण की प्रक्रिया भंग कर दी गई।
- लौह एवं इस्पात उद्योग को विदेशी निवेश की उच्च प्राथमिकता सूची में रखा गया। इसके तहत 50 प्रतिशत तक के विदेशी निवेश को स्वतः मंजूरी प्रदान की गई। परंतु इस प्रक्रिया में आमतौर पर ऐसे निवेश की देखरेख करने वाले विभिन्न कानूनों तथा विदेशी एक्सचेंजों के निर्देश लागू रहे।
- एक समान मालभाड़ा योजना को मालभाड़ा की उच्चतम सीमा वाली प्रणाली में बदल दिया गया।
- मात्रात्मक आयात प्रतिबंधों को बड़े पैमाने पर हटाया गया। निर्यात प्रतिबंध भी हटाए गए।

**3.1.2** तत्पश्चात इस प्रणाली में भी कई परिवर्तन किए गए। इस्पात निर्माताओं के लिए मुक्त अर्थव्यवस्था ने कई नए अवसर उत्पन्न किए। एक ओर जहां उनके लिए विदेशी बाजारों से आवश्यक कच्चा माल आदि खरीदने का मार्ग प्रशस्त हुआ वहीं विदेशी बाजारों के द्वार भी उनके उत्पादों के लिए खुल गए। उद्योग को विश्व में इस्पात उत्पादन के लिए परिचालन और तकनीक की जानकारी भी मिलने लगी। यही नहीं इससे वैश्विक बाजारों की प्रतिस्पर्धा के दबाव के साथ-साथ इससे किफायत का स्तर सुधारने की जरूरत भी महसूस हुई ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी उत्पाद तैयार किए जा सकें। दूसरी ओर इस्पात उपभोक्ता के पास भी अब चयन की सुविधा थी और वह कई उत्पादों में से अपनी पसंद के उत्पाद का चयन कर सकता था। इसमें देशी और विदेशी दोनों तरह के उत्पाद शामिल थे। वर्ष 1992 में मुक्त अर्थव्यवस्था के आगमन के बाद ही देश की इस्पात निर्माण क्षमता में तेजी से विकास हुआ। निजी क्षेत्र में एस्सार स्टील, इस्पात इंडस्ट्रीज, जिंदल ग्रुप आदि द्वारा बड़े इस्पात कारखाने स्थापित किए गए। टाटा स्टील ने भी अपनी क्षमता में वृद्धि की। इस अवधि में हासिल किए गए कुछ प्रमुख मील के पत्थर निम्नलिखित हैं :

- अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के सहारे निजी क्षेत्र का लगभग 90 लाख टन इस्पात उत्पादन क्षमता के साथ बाजार में प्रवेश।
- शुल्क संबंधी अवरोधों को हटाने अथवा घटाने, रुपए की संचारी कीमत के आधार पर कारोबार तथा वैश्विक प्रौद्योगिकियों की पहुंच से वैश्व निर्यात बाजार में भारतीय इस्पात की प्रतिस्पर्धात्मक पहुंच मजबूत हुई।

**3.1.3** वर्ष 1996-97 के बाद घरेलू अर्थव्यवस्था की विकास दर में लगातार गिरावट आने के बाद भारतीय इस्पात उद्योग की गति सभी सूचकांकों के आधार पर धीमी हुई। इनमें क्षमता वृद्धि, उत्पादन, खपत, निर्यात और कीमत/लाभ सूचकांक शामिल थे। इस्पात उद्योग के कार्यनिष्पादन में भी गिरावट आई और यह औसत से नीचे चला गया। विदेशी कारोबार में भारतीय इस्पात पर एंटी डंपिंग/सेफगार्ड शुल्क लगाया जाता था क्योंकि अधिकतर विकसित देशों ने गैर-शुल्क अवरोध लगा रखे थे। एशिया में आए वित्तीय संकट के कारण आर्थिक क्षति हुई तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी आने व नए इस्पात उत्पादक देशों (पूर्व सोवियत संघ की इस्पात आधिक्य अर्थव्यवस्था) से अतिरिक्त आपूर्तियों द्वारा सृजित भरमार का प्रभाव ऐसे कारक थे जिन्होंने विकास के स्तरों को कम किया। लेकिन, वर्ष 2002 के बाद वैश्विक उद्योग जगत ने वापसी की, जिसमें चीन का बहुत बड़ा योगदान था। चीन के तीव्र आर्थिक विकास और तेजी से विस्तृत होते आधारभूत संरचना क्षेत्र में इस्पात की मांग में जबरदस्त वृद्धि हुई। यह मांग इतनी ज्यादा थी कि उसकी घरेलू आपूर्ति इसके लिए पर्याप्त नहीं थी। ठीक इसी समय अन्य प्रमुख बाजारों में भी सुधार हुआ। वहां न केवल उत्पादन में इजाफा हुआ बल्कि कीमतों में भी सुधार हुआ, मुनाफा दोबारा शुरू हुआ और नए बाजारों का भी आगमन हुआ तथा व्यापार संबंधी अवरोध हटाए गए। अंततः दुनिया भर में इस्पात की मांग में वृद्धि हुई। भारतीय बाजारों के लिए भी परिस्थितियां इससे अलग नहीं थीं और अब वहां भी अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर जोर दिया जा रहा था। घरेलू प्रतिव्यक्ति इस्पात की खपत में वृद्धि के कारण और आयात प्रतिस्थापन के उपाय किए गए। बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्यात बढ़ाने की कोशिश हो रही थी तथा वैश्विक बाजार से कच्चा माल प्राप्त करने के लिए उसे खंगाला जा रहा था।

## अध्याय—III



**3.1.4** उद्योग की तीव्र विकास दर और बाजार के रुझानों को देखते हुए कुछ दिशानिर्देशों तथा ढांचे की आवश्यकता थी। इसके साथ ही राष्ट्रीय इस्पात नीति की अवधारणा का जन्म हुआ। इसका उद्देश्य देश के इस्पात उद्योग को विकास व प्रगति का रास्ता दिखाना था। राष्ट्रीय इस्पात नीति (एन एस पी) की घोषणा नवम्बर, 2005 में की गई। यह प्रतिस्पृद्धि इस्पात क्षेत्र का बुनियादी खाका था। राष्ट्रीय इस्पात नीति 2005 का दीर्घकालिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि भारत में वैश्विक मानकों के अनुरूप एक आधुनिक व किफायती इस्पात उद्योग विकसित हो, ताकि इस्पात संबंधी विविध जरूरतों को पूरा किया जा सके और उत्पादन व उत्पादकता के मामले में विश्वस्तरीय मानकों को हासिल किया जा सके। राष्ट्रीय इस्पात नीति 2005 उन प्रक्रियागत और नीतिगत अवरोधों को भी दूर करना चाहती थी जिनके कारण उत्पादन के लिए कच्चे माल में कमी, शोध एवं विकास संबंधी निवेश में इजाफा न होने, सड़क, रेल और बंदरगाह संबंधी बुनियादी विकास न होने, की समस्याएं सामने आ रही थीं। नीति का ध्यान घरेलू क्षेत्र में इस्पात उद्योग की विकास की दर तेज करने तथा खपत बढ़ाने के प्रयास पर भी था क्योंकि इससे निर्यात की संभावनाओं को भी बल मिलता है। इस समय भी इन बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप नवीकरण किया जा रहा है। नीति को बदलते समय के साथ समकालीन बनाए जाने की आवश्यकता है। इसलिए इस्पात के 3000 लाख टन प्रतिवर्ष के लक्षित उत्पादन को प्राप्त करने पर संकेंद्रण के साथ इस्पात उद्योग के विकास के लिए मौजूदा राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2005 को प्रतिस्थापित करने के लिए नई राष्ट्रीय नीति का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा, 3000 लाख टन की लक्षित क्षमता प्राप्त करने के लिए “इस्पात क्षेत्र के लिए दीर्घावधिक परिप्रेक्ष्य” तैयार किया जा रहा है।

### 3.2 इस्पात का उत्पादन, खपत और विकास

**3.2.1** विगत पाँच वर्षों के दौरान नीचे दी गई तालिका देश में कुल तैयार इस्पात (मिश्र+गैर-मिश्र) की बिक्री, आयात, निर्यात और वास्तविक उपभोग के रुझान दर्शाती है :

वर्ष	तैयार इस्पात (मिश्र + गैर-मिश्र) (मिलियन टन)			
	बिक्री हेतु उत्पादन	आयात	निर्यात	वास्तविक उपभोग
2009-10	60.62	7.38	3.25	59.34
2010-11	68.62	6.66	3.64	66.42
2011-12	75.69	6.86	4.59	71.02
2012-13	81.68	7.93	5.37	73.48
2013-14*	85.05	5.45	5.59	73.89


स्रोत : जेसीपी : \*अनंतिम



**3.2.2** कच्चे इस्पात के उत्पादन में वर्ष 2009-10 के बाद से क्षमता के साथ-साथ लगातार वृद्धि हुई। कच्चे इस्पात के उत्पादन, क्षमता और क्षमता के उपयोग से संबंधित आंकड़े नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए हैं :

वर्ष	कच्चा इस्पात		
	क्षमता (मिलियन टन)	उत्पाद (मिलियन टन)	क्षमता का उपयोग (प्रतिशत)
2009-10	75.00	65.84	88
2010-11	80.36	70.67	88
2011-12	90.87	74.29	82
2012-13	97.02	78.42	81
2013-14*	99.57	81.54	82

स्रोत : जेसीपी : \*अनंतिम



- वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाले विगत पांच वर्षों के दौरान कच्चे इस्पात का उत्पादन 7 प्रतिशत की चक्रवृद्धि दर से बढ़ा। उत्पादन में ये वृद्धि 2009-10 में 750 लाख टन से 2013-14 में 995.7 लाख टन 9 प्रतिशत की वृद्धि (सीएजीआर आधार पर) के साथ, क्षमता विस्तार द्वारा संचालित थी।
- कुल तैयार इस्पात की बिक्री का उत्पादन सीएजीआर के अनुरूप 8 प्रतिशत की दर से औसत वार्षिक वृद्धि पर 2009-10 में 606.2 लाख टन के मुकाबले 2013-14 के दौरान 850.5 लाख टन (अनंतिम) रहा जबकि 2013-14 के दौरान 738.9 लाख टन की वास्तविक खपत के साथ इस अवधि के दौरान सीएजीआर आधार पर वृद्धि 7.1 प्रतिशत रही।
- भारत वर्ष 2007-08 से कुल तैयार इस्पात का शुद्ध आयातक था, वर्ष 2013-14 में शुद्ध निर्यातक बन गया और 55.9 लाख टन के कुल निर्यात 54.5 लाख टन के कुल आयातों से बढ़ गए। निर्यातों में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि आयातों में पिछले पांच वर्ष की अवधि के दौरान 1.4 प्रतिशत की कमी हुई, दोनों सीएजीआर के आधार पर हैं।


**3.2.3** ऊपर दिए गए कच्चे इस्पात के कार्यनिष्पादन में बहुत बड़ा योगदान इस्पात निर्माण के वैद्युत मार्ग का, खासतौर पर इंडक्शन फर्नेस मार्ग का रहा। यह वर्ष 2013-14 के दौरान देश में 34 प्रतिशत कच्चे इस्पात कुल उत्पादन के लिए जिम्मेदार रहा और कच्चे इस्पात उत्पादन का प्रमुख प्रेरणता उभरकर सामने आया। पिछले पांच वर्ष की अवधि अर्थात 2009-10 और 2013-14 (अनंतिम) के अंत के वर्षों के दौरान देश में कच्चे इस्पात के कुल उत्पादन में विभिन्न प्रक्रिया मार्गों

## अध्याय—III

का हिस्सा नीचे की सारणी में दर्शाया गया है और यह आक्सीजन मार्ग की तुलना में उत्पादन के इलेक्ट्रिक मार्ग के उभरने का संकेत करता है :

प्रक्रिया द्वारा कच्चे इस्पात का उत्पादन	मार्ग प्रतिशत (%)	
	2009—10	2013—14*
बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस (बी ओ एफ)	45	43
इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ई ए एफ)	25	23
इंडक्शन फर्नेस (आई एफ)	30	34
कुल	100	100

स्रोत : जेसीपी : \*अनंतिम



**3.2.4** भारत कोयला आधारित संयंत्रों के साथ स्पंज आयरन का भी बहुत बड़ा उत्पादक है। ये संयंत्र देश के खजिन प्रधान राज्यों में हैं। बीते वर्षों के दौरान कोयला आधारित रूट कुल उत्पादन में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभरकर सामने आया है। कुल स्पंज लौह उत्पादन में इसका योगदान वर्ष 2013—14 में 88 प्रतिशत रहा। स्पंज आयरन की निर्माण क्षमता में भी बीते सालों के दौरान वृद्धि हुई है और वर्तमान में यह 450 लाख टन के लगभग है। भारत वर्ष 2003 से प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा स्पंज आयरन उत्पादक बना हुआ है। नीचे दी गई तालिका में देश में स्पंज आयरन के उत्पादन के आंकड़े दिए गए हैं। इसमें कोयला और गैस आधारित उत्पादन प्रविधियों (रूट) का ब्यौरा दिया गया है :

वर्ष	स्पंज आयरन का उत्पादन (इकाई : मिलियन टन)				
	2009—10	2010—11	2011—12	2012—13	2013—14*
कोयला आधारित	18.18	19.27	19.80	19.07	20.02
गैस आधारित	6.15	6.07	5.17	3.94	2.62
कुल	24.33	25.34	24.97	23.01	22.64

स्रोत : जेसीपी : \*अनंतिम

**3.2.5** भारत पिग आयरन का भी एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। उदारीकरण के बाद निजी क्षेत्र में भी कई इकाइयों की स्थापना होने के बाद न केवल आयात में भारी कमी आई, बल्कि भारत पिग आयरन का निर्यातक बनकर सामने आया। 2013—14 में बिक्री योग्य पिग आयरन के उत्पादन का 92 प्रतिशत निजी क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। घरेलू बाजार में पिछले पांच वर्षों के लिए पिग आयरन की उपलब्धता की स्थिति निम्न तालिका में दी गई है :

वर्ष	पिग आयरन की घरेलू उपलब्धता का परिदृश्य ('000 टन)				
	2009—10	2010—11	2011—12	2012—13	2013—14*
बिक्री हेतु उत्पादन	5884	5684	5371	6870	7289
आयात	11	9	8	21	34
निर्यात	362	358	491	414	943
खपत	5531	5296	4975	6500	6344

स्रोत : जेसीपी : \*अनंतिम



### 3.3 विश्व में भारतीय इस्पात की स्थिति

वर्ष 2013 में दुनिया भर में कच्चे इस्पात का उत्पादन 1607 मिलियन टन रहा, जो कि वर्ष 2012 के मुकाबले 3.5 प्रतिशत अधिक था। 2013 के दौरान चीन का कच्चा इस्पात उत्पादन 779 मी. टन हो गया जिसमें 2012 के मुकाबले 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। चीन विश्व में सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक बना रहा और एशिया में उसका 72 प्रतिशत और विश्व में 48 प्रतिशत कच्चे इस्पात उत्पादन में योगदान रहा। इस अवधि के दौरान भारत चौथा सबसे बड़ा उत्पादक था और उसने 2012 में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

2013 में विश्व में कच्चा इस्पात उत्पादन*			
श्रेणी	देश	मात्रा (मी. टन)	2012 में प्रतिशत बदलाव
1	चीन	779	7.5
2	जापान	111	3.1
3	अमरीका	87	-2.0
4	भारत	81	5.1
5	रूस	69	-1.5
6	दक्षिण कोरिया	66	-4.4
7	जर्मनी	43	0.0
8	तुर्की	35	-3.4
9	ब्राजील	34	-1.0
10	उक्रेन	33	-0.5
	<b>विश्व</b>	<b>1607</b>	<b>3.5</b>

स्रोत : विश्व इस्पात संघ, जेपीसी : \*अनंतिम

### 3.4 इस्पात : प्रमुख तथ्य

भारतीय इस्पात का परिदृश्य : 2013-14*		
कुल तैयार इस्पात (मिश्र + गैर-मिश्र)	मात्रा (मिलियन टन)	गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में प्रतिशत बदलाव
बिक्री हेतु उत्पादन	85.05	4.1
आयात	5.45	-31.3
निर्यात	5.59	4.2
वास्तविक खपत	73.89	0.6
कच्चा इस्पात		
उत्पादन	81.54	4.0
क्षमता उपयोग (प्रतिशत)	82	-

स्रोत : जेपीसी : \*अनंतिम

वर्ष 2013 में विश्व का चौथा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादन करने वाला देश बनने (अनंतिम) के आलवा, भारत ने स्पंज आयरन/ डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (डी आर आई) के उत्पाद के क्षेत्र में भी अपनी पहचान स्थापित की। इसका कारण देश के खनिज प्रधान इलाकों में कोयला आधारित स्पंज आयरन संयंत्रों का विकास था। इसके बाद घरेलू बाजारों में स्पंज आयरन का उत्पादन तेजी से बढ़ा, जिससे देश को वैश्विक बाजार में शीर्ष स्थान हासिल करने और उसे कायम रखने में मदद मिली। इस समय कई बड़ी परियोजनाएं या तो पूरी हो चुकी हैं या प्रस्तावित हैं, जो एक बार चालू हो जाने के बाद इस्पात उद्योग की संरचना, उसके स्वरूप की गाथा पुनः लिखी जाएगी और घरेलू अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया को और बल मिलेगा। घरेलू अर्थव्यवस्था के सहारे सुधारों को लागू किए जाने के बाद भारतीय इस्पात उद्योग का भविष्य बहुत आशावादी है। इस्पात क्षेत्र में उत्पादन, खपत, आयात, निर्यात आदि से संबंधित आंकड़े अनुलग्नक III से XI में दिए गए हैं।

### 3.5 निजी / सार्वजनिक क्षेत्र उत्पादन में प्रवृत्तियां

निम्नलिखित तालिका में देश में कच्चे इस्पात के उत्पादन में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र और गत पांच वर्षों में कुल उत्पादन व योगदान पर प्रकाश डाला गया है :

(मिलियन टन)

भारतीय कच्चा इस्पात उत्पादन					
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14*
सार्वजनिक क्षेत्र	16.71	16.99	16.48	16.48	16.78
निजी क्षेत्र	49.13	53.68	57.81	61.94	64.76
कुल उत्पादन	65.84	70.67	74.29	78.42	81.54
सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा (प्रतिशत)	25	24	22	21	21
स्रोत : जेसीपी : 'अनंतिम					

### 3.6 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के लिए योजना परिव्यय

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के लिए, योजना आयोग ने 91174.64 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय (अर्थात 90974.64 करोड़ रुपए आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आई एंड ई बी आर) से और 200.00 करोड़ रुपए की सकल बजटीय सहायता (जी बी एस)।

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	सार्वजनिक उपक्रम का नाम	12वीं योजना (2012-17) के लिए अनुमोदित प्रारूप		
		आई एंड ई बी आर	जी बी एस	कुल
<b>क.</b>	<b>केंद्रीय क्षेत्र योजना</b>			
1	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	45000.00	0.00	45000.00
2	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड*	13373.00	0.00	13373.00
3	हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	0.00	0.00	0.00
4	मेकॉन लिमिटेड	25.00	0.00	25.00
5	एम एस टी सी लिमिटेड	105.00	0.00	105.00
6	फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड	60.00	0.00	60.00
7	एन एम डी सी लिमिटेड	27872.17	0.00	27872.17
8	के आई ओ सी एल लिमिटेड	3080.00	0.00	3080.00
9	मॉयल लिमिटेड	1459.47	0.00	1459.47
	<b>कुल (क)</b>	<b>90974.64</b>	<b>0.00</b>	<b>90974.64</b>
<b>ख.</b>	<b>केंद्र प्रायोजित योजना</b>			
1	लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के प्रोत्साहन के लिए योजना			
1(i)	चल रही अनुसंधान तथा विकास स्कीम	—	48.00	48.00
1(ii)	कोल्ड-रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड (सी आर जी ओ) इस्पात शीट्स तथा अन्य मूल्यवर्धित स्टील उत्पादों की प्रौद्योगिकी का विकास (नए घटक)	—	150.00	150.00
1(iii)	नवाचारी लौह/इस्पात निर्माण प्रक्रिया/ प्रौद्योगिकी का विकास (मौजूदा स्कीम के अंतर्गत नई परियोजनाएं)	—	2.00	2.00
	<b>कुल (ख)</b>	—	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
	<b>कुल योग (क+ख)</b>	<b>90974.64</b>	<b>200.00</b>	<b>91174.64</b>

\*ओएमडीसी लिमिटेड और बीएसएलसी लिमिटेड पूर्ववर्ती बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज की सहायक कंपनियां थीं जो कि आरआईएनएल की सहायक पीएसयू बन गई हैं और उनके आंकड़े आरआईएनएल के साथ मिलाकर दिए गए हैं।



### 3.7 इस्पात मंत्रालय की भूमिका

विनियमन समाप्त करने से पहले इस्पात मंत्रालय की एक नियामक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका थी जो आर्थिक परिदृश्य तथा इस्पात निर्माण में काम आने वाले कच्चे माल की कमी के बीच देश में इस्पात उत्पादन कम होने के कारण इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक थी। आबंटन के मुद्दे पर कुशल और न्यायसंगत निर्णयों के कारण तथा कीमतों आदि से संबंधित नीति निर्माण के कारण इस्पात मंत्रालय ने इस चरण के दौरान इस्पात उद्योग को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

विनियमन समाप्त करने के बाद के दौर में इस्पात मंत्रालय में भूमिका मूल रूप से भारतीय इस्पात उद्योग के सहायक की रही है। यह लौह एवं इस्पात उद्योग के विकास के लिए योजनाएं बनाने में सक्रिय रहा है। लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैंगनीज अयस्क, क्रोमाइट्स, फेरो एलॉय, स्पंज आयरन और अन्य संबंधित क्रियाकलाप कराना ही उसका प्रमुख काम रहा है। मौजूदा समय में अपनी भूमिका में इस्पात मंत्रालय निम्नलिखित मामलों में देश के लौह एवं इस्पात उद्योग को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है, जैसे :

- सक्रिय समन्वय और सही नीतिगत निर्देशों के कार्यान्वयन के जरिए इस्पात क्षमता निवेशों की प्रक्रिया को तेज बनाना। देश में प्रमुख इस्पात निवेशों की निगरानी और समन्वय के लिए सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में इस्पात मंत्रालय में एक अंतर-मंत्रालीय समूह (आईएमजी) काम कर रहा है।
- नए संयंत्र की स्थापना और पुराने संयंत्रों के विस्तार के लिए कच्चे माल की संलग्नता उपलब्ध कराना तथा रेल सुविधा उपलब्ध कराना।
- उत्पादकों को कच्चे माल की अबाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ उन्हें कोयले के अलावा अन्य कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा वैगन की जरूरतों को पूरा करना।
- कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए और कार्यान्वयन में आई समस्याओं का मूल्यांकन करने के लिए नए उद्यम स्थापित करने का प्रस्ताव करने वाले उद्यमकर्ताओं के साथ नियमित बातचीत करना।
- इस्पात उद्योग की जरूरत के मुताबिक बुनियादी क्षेत्र की पहचान करना और संबंधित मंत्रालयों/विभाग के साथ इस्पात क्षेत्र की बुनियादी अपेक्षाओं का समन्वय करना।
- इस्पात के प्रभावी ढंग से इस्तेमाल को उचित बढ़ावा देना और ग्रामीण तथा अर्द्धशहरी इलाकों में विनिर्माण के क्षेत्र में इसके इस्तेमाल पर कोलकाता में "इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील डेवलपमेंट एंड ग्रोथ (इन्सडैग)" की मार्फत जोर देना।
- इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना। देश में लौह एवं इस्पात संबंधी अनुसंधान प्रयासों को समग्र दिशा प्रदान करने के लिए इस्पात सचिव की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति है, जो अपने समक्ष प्रस्तुत विशिष्ट शोध परियोजनाओं के लिए इस्पात विकास निधि से विशिष्ट शोध परियोजनाओं के वास्ते पूर्णतः अथवा आंशिक धन जुटाने के लिए मंजूरी देती है। देश में शोध एवं विकास की गतिविधियों को और बढ़ाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसके लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में सरकार द्वारा बजटीय सहायता दी जा रही है।

## सार्वजनिक क्षेत्र

### 4.1 प्रस्तावना

इस्पात मंत्रालय के अधीन कंपनियों ने पिछले पांच सालों में अच्छा प्रदर्शन किया है। इस्पात मंत्रालय से जुड़ी कंपनियों का वर्ष 2013-14 (अंतिम) का कर-पश्चात लाभ (पी ए टी) लगभग 10015.18 करोड़ रुपए था। विवरण अनुलग्नक-XIV (क) में देखा जा सकता है। उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, लाभांश, निगमित कर, विक्रय कर, रॉयल्टी आदि के जरिए केंद्र और राज्य सरकार के कोष में वर्ष 2013-14 (अंतिम) इनका योगदान लगभग 24703.05 करोड़ रुपए था। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए अनुलग्नक-XV एवं XV(क) देखा जा सकता है।

### 4.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) भारतीय कंपनी अधिनियम, के तहत पंजीकृत कंपनी है और यह एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है। इसके पांच एकीकृत इस्पात कारखाने—भिलाई (छत्तीसगढ़), राउरकेला (ओडिसा), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), बोकारो (झारखंड) और बर्नपुर (पश्चिम बंगाल) में हैं। सेल के तीन विशेष और मिश्र इस्पात कारखाने नामतः दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) स्थित मिश्र इस्पात कारखाना, सेलम (तमिलनाडु) स्थित सेलम स्टील कारखाना और भद्रावती (कर्नाटक) स्थित विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात संयंत्र हैं। सेल की बहुत सी यूनिटें अर्थात् लोहे और इस्पात के लिए अनुसंधान एवं विकास केंद्र (आर डी सी आई एस), इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी केंद्र (सीईटी), प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान (एम टी आई) और सेल सुरक्षा संगठन (एस एस ओ) सभी रांची स्थित, धनबाद स्थित केंद्रीय कोयला आपूर्ति संगठन (सी सी एस ओ), कच्चा माल डिवीजन (आर एम डी), पर्यावरण प्रबंधन डिवीजन (ईएमडी) तथा ग्रोथ डिवीजन (जीडी) सभी कोलकाता स्थित और बोकारो स्थित सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट भी हैं। वर्ष 2011-12 में सेल की भूतपूर्व सहायक कंपनी, महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड (एम ई एल) का सेल के साथ कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391-394 के अंतर्गत विलय हो गया। एम ई एल अब सेल का एक कारखाना बन गया है और इसका नाम बदलकर चन्द्रपुर फैरो एलॉय प्लांट कर दिया गया है। केंद्रीय विपणन संगठन, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, कंपनी के देश भर में फैले विपणन और वितरण नेटवर्क का समन्वय करता है। सेल परामर्शदात्री विभाग (सेलकॉन), नई दिल्ली से कार्य करता है।



सेल के राउरकेला इस्पात संयंत्र में भारत की सबसे बड़ी धमन भट्ठी

#### 4.2.1 पूंजी संरचना

सेल की अधिकृत पूंजी 5000 करोड़ रुपए है। 31.03.2014 को कंपनी की चुकता पूंजी 4130.52 करोड़ रुपए थी। इसमें से 80 प्रतिशत भारत सरकार के पास और बाकी 20 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों/जीडीआर धारकों/बैंकों/ कर्मचारियों/ व्यक्तियों इत्यादि के पास हैं।

#### 4.2.2 विनिवेश

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सी सी ई ए) ने 19.07.2012 को हुई अपनी बैठक में सेल में भारत सरकार की शेयरधारिता में से 10.82 प्रतिशत के विनिवेश हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। तथापि, बाद में यह निर्णय लिया गया था कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में इसके केवल 5.82 प्रतिशत शेयरों अर्थात् 24,03,96,572 शेयरों का विनिवेश किया जाए, इस प्रकार भारत सरकार की शेयरधारिता 85.82 प्रतिशत से कम होकर 80 प्रतिशत रह गई।

#### 4.2.3 वित्तीय कार्यनिष्पादन

वित्त वर्ष 2013-14 में कंपनी ने 51,866 करोड़ रुपए का कारोबार किया। इस साल के लिए कर-पश्चात शुद्ध लाभ 2616 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने वित्त वर्ष 2013-14 के लिए लाभांश में चुकता इक्विटी पूंजी का 20.2 प्रतिशत की दर से अदा किया है।

#### 4.2.4 उत्पादन कार्यनिष्पादन

वास्तविक उत्पादन के बारे में नीचे जानकारी दी गई है :

(मिलियन टन)

मद	2012-13	2013-14
तप्त धातु	14.3	14.4
कच्चा इस्पात	13.4	13.6
बिक्री योग्य इस्पात	12.4	12.9

#### 4.2.5 कच्चा माल

सेल की आबद्ध खानों और कोयला खानों से जनवरी-मार्च, 2014 की अवधि के लिए लौह अयस्क, फलक्स और कच्चे कोयले का वास्तविक उत्पादन क्रमशः लगभग 68.1 लाख टन, 5.3 लाख टन और 1.2 लाख टन है।

सेल ने वर्ष 2013-14 के दौरान लगभग 253.2 लाख टन का उत्पादन करके अपनी आबद्ध खानों से अपने इस्पात संयंत्रों के लिए लौह अयस्क की आवश्यकता को पूरा किया है। वर्ष 2013-14 के दौरान आबद्ध खानों से फलक्स का उत्पादन 21.8 लाख टन था। वर्ष 2013-14 के दौरान सेल की आबद्ध कोयला खानों से कच्चे कोयले का उत्पादन 6.9 लाख टन था।

#### 4.2.6 जनशक्ति

1 अप्रैल, 2013 को सेल के कर्मचारियों की संख्या 101878 थी। 1.4.2014 को यह संख्या 97897 थी (14780 कार्यपालक/83117 गैर-कार्यपालक)। इस प्रकार वर्ष 2013-14 के दौरान जनशक्ति में 3981 की कमी की गई।

### 4.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल)

केन्द्रीय क्षेत्र का नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल) विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने की निगमित कंपनी है जो विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में समुद्र तट पर पहला एकीकृत कारखाना है। प्रतिवर्ष 30 लाख टन तरल लोहे के उत्पादन की क्षमता के साथ स्थापित किया गया। इसने अब अपनी प्रति वर्ष 63 लाख टन की विस्तार सुविधाओं के साथ उत्पादन शुरू कर दिया है। संयंत्र उच्च स्तरीय प्रचालन दक्षता के साथ काम रहा है और उसने अपनी स्थापना के लगातार 13वें वर्ष में तैयार इस्पात के लिए 117 प्रतिशत क्षमता उपयोग हासिल कर लिया है और पिछले 12 वर्षों से यह लाभ कमा रहा है।

आरआईएनएल ने सभी तीन इंटरनेशनल मानक अर्थात् आईएसओ 9001:2008, आईएसओ 14001 : 2004 और ओएचएसएस 18001:2007 हासिल कर लिए हैं तथा यह ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 50001 मानकों के साथ प्रमाणित प्रथम भारतीय एकीकृत इस्पात संयंत्र है। आर आई एन एल-वी एस पी, कारनेगी मैलन विश्वविद्यालय, यूएसए के "सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट (एस ई आई)" द्वारा जारी किए गए "सक्षमता परिपक्वता माडल एकीकृत (सी एम एम आई) - स्तर 3" का प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय इस्पात संयंत्र भी है। आर आई एन एल वर्ष 2013-14 के दौरान "5 एस- कार्यस्थल प्रबंध प्रणाली में "संयंत्र स्तर" प्राप्त करके इस्पात उद्योग में पहला 5 एस प्रमाणित सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बन गया है।



आर आई एन एल का परिदृश्य

#### 4.3.1 वित्तीय कार्यनिष्पादन

आरआईएनएल ने पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान 13,489 करोड़ रुपए की सकल बिक्री दर्ज की और कर पश्चात लाभ में 4 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त की। वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए 58.00 करोड़ रुपए के अंतरिम लाभ के अलावा, आरआईएनएल ने कार्यनिष्पादन वर्ष 2012-13 के लिए सरकार को 126.53 करोड़ रुपए का लाभांश अदा किया है। कार्यनिष्पादन नीचे तालिकाबद्ध किया गया है :

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	2012-13	2013-14*
कुल बिक्री	13553	13489
पीबीटी	526.47	549.15
पीएटी	352.83	366.45
निवल मूल्य	12477.32	12140.74
*अनंतिम		

#### 4.3.2 उत्पादन कार्यनिष्पादन

पिछले वर्ष की तदनुसारी अवधि की तुलना में उत्पादन और वृद्धि के अनुसार वास्तविक कार्यनिष्पादन नीचे दिया गया है :

मद	2012-13 (000 टन)	2013-14 (000 टन)	वृद्धि (प्रतिशत)
कच्चा इस्पात	3071	3202	4
बिक्री योग्य इस्पात	2717	2810	3
मूल्यवर्धित इस्पात उत्पाद	2228	2357	6

#### 4.4 एन एम डी सी लिमिटेड

एन एम डी सी इस्पात मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय क्षेत्र का एक "नवरत्न" सार्वजनिक उद्यम है और मुख्यतः उद्योग के लिए खनिजों के गवेषण और खानों के विकास के व्यवसाय से जुड़ हुआ है। यह लौह निर्माण तथा अन्य मूल्य संवर्धित उत्पादों में भी अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रही है।

15 नवम्बर, 1958 को निगमित, एन एम डी सी पांच दशकों से राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान कर रही है और राष्ट्र निर्माण की अपनी यात्रा को सुदृढ़ता के साथ जारी रखे हुए है। कभी एक उत्पाद – एक खरीददार वाली यह कंपनी अब स्वदेशी इस्पात उद्योग को लौह अयस्क आपूर्ति करने वाली एक प्रमुख कंपनी के तौर पर उभरी है। यह मध्य प्रदेश में हीरों और तंजानिया में सोने जैसे उच्च मूल्य के खनिजों की खोज में भी लगी है।

एन एम डी सी देश में छत्तीसगढ़ के बैलाडिला और कर्नाटक के दोगिमलै में लौह अयस्क की बड़ी यांत्रिक खदानों का संचालन करती है। एन एम डी सी की हीरा खान पन्ना (मध्य प्रदेश) में स्थित है। एन एम डी सी का स्पंज लौह यूनिट पालोन्वा, आंध्र प्रदेश में स्थित है।

एन एम डी सी की लौह अयस्क की सभी उत्पादक इकाइयों को आईएसओ 9001:2008, आईएसओ 14001:2004 और ओएचएसएस 18001:2007 प्रमाणपत्र प्राप्त हैं। एन एम डी सी के अनुसंधान और विकास केंद्र को आईएसओ 9001:2008 मान्यता मिली हुई है।



ग्रीनफील्ड विस्तार/विविधीकरण कार्यक्रम के भाग के तौर पर एन एम डी सी छत्तीसगढ़ स्थित नगरनार में 30 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता का एकीकृत इस्पात कारखाना लगा रहा है। इस परियोजना पर 15,525 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है।

एन एम डी सी ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों परियोजनाओं में अपने कारोबार का विस्तार करने के उद्देश्य से (क) कर्नाटक में दोगिमलै में 12 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता का पैलेट संयंत्र, और (ख) दोनीमलाई में 3.6 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता का बीएचजे अयस्क परिष्करण संयंत्र (ग) छत्तीसगढ़ में बछेली में बछेली और नागरनार के बीच सलरि पाइप लाइन से जुड़ा 20 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता का पैलेट संयंत्र भी लगा रहा है।

एन एम डी सी को कोयले, रॉक फास्फेट, चूना-पत्थर, सोना और हीरों के अपने कारोबार के समतल एकीकरण द्वारा कारोबार के विस्तार की भी योजना बनाई है। एन एम डी सी ने कर्नाटक में "विंड मिल" स्थापित कर नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश किया है तथा यह सौर ऊर्जा के क्षेत्र में संभावनाओं का भी पता लगा रहा है।



दोगिमलै, कर्नाटक में एन एम डी सी के निर्माणाधीन पैलेट संयंत्र का दृश्य

#### 4.4.1 पूंजी संरचना

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 400 करोड़ रुपए है। 31.03.2014 को इसकी चुकता इक्विटी शेयर पूंजी 396.47 करोड़ रुपए है जिसमें से 80 प्रतिशत भारत सरकार के पास और शेष 20 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों/बैंकों/व्यक्तियों/कर्मचारियों आदि द्वारा धारित है।

#### 4.4.2 वित्तीय कार्यनिष्पादन

वित्तीय वर्ष 2013-14 में कंपनी ने 12000 करोड़ रुपए का कारोबार दर्ज किया। आलोच्य वर्ष के लिए कर उपरांत निवल लाभ 6400 करोड़ रुपए था। वर्ष 2013-14 (अब तक) के लिए कंपनी ने प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 850 प्रतिशत के लाभांश का भुगतान किया है।

#### 4.4.3 उत्पादन कार्यनिष्पादन

वास्तविक उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया है :

मद	2012-13	2013-14
लौह अयस्क (लाख टन में)	271.84	301.78
डायमंड (कैरेट में)	31533.39	37007
स्पंज आयरन (टन में)	36289	29739

## अध्याय—IV

### 4.4.4 मानव शक्ति

एन एम डी सी की मानवशक्ति 31.03.2014 को 5664 थी (कार्यपालक 1162 / गैर-कार्यपालक 4502)।

### 4.5 मॉयल लिमिटेड



मॉयल की गुमगांव खान में वर्टिकल शाफ्ट

मॉयल लिमिटेड जिसे पहले मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, इस्पात मंत्रालय के अधीन मिनीरल्ट श्रेणी-1 सी पी एस ई है। यह भारत में मैंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। मॉयल की स्थापना 1962 में हुई थी। स्थापना के समय इसमें सेंट्रल प्रोविंस मैंगनीज ओर कंपनी लिमिटेड (सी पी एम ओ) की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी और भारत सरकार, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र की बराबरी के आधार पर 51 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। बाद में 1977 में भारत सरकार ने मॉयल में सी पी एम ओ की हिस्सेदारी खरीद ली और मॉयल अक्टूबर, 1977 से पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी बन गई। वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान मॉयल 15 दिसम्बर, 2010 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बंबई स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो गई। सूचीकरण के पश्चात भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की कंपनी में शेयरधारिता क्रमशः 71.57 प्रतिशत, 4.62 प्रतिशत और 3.81 प्रतिशत हो गई। शेष 20 प्रतिशत शेयर जनता द्वारा धारित हैं।

मॉयल मैंगनीज ओर की विभिन्न श्रेणियों का उत्पादन और बिक्री करता है। वे निम्न हैं :

- फेरो मैंगनीज के उत्पादन के लिए उच्च श्रेणी का अयस्क
- सिलिको मैंगनीज के उत्पादन के लिए मध्यम श्रेणी का अयस्क;
- तप्त धातु के उत्पादन के लिए अपेक्षित ब्लास्ट फर्नेस श्रेणी का अयस्क; और
- सूखी बैटरी सैल और रसायन उद्योग के लिए डायऑक्साइड।

मॉयल ने इलेक्ट्रॉलिटिक मैंगनीज डायऑक्साइड (ईएमडी) के निर्माण के लिए देशी तकनीक के आधार पर एक संयंत्र स्थापित किया है। इस उत्पाद का निर्माण ड्राई बैटरी सैलों के उत्पादन के लिए किया जाता है। कंपनी द्वारा तैयार ईएमडी की क्वालिटी बहुत अच्छी है तथा बाजार में इसकी अच्छी मांग है। मॉयल लिमिटेड द्वारा मूल्य संवर्धन के लिए 1998 में प्रति वर्ष 10,000 मी. टन उत्पादन क्षमता का एक फेरो मैंगनीज संयंत्र स्थापित किया गया। मॉयल ने गैर-परम्परागत ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में देवास जिले में नागदा हिल्स में 4.8 मेगावाट पवन ऊर्जा फार्म और रतेड़ी हिल्स 15.2 मेगावाट क्षमता की पवन फार्म स्थापित किया है।

### 4.5.1 पूंजी संरचना

31.03.2014 को कंपनी की अधिकृत तथा चुकता पूंजी क्रमशः 250 करोड़ रुपए (दो सौ पचास) तथा 168 करोड़ रुपए थी।

#### 4.5.2 प्रचालन और वित्तीय परिणाम

पिछले दो वर्षों अर्थात् 2011-12, 2012-13 और चालू वर्ष के लिए कंपनी का भौतिक और वित्तीय कार्यनिष्पादन इस प्रकार है :-

क्र. सं.	मद	2011-12	2012-13	2013-14 (अनंतिम)
1	उत्पादन क) मैंगनीज अयस्क ('000 टन) ख) ई एम डी (टन) ग) फ़ैरो मैंगनीज (टन)	1071 714 8694	1139 786 9210	1135 922 10042
2	कर-पूर्व लाभ (करोड़ रुपए में)	606.63	636.78	769.33
3	कर-पश्चात लाभ (करोड़ रुपए में)	410.77	431.72	509.56

#### 4.5.3 विपणन

वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान बिक्री निष्पादन इस प्रकार रहा :

क्र. सं.	विवरण	2012-13		2013-14 (अनंतिम)	
		मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रुपए)	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रुपए)
	बिक्री				
1	मैंगनीज अयस्क				
	घरेलू	1192857	890.73	1132919	945.96
	निर्यात	—	—	—	—
	<b>कुल</b>	<b>1192857</b>	<b>890.73</b>	<b>1132919</b>	<b>945.96</b>
2	ई एम डी	1014	7.79	893	8.26
3	फ़ैरो मैंगनीज	10080	59.67	8707	52.82
4	स्लैग	9397	7.58	15352	12.69
5	डब्ल्यू टी जी (केडब्ल्यूएच)	27423836	9.26	25347778	8.52
	<b>कुल</b>	<b>28637184</b>	<b>975.03</b>	<b>26505649</b>	<b>1028.25</b>

#### 4.6 एम एस टी सी लिमिटेड

एम एस टी सी लिमिटेड, जिसे पहले मेटल स्क्रेप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, स्थापना सितम्बर, 1964 में देश से फ़ैरो स्क्रेप के निर्यात के नियमन के लिए की गई थी। फरवरी, 1974 में कंपनी के स्वरूप में परिवर्तन आया और यह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सहायक कंपनी बनाई गई। वर्ष 1982-83 में निगम को इस्पात मंत्रालय के अधीन स्वाधीन सार्वजनिक उपक्रम बनाया गया। यह फरवरी, 1992 तक कार्बन स्टील मेल्टिंग स्क्रेप, स्पंज लोहे, हॉट ब्रिक्वेटेड लोहे और पुनर्बलन स्क्रेप के लिए केनेलाइजिंग एजेंसी थी। यह विघटन के लिए पुराने पोतों के आयात हेतु भी केनेलाइजिंग एजेंसी थी। परंतु अगस्त 1991 में इसे डीकेनेलाइज्ड करके ओपन जनरल लाइसेंस (ओ जी एल) के अंतर्गत लाया गया।

##### 4.6.1 कंपनी की गतिविधियां

ई-कामर्स में ई-नीलामी और ई-खरीद के माध्यम से स्क्रेप का निपटान, कोयले की बिक्री, फ़ैरो मैंगनीज अयस्क, लौह अयस्क, क्रोम अयस्क, मानव बाल, चाय आदि शामिल है। प्रमुखों की सूची में रक्षा मंत्रालय, पीएसयू जैसे इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, राज्य विद्युत बोर्ड, भारत संचार निगम लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड आदि, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम (टी टी डी) कुछ नाम गिनाए जा सकते हैं। निपटान की विधि में निविदा, नीलामी, ई-नीलामी, ई-रिवर्स नीलामी आदि है। इसके अलावा, एम एस टी सी कोयला, लिग्नाइट, लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, रॉक फास्फेट भी विभिन्न पीएसयू/राज्य पीएसयू की ओर से ई-नीलामी के जरिए बेचता है। एमएसटीसी कर्नाटक और गोवा में लौह अयस्क और मैसर्स ओडिशा माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, ओडिशा सरकार के उद्यम लिए क्रोम अयस्क की बिक्री के लिए ई-नीलामी भी करता है।

ट्रेडिंग – एम एस टी सी आयात/निर्यात और वास्तविक प्रयोगकर्ताओं के लिए मुख्यतः थोक औद्योगिक कच्चे माल का



## अध्याय-IV

घरेलू व्यापार कर रहा है। प्रभाग गौण इस्पात क्षेत्र और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में खरीददारों की ओर से औद्योगिक कच्चे माल जैसे हैवी मेल्टिंग स्क्रैप, कम राख वाला धातु-कर्मिय कोक, एच आर कायल, नापथा, कच्चा तेल, कोकिंग कोल, स्टीम कोयला आदि की सोर्सिंग खरीद और बिक्री की देखभाल करता है।

### 4.6.2 पूंजी संरचना तथा शेयरधारण पद्धति

31.03.2014 को कंपनी की अधिकृत पूंजी 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 5,00,00,000 इक्विटी शेयर हैं जिनका मूल्य 50 करोड़ रुपए है। इसकी चुकता पूंजी 8.80 करोड़ रुपए के 10-10 रुपए के 88,00,000 इक्विटी शेयर हैं। वर्ष 2012-13 में 1:3 अनुपात में बोनस शेयर जारी किए गए।

कंपनी का शेयरधारण पैटर्न निम्नानुसार है :

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	धारण का प्रतिशत
1	भारत सरकार	89.85
2	अन्य	10.15
	कुल	100.00

### 4.6.3 वित्तीय कार्यनिष्पादन

(करोड़ रुपए)

मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14*
कारोबार	1947.31	2695.92	6494.09	5129.30
प्रचालन लाभ	150.70	178.23	195.85	152.53
कर-पूर्व लाभ	149.40	176.15	193.40	150.03
कर-उपरांत लाभ	99.16	118.39	130.73	99.04

\*अनंतिम

## 4.7 फ़ैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफ एस एन एल)

एफएसएनएल, एमएसटीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसकी चुकता पूंजी 2 करोड़ रुपए है। कंपनी राउरकेला, बर्नपुर, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, विशाखापत्तनम, डोल्वी, डुबुरी, हरिद्वार और बंगलुरु स्थित रेल व्हील फैक्टरी संयंत्रों के स्लैग और कचरों से निकले स्क्रैप की रिकवरी और प्रसंस्करण करती है। संयंत्रों से मिलने वाला स्क्रैप रिसाइक्लिंग/निपटान के लिए संयंत्र को लौटा दिया जाता है और कंपनी को स्क्रैप की श्रेणी के अनुसार विभिन्न दरों पर प्रसंस्करण शुल्क दिया जाता है। स्क्रैप लोहे और इस्पात के निर्माण के दौरान और रोलिंग मिलों से मिलता है। इसके अलावा कंपनी स्लैबों की स्कार्फिंग, बीओएफ स्लैग को उठाने-रखने आदि स्टील मिल सेवाएं भी प्रदान करती है।

### 4.7.1 भौतिक निष्पादन

एफएसएनएल का उत्पादन कार्यनिष्पादन नीचे दिया गया है :

मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14*
स्क्रैप की प्राप्ति (लाख मी. टन)	26.45	21.60	23.26	24.02
उत्पादन का बाजार मूल्य (करोड़ रुपए में)	1163.94	950.32	1023.50	1057.00

\*अनंतिम

### 4.7.2 वित्तीय कार्यनिष्पादन

(लाख रुपए)

मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14*
कुल कारोबार जैसे विविध आय आदि सहित प्राप्त सेवा प्रभार	16853.20	17448.85	19781.45	22410.25
ब्याज पूर्व सकल मार्जिन और मूल्यह्रास	1346.30	1367.90	1465.40	1575.77
ब्याज तथा मूल्यह्रास	1168.29	1165.00	1212.84	1226.58
कर-पूर्व लाभ	178.01	202.90	252.56	349.19

\*अनंतिम

#### 4.8 हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एच एस सी एल)

वर्ष 1964 में केन्द्रीय क्षेत्र के एक सार्वजनिक उद्यम के रूप में स्थापित हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एच एस सी एल) इस्पात मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण में एक प्रमुख निर्माण एजेंसी है। निगमन के समय इसका उद्देश्य देश में एकीकृत इस्पात कारखानों की स्थापना के लिए स्वदेशी क्षमता को जुटाना था। यह संगठन समय की कसौटी पर खरा उतरा और इसने सक्षम मानव संसाधन और आधुनिक निर्माण उपकरणों को जुटा कर चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया। एच एस सी एल ने भारत में लगभग सभी प्रमुख इस्पात संयंत्रों की स्थापना में भारी योगदान किया है। जैसे-जैसे कंपनी संसाधनों और विशेषज्ञता में आगे बढ़ती गई, इसने विद्युत संयंत्रों, खनन परियोजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं जिनमें बांध और बैराज शामिल हैं, तेल रिफाइनरी, रेलवे, हवाई अड्डे, भवन और वाणिज्यिक कम्प्लेक्स, ग्रामीण सड़क, राजमार्ग, फ्लाईओवर, रेलवे और सड़क यातायात के लिए छोटे और बड़े पुल, शैक्षिक संस्थानों के लिए बुनियादी संरचना, स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल आदि क्षेत्रों में अपना विस्तार किया। कंपनी ने अनेक ग्राहकों के लिए टर्न की के आधार पर अनेक परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी कीं। आज एच एस सी एल एक आईएसओ 9001:2008 कंपनी है और सभी तरह की निर्माण गतिविधियों से जुड़ी हुई है।

वर्तमान में कंपनी सेल और आर आई एल के क्षमता विस्तार के तहत बहुत से परियोजना पैकेजों के साथ इन संयंत्रों में नियमित प्रचालन और अनुरक्षण कार्य कर रही है। एच एस सी एल वर्तमान में सिपत में एनटीपीसी विद्युत संयंत्रों, सारनाथ में केवीएस, एनवीएस, बीएचयू, सीआईटीएस, मध्य प्रदेश में सागर में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, उड़ीसा में भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और पश्चिम बंगाल में जंगीपुर में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय केंद्र में प्रमुख परियोजनाएं निष्पन्न कर रही है और एच एस सी एल द्वारा राज्य सरकार के विभागों और पीएसयू के तहत अन्य भवन और वाणिज्यिक कामप्लेक्स, छोटे और बड़े पुलों के साथ रेलवे बांध और सीसीएल तथा आईएसपी की ओपन कास्ट खनन परियोजनाएं भी निष्पन्न की जा रही हैं।

##### 4.8.1 वित्तीय कार्यनिष्पादन

वर्ष 1965-66 में 5 करोड़ रुपए से एक छोटी सी शुरुआत करते हुए, कंपनी ने 2012-13 में 1278.85 करोड़ रुपए का कारोबार किया जो आरंभ से अब तक का सबसे अधिक है। वर्ष 2013-14 के दौरान कारोबार बढ़कर 1384.18 करोड़ रुपए (अनअंकेक्षित) हो गया।

2005-06 से 2012-13 तक के गत आठ वर्ष में कंपनी का कारोबार और ऑर्डर बुकिंग सकल वार्षिक विकास दर (सी ए जी आर) का क्रमशः 19.94 प्रतिशत और 17.70 प्रतिशत रहा जो देश में उद्योग की कुल विकास दर से कहीं अधिक है। कंपनी के वित्तीय परिणामों में भी सुधार हो रहा है तथा इसने वित्त वर्ष 2013 के दौरान 90.08 करोड़ रुपए का प्रचालन लाभ अर्जित किया।

वर्ष 2013-14 के दौरान ऑर्डर बुकिंग असाधारण रही और वर्ष के दौरान 2648.98 करोड़ रुपए मूल्य के ऑर्डर बुक किए गए, जो पहले के रिकार्ड को 39.50 प्रतिशत से पार कर गया। 31.03.2014 तक कंपनी ने 14400 करोड़ रुपए के ऑर्डर निष्पादित किए हैं जिसमें से 6612 करोड़ रुपए के आर्डर इस्पात क्षेत्र से आए।

##### 4.8.2 पूंजी संरचना

आज की तिथि को प्राधिकृत एवं चुकाता शेयर पूंजी क्रमशः 150 करोड़ रुपए और 117.10 करोड़ रुपए है।

#### 4.9 मेकॉन लिमिटेड

इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक मिनीरत्न उद्यम मेकॉन लिमिटेड धातु, बिजली, तेल एवं गैस और आधारभूत क्षेत्रों में कार्यरत एक प्रमुख बहुआयामी डिजाइन इंजीनियरी परामर्शदात्री और ठेके पर काम करने वाला संगठन है। मेकॉन का उद्देश्य डिजाइन और इंजीनियरी; डिजाइन और संयंत्रों, उपस्करों तथा प्रणालियों की आपूर्ति नए औद्योगिक उद्यमों को स्थापित करने से लेकर चालू करने के संबंध में तकनीकी परामर्श देना है।

मेकॉन ने बहुत सी अत्यधिक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक साकार किया है जिनमें से कुछेक इस प्रकार हैं – श्री हरिकोटा में द्वितीय लांचिंग पैड, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, एस एच ए आर में भारत का प्रथम स्वदेशी लांचिंग पैड; आईआईटी मुंबई में जीओ –टैक्निकल सेंट्रीफ्यूज सुविधा, विश्व में अपनी तरह की छठी सुविधा है, जिसका वित्तपोषण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, डी आर डी ओ, मानव संसाधन विभाग द्वारा किया गया है। टी एन ई बी पॉवर प्लांट के लिए एन्नोर बर्थ से कोल हैंडलिंग सुविधा, जो 11 किलोमीटर और क्षमता 2 x 4000 टीपीएच की बेल्ट कन्वेयर व्यवस्था युक्त हार्बर से पावर प्लांट तक एशिया की सबसे बड़ी कोल हैंडलिंग सुविधा है; भारतीय नौसेना की परियोजना सीबर्ड, भारत की पहली जहाज मरम्मत सुविधा।

वर्तमान में, मेकॉन भारत में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में लगभग सभी बड़ी इस्पात परियोजनाओं में शामिल है। कंपनी विविधीकरण के अन्य क्षेत्रों में भी पूरी तरह संस्थापित है चाहे यह विद्युत, तेल और गैस और अवसंरचना हो, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में बड़ी संख्या में कार्यों में शामिल है।

## अध्याय—IV

मेकॉन ने इंडोनेशिया, कतर, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, वियतनाम, अमरीका आदि जैसे विभिन्न देशों में लगभग 130 परियोजनाओं के लिए क्वालिटी डिजाइन, इंजीनियरी और परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान कर अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है। अफ्रीकी राज्यों में अवसरों को प्रभावशाली ढंग से पूरा करने के लिए मेकॉन का नाइजीरिया में एक समुद्रपारीय कार्यालय है।

### 4.9.1 वित्तीय कार्यनिष्पादन

गत वर्षों में मेकॉन ने वित्तीय दृष्टि से उल्लेखनीय प्रगति की है। वित्त वर्ष 2012-13 में मेकॉन का कारोबार 511.65 करोड़ रुपए था। कंपनी के शुद्ध लाभ में भी काफी सुधार हुआ है। कंपनी का शुद्ध लाभ 10.73 करोड़ रुपए (वर्ष 2004-05 में) था जो बढ़कर 150.72 करोड़ रुपए (वर्ष 2012-13 में) हो गया है। कंपनी के शुद्ध मूल्य में 31.03.2008 से वृद्धि हुई है। 31.03.2014 को मेकॉन का शुद्ध मूल्य 395.50 करोड़ रुपए (अंतिम) था। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि कंपनी ने 30.09.2009 को अपनी संपूर्ण संचित हानि को मिटाने में सफलता प्राप्त कर ली है।



श्री ए के त्यागी, सीमएडी, मेकॉन और प्रो. जोजफ डुबिनसकी, महानिदेशक, केन्द्रीय खनन संस्थान, पोलैंड, सचिव इस्पात, भारत सरकार, पोलैंड के मंत्रीगण, भारत में पोलिश राजदूत और अन्य उच्चाधिकारियों की उपस्थिति में एम ओ यू पर हस्ताक्षर करते हुए

### 4.10 के आई ओ सी एल लिमिटेड

शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख, आईएसओ 9001:2008, आईएसओ 14001:2004 और आईएसओ 18001:2007 प्रमाणित कंपनी के आई ओ सी एल लिमिटेड, की स्थापना ईरान की दीर्घकालीन जरूरतों की पूर्ति के लिए अप्रैल, 1976 में की गई थी। कुद्रेमुख में 75 लाख टन क्षमता वाले लौह अयस्क कंसेन्ट्रेट संयंत्र की स्थापना की गई। इस परियोजना का वित्तपोषण पूरी तरह से ईरान द्वारा किया जाना था। लेकिन 2550 लाख अमरीकी डालर अदा करने के बाद ईरान ने आगे ऋण भुगतान बंद कर दिया तब इसे भारत सरकार के पैसे से समय पर पूरा किया गया।

यद्यपि यह परियोजना समय पर शुरू हो गई लेकिन ईरान में राजनीतिक बदलाव की वजह से उसने परियोजना से कोई कंसेन्ट्रेट नहीं लिए। उत्पादन में विविधता लाने के उपायों के तौर पर सरकार ने मई 1981 में मंगलौर में 30 लाख टन प्रतिवर्ष क्षमता के पैलेट संयंत्र की स्थापना की मंजूरी दे दी। पैलेट संयंत्र की क्षमता में वृद्धि/संशोधन कर 35 लाख टन कर दिया गया। 1987 में संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन होने लगा और अब यह चीन को लौह अयस्क पैलेट के निर्यात के साथ सरकारी और निजी क्षेत्र में बड़े घरेलू इस्पात विनिर्माण उद्योगों और बहुत से अन्य मध्यम और छोटे स्पंज लौह विनिर्माताओं को पैलेट दे रहा है।

केआईओसीएल का घरेलू बाजार के लिए फाउन्ड्री ग्रेड के पिग आयरन के निर्माण और आपूर्ति के लिए मंगलौर में अपना पिग आयरन काम्प्लेक्स (धमन भट्टी यूनिट) भी है। तथापि, नकारात्मक योगदान के कारण वर्ष 2009 से इस यूनिट का प्रचालन बंद किया हुआ है।

#### 4.10.1 उत्पादन कार्यनिष्पादन

वर्ष 2013-14 में उत्पादन के लिए तय लक्ष्य 17.0 लाख टन पैलेट है जबकि वास्तविक उत्पादन 17.10 लाख टन रहा जो निर्धारित लक्ष्य का 100 प्रतिशत था।

#### 4.10.2 वित्तीय कार्यनिष्पादन

पिछले तीन वर्षों के दौरान बिक्री राजस्व और उसके अनुमान निम्नानुसार हैं :

(लाख रुपए)

वर्ष	पी पी यूनिट	धमन भट्टी यूनिट	कुल
2013-14	153007	231	153238
2012-13	115252	660	115912
2011-12	150364	1744	152108

पिछले तीन वर्षों के लिए के आई ओ सी एल के कार्यनिष्पादन की एक झलक नीचे दी गई है :

(लाख रुपए)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14
कुल बिक्री मूल्य	152108	115912	153238
सकल मार्जिन	16768	7599	11308
कर-पश्चात लाभ	9430	3105	3993

#### 4.11 बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज (बी जी सी)

- सरकार द्वारा अनुमोदित पुनः संरचना के बाद ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (ई आई एल), राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल) की सहायक कंपनी और ओ एम डी सी तथा बी एस एल सी की धारक कंपनी बन गई। ई आई एल, बी एस एल सी और ओ एम डी सी 19.03.2010 से सार्वजनिक उपक्रम बन गए। इसके अतिरिक्त ओ एम डी सी को 19.03.2010 से अनुसूची "बी" के अंतर्गत रखा गया।
- बी एस एल सी को 19.03.2010 से अनुसूची "सी" कंपनी घोषित किया गया है।
- ई आई एल एक शैल कंपनी है और इसे वर्गीकरण के अंतर्गत लाने के बारे में अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है।

#### विशिष्ट प्रचालनरत कंपनियों का कार्यनिष्पादन

##### (क) ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (ई आई एल)

ई आई एल एक निवेश कंपनी और ओ एम डी सी तथा बी एस एल सी की धारक कंपनी है। ओ एम डी सी और बी एस एल सी खनन कंपनियां हैं। कंपनी की अधिकृत पूंजी 13.50 करोड़ रुपए और चुकता पूंजी 1.44 करोड़ रुपए है। ई आई एल का वर्ष 2013-14 के लिए कर-पूर्व लाभ 23.8 लाख रुपए है।

##### (ख) उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओ एम डी सी एल)

ओ एम डी सी ओडिशा राज्य में लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क के छह खनन पट्टे प्रचालित कर रही है। ओ एम डी सी लौह अयस्क की सबसे पुरानी खनन कंपनी है और केंद्रीय सरकार के अधीन लौह अयस्क खनन में एन एम डी सी के बाद इसका दूसरा स्थान है। ओ एम डी सी की खानें क्योझर जिले के जनजातीय क्षेत्र में स्थित हैं और जनजातीय लोगों को इनसे काफी रोजगार प्राप्त होता है। ओ एम डी सी उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गैर-निजी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों/स्पंज आयरन यूनिटों को कच्चा माल का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। कंपनी ने अपने उपभोक्ताओं को आकार में तथा जरूरत के अनुसार लौह अयस्क उपलब्ध कराने के लिए चार क्रशिंग और स्क्रीनिंग संयंत्र स्थापित किए हैं। कंपनी ने ठाकुरानी में 2004 में एक छोटा स्पंज आयरन संयंत्र भी स्थापित किया है। कंपनी ने अपने उत्पादन में विविधता लाने और उत्पादों के मूल्य संवर्धन के लिए योजनाएं बनाई हैं। यह उड़ीसा में बारबिल में 20 लाख टन का प्रतिवर्ष एक पैलेट संयंत्र और 20 लाख टन प्रतिवर्ष का बेनिफिसिएशन संयंत्र भी लगाने की योजना बना रही है। इसकी योजना अगले कुछ वर्षों में लौह अयस्क का उत्पादन 100 लाख टन तथा मैंगनीज अयस्क का उत्पादन 100 लाख टन तक बढ़ाने की है।

कंपनी की अधिकृत तथा चुकता पूंजी 0.60 करोड़ रुपए है।

## अध्याय-IV

### वित्तीय निष्पादन

(करोड़ रुपए)

विवरण	2012-13	2013-14 (अनंतिम)
बिक्री	शून्य	शून्य
अन्य आय	79.98	74.31
कर-पूर्व लाभ	26.25	16.74

#### (ग) बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बी एस एल सी)

बी एस एल सी उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में चूना-पत्थर और डोलोमाइट के एक पट्टे पर कार्य कर रही है। यह पूर्वी क्षेत्र में कार्य कर रहे सेल के इस्पात कारखानों को चूना-पत्थर और डोलोमाइट सप्लाई करती है। इसकी योजना खनन कार्यों का आधुनिकीकरण कर और क्रशरों की संख्या बढ़कर उत्पादन क्षमता 50 लाख टन करने की है। यह एक शताब्दी पुरानी कंपनी है और इस क्षेत्र के जनजातीय लोगों को इसमें बड़े पैमाने पर रोजगार मिल रहा है।

कंपनी की अधिकृत पूंजी 87.50 करोड़ रुपए और चुकता पूंजी 87.29 करोड़ रुपए है।

### भौतिक निष्पादन

#### उत्पादन

(लाख टन में)

विवरण	2012-13	2013-14 (अनंतिम)
चूना-पत्थर	0.26	0.18
डोलोमाइट	3.68	3.78

## निजी क्षेत्र

### 5.1 प्रस्तावना

इस्पात उद्योग का निजी क्षेत्र देश में इस्पात उद्योग के विकास और उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। निजी क्षेत्र के दायरे में एक ओर बड़ी इस्पात कंपनियां और दूसरी ओर स्पंज आयरन संयंत्रों, छोटी धमन भट्टी इकाइयों, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस, रि-रोलिंग मिलों, कोल्ड-रोलिंग मिलों और कोटिंग इकाइयों जैसी छोटी और मंजोली कंपनियां, दोनों आती हैं। ये कंपनियां न सिर्फ प्राथमिक और द्वितीयक इस्पात क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, बल्कि गुणवत्ता, अभिनव प्रयोग और किफायतीपन के मामले में भी व्यापक मूल्य संवर्धन योगदान दे रही हैं।

5.2 प्रमुख इस्पात उत्पादक जो कि पहले से ही क्षमता विस्तार की प्रक्रिया में हैं और नई क्षमताओं का विस्तार कर रहे हैं, निम्नलिखित हैं :

(मिलियन टन में कच्ची लौह क्षमता)

क्र.सं.	निवेशक	वर्तमान क्षमता	2017-18 तक ब्राउनफील्ड प्रस्तावित विस्तार क्षमता	ग्रीनफील्ड प्रस्तावित क्षमता	कुल क्षमता
1	टाटा स्टील लिमिटेड	9.70	—	23.50	33.20
2	इस्सार स्टील लिमिटेड	10.00	—	6.00	16.00
3	जे एस डब्ल्यू स्टील लिमिटेड	14.30	27.00	20.00	47.00
4	जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड	3.25	11.95	19.80	31.75
5	भूषण स्टील लिमिटेड	5.60	7.34	—	7.34
6	भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड	2.80	—	0.50	3.30
7	मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड	1.80	3.00	3.00	6.00
8	इलेक्ट्रोस्टील स्टील लिमिटेड	2.51	—	—	2.51
9	वीसा स्टील लिमिटेड	0.50	2.50	3.75	6.25
10	पॉस्को इंडिया लिमिटेड	—	—	12.00	12.00
11	आर्सेलर मित्तल इंडिया	—	—	12.00	12.00

### 5.3 टाटा स्टील लि.

वित्त वर्ष 2013-14 की विभिन्न तिमाहियों के दौरान टाटा स्टील का निष्पादन निम्नानुसार है :

उत्पादन तथा बिक्री निष्पादन (आंकड़े हजार टन में)

मद	तिमाही 1	तिमाही 2	तिमाही 3	तिमाही 4	कुल
तप्त धातु	2464	2465	2313	2658	9899
कच्चा इस्पात	2222	2291	2165	2477	9155
विक्रीय इस्पात	2145	2207	2150	2430	8931
कुल बिक्री	2005	2038	2066	2407	8516

### 5.4. जेएसडब्ल्यू स्टील लि.

जेएसडब्ल्यू समूह की प्लैगशिप कम्पनी जेएसडब्ल्यू स्टील भारत का एक अग्रणी विनिर्माता है जिसकी क्षमता 143 लाख टन प्रति वर्ष है। यह भारत की सबसे तीव्र विकासशील कम्पनियों में से एक है जिसकी पहुंच 140 से भी अधिक देशों में है। कर्नाटक, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में अवस्थित आधुनिकतम सुविधाओं के साथ युक्त यह कम्पनी अपनी नूतनता तथा



## अध्याय—V

गुणवत्ता के लिए विख्यात है। जो एसडब्ल्यू स्टील इस्पात उत्पादों के व्यापक संप्रदाय की पेशकश करता है जिनमें हॉट रोलड, कोल्ड रोलड, बेयर तथा पूर्व-पेंट किए गए गाल्वनाईज्ड तथा गॉलवाल्स्यूमो, टीएमटी रिबार, वायर छड़ें तथा विशेष इस्पात – गोल, आरसीएस, छड़ें तथा स्प्रिंग स्टील प्लेट शामिल हैं।

विगत पांच वर्षों के दौरान कम्पनी की कच्चे इस्पात की क्षमता तथा कच्चे इस्पात का उत्पादन निम्नानुसार है :

(मिलियन टन में)

मद	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
कच्चे इस्पात की क्षमता	7.80	9.30	10.80	10.80	14.30
कच्चे इस्पात का उत्पादन	5.99	6.43	7.43	8.52	12.17



जे एस डब्ल्यू विजय नगर वर्क्स का परिदृश्य

### 5.5 मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लि.

मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लि. (एमआईईएल) देश में सबसे बड़े स्पॉज लौह विनिर्माताओं में से एक है तथा यह छत्तीसगढ़ राज्य में 15 लाख टन प्रति वर्ष वाले एकीकृत इस्पात संयंत्र का प्रचालन कर रहा है जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य से रायपुर तथा रायगढ़ में 8 लाख टन प्रतिवर्ष स्पॉज लौह, 7 लाख टन ब्लास्ट फर्नेस, 2 लाख टन प्रतिवर्ष संरचनात्मक रोलिंग मिल, 4 लाख टन इस्पात प्रतिवर्ष छड़ तथा सैक्शन मिल एवं 230 मेगावाट विद्युत संयंत्र शामिल हैं। इसके अलावा, 18 लाख टन प्रतिवर्ष पेलेटिजेशन संयंत्र, 9075 एमटी टीपीए सिंटर संयंत्र की स्थापना पूरी हो चुकी है तथा आरम्भण अवस्था में है। इन क्षमताओं के लिए 2 x 100 टन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस की संस्थापना की गई है जिनमें से 100 टन का एक यूनिट पहले ही कमीशन किया जा चुका है तथा 100 टन का दूसरा यूनिट कमीशनिंग चरण पर है। इसके अतिरिक्त, अंगुल – उड़ीसा तथा बोकारो – झाड़खंड में 15 लाख टन प्रतिवर्ष के ग्रीनफील्ड यूनिट संस्थापित हो रहे हैं जिनसे वर्ष 2015 तक इस्पात निर्माण क्षमता बढ़कर 45 लाख टन प्रतिवर्ष हो जाएगी। वर्तमान क्षमताएं तथा भावी विस्तार पूर्णतया एकीकृत हैं।





एम आई ई एल, छत्तीसगढ़ राज्य में एकीकृत इस्पात संयंत्र

## 5.6 जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड



रायगढ़, छत्तीसगढ़ में जेएसपीएल के एकीकृत इस्पात संयंत्र का परिदृश्य

जिंदल स्टील और पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) ने दो से अधिक दशक पूर्व स्पंज लौह विनिर्माण इकाई के रूप में शुरुआत की थी। तब से यह 3.6 बिलियन (लगभग) का व्यवसाय घराना बन गया है और इसके इस्पात, विद्युत, खनन और अवसंरचना क्षेत्रों में हित हैं।

कंपनी रायगढ़ (छत्तीसगढ़) में 30 लाख टन की क्षमता का एकीकृत इस्पात संयंत्र प्रचालित करती है और अपनी इस्पात क्षमताओं का अंगुल (ओडिशा) और पतरातु (झारखंड) प्रत्येक में 60 लाख टन क्षमता की इस्पात परियोजनाओं को क्रियान्वित करके निर्माण कर रही है। अंगुल में पहला चरण जून, 2014 के अंत तक प्रचालनात्मक होगा जबकि पतरातु में 6 लाख टन क्षमता की वायर रॉड मिल और 10 लाख टन क्षमता की रिबार मिल क्रमशः अप्रैल, 2010 और सितम्बर, 2011 को राष्ट्र को समर्पित की गई थीं।

कंपनी बैकवर्ड और फॉरवर्ड एकीकरण के माध्यम से इस्पात और विद्युत की एक कुशल उत्पादक है। यह विश्व की सबसे लंबी (121 मीटर) रेल का उत्पादन करती है और बड़े आकार के सामानांतर फ्लेंग बीम का निर्माण करने वाली देश में पहली कंपनी है। यह अंगुल में डीआरआई के उत्पादन में पहली बार सायन गैस रूट, पर्यावरण रूप से अनुकूल ढंग, के लिए कोयले का प्रयोग कर रही है।

भारत के विकास में योगदान देने के अलावा, कंपनी अफ्रीकी महाद्वीप, आस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में विविधीकृत निवेशों के माध्यम में अपनी विशेषज्ञता का प्रयोग करके वैश्विक रूप से पहुंच रही है। इसने ओमान में 15 लाख टन की क्षमता का गैस आधारित तप्त ब्रिकेटिट लौह (एचबीआई) संयंत्र भी अधिग्रहित किया है और 2 लाख टन क्षमता का एकीकृत इस्पात संयंत्र बनाने के लिए सुविधाओं को बढ़ाया है।

## 5.7 गौण लघु एवं मध्यम इस्पात क्षेत्र

### 5.7.1 इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस उद्योग

इस समय देश में 47 इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ई ए एफ) आधारित इस्पात कारखाने कार्य कर रहे हैं, जिनकी कुल क्षमता 264.2 लाख टन प्रति वर्ष है। इनमें से 10 यूनिटें कॉस्टिंग इकाईयां हैं। ये कारखाने संयुक्त कारखाना समिति को इस्पात पिंडों/कॉन्कास्ट बिलेट के अपने उत्पादन के बारे में जानकारी देते हैं। वर्ष 2013-14 (अनंतिम) में इन कारखानों में 184.5 लाख टन उत्पादन किया गया जबकि वर्ष 2012-13 में 193.8 लाख टन किया गया था। यह 4.8 प्रतिशत की कमी दर्शाता है। यह क्षेत्र निरंतर कच्चे माल, बिजली की बढ़ती कीमतों, बिजली और संसाधनों की कमी का सामना करता रहा है।

### 5.7.2 इंडक्शन फर्नेस उद्योग

वर्ष 2013-14 (अनंतिम) के दौरान इस क्षेत्र में 1354 इंडक्शन फर्नेस प्रचालनरत थे जिनकी क्षमता 364.9 लाख टन (अनंतिम) थी। संयुक्त कारखाना समिति के पास दाखिल रिपोर्ट के अनुसार 2013-14 (अनंतिम) में इन इंडक्शन भट्टियों के कुल उत्पादन में 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई तथा इनमें 274.9 लाख टन उत्पादन हुआ जबकि 2012-13 में 256.8 लाख टन हुआ था।

### 5.7.3 ई ए एफ आधारित इस्पात संयंत्रों का निष्पादन

ई ए एफ यूनिटों की स्थिति, 2013-14*		
	संख्या	क्षमता (दस लाख टनों में)
चालू की गई इकाईयां	47	26.42
बंद इकाईयां	0	0
कार्य कर रही इकाईयां	47	26.42
स्रोत : जेपीसी : *अनंतिम		

उत्पादन : संयुक्त कारखाना समिति को दी गई जानकारी के अनुसार इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस इकाईयों का उत्पादन निम्न है:

ई ए ए इकाईयों का उत्पादन (मिलियन टन में)					
श्रेणी	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14*
मृदुल इस्पात	12.29	12.79	14.73	14.58	13.97
मझौले/उच्च कार्बन इस्पात	2.01	2.45	1.85	2.03	1.95
एलॉय इस्पात	0.84	0.90	1.15	1.13	1.08
स्टेनलैस स्टील	0.14	0.50	0.90	1.16	1.11
अन्य	0.69	0.25	0.29	0.35	0.34
रिपोर्ट अनुसार कुल	15.97	16.89	18.93	19.25	18.45
कुल अनुमानित	—	—	—	—	—
<b>कुल जोड़</b>	<b>15.97</b>	<b>16.89</b>	<b>18.93</b>	<b>19.25</b>	<b>18.45</b>
स्रोत : जेपीसी ; *अनंतिम					

## अनुसंधान और विकास

### 6.1 इस्पात क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास

भारत में लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास मुख्यतः इस्पात कंपनियों, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं, शैक्षिक संस्थाओं आदि में किया जाता है। यद्यपि लौह और इस्पात प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में मामूली सुधार प्राप्त किया गया है, फिर भी कुल मिलाकर अभी भी और पहलों की जरूरत है। भारतीय इस्पात कंपनियों में आरएंडडी निवेश बहुत कम है और यह बिक्री कारोबार के 0.15 – 0.30 प्रतिशत के बीच है जबकि इसकी तुलना में विकसित देशों में इस्पात संयंत्रों में यह 1–2 प्रतिशत है।

#### 6.1.1 लौह और इस्पात क्षेत्र में आरएंडडी का संवर्धन

लौह इस्पात क्षेत्र में आरएंडडी का संवर्धन आरएंडडी को त्वरित बल प्रदान करने के उद्देश्य से इस्पात मंत्रालय निम्नलिखित दो स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करके सरकारी और निजी इस्पात क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को प्रोत्साहित कर रहा है।

##### (i) इस्पात विकास निधि (एसडीएफ) के साथ आर एंड डी के संवर्धन के लिए स्कीम

एस डी एफ स्कीम के तहत सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) द्वारा 389.36 करोड़ रुपए (अनुमानित) के अंशदान के साथ 696.27 करोड़ रुपए (अनुमानित) की लागत से 83 आर एंड डी परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। इनमें से अब तक 47 आर एंड डी परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं जिनसे उद्योग को लाभ मिला है। 11 परियोजनाएं मध्यावधि समीक्षा के पश्चात बंद कर दी गई हैं और 25 आर एंड डी परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

##### (ii) अनुसंधान और विकास के संवर्धन के लिए योजना निधि के तहत स्कीम

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने लौह और इस्पात क्षेत्र में आर एंड डी के संवर्धन के लिए 200 करोड़ रुपए का आबंटन किया है। परियोजना अनुमोदन और मानीटरिंग समिति (पी ए एम सी) ने अब तक 89.22 करोड़ रुपए की योजना निधि से निधियन के साथ 125.20 करोड़ रुपए लागत की 9 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं अनुमोदित की है। वर्ष-वार जारी की गई निधि निम्नानुसार है :

वर्ष	जारी की गई निधि (करोड़ रुपए में)
2009–10	4.14
2010–11	27.05
2011–12	9.63
2012–13	24.90
2013–14	8.00

9 अनुमोदित परियोजनाओं में से एक परियोजना पूरी की गई है। इस परियोजना के माध्यम से इंडक्शन भट्ठी के माध्यम से निम्न फास्फोरस इस्पात के लिए प्रयोगशाला पैमाने पर प्रोसेस का विकास किया गया है। औद्योगिक परीक्षण करने के परियोजना के चरण-2 को भी अनुमोदित किया गया है।

### 6.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फार आयरन एंड स्टील (आर डी सी आई एस) ने वर्ष 2013–14 के दौरान 93 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं हाथ में ली हैं जिसमें से 50 परियोजनाएं अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 के दौरान पूरी की गई हैं।

अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 के दौरान केंद्र ने 36 पेटेंट और 35 कापीराइट दायर किए। 92 तकनीकी पत्र प्रकाशित किए गए और 169 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। इसके अतिरिक्त, आर डी सी आई एस ने अनुबंध शोध कार्य का दायित्व संभाला और सेल से बाहर के संगठनों को उल्लेखनीय परामर्श सेवाएं और तकनीकी जानकारी मुहैया कराई जिससे बाहरी स्रोतों से 230 लाख की आय हुई।

केन्द्र द्वारा दिए गए योगदान की पहचान करते हुए आर डी सी आई एस अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 के दौरान बहुत से प्रतिष्ठित पुरस्कार जैसे वर्ष का धातु विज्ञानी, युवा धातु विज्ञानी, सेल पुरस्कार, डॉ. एम. विश्वेश्वरैया पुरस्कार आदि प्राप्त किए हैं।

विभिन्न टेक्नोलॉजी क्षेत्रों की पूरी की गई परियोजनाओं की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

- कोयला मिश्रित संरचना, बीएसएल को इष्टतम करने के माध्यम से कोक की गुणवत्ता में सुधार।
- मिश्रण को इष्टतम करने और सीओबी रु10, आईएसपी का कार्यनिष्पादन सुधार।

## अध्याय—VI

- सिंगल बालिंग ड्रम और सिंटर संयंत्र, बीएसएल में सिंटर प्रचालन में एमजीओ को इष्टतम करना।
- हॉट स्ट्रिप मिल, आर एस पी में हाट रोल्ड नान-ओरिएन्टेड (एच एन आर ओ) की सुधरी हुई गुणवत्ता और उत्पादकता को प्राप्त करने के लिए रोलिंग पैरामीटरों का मॉडल आधारित इष्टतिमीकरण।
- एस एम एस:1, बी एस एल में लैस टिप डिजाइन में सुधार द्वारा कन्वर्टर के निष्पादन में सुधार।
- प्लेट मिल, बी एस पी में डिस्चार्ज एंड स्लोट और स्किड पाइप इंसुलेशन का जीवन बढ़ा कर रिहीटिंग भट्टियों के निष्पादन में सुधार।
- सिलीकॉन स्टील मिल, आर एस पी की डीकार्ब एनीलिंग और टेंडम एनीलिंग लाइनों के लिए तापमान नियंत्रण प्रणाली आधारित विशेषज्ञ प्रणाली का विकास

पिछले तीन वर्षों के दौरान आर एंड डी पर व्यय निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	सेल का कारोबार	आर एंड डी व्यय			
		पूंजी	राजस्व	कुल	कारोबार का प्रतिशत
2011-12	50348	5.37	129.08	134.45	0.27
2012-13	49350	2.56	145.07	147.63	0.30
2013-14	51866	4.38	106.05	111.04	0.21

### 6.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल)



आर आई एन एल के एल डी स्लेग, बी एफ स्लेग, फलाई एश का प्रयोग करके पटरी ब्लाक और टाइलों का विकास

आर आई एन एल में वर्ष 2013-14 के दौरान किए गए प्रमुख आर एंड डी कार्य निम्नानुसार हैं :

- प्रयोगशाला और प्रायोगिक सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक आर एंड डी केंद्र की स्थापना के लिए बाह्य विशेषज्ञ की सहायता से आर एंड डी की रूपरेखा तैयार करना।
- आर आई एन एल में उत्पादित ठोस अपशिष्ट (एल डी स्लेग, बी एफ स्लेग, फलाई एश) का प्रयोग करके सी जी आर आई के सहयोग से मूल्य वर्धित सिरेमिक उत्पादों का विकास।
- जंग प्रतिरोधी पेंट का विकास।
- इस्पात के विभिन्न ग्रेडों की कास्टिंग के दौरान ट्रांजिशन ब्लूम आयतन बताना और ट्रांजिशन ब्लूम उत्पादकन को न्यूनतम करना।

- अवसंरचना और जल के क्षेत्रों में आईसी – आई एम पी ए सी टी एस, कनाडा के साथ और संबंधित संस्थाओं और साझेदारों के बीच सहयोग और अनुसंधान और विकास को सुदृढ़ करने के लिए मेकमास्टर यूनीवर्सिटी, ओनटारियो, कनाडा के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।
- बीओएफ स्लेग के ब्व2 पृथक्करण पर नई सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजना शुरू करने के लिए राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान और आर आई एन एल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- टाटा स्टील, एन एम एल और एओएस के साथ सहयोग से सीआरजीओ इस्पात के विकास के लिए आरआईएनएल बोर्ड द्वारा 136.00 करोड़ रुपए का निवेश अनुमोदित किया गया था।
- वर्ष 2012-13 में ग्यारह परियोजनाएं शुरू की गई थीं जिनमें से दो परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की गई थीं। वर्ष 2012-13 की परियोजनाओं को जारी रखने के अलावा वर्ष 2013-14 में चार नए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- सात (7) पेटेंट के लिए आवेदन किया गया – 2012-13 में 3 और 2013-14 में 4

पिछले तीन वर्षों के दौरान आर एंड डी पर व्यय निम्नानुसार है :

वर्ष	वास्तविक व्यय (करोड़ रुपए)	कारोबार के प्रतिशत के रूप में व्यय
2011-12	20.29	0.14
2012-13	31.13	0.23
2013-14	50.27	0.37

#### 6.4 एन एम डी सी लिमिटेड

एन एम डी सी के आर एंड डी केंद्र को 15 देशों से प्रतिनिधियों वाले यूएनआईडीओ के विशेषज्ञ समूह की बैठक द्वारा खनिज प्रोसेसिंग के क्षेत्र में "उत्कृष्टता के केंद्र" के रूप में घोषित किया गया है और इसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान (डी एस आई आर) द्वारा मान्यता भी मिली है। आर एंड डी केंद्र ने आईएसओ 9001-2008 गुणवत्ता प्रबंध प्रणाली के नए विवरण के अनुपालन के लिए आईएसओ प्रमाणन भी प्राप्त किया है। रासायनिक प्रयोगशाला के एनएबीएल प्रत्यायन के लिए सिफारिश की गई है।

वर्ष 2013-14 के दौरान एनएमडीसी द्वारा किए गए प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं :

- 50 प्रतिशत से कम लौहांश वाले निम्न ग्रेड के लौह अयस्क के सज्जीकरण के लिए प्रौद्योगिकी का उन्नयन।
- इको-अनुरूप टेलिंग निपटान प्रणाली का विकास जिसमें विभिन्न किस्म की टेलिंग (सिलिका समृद्ध और एल्युमिना समृद्ध) के साथ सेटलिंग और फिलट्रेशन शामिल है।
- 1 मिली मीटर से नीचे के फाइन के वर्गीकरण के लिए वैकल्पिक प्रोसेस का विकास।
- विभिन्न पीएसयू और अन्य संगठनों से अन्य प्रायोजित कार्य।
- आर एंड डी केंद्र के लिए उन्नत और नवीनतम उपस्कर के साथ आधुनिकीकरण और अपग्रेडेशन : उपस्कर इस उद्देश्य के साथ बढ़ाए गए हैं कि आर एंड डी केंद्र, एन एम डी सी को लौह और इस्पात अनुसंधान का दक्षिणी क्षेत्रीय केंद्र के रूप में बनाया जा सके।
- एनएमडीसी की संबंधित प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए सहयोग है और इसने सीएसआईआर संस्थाओं जैसे सीएसएमसीआरआई, आईआईसीटी, आईएमएमटी आदि, शैक्षिक संस्थाओं जैसे आईआईटी, एनआईटी आदि और विदेशी संस्थाओं जैसे सीएसआईआरओ, जेकेएमआरसी आस्ट्रेलिया आदि के साथ प्रायोगिक पैमाने के संयंत्र स्थापित किए हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान आर एंड डी पर व्यय निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए)

वर्ष	आर एंड डी पर व्यय			वार्षिक कारोबार	कारोबार के प्रतिशत के रूप में व्यय
	राजस्व	पूंजी	कुल		
2011-12	13.76	1.57	15.33	11261.89	0.14
2012-13	13.76	0.25	14.01	10704.27	0.13
2013-14	15.02	2.32	17.34	12000	0.14



### 6.5 मॉयल लिमिटेड

वर्ष 2013-14 के लिए मॉयल में आर एंड डी उपलब्धियों की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

- बालाघाट खान और गुभांगो खान में गहरे स्तरों पर कार्य करने के लिए वायु संचार पुनर्गठन संबंधी अध्ययन ।
- भारतीय खान स्कूल, धनबाद द्वारा उकवा खान में यांत्रिक स्टोपिंग प्रचालनों और समर्थन प्रणालियों के विकास के लिए अध्ययन जारी हैं ।
- उकवा खान में समेकित हाइड्रोलिक स्टोइंग के लिए भराई सामग्री के रूप में बोटम एश के प्रयोग के लिए तकनीकी विभाग द्वारा आंतरिक व्यवहार्यता अध्ययन किए गए हैं ।
- 12वें स्तर से नीचे बालघाट खान में स्तर अंतराल को 30 मिनट से बढ़ाकर 45 मिनट किया गया है ।
- भूमिगत खनन प्रचालन के लिए समेकित हाइड्रोलिक स्टोइंग प्रचालन के लिए अधिभार सामग्री के प्रयोग के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान अध्ययन ।
- कान्द्री खान में भूमिगत खनन प्रचालनों में स्टोप डिजाइन के लिए बेहतर सुरक्षा और उत्पादकता के लिए केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान (सी आई एम एफ आर), नागपुर द्वारा हाइड्रो भूवैज्ञानिक अध्ययन किया जा रहा है ।

पिछले दो वर्षों के दौरान आर एंड डी पर व्यय निम्नानुसार हैं :

(लाख रुपए में)

वर्ष	पूंजी	आवर्ती	कुल	कारोबार के प्रतिशत के रूप में व्यय
2012-13	25.39	829.13	854.52	1.98
2013-14	300.66	762.86	1063.52	2.46

### 6.6 के आई ओ सी एल लिमिटेड

के आई ओ सी एल लिमिटेड द्वारा किए गए आर एंड डी की मुख्य-मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :

- प्राथमिक स्क्रीनों के लिए वैकल्पिक प्रणाली संस्थापित करके ग्राइंडिंग प्रणाली की उपलब्धता में सुधार ।
- ग्रीन बाल की बेहतर स्क्रीनिंग कुशलता को प्राप्त करने के लिए डी डी आर एस रोलरों के व्यास को कम करने पर अध्ययन और इससे आकार और अच्छी फिनिशिंग के अनुसार पैलेट के भौतिक गुणों में सुधार होगा ।
- पैलेट संयंत्र में ग्राइंडिंग प्रणाली (चूना + कोक) की डाइ रिंग लाइफ में सुधार करने पर अध्ययन ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान आर एंड डी पर व्यय निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	कारोबार	आर एंड डी	कारोबार के प्रतिशत के रूप में आर एंड डी व्यय
2011-12	1521.08	1.60	0.11
2012-13	1159.12	0.65	0.06
2013-14	1532.38	0.33	0.00

### 6.7 मेकॉन लिमिटेड

वर्ष 2013-14 के दौरान मेकॉन लिमिटेड द्वारा पूरी की गई आर एंड डी परियोजनाएं निम्नानुसार हैं :

- औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए थर्मोइलेक्ट्रिकली कूल्ड / हीटिड हेलमेट का विकास
- इस्पात संयंत्रों के लिए लगातार ओजोन मानीटरिंग प्रणाली के विकास के लिए बुनियादी प्रणाली डिजाइन और अनुरूपण अध्ययन ।
- लगातार मल्टीगैस मानीटर का विकास ।
- लेडल स्थिति मानीटरिंग प्रणाली आधारित आई आर केमरा विकास के लिए अपेक्षित स्टील लेडल पोजिशनिंग के लिए एलगोरिथम का विकास ।

- गैर-डिसपरसिव इन्फ्रारेड मल्टी गैस मानीटर के एक प्रोटोटाइप का विकास और विकास जारी परियोजनाएं निम्नानुसार हैं :
- इन्फ्रारेड केमरा आधारित लेडल कंडीशन मानीटरिंग प्रणाली ।
- बख्तबंद गाड़ियों के लिए ठोस अवस्था के टंडे पीने के पानी के टैंक पर बुनियादी प्रणाली डिजाइन और परिकलन ।
- इस्पात उद्योग में ऑनलाइन गैर-कानटेक्ट डाइमेंशन मापन ।

### 6.8 टाटा स्टील लिमिटेड

कंपनी द्वारा किए गए अनुसंधान और विकास कार्य की मुख्य-मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :

- सीओबी सुखिंदा में अल्ट्राफाइन सज्जीकरण सर्किट में सुधार निष्पादन ।
- स्पंज क्रोम प्रोसेस विकास के लिए औद्योगिक सुरंग भट्टी में रिडक्शन परीक्षण ।
- ओरगेनो-रिफाइनिंग द्वारा गैर-कोकिंग कोल से कोक में बदलने के उत्साहजनक परिणाम ।
- जी आई ट्यूबों की सतह उपस्थिति के सफेद जंग फार्मेशन और फीकेपन को रोकने के लिए गलवनीकृत टाटा पाइपों पर महीन कार्बनिक कोटिंग का परीक्षण ।
- एलडीरु3-टीएससीआर के माध्यम से एचआरडीपी 6000 ग्रेड का विकास ।
- एलडीरु3-टीएससीआर के माध्यम से एसपीएफएच 590 ग्रेड का विकास ।
- ट्यूबों के लिए अग्निरोधी स्टील का सफल वाणिज्यिक परीक्षण ।
- इस्पात संयंत्रों से बहिःस्राव से टीएसएस और डीडीएस को साथ-साथ हटाने के लिए नोवल प्रोसेस ।

### 6.9 एस्सार स्टील लिमिटेड

उपलब्ध आरएण्डडी अवसंरचना की मुख्य-मुख्य बातें :

- आकृति विश्लेषक के साथ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के साथ पूर्ण रूप से सज्जित मेटालोग्राफिक प्रयोगशाला, जूम स्टीरियो माइक्रोस्कोप, माइक्रो कठोरता टेस्टर। ईडीएस और ईबीएसडी सुविधाओं के साथ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और नमूना तैयार करने के लिए सभी आवश्यक उपस्कर ।
- विद्युत गुणों के माप के लिए हाइस्टोरेसिस लूप ट्रेसर वाली विद्युत स्टील जांच सुविधा ।
- मोल्ड, टनडिश आदि और पारम्परिक स्लैब कास्टर के संबंध में सीएसपी कास्टिंग प्रोसेस का अनुरूपण करने के लिए जल माडलिंग प्रयोगशाला ।
- पॉट ग्रेट सिन्टरिंग, ड्रम और डिस्क पैलेटाइजर, प्रयोगशाला पैमाने की बिक्रेटिंग मशीन और जिगिंग सुविधाओं के लिए प्रयोगशाला पैमाने की स्थापना वाली लौहा बनाने और कच्ची सामग्री के सज्जीकरण की प्रयोगशाला ।
- गणितीय माडलिंग और अनुरूपण के लिए समर्पित सर्वरों वाली गणितीय अनुरूपण प्रयोगशाला ।
- अनुरूपण ताप अभिक्रिया करने के लिए प्रयोगशाला पैमाने की ताप अभिक्रिया सुविधा ।

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किए गए आर एण्ड डी कार्य की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

- सिन्टर की आरडीआई में 45: से 25: का सुधार करके घमन भट्टी की उत्पादकता और कोक दर को इष्टतम करना ।
- कोरेक्स प्रोसेस में प्रयोग के लिए कोयला फाइन से कोयला ब्रिकेट का विकास ।
- कोरेक्स / घमन भट्टी में प्रयोग के लिए एफईएस धूल और कोरेक्स स्लज का कोल्ड बॉन्डिड पैलेट ।
- (सीडीआरआई) फाइन से कोल्ड डायरेक्ट रिडयूसड की ब्रिकोटिंग ।

पिछले दो वर्षों के दौरान आर एण्ड डी पर व्यय निम्नानुसार है :

वर्ष	वास्तविक निवेश (करोड़ रूपए)	कारोबार का प्रतिशत
2012-13	28.77	0.19
2013-14	22.42	0.185

### 6.10 जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड

वर्ष 2013-14 के लिए कुल 32 आरएण्डडी की परियोजनाओं की योजना बनाई गई थी । नवम्बर, 2013 तक 18 परियोजनाएं पूरी की गई हैं । कुछ परियोजनाओं की मुख्य-मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :

- परिसज्जित स्टील उत्पादन के लिए फ्लो मोडिफायर को अधिकतम करने के लिए प्रक्रिया का विकास ।



- कोयला ब्रिकेटिंग प्रौद्योगिकी का विकास ।
- निम्न ग्रेड के लौह अयस्कों की अभिक्रिया के लिए सज्जीकरण का विकास ।
- घमन भट्टी लौहा बनाने के लिए सिलिकोन प्रीडिक्शन मॉडल का विकास ।
- लौह अयस्क ब्लेंड इष्टतम करने के मॉडल का विकास ।
- एचएसएम-1 में आरएचएफ के लिए ईंधन दर की भविष्यवाणी और नियंत्रण मॉडल का विकास ।
- कोरेक्स प्रोसेस के लिए गर्म धातु सल्फर की भविष्यवाणी के मॉडल का विकास ।
- हरित पट्टी के माध्यम से जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड में कार्बन डायऑक्साइड के पृथक्करण पर जांच ।
- तप्त धमन स्टोव के स्टैगरड सामान्तर प्रचालन के लिए आनलाइन नियंत्रण मॉडल का विकास ।
- घमन भट्टियों के लिए लाइन चार्जिंग मॉडल पर वैकल्पिक विकास ।

वर्ष 2013-14 के लिए बजटीय आरएण्डडी व्यय 25 करोड़ रुपए (पूँजीगत और राजस्व) है ।

### 6.11 जेएसडब्ल्यू इस्पात स्टील लिमिटेड

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किए गए आरएण्डडी कार्य की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

- ट्रिपल लैसी सिस्टम के लिए प्रोटोटाइप का विकास ।
- आरआई और आरडीआई के संदर्भ में सिन्टर गुणवत्ता का लक्षण-वर्णन ।
- एलसीपी-2 (लैसी की वैकल्पिक सामग्री) में कोयला लैसी जीवन को बढ़ाना ।
- एलसीपी-1 और 2 (डबल डेस्क स्क्रीन) से उत्पादकता और चूना गुणवत्ता का सुधार ।
- भविष्य में आटोमोटिव अनुप्रयोग के लिए आईएस 1079:2009 एचआरएस डीपी 780 के अनुसार दोहरे फेस डीपी 780 का विकास ।
- लंबाई में काटने के प्रचालन के दौश्रान किसी कायल ब्रेक / रिकल के बिना आईएसआई 0748 जीआरएल के अनुसार एसएच 29 एआई का विकास ।
- ड्यूअल फेस स्टील के फटीग निष्पादन का सुधार ।
- समान सुदृढ़ता स्तरों के एचएस आईए स्टील के साथ ड्यूअल फेस स्टील की फोर्मोबिल्टी और फटीग अभिक्रिया की तुलना ।
- ड्यूअल फेस स्टील के लिए यांत्रिक गुणों को इष्टतम करने के लिए ग्लोबल का प्रयोग करके थर्मो यांत्रिक अनुरूपण ।

वर्ष 2013-14 के दौरान आरएण्डडी पर व्यय

1026 लाख रुपए का योजनाबद्ध आरएण्डडी व्यय है ।

## ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन

### 7.1 प्रस्तावना

पर्यावरण प्रबंधन और ऊर्जा कार्यकुशलता वैश्विक और घरेलू दोनों स्तरों पर किसी क्षेत्र या कंपनी का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण मानक हैं। सरकार के विभिन्न नियमों और योजनाओं के द्वारा इस्पात मंत्रालय इस्पात कारखानों में ऊर्जा की खपत और प्रदूषणकारी तत्वों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कदम उठा रहा है। विभिन्न मंचों और उपायों के जरिए इस साल इस्पात मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम/पहलें निम्न हैं :

#### 7.1.1 पर्यावरण सुरक्षा के लिए निगमित दायित्व चार्टर (सी आर ई पी)

पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के लिए यह इस्पात मंत्रालय तथा प्रमुख/बड़े इस्पात कारखानों के सहयोग से पर्यावरण और वन मंत्रालय (एम ओ ई एफ)/केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी सी बी) की पहल है जिसके अंतर्गत आपसी सहयोग व सहमति के आधार पर प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए बने नियमन का उद्देश्य संबद्ध नियमों व मानकों से भी अधिक लक्ष्य हासिल करना है।

सी पी सी बी में एक राष्ट्रीय कार्यदल सी आर ई पी की कार्य योजनाओं तथा लक्ष्यों के अनुपालन की समीक्षा करता है। जिन क्षेत्रों में पर्यावरण कार्य निष्पादन को मॉनीटर किया गया है, वे हैं : कोक ओवन से निकलने वाली गैस, स्टील मेल्टिंग शॉप में द्वितीयक गैसों पर नियंत्रण, बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस स्लैग का एसिड युक्त मिट्टी के परिष्करण के लिए उपयोग; उत्पाद बनाते समय व्यर्थ जाने वाले समान के परिष्करण संयंत्र द्वारा कोक ओवन का प्रभावी परिचालन; और व्याप्त वायु गुणवत्ता को मानीटर करना।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित क्षेत्रों में ऊर्जा का उपभोग घटाने के लिए उपाय किए गए (i) धमन भट्टियों में कोयला/टार का इंजेक्शन और (ii) जल उपभोग (इस संबंध में अधिकतर एकीकृत कारखानों में प्राथमिक लक्ष्य प्राप्त किए गए) समीक्षा भी की गई है।

#### 7.1.2 क्योटो प्रोटोकॉल के तहत स्वच्छ विकास व्यवस्था (सी डी एम)

इस परियोजना के तहत पर्यावरण और वन मंत्रालय में राष्ट्रीय सीडीएम प्राधिकरण के माध्यम से इस्पात मंत्रालय लौह और इस्पात संयंत्रों में ऊर्जा दक्ष स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को सुकर बना रहा है! बड़ी संख्या में लौह और इस्पात संयंत्रों ने ऊर्जा दक्ष स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के अनुकूल से कार्बन क्रेडिट लेने के लिए मेजबान देशों से अनुमोदनों प्राप्त कर लिया है।

#### 7.1.3 यू एन डी पी – विश्व पर्यावरण सुविधा (जी ई एफ) इस्पात परियोजना

इस परियोजना के तहत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू एन डी पी) और इस्पात मंत्रालय के योगदान से एक योजना विकसित की गई है जो ऊर्जा खपत में कमी करने, उत्पादकता सुधारने और ग्रीन हाउस गैस (जी एच जी) उत्सर्जन और संबंधित प्रदूषण स्तरों में कमी करने जैसे लक्ष्यों के साथ देश में स्टील री-रोलिंग मिलों में ऊर्जा कुशल कम कार्बन टेक्नोलॉजियों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। 34 माडल इकाइयों में पहले ही ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियां क्रियान्वित की जा चुकी हैं, जिनमें 20-50 प्रतिशत तक की ऊर्जा की बचत प्राप्त की गई है। उपर्युक्त परियोजना के परिणामों से प्रोत्साहित होकर, एक नई परियोजना नामतः "भारत में लघु उद्योग इस्पात उद्योग में ऊर्जा कुशल उत्पादन को बढ़ाना" यूएनडीपी, आस्ट्रेलियाई सहायता और इस्पात मंत्रालय से निधियन से शुरू की गई है।

#### 7.1.4 एन ई डी ओ मॉडल परियोजनाएं

इस्पात मंत्रालय जापान से वित्तीय सहायता के साथ विभिन्न इस्पात संयंत्रों में मॉडल परियोजनाओं के रूप में जानी जाने वाली ऊर्जा दक्ष पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं की स्थापना के लिए जोर दे रहा है। परियोजना का क्रियान्वयन जापान के न्यू एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन (एन ई डी ओ) द्वारा किया जा रहा है। अभी टाटा स्टील में दो परियोजनाएं चालू की गई हैं और एक और परियोजना चालू किए जाने की अग्रिम अवस्था में है। आर आई एन एल के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में सिंटर कूलर वेस्ट हीट रिकवरी के लिए एक मॉडल परियोजना पर कार्य जारी है।

#### 7.1.5 अधिक ऊर्जा कुशलता के लिए राष्ट्रीय मिशन (एन एम ई ई ई)

एन एम ई ई ई ने इस्पात सहित औद्योगिक क्षेत्रों की ऊर्जा दक्षता में सुधार के उपायों के वास्ते कदम उठाए हैं। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 1961 के अनुरूप 30000 एम टी ओ ई (मैट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट) या अधिक का उपयोग करने वाली इस्पात उत्पादन इकाइयों को उपभोक्ताओं के रूप में नामित किया जाएगा, जिनके लिए एक मानक मार्क लागू होगा। मानक मार्क से बेहतर स्तर पर प्रचालन करने वाली इस्पात विनिर्माण इकाइयां ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र (ई एस सी) प्राप्त करने की पात्र होगी, जिसे बाजार में व्यापारित किया जा सकता है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बी ई ई) ने व्यापक किस्म के कच्चे माल का प्रयोग करके इस्पात निर्माण के विभिन्न प्रौद्योगिकीय मार्गों में ऊर्जा खपत में मानक मार्क के लिए इस्पात मंत्रालय के साथ निकट से काम किया है, जिसे पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है। एन एम ई ई ई के तहत सरकार ने लौह और इस्पात सहित 08 ऊर्जा सघन क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता सुधार के उद्देश्य से "परफार्म, अचीव एंड ट्रेड (पी ए टी) नामक एक बाजार आधारित

मंत्र की शुरुआत की है। इस्पात क्षेत्र के लिए इकाई-वार लक्ष्य अधिसूचित किए जा चुके हैं। निर्धारित से अधिक लक्ष्य हासिल करने वाली इकाइयों/उद्योग को ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों के रूप में प्रोत्साहन प्राप्त होंगे, जिन्हें व्यापारित किया जा सकता है और लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाने वाली अन्य इकाई/उद्योग द्वारा खरीदा जा सकता है।

## 7.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)



भारत के राष्ट्रपति, श्री प्रणव मुखर्जी सेल के भिलाई इस्पात संयंत्र को ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार देते हुए

निर्धारित उपायों के अनुपालन से सेल इस्पात संयंत्रों द्वारा पर्याप्त उपाय किए गए थे जो निम्नलिखित प्रमुख पर्यावरणीय पैरामीटरों को प्राप्त करने में परिणत हुए :

सूचक	2011-12	2012-13	2013-14
विशिष्ट बहिःस्राव उन्मुक्ति (घन मीटर/टी एफ एस)	2.26	2.22	2.16
विशिष्ट सीओ <sub>2</sub> उत्सर्जन (टी/टी सी एस)	—	2.75	2.69
कणों (पी एम) का उत्सर्जन (किलोग्राम/ टी सी एस)	1.01	0.88	0.86
विशिष्ट जल खपत (घन मीटर/टी सी एस)	3.86	3.73	3.67

### टिप्पणी :

वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए आंकड़े 4 आई एस पी अर्थात बी एस पी, डी एस पी, आर एस पी और बी एस एल का औसत हैं।

**7.2.1 विकृत इको प्रणाली को पुनः** स्थापित करने और पुनर्वास पर एक परियोजना पुरानापानी लाइमस्टोन खान में निष्पन्न की गई है, जहां 172.92 एकड़ खनिज क्षेत्र को 3.23 लाख से अधिक बालवृक्ष लगाकर उत्पादक इको प्रणाली के लिए अब तक सफलतापूर्वक पुनःस्थापित किया गया है। जल से भरी पांच परित्यक्त खदानों में पिसकीकल्चर का प्रयोग किया गया है। वर्ष 2013-14 के दौरान 10 एकड़ के क्षेत्र को कवर करते हुए 23,500 बालवृक्ष लगाए गए हैं जिसमें भारी आहत प्रतिस्थापना बागान शामिल हैं।

### 7.2.2 आई एस ओ 14001 से संबद्ध पर्यावरण प्रबंध प्रणाली (ई एम एस) का कार्यान्वयन

- वर्ष 2013-14 के दौरान निम्नलिखित यूनिटों में ई एम एस – आई एस ओ 14001:2004 ई एम डी क्रियान्वित किया गया है :
  - सी एफ पी, चन्द्रपुर

- गाजियाबाद और अहमदाबाद में सी एम ओ के दो भांडागार (भांडागारों की कुल संख्या 7 और बी टी एस ओ, विजाग में एक बाड़े को आई एस ओ 1400:2004 के लिए प्रमाणित किया गया है)।

### 7.2.3 पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम

- वर्ष के दौरान निम्नलिखित पहलुओं पर विभिन्न पर्यावरणीय जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए :
  - सी एफ पी, चन्दरपुर
  - पर्यावरण प्रबंध प्रणाली (ई एम एफ) जागरूकता
  - ई एम एस आंतरिक आडिटर प्रशिक्षण कार्यक्रम
  - वायु और जल गुणवत्ता मानीटरिंग उपस्करों का प्रचालन

### 7.2.4 सेल संयंत्रों की ऊर्जा खपत निम्नानुसार है :

कच्चे इस्पात (जी सी ए एल/टी सी एस) के प्रतिटन ऊर्जा की खपत :

संयंत्र	2011-12	2012-13	2013-14
बी एस पी	6.85	6.61	6.48
डी एस पी	6.75	6.49	6.37
आर एस पी	6.86	6.73	6.68
बी एस एल	6.78	6.74	6.75
आई एस पी	8.34	7.98	8.03
सेल	6.86	6.66	6.59

## 7.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल)

### 7.3.1 ऊर्जा प्रबंध :

आर आई एन एल – बी एस पी पहला भारतीय इस्पात संयंत्र है जिसे आई एस ओ : 5001 ऊर्जा प्रबंध प्रणाली के लिए प्रमाणित किया गया है।

ऊर्जा खपत (जी सी ए एल/टी सी एस) और सीओ<sub>2</sub> उत्सर्जन (टन/टी सी एस) :

वर्ष	विशेष ऊर्जा खपत (जी सी ए एल/टी सी एस)	सीओ <sub>2</sub> उत्सर्जन (टन/टी सी एस)
2012-13	6.31	2.66
2013-14	6.19	2.66

### 7.3.2 वर्ष 2013-14 के दौरान ऊर्जा की खपत में कटौती के लिए उपाय/पहलें

- सक्रिय उपाय करके बी एफ गैस रिसाव को 2.95 प्रतिशत से 1.96 प्रतिशत तक कम करना और पर्यवेक्षी नियंत्रण और डाटा अधिग्रहण प्रणाली (एस सी ए डी ए) के माध्यम से वितरण को इष्टतम करना।
- एल एम एम एम के एफ/सी-1 में वायु प्रति-प्राप्ति का प्रतिस्थापन
- ज्वलन भट्ठी को ज्वलन वायु के तापन पूर्व के लिए सिन्टर मशीन-3 में अपशिष्ट ताप वसूली प्रणाली को चालू करना और सिन्टर मशीन-3 के विस्तारित हूड को गर्म वायु की आपूर्ति करना।
- सिन्टर मशीन-3 को ऊर्जा दक्ष बर्नरों के साथ ऊर्जा दक्ष भट्ठी को चालू करना।
- सिन्टर मशीन 1 और 2 के सिन्टर सीधी रेखा कूलर पर 20.6 मेगावाट अपशिष्ट ताप वसूली प्रणाली के लिए मार्च, 2014 में एन ई डी ओ (नई ऊर्जा और औद्योगिक प्रौद्योगिकी और विकास संगठन) भारत में अपनी किस्म का पहला सिनक्रोनाइजेशन के लिए तैयार किया गया था।

### 7.3.3 चल रहीं ऊर्जा संरक्षण योजनाएं :

- धमन भट्ठी 1 और 3 में पुलवेराइज्ड कोल इंजेक्शन सुविधाओं की संस्थापना।
- बी एफ 3 के 14 मेगावाट टी आर टी को चालू करना।

## अध्याय—VII

- स्टोवस तापन के लिए ईंधन गैस के तापन पूर्व के लिए बी एफ-3 के स्टोवस में अपशिष्ट ताप वसूली प्रणाली को चालू करना।
- ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए प्रत्यायित ऊर्जा आडिट एजेंसी द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अनुसार अनिवार्य ऊर्जा ऑडिट करना।

ऊर्जा बचत सुविधा	वसूल की गई ऊर्जा	बचाया गया बॉयलर कोयला (टन)	सीओ <sub>2</sub> उत्सर्जन में कटौती (टन)
एल डी गैस वसूली संयंत्र में वसूल की गई एल डी गैस का कुल आयतन	307.559 एम एन सी कम	171003	269614
बैक प्रेशर टरबाइन स्टेशन (बी पी टी एस) में उत्पादित कुल विद्युत	193331 मेगावाट घंटे	154665	243855
गैस विस्तार टरबाइन स्टेशन (जी ई टी एस) में उत्पादित कुल विद्युत	41671 मेगावाट घंटे	33337	52561

(एम एन सी कम – मिलियन सामान्य घन मीटर, एम डब्ल्यू एच – मेगावाट घंटे)

### 7.3.4 स्वच्छ विकास तंत्र

सी डी एम परियोजनाओं की प्रगति नीचे दी गई है :

- पंजीकरण के भाग के रूप में, बी एफ-3 की “टॉप प्रेशर रिकवरी टरबाइन (टी आर टी)” पंजीकरण के लिए यू एन एफ सी सी सी को प्रस्तुत की गई है।
- वैधीकरण के भाग के रूप में,
- क. निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए नामित प्रचालनात्मक हस्ती (डी ओ ई) से मसौदा वैधीकरण रिपोर्ट (डी वी आर) प्राप्त की गई थी।
- कोक ओवन बैटरी-4 के कोक ड्राई कूलिंग संयंत्र में कोक की कूलिंग से विद्युत उत्पादन।
- सिन्टर संयंत्र -2 के सर्कूलर कूलर से अपशिष्ट ताप वसूली।
- 120 मेगावाट बी एफ गैस आधारित विद्युत संयंत्र।
- ख. “सिन्टर संयंत्र-2 की सिन्टर मशीन 3 के सिन्टर सर्कूलर कूलर के अपशिष्ट ताप वसूली प्रणाली” के संबंध में रूपात्मकता (ए सी एम 0012, वर्शन 4) के लिए विपथन सी डी एम कार्यपालक बोर्ड से मांगा गया था।
- ग. निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए नामित प्रचालनात्मक हस्ती (डी ओ ई) को लिया गया था।
- धमन भट्टी 1 और धमन भट्टी 3 में पुलवैराइज्ड कोल इंजेक्शन (पी सी आई)।
- ऊर्जा दक्ष वायु अलग करने की यूनिट 4 और 5 की संस्थापना।
- निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए मेजबान देश का अनुमोदन प्राप्त किया गया :
- धमन भट्टी 2 में पुलवैराइज्ड कोल इंजेक्शन (पी सी आई)।
- वायर राड मिल 2 से अपशिष्ट ताप वसूली (डब्ल्यू एच आर)।

### 7.3.5 पर्यावरण प्रबंध प्रणाली

कंपनी में पर्यावरण प्रबंध के लिए गतिविधियां यह सुनिश्चित करती हैं कि बीएसी में और उसके आसपास के समुदायों को उत्सर्जनों और बहिःस्रावों के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षित किया जाता है। प्राप्त किए गए सभी पर्यावरणीय पैरामीटर मानदंडों की तुलना में बेहतर हैं। आर आई एन एल में अपशिष्ट ताप, अपशिष्ट गैस, दबाव ऊर्जा, ठोस अपशिष्ट और स्लज के उपयोग पर बहुत सी स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाया गया है।

आर आई एन एल स्टेक उत्सर्जनों, बहिःस्राव की गुणवत्ता और ठोस अपशिष्ट की सभी सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन कर रहा है, जैसाकि नीचे दिया गया है :

I. स्टेक उत्सर्जन :

(यूनिट : मिलीग्राम/एन कम)

स्थान	पैरामीटर	ए पी पी सी बी मानदंड	2012-13	2013-14
कोक ओवन बैटरी (बैटरी 1 से 3)	एस पी एम	50	42.6	39.9
हल्की और मध्यम मर्चेट मिल (आर एच एफ और डब्ल्यू बी एफ) वायर राड मिल	एस पी एम	50	40.5	19.2
वायर राड मिल	एसपीएम	50	36.2	26.2
मध्यम मर्चेट 2 और स्टर्ल मिल	एस पी एम	50	40.9	26.8

II. बहिःस्राव की गुणवत्ता :

(यूनिट : मिलीग्राम/लीटर)

पैरामीटर	ए पी पी सी बी और सी पी सी बी मानदंड	2012-13	2013-14
पी एच	6.0-9.0	7.3	7.7
कुल सस्पेंडिड ठोस	100	86.6	95.8
तेल और ग्रीस	10	7.1	7.4
फिनोल	1	0.5	0.5
रासायनिक आक्सीजन मांग	250	232.0	242.9
बायो आक्सीजन मांग	30	26.7	25.3
अमोनिकल N2	50	37.3	27.5

III. ठोस अपशिष्ट :

वर्ष	बी एफ स्लेग प्रतिशत उपयोग	एस एम एस स्लेक प्रतिशत उपयोग	कुल स्लेग प्रतिशत उपयोग
2012-13	108	36.76	92.15
2013-14	114.77	38.24	95.74

7.3.6 स्वच्छ प्रौद्योगिकी संबंधी पहलें

निम्नलिखित स्वच्छ प्रौद्योगिकी परियोजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं :

- 50 मिलीग्राम/एन एम 3 के संशोधित मानदंड के लिए स्टेक उत्सर्जन सीमित करने के लिए 68.8 करोड़ रुपए की लागत से धमन भट्टी का बर्डन हेंडलिंग सिस्टम/कास्ट हाउस एग्जास्ट सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसीपटेटरों का प्रतिस्थापन शुरू किया गया है।
- 144.6 करोड़ रुपए की लागत से सिंटर संयंत्र और धमन भट्टी का सुधार और अपग्रेडेशन।
- हैलोन अग्निशमन प्रणाली के प्रतिस्थापन के लिए 4 परियोजनाएं।

7.3.7 पर्यावरण प्रबंध की मुख्य-मुख्य बातें

- शून्य निर्मुक्ति : शून्य जल निर्मुक्ति के भाग के रूप में "एप्पीकोंडा एंड बालाछरुवु अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट" के माध्यम से लगभग 479 एमजी जल की वसूली की गई थी। तीन (3) और जल संरक्षण परियोजनाएं पूरा होने की अग्रिम अवस्था में हैं।
- वनरोपण : अब तक लगभग 5 मिलियन वृक्ष पहले ही लगाए गए हैं जिसे वर्ष 2015 तक 6 मिलियन तक बढ़ाया जाएगा।
- संसाधन प्रयोग की कटौती, ओडीएस के प्रयोग में कटौती, अपशिष्ट के लाभदायक उपयोग, कार्य-जोन पर्यावरण के सुधार, जोखिम सामग्री के प्रयोग आदि को समाप्त करने के लिए 75 ईएमपी शुरू किए गए थे।



- कन्वर्टर शाप से पलायक रूफ टॉप उत्सर्जनों को नियंत्रित करने के लिए एस एम एस-2 में डागहाउस को चालू किया गया था।

#### 7.4 एन एम डी सी लिमिटेड

7.4.1 एन एम डी सी की बैलाडीला लौह अयस्क खान, किरन्दूल (14 / 11सी और 11बी) और बद्देली काम्प्लेक्स (5,10, और 11ए), दोनीमलाई और कुमारस्वामी की परियोजनाएं और हीरा खनन परियोजना, मझगांव पन्ना आईएसओ 14001:2004 पर्यावरणीय प्रबंध प्रणाली प्रमाणन से प्रत्यायित हैं।

#### 7.4.2 पर्यावरणीय मानीटरिंग और प्रदूषण नियंत्रण उपाय

- एन एम डी सी पर्यावरण और वन मंत्रालय (एम ओ ई एफ) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से सभी परियोजनाओं में परियोजना पश्चात मानीटरिंग अध्ययन कर रहा है। अध्ययन दर्शाते हैं कि पर्यावरणीय पैरामीटर परिवेशी वायु गुणवत्ता, जल गुणवत्ता पैरामीटर और परिवेशी शोर स्तर के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विनिर्धारित मानदंडों के अनुरूप हैं।
- बद्देली और किरन्दूल काम्प्लेक्स में सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरिंग स्टेशन संस्थापनाधीन हैं।

#### वायु प्रदूषण नियंत्रण :

- पलायक धूल उत्सर्जनों को खान कर्षण सड़कों और अन्य फीडर सड़कों पर पानी का छिड़काव करके नियंत्रित किया जा रहा है। क्रशिंग संयंत्र में धूल को दबाने के लिए मिस्ट वाटर स्प्रे नोजलों का प्रयोग किया जाता है।

#### जल प्रदूषण नियंत्रण :

- गीले स्क्रीनिंग प्रचालनों के दौरान उत्पादित कीचड़ और अवशिष्ट बांध में एकत्रित कीचड़ को कीचड़ बांध से डाउनस्ट्रीम नाले में छोड़ने के लिए स्वच्छ पानी को सुनिश्चित किया जाता है।

#### ध्वनि प्रदूषण :

- एच ई एम एम के प्रचालन में लगे कामगारों को कान प्लस / दस्ताने प्रदान किए जाते हैं।
- स्क्रीनिंग संयंत्र और शोर नियंत्रण के लिए सभी अंतरण बिन्दुओं में रबड़ चढ़े स्क्रीनों का प्रयोग किया जाता है।

#### बागान :

- लौह अयस्क खनन परियोजनाओं की परिधि में मृदा और जल संरक्षण कार्य वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित किए जाते हैं।

#### अपशिष्ट ढेर स्थिरीकरण :

लौह अयस्क खानों में अपशिष्ट ढेरों को जिओ कायर पदार्थों के माध्यम से स्थिर किया जा रहा है।

#### 7.4.3 ऊर्जा संरक्षण

ऊर्जा की खपत में कटौती के लिए किए गए / किए जा रहे कुछ उपाय निम्न हैं :

- सभी परियोजनाओं के लिए ऊर्जा ऑडिट किया गया था। ऊर्जा संरक्षण के लिए ऑडिट की सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा रहा है।
- चरणबद्ध ढंग से पारम्परिक प्रकाश पुंजों के स्थान पर एलईडी लेमीनेटरों को संस्थापित किया जा रहा है।
- एचटी और एलटी साइड पर स्टेटिक कपेसिटेटरों के साथ विद्युत कारक को 0.96 से ऊपर बनाए रखा जा रहा है।
- सीएसआर की पहल के तहत सौर स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है।
- सीएसआर की पहल के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सौर लालटेन वितरित की जाती हैं।

#### 7.5 मॉयल लिमिटेड

#### 7.5.1 विशिष्ट ऊर्जा खपत :

क्र.सं.	प्रति टन के डब्ल्यू एच खपत	2011-12	2012-13	2013-14 (नवम्बर, 2013 तक)
1	मैंगनीज अयस्क	18.00	18.75	23.95
2	ई एम डी	2625.00	2889	2888
3	फैरो मैंगनीज	3156.00	3132	2962

- मॉयल ने आबद्ध विद्युत उपयोग के लिए मध्य प्रदेश राज्य में देवास जिले में नागदा हिल्स में 4.8 मेगावाट पवन ऊर्जा फार्म संस्थापित किया और इसे जून, 2006 के महीने में ग्रिड से जोड़ दिया गया था। तब से उत्पादित ऊर्जा का उपयोग मॉयल की बालाघाट खान के साथ-साथ फौरो मैंगनीज संयंत्र के लिए किया जा रहा है। मार्च, 2014 तक इसके प्रारंभ से 72.35 मिलियन केडब्ल्यूएच का उत्पादन किया गया है।
- उपयोगिता की बिक्री के लिए मध्य प्रदेश राज्य में देवास जिले में रेटेडी हिल्स में 15.2 मेगावाट पवन ऊर्जा का एक और फार्म संस्थापित किया गया था और इसे जून, 2008 के महीने में ग्रिड से जोड़ा गया था। पवन फार्म से उत्पादित ऊर्जा को मध्य प्रदेश विद्युत प्रबंध कंपनी जबलपुर को बेचा जा रहा है। मार्च, 2004 तक इसकी संस्थापना से 144.75 मिलियन केडब्ल्यूएच का उत्पादन किया गया है। इसके प्रारंभ से पवन फार्म ने वायुमंडल में लगभग 130,375 टन कार्बन डायऑक्साइड के उत्सर्जन को बचाया है।
- कंपनी ने बालाघाट खान में 4000 सीएफएम की क्षमता वाले पारम्परिक किस्म के स्क्रू वायु दाबकों के स्थान पर 11 केवी वोल्टेज आपूर्ति पर प्रचालन करने वाले 2 उन्नत प्रौद्योगिकी पर आधारित 4000 सीएफएम सेंट्रीफ्यूगल वायु दाबकों को भी संस्थापित किया है। पारम्परिक स्क्रू वायु दाबकों की तुलना में लगभग 7.50 प्रतिशत की ऊर्जा में संरक्षी बचत हुई है और पिछले दो वर्षों के दौरान लगभग 0.305 मिलियन केडब्ल्यूएच को बचाया है और इसने मार्च, 2014 तक वायुमंडल में लगभग 274.80 टन कार्बन डायऑक्साइड (ब्व2) के उत्सर्जन को बचाया है।
- बागान : स्थानीय वन प्रजातियों के साथ भारी बागान किया जाता है। मॉयल ने पिछले दर्ज किए गए 21 वर्षों में सभी खानों में 18.13 लाख से अधिक वृक्ष लगाए हैं और पौधों के बचे रहने की औसत दर 75 प्रतिशत है।

## 7.6 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन द्वारा अपने ग्राहकों के लिए किए गए प्रयास जो ऊर्जा संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और अपशिष्ट प्रबंध के महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करते हैं निम्नानुसार हैं।

### ऊर्जा संरक्षण

मेकॉन वर्तमान में आर आई एन एल, विजाग में 2 स्ट्रेट लाइन सिंटर कूलर के लिए 20.6 मेगावाट सिंटर कूलर अपशिष्ट ताप वसूली प्रणाली के लिए इंजीनियरी परामर्शदाता द्वारा यथा बताए गए एनईडीओ माडल परियोजना को निष्पन्न कर रहा है।

### प्रदूषण नियंत्रण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

पारिस्थितिकी के संरक्षण के क्षेत्र में, वनरोपण और पुनःवनरक्षण प्रयासों को अब यू एन एफ सी सी सी द्वारा सीडीएस परियोजना के रूप में अनुमोदित किया है क्योंकि यह कार्बन डाई ऑक्साइड का अवशोषण करता है और जीएचजी को कम करता है। वन क्षेत्र द्वारा जीएचजी को अलग करने के क्षेत्र में, मेकॉन के एक वैज्ञानिक का यू एन एफ सी सी सी सचिवालय, जर्मनी द्वारा चयन किया गया है और उसको वनरोपण और पुनःवनरक्षण के कार्यकारी समूह में तैनात किया गया है।

मेकॉन की पर्यावरणीय इंजीनियरी प्रयोगशाला, जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत मान्यताप्राप्त है, अपनी सेवाएं विभिन्न इस्पात और निजी तथा सार्वजनिक दोनों में अन्य क्षेत्रों में संयंत्रों के लिए वायु, जल, शोर, मल-जल और मृदा की गुणवत्ता का नमूना बनाने, जांच और विश्लेषण के लिए भी देता है। परिष्कृत उपस्करों को संस्थापित करके पर्यावरणीय इंजीनियरी प्रयोगशाला को आधुनिक बनाने और विस्तार करने की पहल की गई है।

यूएनडीपी/जीईएफ, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार से भारत में इस्पात री-रोलिंग मिलों में प्रत्येक में पांच माडल यूनिट में आईएसओ 9001 और आईएसओ 14001, क्रियान्वित करने के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित कार्य को पूरा किया गया है।

मेकॉन ने कोक ओवन उत्सर्जकों के अपकर्ष के लिए बायोलोजिकल ऑक्सीडेशन और डीफिनोलाइजेशन (बीओडी) संयंत्र के साथ परामर्शदाता के रूप में आईएसपी, बर्नपुर में 11 कोक ओवन बैटरी को पुनः बनाने का कार्य निष्पन्न किया है और आईएसपी के 2.5 मिलियन टन विस्तार के लिए मल-जल लिफ्ट पम्प हाउस के साथ मल-जल उपचार संयंत्रों और बीओडी संयंत्र भी निष्पन्न कर रहा है।

## 7.7 के आई ओ सी एल लिमिटेड

### ऊर्जा संरक्षण

#### (i) कुद्रेमुख में

वर्ष 2012-13 (1.4.2012 से 31.03.2013) के दौरान खपत की गई ऊर्जा : 27,70,836 यूनिट है।

वर्ष 2013-14 (1.4.2013 से 31.03.2014) के दौरान खपत की गई ऊर्जा : 22,87,596 यूनिट है।

ऊर्जा संरक्षण के कारण बचत है : 29,73,016 रुपए। वर्ष 2013-14 के दौरान ऊर्जा की खपत में कटौती लगातार मानीटरिंग और ऊर्जा संरक्षण विधियों को अपनाने के कारण है। कटौती मुख्यतः दिसम्बर, 2013 से 2500 केवीए से 950 केवीए के मांग संविदा को कम करने के कारण है और इससे ऊर्जा के बिल में लागत बचत 4,65,000 रुपए है।

(ii) मंगलौर में पैलेट संयंत्र, पत्तन सुविधाएं और आबद्ध विद्युत संयंत्र

क) कुल खपत की गई ऊर्जा

\* वर्ष 2012-13 के लिए 89.16 जीडब्ल्यूएच

\* वर्ष 2013-14 के लिए 105.05 जीडब्ल्यूएच

ख) पिछले तीन वर्षों और अप्रैल से मार्च, 2014 में खपत की गई ऊर्जा निम्नानुसार है :

वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14
पैलेट के प्रति टन के अनुसार खपत की गई विद्युत	70.62 किलोवाट/टी	66.56 किलोवाट/टी	62.56 किलोवाट/टी
'000 के कैलरी में पैलेट के प्रति टन ताप खपत	231	250	243.5

निर्दिष्ट किए गए ऊर्जा/टी में ग्राइडिंग, फिल्टरेशन और पैलेटाइजेशन के लिए खपत शामिल है। ऊर्जा ऑडिट मैसर्स पीसीआरए (पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ) द्वारा पूरा किया गया है और व्यवहार्य सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

## 7.8 टाटा स्टील लिमिटेड

### 7.8.1 मुख्य-मुख्य बातें :

- विशिष्ट ऊर्जा खपत में कटौती प्राप्त की : वर्ष 2012-13 में 6.083 जीसीएल/टीसीएस के मुकाबले वर्ष 2013-14 के दौरान 6.054 जीएसीएल/टीसीएस।
- कोक संयंत्र (कोक ओवन बैटरी सं. 5, 6 और 7) में अपशिष्ट ताप से 46 टन/घंटे भाप की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान अपशिष्ट ताप से 70 टन/घंटे की दर से कोक ड्राई क्वेंचिंग के माध्यम से अधिक भाप पैदा की गई।
- वर्ष 2012-13 के दौरान तीन टीआरटी (उच्च गैस दबाव वसूली टरबाइन) के माध्यम से 14.8 मेगावाट विद्युत उत्पादन की तुलना में वर्ष 2013-14 में 22.3 मेगावाट की दर से विद्युत उत्पादन किया गया।
- निम्नतम बीएफ गैस फ्लेरिंग अर्थात् वर्ष 2012-13 में 4.6 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान विश्व बैंचमार्क स्तर (उत्पादन का 5 प्रतिशत डब्ल्यूएसए) पर प्रचालन करते हुए 4.2 प्रतिशत का उत्पादन किया गया।
- विद्युत उत्पादन के लिए उपोत्पाद गैसों का कुशल प्रयोग।
- बायलर-ईंधन के रूप में उपोत्पाद का प्रयोग करते हुए टीजी सेट के माध्यम से वर्ष 2012-13 में 198 मेगावाट विद्युत उत्पादन की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान 208 मेगावाट की दर से आज तक सबसे अधिक विद्युत उत्पादन (पावर हाउस सं. 6 सहित) किया गया।
- वर्ष 2012-13 में बायलरों में मिडलिंग खपत के 1,08,492 टन (13.3 किलोग्राम/टीसीएस) की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान यह 45,588 टन (8.8 किलोग्राम/टीसीएस) है।

### 7.8.2 स्टील निर्माण कार्यों में वायु प्रदूषण की स्थिति

#### वायु प्रदूषण नियंत्रण निष्पादन

वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्करों के लिए कड़े विनिर्देशन अपनाए गए : < 30 एमजी/एनएम3 के नए ईएसपी विकसित किए गए हैं और < 10 एमजी/एनएम3 के लिए नए बैग फिल्टर डिजाइन किए गए हैं।

#### जीएचजी उत्सर्जनों की कमी करने के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को कम करना

CO<sub>2</sub> उत्सर्जन की तीव्रता को वर्ष 2012-13 में 2.52 CO<sub>2</sub> /टीसीएस से कम करके वर्ष 2013-14 में बेहतर क्षमता के उपयोग (9.7 एमटीपीए क्षमता तक रेम्प-अप) और ऊर्जा संरक्षण प्रयासों के माध्यम से 2.46 CO<sub>2</sub> /टीसीएस किया गया है अर्थात् इसमें 2 प्रतिशत की कमी हुई है।

#### जल प्रदूषण नियंत्रण निष्पादन

जल प्रबंध अवसंरचना संवर्धनाधीन है जिसका उद्देश्य शून्य बहिःस्राव निर्मुक्ति प्राप्त करना है। अब तक कैच पिट के लिए निर्माण और 3 औद्योगिक बहिःस्राव निर्मुक्ति बिन्दुओं (कुल 5 में से) के लिए पुनःचक्रण अवसंरचना को पूरा किया गया है।

नई अपशिष्ट जल अभिक्रिया सुविधा संस्थापित की गई थी और जैवीय और रासायनिक अभिक्रिया के साथ अपशिष्ट जल में कार्बनिक और साइनाइट की अभिक्रिया के लिए कोक ओवन में नई कोक ओवन बैटरी के लिए चालू किया गया है।

8 निर्माण कार्य भवनों में वर्षा के जल को एकत्रित करने की सुविधाएं संस्थापित की गई हैं। हरित कवर के अनुरक्षण के लिए

जल आपूर्ति हेतु जमशेदपुर (जेएमडी) में भूमि-उद्धार अपशिष्ट क्षेपण स्थल में वर्षा के जल को एकत्रित करने की सुविधा संस्थापित की गई है।

बहिःस्राव निर्मुक्ति जो वर्ष 2012-13 में 17.5 एमजीडी थी वह 2013-14 में कम होकर 12.8 एमजीडी हो गई अर्थात् इसमें 24 प्रतिशत की कमी हुई। बहिःस्राव और प्रदूषणों की विस्तृत निर्मुक्ति नीचे दी गई है :

### जल उपयोग निष्पादन (प्रतिशत में)

जमशेदपुर (जेएमडी) में जल क्षेपण स्थल का उद्धार किया गया है और स्थल पर हरित विकास प्रगति पर है।

### पर्यावरणीय प्रबंध प्रणाली

स्टील निर्माण कार्य आईएसओ 14001 के तहत ईएमएस प्रमाणित हैं और मई, 2013 में आईआरक्यूएस द्वारा स्थल पर निगरानी आडिट किया गया था।

## 7.9 जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड

### 7.9.1 ऊर्जा प्रबंध

- सिन्टर संयंत्र में विद्युत की खपत के डाउनटाइम को न्यूनतम और प्रभावी अनुरक्षण करके 3 प्रतिशत तक कम किया गया है।
- 300 मेगावाट क्षमता का आबद्ध विद्युत संयंत्र सीपीपी रु4 चालू किया गया है।
- धमन भट्टी उच्च वसूली टरबाइन विद्युत उत्पादन को 24 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है।
- एसएमएस में विद्युत दर को 4.37 प्रतिशत तक कम किया गया है।
- भट्टी के बेहतर ताप तंत्र को बनाकर एचएसएम की ताप दर को 3.43 प्रतिशत तक कम किया गया है और भट्टी में तप्त प्रभार की प्रतिशतता को अधिकतम करके निरर्थक चलने वाले घंटों को न्यूनतम करके विद्युत दर को भी 2.4 प्रतिशत तक कम किया गया है।
- गैस वितरण में सुधार और जीएमएसरु2 पूरी संभावना के उपयोग के लिए एचएसएमरु2 और एचएसएमरु1 जीएमएस के बीच रिंग की मुख्य अवधारणा को क्रियान्वित किया।
- 60 टीपीएच धमन भट्टी गैस फायरड बायलर को संस्थापित और चालू किया।
- मोटर के आरपीएम को नियंत्रित करने और बैक दबाव को अवशोषित करने के लिए उच्च दबाव के बूस्टर्स में कुल 4 6.6 केवी वीपीएफडी के ड्राइव संस्थापित किए गए।
- कोरेक्स गैस के उपयोग में 1.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई और धमन भट्टी के गैस फ्लेयर में 20.6 प्रतिशत की कमी हुई।

### 7.9.2 पर्यावरण प्रबंधन

2012-13 के दौरान निम्नलिखित नई परियोजनाएं शुरू की गई थीं :

- डीआरआई संयंत्र में सीओ2 उत्सर्जन में कटौती :
- आबद्ध सुरक्षित भूमि भराई टीएसडीएफ स्थल :

### वर्ष 2012-13 में पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए क्रियान्वित परियोजनाएं

#### वायु प्रदूषण नियंत्रण:

- विभिन्न बिंदु स्रोतों से धूल को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2012-13 में धूल नियंत्रण के लिए संयंत्र में 36 अतिरिक्त बैग फिल्टर संस्थापित किए।

#### “शून्य निर्मुक्ति” प्राप्त करने के लिए जल का पुनःचक्रण

- प्रपाती और उपयुक्त जल अभिक्रिया तकनीकों के उपायों को अपना कर संयंत्र के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित अपशिष्ट जल के 50,000 घन/दिन के निकट वर्तमान में संयंत्र पुनःचक्रण कर रहा है।

#### अपशिष्ट का उपयोग

- बीओएफ स्लैग का उपयोग : जेएसडब्ल्यू स्टील ने अद्वितीय बीओएफ स्लैग कणिकायन संयंत्र स्थापित किया है जो निम्न चूना मात्रा के साथ स्लैग उत्पादित कर रहा है और इसे बीआईएस के साथ जोरदार ढंग से आगे बढ़ाया जा रहा है।
- मिल स्केल ब्रिकेटिंग : 0.2 एमटीपीए मिल स्केल ब्रिकेटिंग, मिलों से उत्पादिन मिल स्केल के प्रयोग, एसएमएसरु1 और रु2 की धुंआ निष्कर्षण धूल, कोल्ड रोलिंग मिल धूल, आटो स्कार्फ, कोरेक्स और धमन भट्टी से कास्ट हाउस धूल

और तप्त स्ट्रिप मिल रु1 और रु2 से धूल के लिए अपशिष्ट से संपदा परियोजना चालू की गई है।

- माइक्रो फाइन का पैलीटाइजेशन : वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्करों – बैग फिल्टर, ईएसपी धूल, चूने और डोलामाइड की धूल, और एसएमएस और धमन भट्टी के गैस क्लीनिंग संयंत्रों से स्लज और ढ6 एमएमबीओएफ स्लेग मसे सिन्टर बनाने में उठने वाली माइक्रो फाइन धूल के प्रभावशाली ढंग से उपयोग के लिए नई रणनीति चालू की गई है।
- स्लाइम वसूली संयंत्र (एसआरपी) : लौह अयस्क के सज्जीकरण के पश्चात स्लाइम तलाब में भंडारित लौह अयस्क टेलिंग को वसूल करने के लिए और उसका पैलेट बनाने में उपयोग करने के लिए एसआरपी चालू किया गया है।

#### पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना

- जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के सभी उत्पादन यूनिट आईएसओ 14001 : 2004 पर्यावरण प्रबंध प्रणाली का अनुपालन करते हैं।
- जेएसडब्ल्यू स्टील विजयनगर वर्क्स में और इसके आसपास हरित पट्टी विकास किया गया है और आज की तारीख तक 1600 एकड़ भूमि पर 15 लाख वृक्ष लगाए गए हैं।
- पर्यावरण नियंत्रण केन्द्र (ईसीसी) नामक मानीटरिंग प्रणाली पर नया डेशबोर्ड विकसित किया गया है और आसपास के क्षेत्रों सहित संयंत्र के सभी क्षेत्रों में पर्यावरणीय स्थितियों के वास्तविक समय के आधार पर केन्द्रीय रूप से मानीटरिंग के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है।
- जनता को पर्यावरणीय गुणवत्ता की सूचना प्रदर्शित करने के लिए 10 एमटी मुख्य मेट पर एलईडी प्रदर्शन प्रणाली संस्थापित की जा रही है।
- पर्यावरणीय गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित की गई है जो कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 'ए' ग्रेड प्रयोगशाला के रूप में पैनल में लिए जाने के प्रोसेस के तहत है। इसमें वायु, जल, अपशिष्ट जल, ठोस और खतरनाक अपशिष्ट का विश्लेषण, माइक्रो जीवी और बैग फिल्टर परीक्षण की सुविधा है।
- कार्बन पादचिन्ह : मैं. पीई सरस्टेनेबिल्टी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से जेएसडब्ल्यू स्टील के कार्बन पादचिन्ह का मूल्यांकन शुरू किया गया है। इसमें प्रत्येक प्रोसेस और प्रत्येक उत्पाद के लिए कार्बन पादचिन्ह शामिल हैं। कार्बन पादचिन्ह विश्लेषण आईएसओ 14064 के अनुसार किया जाता है और लौह और इस्पात उत्पादन के लिए ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल पहल विश्व रिसोर्स इन्स्टीट्यूट द्वारा विकसित की गई है।

### 7.10 एस्सार स्टील लिमिटेड

#### ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन

वर्ष 2013-14 के दौरान वास्तविक विशिष्ट ऊर्जा खपत / टीसीएस और सीओ2 उत्सर्जन निम्नानुसार है :

#### विशिष्ट ऊर्जा खपत / टीसीएस

वर्ष	ऊर्जा खपत जीसीएल / टीसीएस
2013-14	7.69

#### विशिष्ट सीओ2 उत्सर्जन / टीसीएस

वर्ष	सीओ2 उत्सर्जन (टी / टीसीएस)
2013-14	3.075

- एस्सार स्टील सीआरईपी की सिफारिशों का अनुपालन कर रहा है और स्थिति रिपोर्ट सीपीसीबी / पर्यावरण और वन मंत्रालय / जीपीसीबी / इस्पात मंत्रालय को नियमित रूप से भेजी जा रही है। विभिन्न एजेंसियों जैसे सीपीडब्ल्यूडी, एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी, आर एण्ड बी, नगर निगमों आदि द्वारा सड़क बनाने के लिए ईएएफ स्लेग के शत-प्रतिशत उपयोग के संबंध में एमओएस / सीपीसीबी से समर्थन और हस्तक्षेप अपेक्षित है।
- स्वच्छ / हरित प्रौद्योगिकी पहलें, इको-पुनःस्थापन, गैर-पाम्परिक ऊर्जा स्रोतों, शून्य निर्मुक्ति पहलों आदि सहित पर्यावरण प्रबंध प्रणाली जैसे आईएमओ : 140001 आदि को अपनाना।

#### एस्सार स्टील में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का प्रयोग / विकास

- ईंधन के रूप में एनजी / एनजीएल / नापथा पर आधारित संयंत्र प्रौद्योगिकी का चयन।
- तप्त ब्रिकेट लोहे के स्थान पर ईएएस में तप्त डीआरआई चार्जिंग की प्रौद्योगिकी का विकास। इससे विद्युत में कटौती होती है और उत्पादकता में सुधार होता है।
- कोरेक्स प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन



- कम्पेक्ट स्ट्रिप संयंत्र का कार्यान्वयन
- कोरेक्स संयंत्र से उत्पादित कोरेक्स गैस का एचबीआई, प्लेट मिल, सीएसपी मिल और चूना संयंत्र में एनजी के प्रतिस्थापन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।
- एस्सार ने 19 मेगावाट अपशिष्ट ताप वसूली आधारित विद्युत संयंत्र लगाया है जो बीएफ गैस से उत्पादित भाप द्वारा चलाया जाता है।

### 7.11 जेएसडब्ल्यू इस्पात लिमिटेड

जेएसडब्ल्यू इस्पात लिमिटेड, डोल्बी वर्क्स में ऊर्जा का प्रबंध

जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, डोल्बी वर्क्स विश्व में कुछ एक में से है जिसके पास इस्पात बनाने के रूट के चयन की पूर्ण नम्यता है, चाहे यह पारम्परिक धमन भट्टी हो या इलेक्ट्रिक आर्क भट्टी रूट हो। इसकी दोहरी प्रौद्योगिकी डोल्बी वर्क्स को अपनी कच्ची सामग्री पोषण के चयन में स्वतंत्रता देती है, चाहे यह पिग आयरन, स्पंज आयरन, लौह अयस्क, स्क्रैप या विभिन्न पोषणों का कोई मिश्रण हो। इसे अपने ऊर्जा स्रोत के चयन में पूर्ण लचीलापन प्राप्त है, चाहे यह विद्युत कोयला या गैस हो। इसके अलावा इसका प्रौद्योगिकी को अपनाना जैसे उच्च क्षमता की इलेक्ट्रिक आर्क भट्टी, कन्टीन्यूअस कास्टिंग, गैस आधारित डीआरआई, तप्त रोलिंग, उच्च धमन तापमान वाले तप्त धमन स्टोव, स्टील बनाने के प्रोसेस को ऊर्जा कुशल और पर्यावरण रूप से संधारणीय बनाते हैं।

#### वर्ष 2012-13 और 2013-14 में उपलब्धियां

- **53.5 मेगावाट विद्युत संयंत्र** : धमन भट्टी गैस आधारित विद्युत संयंत्र मार्च, 2013 में चालू किया गया है जिससे विशिष्ट ऊर्जा खपत में एचआरसी के 0.32 जीसीएएल/टन की कटौती और ब्य उत्सर्जन में 3.49 लाख टन प्रतिवर्ष की कटौती हुई है।
- **तप्त रोलिंग मिल में** : कायलर-1 और कायलर-2 ड्राइव के लिए चलाने की गति के तर्क को इष्टतम करना जब किसी भार पर न चल रहा हो से 2.16 लाख किलोवाट प्रतिवर्ष की ऊर्जा बचत हुई है।
- **धमन भट्टी में** : धमन भट्टी में लम्प का कम प्रयोग और पैलेट और सिन्टर के प्रयोग ने ईंधन दर को केवल 5 किलोग्राम/टीएचएम तक कम किया है।
- **सिन्टर संयंत्र में** : पम्प मोटरों में 2 वीवीवीएफ ड्राइव की संस्थापना ने 1.73 लाख किलावाट प्रतिवर्ष की बचत की है।
- **डीआरआई संयंत्र** :
  - रिडयूसिंग गैस प्रवाह को इष्टतम करने के लिए रिडयूसिंग गैस तापमान को 970-980 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने से 0.008 जीसीएएल/एमटी की ऊर्जा खपत कम हुई है।
  - प्रयुक्त डीआरआई के 2 किलोवाट घंटे/एमटी द्वारा ईएएफ में गलन विद्युत को कम करने के लिए डीआरआई धातुकरण को 94 प्रतिशत से 94.5 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है।
  - मौजूदा तप्त जल पम्प पीयू-ई 66 से अपेक्षा को पूरा करके जल आपूर्ति पम्प (पीयू-ई 78) सीओ-5 धूल एकत्रण प्रणाली को रोकना (288 किलोवाट घंटे/दिन) द्वारा विद्युत की बचत।

### 7.12 जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड

जेएसपीएल में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाना

- कोयला वाशरी के ठोस अपशिष्ट 2 (मिडलिंग और पॉडफाइन) से 175.6 मेगावाट का विद्युत उत्पादन।
- डीआरआई किल्नस और कोक ओवनों के अपशिष्ट ताप वसूली बायलरों से 178 मेगावाट का विद्युत उत्पादन।
- धमन भट्टी गैस का लगभग 95 प्रतिशत बायलरों और भट्टियों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है।
- शत-प्रतिशत मिल स्केल और मिलों में उत्पादित फ्लू डस्ट तथा धमन भट्टी का उपयोग करने के लिए अनुकूल सिन्टर संयंत्र।
- फलाई एश और एकीकृत इस्पात संयंत्रों से उत्पादित स्लेग का प्रयोग (नेफ्यून माहफाना बनाने) क्षमता 3 लाख फलाई एश आधारित उत्पाद प्रतिदिन) करने के लिए देश का सबसे बड़ा आबद्ध ईट संयंत्र। फलाई एश के माध्यम से शत-प्रतिशत गतिविधियां।
- धमन भट्टी स्लेग और हमारे संयंत्रों से फलाई एश उत्पादन से पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट और पोर्टलैंड स्लेग सीमेंट (पीएससी) के उत्पादन के लिए उपयोग हेतु 2 एमटीपीए सीमेंट संयंत्र की स्थापना।
- कार्बनिक अपशिष्ट से जैव खाद का उत्पादन करने के लिए वर्मी - कम्पोस्ट संयंत्र (क्षमता - 2 × 12 टी प्रतिमाह)। रासायनिक उर्वरकों के प्रतिस्थापन के रूप में प्रयोग।
- बायो-डिग्रेडेबल अपशिष्ट के वैज्ञानिक निपटान और नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए बायो-मेथानेशन संयंत्र (3 टीपीडी)।

## सूचना प्रौद्योगिकी का विकास

### 8.1 प्रस्तावना

इस्पात मंत्रालय और इसके तहत आने वाले सार्वजनिक उपक्रम सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े ढांचे के विकास और संचालन को उन्नत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।

- मंत्रालय का कम्प्यूटर केंद्र विंडोज 2008 सर्वर, पेंटियम आधारित उपभोक्ता व्यवस्था, दस्तावेजों के चित्र लेने के लिए एक स्कैनर और हैवी ड्यूटी लेजर प्रिंटर से युक्त है। इसके अलावा यह केंद्र स्विचों और हब जैसे लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) से भी जुड़ा है जो मंत्रालय के विस्तृत लोकल एरिया नेटवर्क से सूचनाओं को हासिल करने के साथ मंत्रालय में इंटरनेट के साथ इंटरनेट आधारित कार्यों को करने के लिए मुख्य माध्यम का कार्य करता है।
- एन आई सी की केंद्रीय सुविधा के अलावा 250 पेंटियम आधारित उपभोक्ता सर्वर दिन प्रतिदिन के विंडोज सॉफ्टवेयर आधारित कार्यों और मंत्रालय के डेस्क/अनुभागों और अधिकारियों के कार्यों का संचालन करने में सक्षम हैं।
- मंत्रालय में करीब 250 नोड्स का गीगाबाइट बैकबोन सहित एक लैन काम कर रहा है और इसका निम्नांकित के लिए व्यापक उपयोग कर रहा है :
  - ई-मांग, स्टॉक और मालसूची प्रबंध प्रणाली, दौरे पर अधिकारी की सूचना प्रणाली, ई-प्रस्तुत करना और अनुमोदन प्रणाली, ज्ञान प्रबंध प्रणाली और इस्पात एम आई एस मंत्रालय के इंटरनेट पोर्टल पर प्रचालनात्मक हैं।
  - इलेक्ट्रॉनिक डाक और डायरी
  - फाइलों/दस्तावेजों का आदान-प्रदान
  - विभाग/डेस्क से वार्षिक रिपोर्टें, संसदीय प्रश्नों, लंबित मामलों, आवेदनों की स्थिति और उन पर निगरानी (डाक/डायरी प्राप्तियां अतिविशिष्ट/पीएमओ संदर्भों, मंत्रिमंडल नोट और संसदीय आश्वासन) से जुड़ी सूचना/सामग्री हासिल करना।
  - मंत्रालय के डेस्क/अनुभागों से संसदीय प्रश्नों के उत्तरों का संकलन और संग्रह और उन्हें ई-मेल से राज्य सभा और लोक सभा में भेजना।
- मंत्रालय से सभी अधिकारियों/डेस्क/अनुभागों को सेक्टरल सूचना प्राप्त करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी दी गई है।

#### 8.1.1 मंत्रालय में ई-गवर्नेंस और कागज विहीन कार्यालय की अवधारणा को बढ़ावा

- ई-गवर्नेंस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मंत्रालय का एक विस्तृत पोर्टल है जो मंत्रालय के उपभोगकर्ताओं को एक बुलेटिन बोर्ड सेवा के जरिए नोटिस/परिपत्रों/कार्यालयीय आदेश संबंधी सूचनाएं उपलब्ध कराता है और इनका प्रसार करता है।
- पोर्टल दस्तावेजों और अन्य लंबित आवेदन पत्रों की निगरानी की स्थिति की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक डाक/डायरी के जरिए देता है।
- इसके माध्यम से छुट्टी और अग्रिम की स्वीकृति, चिकित्सा खर्च प्रतिपूर्ति के आवेदनों को डाउनलोड किया जा सकता है और मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट फार्म पहचान पत्र, स्टाफ कार बुकिंग, आयकर, मंत्रालय के अधिकारियों/डेस्क/अनुभागों की टेलीफोन निर्देशिका, संगठन चार्ट आदि की जानकारी भी मंत्रालय के पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
- पोर्टल पर कर्मचारियों के वेतन की जानकारी, जीपीएफ एवं आयकर विवरण, कार्यालय ज्ञापनों, कार्यालयीय आदेशों और कार्यालयीय परिपत्रों का विवरण कॉर्नर खंड में उपलब्ध है।
- निर्णय लेने में विलंब और मामले लंबित रहने को कम करने के लिए इंटरनेट पोर्टल कम्प्यूटर आधारित प्रणालियों के तहत निगरानी और निरीक्षण के लिए महत्वपूर्ण संदर्भों, मंत्रिमंडलीय टिप्पणियों और संसदीय आश्वासनों आदि के क्षेत्र में भी इंटरनेट पोर्टल कम्प्यूटर आधारित प्रणाली की पहुंच उपलब्ध कराता है।
- डी ए आर पी जी की ई-कार्यालय मिशन मोड परियोजना (एम एम पी) का कार्यान्वयन प्रगति पर है।

- ई-गवर्नेंस योजना के हिस्से के रूप में मंत्रालय में निम्नलिखित वेब आधारित व्यवस्था संचालित हो रही है :
  - सूचना का अधिकार कानून 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों और अपीलों पर प्रबंध सूचना प्रणाली (आरटीआई – एमआईएस) सुविधा के माध्यम से निगरानी रखी जाती है। यह व्यवस्था मंत्रालय और इसके सार्वजनिक उपक्रमों में पूरी तरह से लागू है।
  - मंत्रालय और उसके सार्वजनिक उपक्रमों में जनता और पेंशनधारियों की शिकायतों के निवारण के लिए केंद्रीयकृत जन-शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सी पी जी आर ए एम एस) भी कार्यान्वित की गई है।

8.1.2 मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट : इस्पात मंत्रालय (जिजचरुद्धेजममसण्हवअण्णदद्ध के लिए द्विभाषी वेबसाइट प्रचालनात्मक है और इसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

## 8.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

सेल ने उत्पादन, लाभ, गुणवत्ता में सुधार, प्रचालनात्मक लागतों में कटौती और ग्राहक संतुष्टि में सुधार के लिए अपने सभी संयंत्रों और एककों में अनुप्रयोग और साधनों को समर्थ बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) को ग्रहण किया है।

### 8.2.1 उद्यम संसाधन योजना बनाना (ई आर पी)

सेल अपने लगातार और संकेन्द्रित आईटी प्रयासों से 5 एकीकृत इस्पात संयंत्रों में से 4 अर्थात् भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र के साथ-साथ अपनी विपणन स्थापना अर्थात् केंद्रीय विपणन संगठन के व्यवसाय प्रचालनों को वर्ष 2009-2012 के दौरान ईआरपी के क्षेत्र में व्यवसाय प्रचालनों को लाने में समर्थ रहा है। आई आई एस सी ओ इस्पात संयंत्र और कारपोरेट कार्यालय में ईआरपी के कार्यान्वयन के लिए पहल की गई है जो सेल को निर्णय लेने के साधनों जैसेकि विभिन्न इकाइयों के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के लिए प्रबंध डेशबोर्ड और रणनीतिक उद्यम प्रबंध (एस ई एम) के लिए उच्च प्रबंधन को शक्ति देगा।

### 8.2.2 आईटी प्रणालियों के माध्यम से पारदर्शिता

- अधिक पारदर्शिता लाने के लिए संयंत्रों/इकाइयों द्वारा 50 लाख रुपए से ऊपर के खरीद आदेश ब्यौरों और आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं द्वारा बिलों के भुगतान की स्थिति को ऑनलाइन देखना उपलब्ध कराया गया है।
- एस बी आई प्रवेश द्वार के माध्यम से भुगतानों की ऑनलाइन रसीद के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसने सेल को तेजी से नकद प्राप्ति और हस्तचालित त्रुटियों को समाप्त करने का लाभ दिया है। शुरू में सेल के पूर्व-कर्मचारियों को चिकित्सा बीमा प्रीमियम का भुगतान किया गया, जिसने लगभग 50,000 पूर्व-कर्मचारियों और उनके पति या पत्नी को लाभ दिया।
- मूल्यांकन वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए कार्यपालक निष्पादन प्रबंध प्रणाली में पारदर्शिता लागू की गई। अपीलीय समिति द्वारा ऑनलाइन अपील समाधान और ई7 तक के सभी कार्यपालकों द्वारा ऑनलाइन अभ्यावेदन के लिए सुविधा भी प्रदान की गई थी।
- सेल के वरिष्ठ स्तर के कार्यपालकों के प्रशिक्षण निर्धारण के लिए निर्धारण और विकास केंद्र (ए डी सी) बनाया गया था जिसमें भारी मात्रा में डाटा का एकत्रण, विश्लेषण और रिपोर्टिंग शामिल है और यह उनको संबद्ध सूचना प्रदान करता है।

## 8.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल)

आर आई एन एल ग्राहक संतुष्टि, संगठनात्मक दक्षता, उत्पादकता, निर्णय करने, पारदर्शिता और लागत प्रभाविता में सुधार में सूचना प्रौद्योगिकी को एक महत्वपूर्ण अंग के तौर पर शामिल किया है। वर्ष 2013-14 के दौरान आर आई एन एल के संबंध में आईटी से जुड़ी प्रमुख पहलों और उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

### 8.3.1 मानक

अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर विकास मानकों के अनुरूप आर आई एन एल ने सी एम एम आई स्तर 3 प्रमाणन का चयन किया, जो भारतीय विनिर्माण उद्योग में अपनी किस्म का पहला है। प्रमाण पत्र सी एम एम आई संस्थान, कारनेगी मैलन विश्वविद्यालय, अमरीका द्वारा जारी किया गया है और नवम्बर, 2013 के महीने में पुनः प्रमाणित किया गया है।

### 8.3.2 उद्यम अनुप्रयोग

आई एस ओ दस्तावेजों के ऑनलाइन अनुमोदन के लिए उद्यम दस्तावेज प्रबंध प्रणाली को लगाया गया था। डीओपी ऑनलाइन, जो शक्तियों के प्रत्यायोजन उद्यम अनुरक्षण की ऑनलाइन खोज के लिए अपनी किस्म का पहला है, यह एक डेशबोर्ड के साथ अद्वितीय पोर्टल है, जो उपस्कर का 360 डिग्री दृश्य देता है, मंच आदि लगाए गए थे। उद्यम संसाधन योजना बनाना (ईआरपी) नलतंत्र में है।

### 8.3.3 प्रोसेस नियंत्रण प्रणालियां

ईएनविजन (ऑनलाइन पर्यावरणीय स्थिति और सूचना) का उदघाटन किया गया था जो ऑनलाइन स्टेक मॉनीटरों और परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली से वास्तविक समय में निस्सारण मूल्य देता है और प्रदर्शित करता है और निगरानी तथा रिपोर्टिंग की पर्यावरणीय गतिविधियों को एकीकृत करता है। विनिर्माण निष्पादन प्रणाली (एमईएस) का कार्यान्वयन जारी है।



श्री पी मधुसूदन, सीएमडी, आर आई एन एल- वीएसपी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपने प्रिय संगठन से जुड़े रहने के लिए उनके प्रयोग के लिए "सेवानिवृत्त कर्मचारी सूचना प्रणाली" का उदघाटन किया

### 8.3.4 वेब अनुप्रयोग

वर्ष के दौरान बहुत से पोर्टल/वेब अनुप्रयोग हुए जिनमें निम्न शामिल हैं :

- आर एंड डी पोर्टल जिसे आर आई एन एल के अंदर पहलों, सुविधाओं, अनुसंधान आउटपुट ब्योरों और आर एंड डी की अन्य सभी गतिविधियों के संबंध में सूचना साधन के रूप में कार्य करने के लिए शुरू किया गया था।
- विजिल, सतर्कता विभाग के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किया गया था। प्रणाली का उद्देश्य सतर्कता शिकायतों को बेहतर संचालन, पुरालेखी, पुनःप्राप्ति और रिपोर्टिंग के लिए क्रमबद्ध और पारदर्शी ढंग से मानीटर करना है।
- लागत निगरानी समूह विभाग के लिए पोर्टल भी वर्ष के दौरान शुरू किया गया।
- माधर्म और जागयापेटा में खानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए "खानों के लिए स्वास्थ्य" कम्प्यूटरीकृत ऑनलाइन चिकित्सा और स्वास्थ्य की देखभाल प्रबंध प्रणाली।
- अरुणोदय विशेष स्कूल की वेब साइट का उदघाटन किया गया।
- आर आई एन एल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रयोग के लिए "सेवानिवृत्त कर्मचारी सूचना प्रणाली" भी शुरू की गई थी। यह आईटी समर्थित सेवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपने प्रिय संगठन से जुड़े रखने के लिए अगला कदम है। "भुगतान प्रवेश द्वार" का प्रयोग करके सेवानिवृत्त और अलग हुए कर्मचारियों के लिए "ऑनलाइन भुगतान प्रणाली" भी लगाई गई थी। यह सुविधा "मेडीक्लेम बीमा" नामांकन राशि ऑनलाइन भुगतान को सुसाध्य बनाएगी।

#### 8.4 एन एम डी सी लिमिटेड

- वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यू ए एन) को उत्पादन इकाइयों से प्रधान कार्यालय के बीच बिंदु से बिंदु लीज्ड लाइन संपर्क से प्रबंधित स्तर प्रोटोकॉल स्विचिंग (एम पी एल एस) में बदला गया है।
- डाटा केंद्र उपकरणों के लिए प्रवेश द्वार पर निम्नलिखित विशेषताओं के साथ उच्च उपलब्धता में 12400 यूनीफाइड थ्रेट मनेजमेंट (यूटीएम) फायरवाल जांच बिंदु स्थापित किए गए हैं :
  - फायरवाल
  - अनुप्रयोग नियंत्रण
  - अनुदेश निवारण और पता लगाना
  - यू आर एल फिल्टरिंग
  - एंटी-वायरस
  - एंटी-स्पेम
  - पहचान संबंधी जागरूकता

#### 8.5 मॉयल लिमिटेड

अपने कार्य क्षेत्रों में प्रभावी कम्प्यूटरीकरण को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ने एक पूर्णकालिक प्रणाली प्रकोष्ठ की स्थापना की है। पर्याप्त आईटी ढांचा सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली विभाग ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

- 450 कम्प्यूटर लगाए गए। इनमें से 250 मुख्यालय में और 200 को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की खानों में वितरित किया गया है।
- कंपनी के विभिन्न विभागों, मसलन बिक्री और विपणन, खरीद और भंडारण, कर्मचारियों को भुगतान और मानव संसाधन, उत्पादन और गुणवत्ता, लागत और वित्त विभाग की जरूरतों के हिसाब से कम्प्यूटर आधारित कार्यक्रमों का डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन।
- नागपुर स्थित मुख्यालय में विंडोज 2003 आर-2 प्लेटफार्म पर लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) की स्थापना की गई है। कंपनी की सभी 9 खानों में भी लैन का डिजाइन व विकास पूर्ण कर लिया गया है।
- एन आई सी सर्वर पर एक कारगर वेबसाइट का डिजाइन, विकास और संचालन।
- इन-हाउस मॉयलनेट सर्वर पर एक कारगर इंटरनेट वेबसाइट का डिजाइन, विकास और संचालन। सुरक्षा उपाय के तौर पर सिस्टम में सी आई एस सी ओ फायरवाल लगाया गया है।
- दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित खानों और मुख्यालय के बीच डाटाबेसों/सूचनाओं और दूसरे संसाधन की नियमित रूप से प्रभावी साझेदारी के लिए उन्हें वीजीएन के माध्यम से लीज्ड लाइन, ब्राडबैंड और वी एस ए टी पर जोड़ा गया है।
- लगातार जानकारी हासिल करने, ई-मेल और आंकड़े भेजने के लिए मुख्यालय के सभी संबंधित अधिकारियों को 4 एम बी पी एस (1:2) इंटरनेट लाइन के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। सभी खानों को लीज्ड लाइन/ब्राडबैंड इंटरनेट कनेक्शन प्रदान किया गया है।
- प्रापण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए 10 लाख रुपए और अधिक मूल्य के माल की सभी खरीद एम एस टी सी के ई-प्रापण पोर्टल के माध्यम से की जाती है।

#### 8.6 एम एस टी सी लिमिटेड

एम एस टी सी में जहां तक आईटी अवसंरचना का संबंध है निम्नानुसार हैं :

- सी एम एम आई लेवल 3 मूल्यांकन।
- ई-प्रापण सेवाओं में एस टी क्यू सी प्रमाणन।
- क्षेत्रों और शाखाओं को वी पी एन के माध्यम से जोड़ा गया है।
- ई-कामर्स के लिए आईएसओ 27001:2005 का रखरखाव।
- आईएसओ 9001:2008 प्रमाणन का रखरखाव।
- ई-कामर्स सोल्यूशन के लिए अपने नाम से पेटेंट लेना।



### 8.7 फ़ैरो स्क़्रैप निगम लिमिटेड (एफ़ एस एन एल)

- निगमित कार्यालय के विभिन्न विभागों और इकाइयों को कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं। वेतन, वित्तीय लेखा, सामग्री प्रबंधन से जुड़े क्षेत्रों का कम्प्यूटरीकरण किया गया है।
- एप्लीकेशन पैकजों से एम आई एस का सृजन किया जा रहा है।
- इकाइयां इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी हुई हैं।
- कंपनी के पीएफ, आयकर, निविदाओं जैसी सांविधिक जरूरतों को ई-माध्यम से पूरा किया जा रहा है।
- निविदाएं कंपनी की वेबसाइट fsnl.nic.in पर प्रदर्शित की जाती हैं।
- माड्यूल, एच आर और पेरौल, एफ एंड ए, भविष्य निधि, माल सूची प्रबंध सहित एम एम, प्रचालन और अनुरक्षण, स्थायी आस्तियां, परियोजना माड्यूल और विधि माड्यूल, लागत माड्यूल के लिए एसएपी बी-1 एड ऑन (100 लाइसेंस) कार्यान्वयन के अंतिम चरण में है और विभिन्न विभागों से संबंधित डाटा एसएपी में वर्ष 2013-14 के लिए खाते तैयार करने के लिए इकाइयों और कारपोरेट कार्यालय के एफ एस एन एल कर्मचारियों द्वारा एसएपी में प्रविष्ट किया जा रहा है और मौजूदा प्रणाली एफ एस एन एल में प्रयोग की जा रही है।
- निगमित कंपनी के कार्यालय में आईपीवी-6 अनुपालित सर्वर संस्थापित किया गया है और एसएपी बी-1 संस्थापित किया गया है और इसे इकाइयां इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से पहुंच प्राप्त कर रही हैं।
- निगमित कंपनी कार्यालय में फायरवाल फोर्टिगेट 80ग संस्थापित किया गया है।
- निगमित कंपनी कार्यालय में आईपीवी अनुपालित सीएटी-6 लोकल एरिया नेटवर्किंग संस्थापित किया गया है।

### 8.8 हिन्दुस्तान स्टीवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एच एस सी एल)

कंपनी की वेबसाइट [www.hscl.co.in](http://www.hscl.co.in) है, जिसके माध्यम से कंपनी पारदर्शी तरीके से अपना व्यापार चलाने के साथ ही सूचना के अधिकार अधिनियम के सभी सांविधिक निर्देशों का पालन करती है।

एच एस सी एल ने ऑनलाइन एम आई एस के कार्यान्वयन का कार्यक्रम पहले से ही हाथ में लिया है। 2013-14 के अंत तक कंपनी ने अपनी व्यावसायिक गतिविधियों पर अधिक प्रभावी नियंत्रण के लिए निम्नलिखित ऑनलाइन पैकेजों को स्थापित कर दिया है :

- अनुबंध प्राप्ति प्रबंधन प्रणाली (सी आर एम एस)
- लाभदायकता प्रतिवेदन प्रबंधन प्रणाली (पी आर एम एस)
- बिलिंग प्रबंधन प्रणाली (बी एम एस)
- सामग्री प्रबंधन प्रणाली (एम एम एस)

### 8.9 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन के रांची, बंगलौर और दिल्ली स्थित कार्यालय अत्याधुनिक हार्डवेयर, नेटवर्क और विभिन्न इंजीनियरी सॉफ्टवेयर जैसे रेबरा कैंड, टेकला, एरमोडव्यू, स्टेड प्रो, आटोबैड, ईटेप, केसर, पीवीलाइट, आटोप्लांट, पीडीएस आदि से सज्जित हैं जो विभिन्न परियोजनाओं के गुणवत्ता वाले डिजाइन और समय पर पूरा करने में सुविधा देते हैं।

मेकॉन विभिन्न जारी परियोजनाओं की योजना बनाने एवं निगरानी के लिए प्राइमावेरा, एमएस प्रोजेक्ट्स और कंपनी में विकसित परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर जैसे विभिन्न परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है।

मानव संसाधन, निगमित वित्त, परियोजना वित्त, एम आई एस, नॉलेज मैनेजमेंट, ई-अर्काइव जैसे स्वयं विकसित वेब आधारित माड्यूल का इस्तेमाल रोजमर्रा की गतिविधियों में किया जा रहा है।

### 8.10 के आई ओ सी एल लिमिटेड

के आई ओ सी एल में सूचना टेक्नोलॉजी का 1976 से प्रयोग किया जा रहा है। इसके सभी कारखानों और कार्यालयों में कम्प्यूटरों का उपयोग होता है। कम्प्यूटरीकरण के मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं :

- मालसूची और सामग्री प्रबंधन
- संयंत्र प्रक्रिया स्वाचालन : के आई ओ सी एल के सभी संयंत्र पूर्ण रूप से स्वचालित हैं और इन्हें केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से नियंत्रित किया जा सकता है। के आई ओ सी एल प्रक्रिया स्वाचालन के लिए वितरित नियंत्रित प्रणालियों में निवेश के लिए पहला संयंत्र था। इसने मानवशक्ति की आवश्यकता को कम कर दिया है और उत्पादकता को बढ़ाया है।

- नेटवर्किंग : के आई ओ सी एल ने फाइबर ऑप्टिक आधारित बेकबोन के साथ डाटा नेटवर्क आधारित यूटीपी संरचित सभी आईपी दोहरे स्टैक (आई पी वी 4 ग आई पी वी 6) लगाए हैं ताकि नई सक्षमताओं की संपदा के लिए शक्तिशाली लचीला आधार मिल सके जिसमें : एकल अभिसारित अवसंरचना है जो वायरस, डाटा और वीडियो को समर्थन दे सकता है, शामिल है। के आई ओ सी एल के पास बंगलौर और मंगलौर में 8 एम बी पी एस लीज्ड लाइन की संबद्धता है और कुद्रेमुख के लिए 2ग1 एम बी पी एस आई एस डी एन आधारित इंटरनेट लिंक है। प्रणाली में हस्तक्षेप का पता लगाने और स्पेम नियंत्रण उपायों को शामिल किया गया है।
- पहुंच नियंत्रण और पहचान प्रबंध : यह संकेन्द्रण और बढ़ती हुई प्रौद्योगिकी में निवेश का क्षेत्र रहा है। सुरक्षित और अधिकृत पहुंच के लिए बायोमीट्रिक और स्मार्ट कार्ड आधारित प्रौद्योगिकियां लगाई जा रही हैं। उन्नत सीसीटीवी कैमरे संस्थापित किए गए हैं और मानीटरिंग और डिजिटल वीडियो रिकार्डर के लिए नेटवर्क किया गया है जो संयंत्र परिसर के आसपास महत्वपूर्ण संस्थापनाओं के संरक्षण के लिए रिकार्ड करने की सुविधाएं प्रदान करते हैं।
- ई-कॉमर्स और ई-शासन : ई-निविदा, ई-प्रापण और आर जी टी एस ने काफी अधिक सीमा तक पेपर कार्य को कम किया है। उपयोगकर्ताओं के वैधीकरण के लिए श्रेणी ष्ट आर एस ए / एसए एजेंसी से डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग करके ई-निविदा और लेखापरीक्षा परीक्षणों के लिए 128 बिट डाटा एनक्रिप्शन और सुरक्षा के लिए आवधिक लेखा परीक्षा प्रमाणन और एस क्यू टी सी द्वारा डाटा की विश्वसनीयता पैलेट की बिक्री के लिए संचालित की जा रही है। इसने मूल्य का पता लगाने के प्रक्रिया समय को दो सप्ताहों से कम करके लगभग 4 दिन कर दिया है और पारदर्शिता को बढ़ाया है। प्रारंभिक स्तर से ऊपर फालतू पुर्जों के सभी प्रापण ई-निविदा आधार के माध्यम से प्राप्त किए जा रहे हैं। प्रारंभिक स्तरों की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

### 8.11 बर्ड ग्रुप ऑफ कम्पनीज (बी सी जी)

बी जी सी ने सभी निविदाओं/ईओआई को कारपोरेट वेबसाइट और केंद्रीय लोक प्रापण पोर्टल (सीपीपी पोर्टल) में प्रकाशित करने की पहल की है। लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क की बिक्री के लिए प्रक्रिया केवल ई-नीलामी विधि के माध्यम से डिजाइन की जा रही है। टैली आधारित लेखाकरण पैकेज का आर जी टी एस और ई-भुगतान विधि के माध्यम से विक्रेता बिलों और विभिन्न कर्मचारी परिलब्धियों के भुगतान के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ओ एम डी सी खानों में जी पी एस/जी पी आर एस समर्थित निगरानी प्रणाली सहित खान को एक बार प्रचालित करने पर अवैध खनन के किसी अवसर को रोकने के लिए ट्रकों, मशीनरी और मनुष्यों की गतिविधि की जांच करने के लिए उपग्रह चित्र वाली नवीनतम प्रौद्योगिकी की संस्थापना प्रक्रिया में है।

## सुरक्षा

### 9.1 प्रस्तावना

किसी भी उद्योग के संचालन में सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह न सिर्फ इसके कर्मचारियों और कमागारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यावरण और राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। लौह एवं इस्पात उत्पादन जटिल और जोखिम वाली गतिविधि है इसलिए कर्मचारियों को जख्मी होने से रोकने और हादसे नहीं होने देने के लिए स्वस्थ कार्य वातावरण और सभी तरह के खतरों और जोखिम के प्रति पर्याप्त सावधानी की जरूरत है।

### 9.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

सेल में सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रियाओं के प्रमुख पहलुओं में निम्नलिखित शामिल हैं :

#### 9.2.1 प्रबंधन प्रतिबद्धता

इस्पात कारखाना में दुर्घटना मुक्त कामकाज सुनिश्चित करना सेल प्रबंधन की एक प्रमुख प्राथमिकता है। यह “शून्य दुर्घटना” का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कृत संकल्प है।

सेल में सुरक्षा प्रबंधन की शीर्ष स्तर पर निगरानी की जाती है अर्थात् सुरक्षा, जागरूकता जगाने एवं सुरक्षा के प्रति मानवीय व्यवहार सुधारने के लिए अध्यक्ष एवं निदेशक स्तर के साथ-साथ संबंधित कारखानों/इकाइयों के प्रमुख कार्यपालकों द्वारा बल दिया जाता है। सुरक्षा सभी समुचित मंचों पर प्रथम मद के रूप में परिचर्चा का विषय होता है और सुरक्षा मानकों में निरंतर सुधार लाने के लिए सभी जरूरी उपाय अपनाने हेतु दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं।

सेल की अत्याधुनिक सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली ओ एच एस ए एस-18001 कार्यान्वित करने के साथ-साथ एक व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नीति भी है।

#### 9.2.2 सेल में सुरक्षा व्यवस्था

सेल के प्रत्येक कारखाने/इकाई में पूर्णतः सुसज्जित सुरक्षा इंजीनियरी विभाग कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्येक कारखाना प्रमुख के अधीन सुरक्षा प्रबंधन के कार्य की देखभाल करते हैं। इसके अतिरिक्त सेल सुरक्षा संगठन (एसएसओ), रांची के नाम से एक निगमित सुरक्षा यूनिट भी कार्य कर रही है जो विभिन्न कारखानों/इकाइयों में परिचालन/अग्नि सुरक्षा गतिविधियों की निगरानी करती है तथा कंपनी में सुरक्षा प्रबंधन पर निगमित स्तर पर पर्याप्त ध्यान देती है।

#### 9.2.3 प्रणाली एवं प्रक्रिया

- ओ एच एस ए एस –18001:2007 और एसए 8000:2008 जैसी प्रबंधन प्रणालियों के साथ अनुरूपता।
- सुरक्षा पहलुओं को स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रैक्टिसेस (एसओपी), स्टैंडर्ड मेन्टनेंस प्रैक्टिसेस (एसएमपी) और सेफ वर्क इंस्ट्रक्शन्स (एस डब्ल्यू आई) के तौर पर शामिल किया जाता रहा है और अनुपालन की जाती है।
- एस एस ओ में “निर्यात जोखिम नियंत्रण” पर मोड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना लागू किया और बल वाले क्षेत्रों की पहचान करने के पश्चात संयंत्रों/इकाइयों को इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने की सुविधा दे रहा है।
- कार्यों के सुरक्षित निष्पादन के लिए वर्क परमिट प्रणाली लागू की गई है।
- कैपिटल/प्रमुख रिपेयर कार्यों के लिए प्रोटोकॉल्स तैयार किए गए हैं और अनुपालन की जा रही है।
- प्रतिरोधी जांच/औचक जांच के दौरान असुरक्षित कार्यों एवं परिस्थितियों की पहचान की जाती है और आवश्यक उपाय किए जाते हैं तथा इनका पालन किया जाता है।
- “ऊंचाई पर कार्य करने वालों” और “गतिशील उपस्करों” को चलाने वाले कर्मियों, क्रेन ऑपरेटरों और मोबाइल इक्विपमेंट ऑपरेटर की विशेष चिकित्सा जांच अनिवार्य।
- एस एस ओ द्वारा समन्वय और मानीटरिंग के लिए व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य में अंतर संयंत्र नेटवर्किंग स्थापित की गई है जिसके लिए एन ओ एच एस सी, बी एस पी केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य कर रहे हैं।

#### 9.2.4 सुरक्षा ऑडिट/निगरानी

- संयंत्रों और इकाइयों में सुरक्षा लेखापरीक्षा निम्न ढंग से की जा रही है :
  - संबंधित कारखानों के सुरक्षा इंजीनियरी विभाग द्वारा आंतरिक सुरक्षा ऑडिट।
  - सहयोगी कारखानों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के सहयोग से सेल सुरक्षा संगठन द्वारा सुरक्षा ऑडिट।

- क्षेत्रीय वैधानिक प्राधिकारियों, ओ एच एस ए एस ऑडिटर्स आदि द्वारा अनुशंसित बाहरी एजेंसियों जैसे कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा सुरक्षा ऑडिट।
- परियोजना और निर्माण तथा निर्माण गतिविधियों के दौरान घातक दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न संयंत्रों के परियोजना स्थलों पर एसएसओ द्वारा सुरक्षा ऑडिट किए जा रहे हैं!
- ओ एच एस ए एस –18001, एसए 8000 आदि से संबद्धता कायम रखने के लिए प्रबंधन समीक्षा!
- विनिर्दिष्ट अंतराल पर संयंत्रों/यूनिटों के “सुरक्षा प्रमुखों” और “फायर सर्विस प्रमुखों” के साथ बैठकें आयोजित की जाती हैं।
- प्रत्येक संयंत्र/इकाई और एसएसओ के लिए सुरक्षा और अग्निशमन सेवाओं के लिए एपीपी बनाए जाते हैं।
- कार्यों के सुरक्षित पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रमुख बड़ी मरम्मत/शटडाउन कार्यों के लिए चौबीसों घंटे सुरक्षा निगरानी की जाती है।
- घातक दुर्घटनाओं के मौके पर अध्ययन किए जाते हैं और जांच समितियों की सिफारिशों के अनुपालन को विभिन्न स्तरों पर मानीटर किया जाता है।

### 9.2.5 ठेकेदार के कर्मचारियों की सुरक्षा

ठेकेदार के कार्यक्षेत्र में सुरक्षा मानकों को प्रोत्साहन देने को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। सेल सुरक्षा संगठन द्वारा जोखिम भरी स्थिति से पार पाने तथा नियंत्रण के लिए “परियोजना सुरक्षा मार्गदर्शी सिद्धांत” जारी किए गए हैं। दुर्घटना रहित कार्यक्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न सामाजिक-सुरक्षा क्षेत्रों से आए व्यक्तियों को प्रशिक्षित और शिक्षित करने के लिए समेकित प्रयास किए जाते हैं। इस क्षेत्र के लिए लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों में ठेकों में सुरक्षा तथा कार्य करने वाले प्राधिकारियों आदि के संबंध में सुरक्षा और दंड के प्रावधान किए गए हैं।

### 9.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल)

आर आई एन एल स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंध प्रथाओं के लिए मानक ओ एच एस ए एस :18001 के लिए प्रमाणित की जाने वाली भारतीय इस्पात संयंत्रों में पहली कंपनी है। सुरक्षा मानकों, जोखिम नियंत्रण की मॉनीटरिंग और अन्य सक्रिय उपायों के कार्यान्वयन में लगातार प्रयासों से संभावित जोखिम कम/समाप्त हुए हैं।

शून्य दुर्घटना का उद्देश्य प्राप्त करने तथा कंपनी में सुरक्षा आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं इस दिशा में किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों में शामिल हैं :

**9.3.1 ओएचएसएमएस का कार्यान्वयन :** आर आई एन एल की सुरक्षा प्रबंध प्रणाली को मैसर्स बीवीसीएल द्वारा ओएचएसएमएस –18001:2007 के अनुसार पुनःप्रमाणित किया जाता है।

**9.3.2 सुरक्षा ऑडिट और निरीक्षण :** सभी प्रमुख विभागों में आवधिक रूप से आंतरिक और बाह्य सुरक्षा ऑडिट आयोजित किया जाता है। जोनल सुरक्षा अधिकारियों द्वारा संयंत्र में नियमित निरीक्षण भी किए गए हैं। संयंत्र के विभिन्न विभागों में सुरक्षा की प्रणाली के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए बाह्य प्रमाणित करने वाले निकाय द्वारा छह महीने में एक बार सुरक्षा ऑडिट भी किया जाता है।

**9.3.3 सुरक्षा समितियां :** व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए संयंत्र में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा समस्याओं को ठीक करने के लिए चर्चा करने और कार्रवाई करने के लिए मान्यता प्राप्त व्यापार संघ के प्रतिनिधियों और प्रबंध के प्रतिनिधियों से बराबर की सहभागिता के साथ एक केंद्रीय सुरक्षा समिति और 29 विभागीय समितियां बनाई गई हैं।

**9.3.4 सुरक्षा प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान :** नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 6500 से अधिक नियमित कर्मचारियों को शामिल किया गया था और 12500 ठेके के कामगारों को सुरक्षा प्रवेश प्रशिक्षण और पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया गया था। सामान्य सुरक्षा और दुर्घटना निवारण कार्यक्रमों के अलावा सुरक्षा संस्कृति मन में बिठाने के लिए निम्नलिखित सक्रिय उपाय किए गए थे :

- आपातकालीन कार्रवाई योजना को अधिक संपूर्ण बनाने के लिए बहुत से विभागों में 348 से अधिक अग्निशमन कानकली अभ्यास आयोजित किया गया था।
- एसएमएस-2 कनवर्टर शाप और सीओ एंड सीसीपी बेनजोल संयंत्र में दो संयंत्र स्तर के नकली अभ्यास किए गए थे जिसे संयुक्त चीफ निरीक्षक कारखाना, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश द्वारा देखा गया था।
- व्यवहार आधारित सुरक्षा प्रबंध (बी बी एस एम) पर विशेष बल दिया जाता है और इस पर सुरक्षा के लिए व्यवहार में परिवर्तन लाने और सुधरी हुई सुरक्षा संस्कृति को मन में बिठाने के लिए सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

## अध्याय—IX

- ओएचएसएस—18001:2007 मानक और “विधि जागरूकता” पर लेखापरीक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम मैसर्स बीवीसीआई द्वारा संचालित किया गया था।
- एपी सड़क परिवहन प्राधिकारियों और वीएसजीएच डाक्टरों से बाह्य संकाय के साथ कर्मचारियों/ठेके के कामगारों/बस चालकों/स्कूल/कालेज के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।
- सुरक्षा प्रथाओं और प्रयोग के लिए उपलब्ध उपकरणों की किस्म पर कर्मचारियों के बीच जागरूकता लाने के लिए सुरक्षा उपकरणों पर सेमिनार और प्रदर्शनियां, प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों द्वारा व्याख्यान नियमित रूप से आयोजित किए गए थे।

### 9.4 एन एम डी सी लिमिटेड



हैदराबाद में आयोजित 24वीं कारपोरेट स्तर की त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठक

एन एम डी सी की सभी परियोजनाओं में इसके प्रशिक्षण केंद्र हैं। उन्हें खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियमों के अंतर्गत जरूरी बुनियादी सुविधाओं से लैस किया गया है। ये केंद्र मौलिक प्रशिक्षण, रिक्रेशर ट्रेनिंग, कुशल कामगारों और यहां तक कि ड्यूटी के दौरान जख्मी होने वाले कामगारों के लिए भी प्रशिक्षण देते हैं। एन एम डीसी की प्रत्येक खनन परियोजना में खनन कार्य और यांत्रिक एवं इलेक्ट्रिक संस्थापनाओं के लिए कानूनी प्रावधानों के मुताबिक पर्याप्त संख्या में कामगार निरीक्षकों का नामांकन/नियुक्ति की जाती है। हर चालू खान के लिए सुरक्षा समिति गठित की गई है और पिट सुरक्षा को लेकर हर महीने सुरक्षा बैठकें आयोजित होती रही हैं जहां कार्य वातावरण को लेकर सुरक्षा मामलों और सुधारात्मक उपायों पर चर्चा होती है।

वर्ष 2013-14 में प्रति 1000 मानव कार्य दिवसों पर 0.54 मानव कार्य दिवसों का नुकसान हुआ।

#### 9.4.1 ओएचएसएस 18001:2007 प्रमाणीकरण

एन एम डी सी की परियोजनाएं – बीआईओएम, किरन्दूल काम्प्लेक्स, बीआईओएम, बछेली काम्प्लेक्स एवं दोणिमलै लौह अयस्क खान और डीएमपी, पन्ना को ओएचएसएस 18001:2007 प्रमाणीकरण प्राप्त है।

#### 9.4.2 सुरक्षा प्रबंध प्रणाली :

एनएमडीसी की सभी खानों में सुरक्षा प्रबंध प्रणाली को क्रियान्वित किया गया है।

### 9.5 मॉयल लिमिटेड

माइन मेट, माइन फोरमेन और प्रशिक्षित माइनिंग इंजीनियर जैसे सक्षम सुपरवाइजरों द्वारा सभी खनन कार्य पर नियमित नजर रखी जाती है। कार्य पारी के दौरान भी वर्कमैन निरीक्षक, सुरक्षा अधिकारी, खान प्रबंधक और एजेंटों द्वारा सुरक्षा निरीक्षण किए जाते हैं। मुख्यालय स्तर पर महाप्रबंधक के नेतृत्व में आंतरिक सुरक्षा संगठन द्वारा खान सुरक्षा महानिदेशालय (डी जी एम एस) के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है और समय-समय पर इसका निरीक्षण किया जाता है।



खदानों में नियमित सुरक्षा समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं जहां कामगारों के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित कर रोजाना के सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा होती है। असुरक्षित कार्यों और खदान दुर्घटनाओं का व्यापक विश्लेषण किया जाता है ताकि किसी घटना की पुनरावृत्ति न हो।

**9.5.1 जोखिम निर्धारण और जोखिम प्रबंधन :** सभी प्रमुख मैंगनीज खानों में जोखिम निर्धारण अध्ययन किया गया है। भूमिगत और ऊपरी खानों में विशेषज्ञों और सुरक्षा प्रबंधन योजना द्वारा डी जी एम एस की अपेक्षाओं के अनुरूप योजना तैयार की गई है। जोखिम प्रबंधन योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों में जोखिम की पहचान करना, जोखिम मूल्यांकन की समीक्षा करना और जोखिम प्रबंधन को प्राथमिकता प्रदान करने के साथ-साथ जोखिम कम करने की योजनाएं तैयार करना है।

**9.5.2 व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन (ओ एच एस ए एस 18001:2007) :** व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के क्षेत्र में मॉयल को बालाघाट, डोंगरी बुजुर्ग, चिकला और खांडरी, मनसार और गुमगांव खानों के लिए ओ एच एस ए एस 18001:2007 प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है।

## 9.6 एम एस टी सी लिमिटेड

एम एस टी सी एक व्यापारिक संगठन है तथा इसका कोई संयंत्र/कार्यशाला नहीं है। परंतु एम एस टी सी के कार्यालयों में कार्यालय घंटों के दौरान डाक्टर की उपस्थिति सहित आवश्यक प्रबंध किए जाते हैं।

## 9.7 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफ एस एन एल)

कर्मचारियों को सुरक्षा सतर्कता और सुरक्षित कार्य प्रणालियां अपनाने के लिए प्रेरित करने की लगातार निगरानी की जाती है। कर्मचारियों के लिए सुरक्षा पहलुओं पर प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से पूरे वर्ष के लिए तैयार किए गए प्रशिक्षण कैलेंडर में सुरक्षा और संबद्ध विषयों पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद आदि जैसी एजेंसियों के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं।

कंपनी द्वारा सुरक्षा दिवस समारोह आयोजित किए जाते हैं जिनमें सुरक्षा से संबद्ध विषयों पर वाद-विवाद प्रतियोगिता शामिल की जाती है। कर्मचारी ऐसी प्रतियोगिताओं में उत्साहित होकर भाग लेते हैं और विजेताओं को उपयुक्त पुरस्कार दिए जाते हैं।

अग्नि जोखिमों के निवारण पर ज्ञान बढ़ाने के लिए संबंधित इस्पात संयंत्रों की अग्निशमन सेवा विभाग को नकली अभ्यास, अग्नि दुर्घटना के दौरान की जाने वाली कार्रवाई को प्रदर्शित करने और ऐसे अग्नि जोखिमों के निवारण के लिए रूपात्मकता सहित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का अनुरोध किया जाता है। विभिन्न जारी उपस्करों के प्रचालकों को स्वयं के संरक्षण और कार्य स्थल पर अग्नि जोखिम से बचने पर प्रशिक्षण करने के लिए नामित किया जाता है, जो संबंधित इस्पात संयंत्रों के अग्नि शमन सेवा विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है।

## 9.8 हिन्दुस्तान स्टीवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एच एस सी एल)

एच एस सी एल ने सुरक्षा संहिता तैयार की है तथा इसे लागू करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी निर्माण गतिविधियों से जुड़े तमाम सुरक्षा उपायों पर अमल करती है। कंपनी की इस्पात संयंत्र इकाइयों, जहां 96 प्रतिशत से ज्यादा कामगार हैं, में सुविधा सम्पन्न सुरक्षा विभाग है।

कर्मचारियों को सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करने तथा उन्हें सुरक्षा सावधानियां बरतने और इस क्षेत्र में सामने आ रहे नए-नए उपायों के बारे में जानकारी देने के लिए विकास कार्यक्रम भी तैयार किए गए हैं।

## 9.9 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन का डिजाइन और परामर्शदात्री कार्यालय है। इसकी कोई औद्योगिक इकाई नहीं है। मेकॉन ने सुरक्षा नीति विवरण तैयार किया है जिसे अभिविन्यास प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों को नियमित रूप से सम्प्रेषित किया जाता है। सुरक्षा नीति विवरण की कुछ विशेषताओं को कंपनी के आचरण और अनुशासन तथा अपील नियमावली में शामिल किया गया है ताकि सुरक्षा नियमों के उचित अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके। इसके फलस्वरूप, मेकॉन में वर्ष के दौरान कोई दुर्घटना नहीं हुई है।

## 9.10 के आई ओ सी एल लिमिटेड

के आई ओ सी एल का प्रशिक्षण और सुरक्षा विभाग तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र नामक अलग विभाग है जिसमें संयंत्र स्तर पर कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं की देखभाल करने के लिए एक इंजीनियर और योग्य डाक्टर मिलकर प्रभारी हैं।

- के आई ओ सी एल व्यावसायिक जोखिमों और सुरक्षा प्रबंध प्रणाली के लिए ओएचएसएसएस 18001:2007 के अनुरूप है।

## अध्याय—IX

- कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की जरूरत की पहचान करना और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है।
- के आई ओ सी एल कार्यस्थल को दुर्घटना मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए सुरक्षा के बारे में जागरूकता के सृजन के उद्देश्य से संयंत्रों में सतत आधार पर संयंत्रों में प्रत्येक वर्ष सुरक्षा सप्ताह मनाता है। कारखाना अधिनियम के अनुसार 4 मार्च, 2013 को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस समारोह मनाया गया था।
- सुरक्षा प्रबंध प्रणाली में कामगारों की सहभागिता कंपनी द्वारा अपनाई गई एक महत्वपूर्ण पद्धति है। क्षेत्रवार सुरक्षा समितियां बनाई जाती हैं। इन सुरक्षा समितियों में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित की जाती है।
- सुरक्षा समिति के सदस्यों सहित सुरक्षा अधिकारी द्वारा नियमित रूप से सुरक्षा निरीक्षण किए जाते हैं। तीन महीनों में एक बार आयोजित की जाने वाली सुरक्षा बैठकों में सुरक्षा बिन्दुओं पर चर्चा की जाती है। कमियों के कार्यान्वयन, यदि कोई हो, के सुधार के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।
- सुरक्षा जागरूकता मन में बिठाने और मानव संसाधन विकसित करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। उनके कार्य के क्षेत्र, प्रथम सहायता प्रशिक्षण, "व्यक्तिगत संरक्षात्मक उपकरणों के महत्व" पर जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रचालन पर सतत विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, यांत्रिक विद्युत, इनस्ट्रुमेंटेशन आदि को कवर करते हुए पुनश्चर्या प्रशिक्षण नियमित रूप से संचालित किए जाते हैं।
- पीपीई चयन और मुद्दे पीपीई मुद्दे के मानदंडों के अनुसार पात्र कर्मचारियों के लिए किए गए थे। कारखाना अधिनियम और आईएमएस अपेक्षाओं के अनुसार नकली अभ्यास छह महीने में एक बार किया गया था। पिछला नकली अभ्यास 20.08.2013 को किया गया था।

### 9.11 बर्ड ग्रुप ऑफ कम्पनीज (बीजीसी)

बर्ड ग्रुप के अंतर्गत खनन कंपनियां खनन गतिविधि अधिनियम, 1952, नियमावली, विनियमों के प्रावधान एवं दिशानिर्देशों के अनुसार खनन एवं संबंधित कार्यकलापों में लगे कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपाय करते हैं। संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक सुरक्षा उपायों, औजार एवं उपकरणों से लैस किया जाता है। खनन प्रचालन में विभिन्न गतिविधियों से जुड़ी सुरक्षित प्रविधियों को स्थानीय के साथ-साथ क्षेत्रीय आधार पर सुरक्षा प्रदर्शनी में कामगारों की भागीदारी के जरिए प्रदर्शित किया जाता है। ऐसी ही खानों में नियमित दौरों से नई प्रक्रियाओं का पता लगाकर उन्हें अपनाया जाता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र और विभिन्न अनुशासनों से और खानों में प्रचालनात्मक गतिविधियों में कामगारों को बुनियादी और पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कर्मचारियों ने इस क्षेत्र में वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह आयोजन समिति से पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त किए हैं।

## शिप ब्रेकिंग

### 10.1 प्रस्तावना

- कई दूसरे उद्योगों की तरह पिछले तीन से चार दशकों में पूरी दुनिया में शिप ब्रेकिंग उद्योग का विकास और विस्तार हुआ है। यह उद्योग लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए बड़ी मात्रा में पुनः इस्तेमाल योग्य और स्क्रेप उपलब्ध कराता है। इसने अर्ध-तैयार सामग्री की उपलब्धता बढ़ा दी है। यदि यह नहीं होता तो हमें लौह अयस्क का इस्तेमाल करना पड़ता। इस तरह यह उद्योग प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण में मदद दे रहा है।
- नियमित व्यावसायिक गतिविधि के तौर पर शिप ब्रेकिंग उद्योग का प्रारंभ ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मनी जैसे उन्नत देशों में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हुआ। 1960 तक यह गतिविधि औद्योगिकीकृत देशों से दूसरे यूरोपीय और सुदूर-पूर्व देशों में फैल गई। परंतु पिछले 10 वर्षों में 90 प्रतिशत से ज्यादा शिप ब्रेकिंग गतिविधियां भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों में होती रही हैं।
- भारत में शिप ब्रेकिंग का कार्य निजी उद्यमियों द्वारा किया जाता है। यह एक श्रम प्रधान कार्य है और भारत में प्रचुर मात्रा में मानव संसाधन होने की वजह से यह एक किफायती गतिविधि है। साठ के दशक तक, भारत में शिप ब्रेकिंग सिर्फ छोटी नावों एवं तटीय कचरे तक सीमित थी।

### 10.2 मौजूदा शिप ब्रेकिंग गतिविधियों के केंद्र

- गुजरात में अलांग और सोसिया यार्ड
- गुजरात में सचाना
- मुंबई
- कोलकाता

अलांग और सोसिया गुजरात के भावनगर जिले में अरब सागर तट पर स्थित दो गांव हैं, जहां देश की 90 प्रतिशत शिप ब्रेकिंग गतिविधि केंद्रित है। विगत तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष 2013-14 के दौरान शिप ब्रेकिंग आंकड़े निम्नवत हैं :

(मिलियन टन में)

वर्ष	तट पर लाए गए जहाजों की संख्या	लाइट डिस्प्लेसमेंट टनेज (एलडीटी)*
2010-11	357	3.10
2011-12	291	3.10
2012-13	394	3.80
2013-14	298	3.06

\*एलडीटी शिप के भौतिक वजन की इकाई है।

#गुजरात मेरीटाइम बोर्ड, अलांग द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

### 10.3 शिप ब्रेकिंग का योगदान

शिप ब्रेकिंग एक ऐसी औद्योगिक गतिविधि है, जिससे न सिर्फ पुनः इस्तेमाल योग्य इस्पात प्राप्त होता है बल्कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिलते हैं। शिप ब्रेकिंग प्रक्रिया से उत्पादित इस्पात के जरिए एकीकृत इस्पात संयंत्रों में इस्पात उत्पादन के लिए प्रयोग हेतु लौह अयस्क, कोयला आदि जैसे जरूरी प्राकृतिक संसाधनों की बचत होती है। इस प्रक्रिया से उत्पादित इस्पात देश की कुल इस्पात मांग में करीब 1 प्रतिशत से 2 प्रतिशत का योगदान देता है। शिप ब्रेकिंग उद्योग में एक लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है।

शिप ब्रेकिंग से प्राप्त रि-रोलेबल स्क्रेप से गलाई की एक प्रक्रिया कम हो जाती है और इस प्रकार वैद्युत ऊर्जा खपत में काफी बचत होती है।

### 10.4 शिप ब्रेकिंग पर अंतर मंत्रालय समिति (आई एम सी)

- कार्य आबंटन (कृपया अनुलग्नक-1 देखें) के मुताबिक इस्पात मंत्रालय शिप ब्रेकिंग से संबद्ध हैं।
- रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस टेक्नोलॉजी नेशनल रिसोर्स पालिसी द्वारा 1995 में दाखिल याचिका संख्या 657 के अनुसरण में नुकसानदेह अपशिष्ट के नियंत्रण और प्रबंधन का सामान्य मसला माननीय उच्चतम न्यायालय में

विचाराधीन है। आवेदनकर्ता ने पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा निर्मित नुकसानदेह अपशिष्ट (प्रबंधन और निपटान) नियमावली, 1989 और औद्योगिक अपशिष्ट के नियंत्रण एवं प्रबंधन के सामान्य मसले से संबद्ध प्रावधानों एवं सुधारात्मक उपायों को लागू किए जाने की मांग की। विभिन्न राज्य सरकारें/केंद्रीय मंत्रालय इस मामले में प्रभावित हुए। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम ओ ई एफ) इस मामले में नोडल मंत्रालय था।

- सुनवाई के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न आदेश जारी किए जिनमें पहला मुख्य आदेश 14 अक्टूबर, 2003 को दिया गया। इस आदेश में कहा गया कि शिप ब्रेकिंग गतिविधियों के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया जाएगा। इस्पात मंत्रालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों को लागू करने तथा अन्य कार्यों के लिए 12 जनवरी, 2004 को जारी आदेश के तहत अपर सचिव और वित्त सलाहकार की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालय समिति (आई एम सी) का गठन किया जिसमें नौवहन मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्रम संगठन, स्टील स्क्रैप और शिप ब्रेकर्स एसोसिएशन आदि के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। अब तक, आई एम सी ने 17 बैठकें की हैं जिसमें अन्य संगठनों के सदस्यों को शामिल किया गया और शिप ब्रेकिंग उद्योग से जुड़े विभिन्न मसलों पर विचार-विमर्श किया गया और उच्चतम न्यायालय के आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए अनेक निर्देश जारी किए। आई एम सी की पिछली बैठक नई दिल्ली में 24 जून, 2014 को हुई।

### 10.5 शिप ब्रेकिंग गतिविधि पर आचार संहिता को अंतिम रूप दिया जाना

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 17.02.2006 को अपने एक आदेश के जरिए शिप ब्रेकिंग पर तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का निर्देश दिया। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 24.03.2006 को सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अध्यक्षता और विभिन्न अन्य संगठनों/प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के विशेषज्ञों से युक्त एक समिति गठित की। इस समिति ने अनेक सिफारिशों की जिनको उच्चतम न्यायालय ने अपने 06.09.2007 के फैसले में स्वीकार कर लिया है।
- उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 06.09.2007 के फैसले में कहा कि भारत सरकार सिफारिशों को शामिल करते हुए एक व्यापक आचार-संहिता तैयार करेगी। जब तक आचार संहिता लागू नहीं की जाती है, तब तक दिनांक 06.09.2007 के आदेश के तहत विशेषता समिति की सिफारिशों का अनुपालन किया जायेगा। शिप ब्रेकिंग पर आचार-संहिता को अंतिम रूप दिया गया है और दिनांक 23.03.2013 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

## समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण

### 11.1 प्रस्तावना

इस्पात मंत्रालय और इसके अधीन आने वाले सरकारी उपक्रम समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण संबंधी सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करते हैं। मंत्रालय में 31.03.2014 को 209 कर्मचारियों में से 53 अनुसूचित जाति (25 प्रतिशत), 12 अनुसूचित जनजाति (5.7 प्रतिशत) और 19 अन्य पिछड़े वर्ग (9.1 प्रतिशत) के थे। 1.1.2013 से 31.3.2014 तक की अवधि में 02 अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की नियुक्ति की गई।

### 11.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सार्वजनिक उपक्रमों में नियुक्तियों में आरक्षण के लिए राष्ट्रपति के निर्देशों का निरंतर पालन किया जाता है। 31.03.2014 को कुल 97897 की जनशक्ति में से 15615 कर्मचारी (15.95 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के, 13484 कर्मचारी (13.77 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति श्रेणी के और 10656 कर्मचारी (10.88%) अन्य पिछड़ी श्रेणियों के थे।

सेल की खानों सहित इसके संयंत्र और इकाइयां देश के आर्थिक रूप से पिछड़े अजा/अजजा बाहुल्य क्षेत्रों में स्थित हैं। अतः सेल ने इस क्षेत्रों में नागरिकों के संपूर्ण विकास, चिकित्सा, शैक्षणिक और अन्य सुविधाओं के क्षेत्र में योगदान किया है। इसके कुछेक योगदानों का विवरण इस प्रकार है :-

- गैर-कार्यपालक कर्मचारियों की भर्ती, जो कि कुल कर्मचारियों का 85 प्रतिशत होता है, मुख्यतः क्षेत्रीय आधार पर संचालित की जाती है और इस प्रकार बड़ी संख्या में अजा/अजजा तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों को सेल में रोजगार का लाभ प्राप्त होता है।
- पिछले वर्षों के दौरान इस्पात संयंत्रों के आसपास अनुषंगी उद्योगों के बड़े समूह भी विकसित हुए हैं। इसने नौकरियों और उद्यमवृत्ति विकास के लिए स्थानीय बेरोजगार व्यक्तियों को अवसर प्रदान किए हैं।
- अस्थायी और अनिश्चित प्रकृति के रोजगारों के लिए सामान्यतः ठेकेदार स्थानीय क्षेत्रों से कामगारों को तैनात करता है, इससे भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं।
- सेल के इस्पात संयंत्रों की आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों में स्थापना ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाया है, इस प्रकार सेवाओं की विभिन्न किस्मों को प्रदान करने वाली जनसंख्या को समर्थन का लाभ दिया है।
- सेल द्वारा विकसित इस्पात नगर सर्वश्रेष्ठ चिकित्सीय, शैक्षणिक और नागरिक सुविधाओं से युक्त हैं और ये स्थानीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य लोगों, जो सेल कर्मचारियों के साथ समृद्धि का लाभ उठाते रहे हैं, के लिए उम्मीद की किरण हैं।

इसके अलावा, सेल ने अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कई पहलें की हैं, जैसे कि :

- सेल के पांच प्रतिशत इस्पात कारखानों के क्षेत्रों में विशेष रूप से गरीब तथा कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए विशेष स्कूल शुरू किए गए हैं। यहां दी जा रही सुविधाओं में निःशुल्क शिक्षा, दोपहर का भोजन, जूतों सहित यूनिफार्म, किताबें, लेखन सामग्री, स्कूल बैग, पानी की बोतल और कुछ मामलों में परिवहन सुविधाएं भी हैं। इन स्कूलों में इस समय 1500 से अधिक बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
- सेल संयंत्रों ने पुराने जनजातीय परिवारों के 15 बच्चों को गोद लिया है। इन्हें निःशुल्क शिक्षा, रहने-खाने की सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं ताकि उनका संपूर्ण विकास हो सके।
- अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति के छात्रों, चाहे वे सेल के कर्मचारियों के बच्चे हों अथवा नहीं, कंपनी द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में पढ़ाई के लिए कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है।
- भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो और बर्नपुर (गुटगुटपारा) में आसपास की गरीब अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्गों की जनता को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श, दवाएं देने के लिए निःशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं।
- किरिबुरु, गुआ और चिरिया की खानों के अस्पतालों के आसपास के गांवों के मणकी/मुंडा (स्थानीय जनजातीय ग्राम प्रमुख) की सिफारिश पर अस्पतालों में दाखिल होने तथा इलाज कराने आने वाले, दोनों तरह के मरीजों का, निःशुल्क इलाज किया जाता है। इससे मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति समुदाय तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लोगों को लाभ मिल रहा है।



## अध्याय—XI

- सेल ने आठ राज्यों में 79 आदर्श इस्पात ग्राम के रूप में अपनी शरण में लिया है। इन गांवों में जो विकास गतिविधियां चलाई जा रही हैं, उनमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, सड़क एवं विभिन्न मार्गों को जोड़ने, साफ-सफाई, सामुदायिक केंद्र, जीवन-यापन, खेलकूद सुविधाएं शामिल हैं।

### 11.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल)

31.03.2014 की स्थिति के अनुसार आर आई एन एल की कुल जनशक्ति 18371 थी, जिसमें 3026 अनुसूचित जाति (16.47 प्रतिशत), 1323 अनुसूचित जनजाति (7.2 प्रतिशत) तथा 1913 अन्य पिछड़े वर्ग (10.41 प्रतिशत) के थे।

#### अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का कल्याण :

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के लिए मृत्युकोष योजना जनवरी, 2009 से शुरू की गई जिसके तहत किसी सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में एसोसिएशन के सदस्यों के वेतन से 50 रुपए की कटौती की जाएगी और इस तरह से एकत्र की गई राशि मृत कर्मचारी के आश्रित को दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत अब तक 107 परिवारों को मदद मिली और वर्ष 2013-14 के दौरान 18 परिवारों को लाभ मिला है तथा ऐसे प्रत्येक परिवार को औसतन 2 लाख रुपए से कुछ अधिक की राशि प्राप्त हुई है।

#### डॉ. बी आर अम्बेडकर योग्यता पुरस्कार योजना के तहत अनुदान – अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणियां :

ये पुरस्कार केवल अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों के लिए हैं :

उत्तीण परीक्षा	पाठ्यक्रम जिसमें प्रवेश मांगा गया	पुरस्कार की राशि	पुरस्कारों की संख्या	
			अनु. जाति	अ. ज. जा.
12वीं कक्षा / इंटरमीडिएट परीक्षा	इंजीनियरिंग / वास्तुकला / चिकित्सा / पशु चिकित्सा / दंत रोग / कृषि विज्ञान / औषधि शास्त्र / विधि में डिग्री पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि हेतु 1500 रुपए प्रति माह	8 (आठ)	4 (चार)

टिप्पणी : प्रत्येक समूह में दो वर्गों के लिए 50 प्रतिशत छात्रवृत्तियां मैरिट के आधार पर प्रदान की जाती हैं, चाहे कर्मचारी किसी भी कैडर का हो अर्थात् कार्यपालक या गैर-कार्यपालक और शेष 50 प्रतिशत छात्रवृत्तियां केवल गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के बच्चों के लिए नियत की गई हैं।

### 11.4 एन एम डी सी लिमिटेड

एन एम डी सी में 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार कुल 5664 कर्मचारी थे, जिनमें से 995 कर्मचारी अनुसूचित जातियों (17.57 प्रतिशत) 1219 अनुसूचित जनजाति (21.52 प्रतिशत) और 855 अन्य पिछड़े वर्ग (15.10 प्रतिशत) के थे। नीति के अनुसार निरंतर आधार पर अगले वर्ष में बैकलॉग रिक्ति को भरने के प्रयास किए जाते हैं और कंपनी अब तक आरक्षित रिक्तियों को भरने में सफल रही है।

### 11.5 मॉयल लिमिटेड

मॉयल लिमिटेड एक श्रम प्रधान संगठन है जिसमें 31.03.2014 को 6466 कर्मचारी थे। इसमें से 1273 (19.68%) अनुसूचित जाति के, 1566 (24.21%) अनुसूचित जनजाति के और 1983 (30.66%) अन्य पिछड़े वर्ग के थे। मॉयल लिमिटेड देश के दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित खानों के आसपास रहने वाले इन पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास में काफी रुचि ले रहा है। विवरण नीचे दिया गया है :

- खानों के निकट गांवों को गोद लिया गया तथा उन्हें पेयजल, सड़क अनुरक्षण, आवधिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं तथा इन गांवों में रहने वालों को उपचार दिया जा रहा है।
- खनन क्षेत्र से लगे स्कूलों को वित्तीय सहायता, लेखन सामग्री, पुस्तकें आदि दी जा रही हैं।
- शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए तिपहिए वाहन दिए गए।

### 11.6 एम एस टी सी लिमिटेड

31.12.2014 को एम एस टी सी लिमिटेड में कुल कर्मचारियों की संख्या 318 थी जिनमें से अनुसूचित जाति के 61 (19.18 प्रतिशत), अनुसूचित जनजाति के 16 (5.0 प्रतिशत) और अन्य पिछड़े वर्ग के 51 (16.03 प्रतिशत) थे। वर्ष के दौरान भर्ती किए गए 16 व्यक्तियों में से 5 अन्य पिछड़ा वर्ग, 2 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति से संबंधित थे।

विभागीय पदोन्नति समितियों व चयन समितियों (भर्ती के समय) दोनों में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़े वर्ग के सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो।

वर्ष के दौरान 11 अनुसूचित जाति और 9 अन्य पिछड़े वर्ग 2 कंपनी के भीतर और सांस्थानिक प्रशिक्षण हेतु प्रायोजित किया गया। इसके अतिरिक्त एम एस टी सी के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी परिषद को, जो मुख्य रूप से कंपनी के आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा का कार्य करती है, सभी संभव सहायता व सहयोग प्रदान किया गया।

### 11.7 फेरो स्कैप निगम लिमिटेड (एफ एस एन एल)

31.3.2014 को कंपनी की कुल जनशक्ति 1010 में से 187 अनुसूचित जाति (18.51 प्रतिशत), 114 अनुसूचित जनजाति (11.28 प्रतिशत) और 132 अन्य पिछड़े वर्ग (13.06 प्रतिशत) के कर्मचारी थे। 1.4.2013 से 31.3.2014 तक 6 अनुसूचित जाति और 7 अनुसूचित जनजाति की पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की गई। एफ एस एन एल द्वारा अपनाई गई पदोन्नति नीति तथा विभिन्न कल्याणकारी उपायों से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के समुदायों के कमजोर कर्मचारियों को पर्याप्त लाभ मिल रहा है।

### 11.8 हिन्दुस्तान स्टीवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एच एस सी एल)

31.03.2014 को कंपनी के 200 कर्मचारियों में से 29 अनुसूचित जाति (14.5 प्रतिशत), 14 अनुसूचित जनजातियों (7.00 प्रतिशत) और 19 अन्य पिछड़े वर्ग (9.5 प्रतिशत) के थे। एच एस सी एल ऐसे क्षेत्रों में जहां अधिकतर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग तथा शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी रहते हैं, में स्कूल खोलने में सहायता प्रदान कर रहा है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को परियोजनाओं में स्कूल के मामले में यथोचित तरजीह प्राप्त होती है। कर्मचारियों को झोंपड़ियां बनाने के लिए भूमि दी गई है तथा इन स्थानों पर बिजली, पानी और साफ-सफाई की व्यवस्था आदि की गई है। पेयजल की आपूर्ति के लिए भी सहायता दी जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग तथा शारीरिक तौर से विकलांग कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति में केंद्रीय सरकार के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाता है। कंपनी देश में नीचे तबके के लोगों के लाभ के लिए अन्य पीएसयूज की ओर से सी एस आर परियोजनाएं भी कार्यान्वित करती है।

### 11.9 मेकॉन लिमिटेड

31.03.2014 को कंपनी में 1673 कर्मचारियों में से 303 अनुसूचित जाति (18.11 प्रतिशत), 173 अनुसूचित जनजाति (10.34 प्रतिशत) एवं 204 अन्य पिछड़े वर्ग (12.19 प्रतिशत) के थे। कंपनी समाज के कमजोर वर्ग के विकास एवं कल्याण के लिए अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति पूर्णतः सजग है। कंपनी ने उनके हितों की सुरक्षा के लिए और शामली कालोनी, रांची में सामुदायिक शिक्षण योजना, संसाधन सृजन योजना, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, शोशायर होम में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, विकलांग लोगों की सहायता, ग्राम आधारित कार्यक्रमों, स्वस्थ पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं इत्यादि जैसी कल्याणकारी गतिविधियों के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं।

### 11.10 के आई ओ सी एल लिमिटेड

31.03.2014 को कर्मचारियों की कुल संख्या 957 थी, जिनमें से 144 कर्मचारी अनुसूचित जाति (15.05 प्रतिशत), 51 कर्मचारी अनुसूचित जनजाति (5.32 प्रतिशत) और 169 कर्मचारी अन्य पिछड़े वर्ग (17.65 प्रतिशत) के थे।

कंपनी ने कुद्रेमुख और मंगलौर में एक आधुनिक नगरी, अस्पताल, मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध कराकर पूर्ण सुविधाएं मुहैया कराई हैं। यहां 10 प्रतिशत "ए" और "बी" टाइप के क्वार्टर एवं 5 प्रतिशत "सी" और "डी" टाइप के क्वार्टर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए आरक्षित हैं।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, कर्मचारियों के बच्चों के लिए 15 मेधा छात्रवृत्तियां और 40 मेधा सहायता छात्रवृत्तियां स्वीकृत की गईं। 55 छात्रवृत्तियों में कुल 11 यानी 20 प्रतिशत छात्रवृत्तियां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के बच्चों के लिए आरक्षित की जानी थीं। वर्ष 2013-14 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के बच्चों के लिए 14 छात्रवृत्तियां मंजूर की गई हैं। अर्हता मानक, जो प्रथम श्रेणी या 60 प्रतिशत उत्तीर्णांक, दोनों में से जो भी अधिक हो, को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के बच्चों के लिए घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।

### 11.11 बर्ड ग्रुप आफ कंपनीज (बीजीसी)

31.03.2014 को बर्ड ग्रुप आफ कंपनीज में कर्मचारियों की कुल संख्या 1634 थी। कुल जनशक्ति का लगभग 78.9 प्रतिशत, (1634 में से 1289), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के थे। इनमें से 331 अनुसूचित जाति (20.25 प्रतिशत), 765 अनुसूचित जनजातियों (46.81 प्रतिशत) और 193 अन्य पिछड़े वर्गों (11.81 प्रतिशत) के थे।

बीजीसी बर्ड ग्रुप के अंतर्गत ओएमडीसी और बी एस एल सी में आसपास के स्कूलों और कालेजों को सहायता प्रदान कर रहा है। ये कंपनियां भवन निर्माण, पाठन सामग्री तथा फर्नीचर उपलब्ध कराने, स्कूल की बसों, स्वरोजगार के लिए महिलाओं को सिलाई की मशीनें देने में मदद कर रहा है।

बीजीसी की ओ एम डी सी और बी एस एल सी कंपनियों के अस्पतालों में सभी कर्मचारियों और इसकी खनन गतिविधि स्थल के आसपास के गांवों के लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

बीजीसी कुएं खोदकर और ट्यूबवैल आदि लगाकर अपनी खनन गतिविधि स्थलों के आसपास के गांवों और कर्मचारियों को पेयजल भी उपलब्ध करा रहा है।

कंपनी ओ एम डी सी और बी एस एल सी के अस्पतालों में सभी कर्मचारियों और खनन गतिविधि स्थल के आसपास के गांवों के लिए मलेरिया उन्मूलन, पल्स पोलिया इत्यादि कार्यक्रम चलाती है।

ओ एम डी सी द्वारा कंपनी की खनन गतिविधि स्थलों के आसपास के गांवों के लिए समय-समय पर एक्स-रे पैथोलॉजी प्रयोगशाला, ऑडियोमेट्री, ईसीजी, फेफड़ों की स्थिति के संबंध में परीक्षण तथा दंत क्लीनिक आदि व्यावसायिक स्वास्थ्य सतर्कता कार्यक्रम भी चला रहा है।

## सतर्कता

### 12.1 इस्पात मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग की गतिविधियां

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की सलाह पर नियुक्त संयुक्त सचिव स्तर का मुख्य सतर्कता अधिकारी (सी वी ओ) मंत्रालय की सतर्कता इकाई का अध्यक्ष है। मुख्य सतर्कता अधिकारी एक निदेशक, एक अवर सचिव और सहायक कर्मचारियों के साथ मंत्रालय के सतर्कता ढांचे के अंतर्गत प्रमुख केंद्र बिन्दु के रूप में कार्य करते हैं। सतर्कता इकाई इस्पात मंत्रालय और इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होती है :-

- सरकारी कामकाज में सत्यनिष्ठा/दक्षता सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील कदाचार/प्रलोभन के क्षेत्रों की पहचान करना और निवारक उपाय करना।
- शिकायतों की जांच करना और उपयुक्त अन्वेषण उपायों की शुरुआत।
- इनका निरीक्षण करना और अनुवर्ती कार्रवाई।
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी बी आई) की अन्वेषण रिपोर्टों पर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सी वी सी) को मंत्रालय की टिप्पणियां प्रेषित करना।
- सीवीसी या अन्य प्रकार के परामर्श पर विभागीय कार्यवाहियों के संबंध में उपयुक्त कार्रवाई करना।
- जहां कहीं आवश्यक हो सीवीसी का प्रथम और द्वितीय चरण का परामर्श लेना।
- सीवीसी और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के साथ परामर्श से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सीवीओ की नियुक्ति।
- मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आरोपों के संबंध में शिकायतों की उपर्युक्त कार्रवाई हेतु जांच करना।
- इस मंत्रालय में कार्यरत अधिकारियों और स्टाफ की अचल संपत्ति रिटर्नों का रखरखाव एवं जांच।
- मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सहायक कंपनियों सहित दस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कार्यरत हैं। सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में सतर्कता इकाई का एक सीवीओ प्रमुख होता है जिसकी नियुक्ति इस मंत्रालय द्वारा सीवीसी और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के साथ परामर्श से की जाती है।

मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सतर्कता गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए अलग-अलग बैठकें आयोजित करता है तथा मासिक आधार पर स्थिति का विश्लेषण करता है और मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा समय-समय पर भेजे गए विवरणों की समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त पुराने मामलों के आधार पर मंत्रालय संबद्ध सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के सतर्कता अधिकारियों से आवश्यकता पड़ने पर विचार-विमर्श भी करता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी से विभिन्न सतर्कता पहलुओं पर प्राप्त निर्देशों और मार्गदर्शी सिद्धांतों को सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को भेजा गया जिससे उनका अनुपालन सुनिश्चित किया गया। इसके पश्चात कार्य में हुई प्रगति पर नजर रखी गई और आवश्यक कार्रवाई की गई।

वर्ष 2013-14 के दौरान सीवीसी से 58 संदर्भ प्राप्त किए गए, इनमें से 49 को निपटा दिया गया है। अन्य स्रोतों से 112 शिकायतें प्राप्त हुईं और 91 को निपटा दिया गया था।

अवधि के दौरान इस्पात पीएसयू के सीवीओ के साथ तीन बैठकें आयोजित की गई थीं जिनमें भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, ई-प्रापण को बढ़ाने, निर्धारित समय में डीपीसी करने, संवेदी पदों को धारण किए गए अधिकारियों के रोटेशन के संबंध में चर्चा की गई थी और इस्पात पीएसयू के सभी सीएमडी/सीवीओ को आवश्यक अनुदेश जारी किए गए थे। इस्पात पीएसयू के सभी सीएमडी को समय-समय पर सीवीसी, डीओपीटी और डीपीई द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध भी किया गया था।

इस्पात मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए भरसक प्रयासों से प्रेरित होकर इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी पीएसयू ने अपने संबंधित संगठनों में ठीक-ठीक ऐसे सभी लेनदेनों में सत्यनिष्ठा समझौते को क्रियान्वित करने के लिए वचनबद्धता के साथ 24.09.2007 को पारदर्शिता इंटरनेशनल इंडिया (टी आई आई) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान पीएसयू में सत्यनिष्ठा समझौते के क्रियान्वयन की प्रगति पर निकट से अनुवर्ती कार्रवाई की गई।

## 12.2 स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

सेल सतर्कता विभाग ऐसी निवारक और सक्रिय गतिविधियों पर जोर दे रहा है जिससे कि संगठन में नैतिकता के उच्च मानदंडों के साथ सत्यनिष्ठा, दक्षता और पारदर्शी तरीके से कार्य करने का माहौल तैयार किया जा सके। तदनुसार, अप्रैल, 2012 – मार्च, 2014 की अवधि के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां की गई थीं :

- सेल में व्हीसल ब्लोअर नीति पर क्रय/अनुबंध प्रक्रियाओं, आरटीआई अधिनियम, आचरण एवं अनुशासन नियमावली, प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सतर्कता जागरूकता बढ़ाने के लिए कुल 147 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिनमें 3179 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में कुल 3296 सामयिक निरीक्षण किए गए जिनमें फाइलों की जांच और संयुक्त निरीक्षण शामिल है।
- सेल के विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में आठ प्रमुख प्रणाली सुधार परियोजनाएं (एस आई पी) संचालित की गईं।
- विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में सघन जांच के लिए 13 मामले लिए गए थे। सघन जांच के दौरान उच्च मूल्य के प्रापण/संविदाओं की व्यापक रूप से संवीक्षा की गई थी और सुधार के लिए सुझावों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सिफारिशें संबंधित विभाग को भेजी गई थीं।
- सेल सतर्कता में निम्नलिखित चार (4) बल वाले क्षेत्रों को लिया गया है :
  - गतिविधि के सभी क्षेत्रों में ई-नीलामी (उल्टी नीलामी और वायदा नीलामी) और समयबद्ध ढंग से शत-प्रतिशत ई-भुगतान प्राप्त करना।
  - मुख्यतः तकनीकी जांचकर्ता, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप 21 उच्च मूल्य की परियोजनाओं से संबंधित फाइलों की संवीक्षा।
  - एकल निविदा पूछताछ (नामांकन आधार) पर दिए गए संविदाओं की संवीक्षा।
  - उच्च मूल्य की कच्ची सामग्री की प्राप्ति, नमूना बनाने और जांच में सतर्कता बढ़ाना और कच्ची सामग्री के परीक्षण और नमूना बनाने के लिए स्वतः विश्लेषकों और स्वतः सेम्पलर संस्थापित करना।
- सेल का कार्मिक विभाग सेल सतर्कता की सिफारिश पर सेल में सभी भर्तियों/पदोन्नतियों के लिए नीतियां/सिद्धांत निर्धारित करने के लिए व्यापक भर्ती नियम पुस्तिका तैयार कर रहा है।
- क्रियान्वित प्रणाली की कुशलता को मानीटर करने के लिए सेल के सतर्कता विभाग आई एस ओ 9001:2008 गुणवत्ता प्रबंध प्रणाली के अभिन्न अंग के रूप में आंतरिक लेखापरीक्षा कर रहे हैं।
- सेल सतर्कता की घरेलू पत्रिका "इंसपिरेशन-प्रेरणा" का नियमित रूप से प्रकाशन किया जा रहा है। पाठकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए उपर्युक्त प्रकाशन में मामले अध्ययन, जाने-माने व्यक्तियों के आलेख, नीतिगत मामलों पर विवज आदि शामिल किए जाते हैं।

## 12.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल)

आर आई एन एल के सतर्कता विभाग ने कंपनी में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए सतर्कता की आवश्यकता न पड़ने के उपायों पर विशेष रूप से बल दिया। कंपनी में पारदर्शिता और निष्ठा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2013-14 में निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की गईं :

- 289 प्रणाली निरीक्षण किए गए जिनमें 39 गुणवत्ता निरीक्षण और 70 रोक/सड़क पर भार की जांच कार्य शामिल हैं।
- सतर्कता निवारण पर 18 सतर्कता जागरूकता सत्र आयोजित किए गए।
- सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2013 "अच्छे शासन का संवर्धन करना – सतर्कता को सकारात्मक योगदान" स्कूली बच्चों, कर्मचारियों और उनके आश्रितों तथा अन्य हिस्सेदारों की सहभागिता से जागरूकता के सृजन के लिए बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।
- "विजिल" – शिकायतों को ट्रैक करने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए आनलाइन अनुप्रयोग विकसित किया गया है।
- "स्पंदन" आर आई एन एल की आंतरिक मैंगनीज ने हिस्सेदारों में जागरूकता लाने के लिए प्रभाव डाला है।
- आर आई एन एल सतर्कता ने राष्ट्रीय सतर्कता उत्कृष्टता पुरस्कार-2013 और कारपोरेट सतर्कता उत्कृष्टता पुरस्कार 2013-14 प्राप्त किया है।

### 12.4 एन एम डी सी लिमिटेड

एन एम डी सी के सतर्कता विभाग ने वर्ष के दौरान अनेक पहल की हैं। निगम के कर्मचारियों के लिए सतर्कता मामलों के प्रति जागरूकता हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्ष के दौरान 72 बार अचानक जांच की गई तथा 72 नियमित जांच और 24 सीटीई जांच की गई।

एन एम डी सी में सतर्कता विभाग गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को पुष्ट करने वाले आईएसओ 9001:2008 के तहत सतर्कता विभाग की आंतरिक तिमाही पत्रिका "स्फूर्ति" वर्ष 2013-14 से प्रकाशित की गई है और सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2013 से जारी की जा रही है।

सभी लेनदेनों में "पारदर्शिता के लिए प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने" के कार्यान्वयन के भाग के रूप में 30 लाख रुपए से ऊपर की सीमित निविदा पूछताछ के बारे में सूचना 10 लाख रुपए के ऊपर के निष्पन्न किए गए टेकों के ब्यौरे, नामांकन के आधार पर दिए गए कार्य, 1 लाख रुपए एकल निविदा आधार, ठेकेदारों को बिलों के भुगतान के संबंध में सूचना कंपनी की वेबसाइट पर दी जा रही है। ई-प्रापण, ई-निविदा को प्रोत्साहित करने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। इंजीनियरी विभाग में ई-प्रापण कक्ष नवम्बर, 2013 में स्थापित किया गया है।

एन एम डी सी ने सत्यनिष्ठा समझौते नवम्बर, 2007 से कार्यान्वयन के लिए अपनाया है। सिविल निर्माण कार्यों और टेकों के मामले में 20 करोड़ रुपए और खरीद के मामले में 10 करोड़ रुपए की प्रारंभिक सीमा का पालन किया जा रहा है। आज तक सत्यनिष्ठा समझौता 19347.08 करोड़ रुपए मूल्य के साथ 67 टेकों में प्रविष्ट किया गया है। इस प्रकार टेकों के कुल मूल्य के 90 प्रतिशत से अधिक को सत्यनिष्ठा समझौते के तहत कवर किया गया है। इसके अतिरिक्त ई-प्रापण और ई-नीलामी का कार्यान्वयन शुरू किया गया है।



एनएमडीसी मुख्यालय, हैदराबाद में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

### 12.5 मॉयल लिमिटेड

सतर्कता विभाग के कार्यकरण में निवारक के साथ-साथ दंडात्मक सतर्कता शामिल है और मुख्य बल संगठन में प्रणाली सुधारों पर है। वर्ष 2013-14 के दौरान सतर्कता विभाग की विभिन्न गतिविधियां निम्नानुसार हैं :

- ईआरपी पर सेमिनार, व्हीसिल ब्लोअर का संरक्षण और लोक प्रापण विधेयक, 2012 का आयोजन आईटी प्रौद्योगिकियों के प्रयोग के संबंध में और कंपनी की विभिन्न प्रक्रियाओं और कार्यों में ईआरपी अपना कर कंपनी में हाल



के घटनाक्रम में जागरूकता लाना था। इसके अलावा, मॉयल के कर्मचारियों में जागरूकता लाने के लिए “व्हीसिल ब्लोअर के संरक्षण” और “लोक प्रापण विधेयक 2012” पर प्रस्तुतिकरण दिया गया।

- मॉयल मुख्यालय, नागपुर में “लोक प्रापण में पारदर्शिता” पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था।
- एक दिवसीय “ई-प्रापण और ई-नीलामी” पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया था जिसमें एमएसटीसी लिमिटेड कोलकाता, भारत में सबसे बड़ा ई-नीलामी करने वाला पीएसयू से अधिकारी को मेहमान वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था।
- निवारक सतर्कता के भाग के रूप में अवधि के दौरान 4 कार्य ठेकों की संवीक्षा की गई और 68 निरीक्षण किए गए। समय-समय पर प्रचालनों के विभिन्न स्तरों में कार्य में पारदर्शिता लाने और प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाने की सलाह जारी की गई है।
- प्रौद्योगिकी को बढ़ावा : मॉयल द्वारा हिस्सेदारों के साथ सम्प्रेषण के लिए और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भी तथा कार्य के अधिकतम संभव क्षेत्रों में पारदर्शिता लाने के लिए साधन के रूप में वेबसाइट का सघन प्रयोग क्रियान्वित किया गया है। तदनुसार, ई-बिक्री, ई-नीलामी, ई-प्रापण, ई-भुगतान प्रारंभिक सीमाओं पर विचार करते हुए क्रियान्वित किए गए हैं। मॉयल की अधिकारिक वेबसाइट में सतर्कता नियम पुस्तिका और अन्य महत्वपूर्ण संपर्कों वाला नया तैयार किया गया सतर्कता पृष्ठ जोड़ा गया है।



मॉयल द्वारा सतर्कता पत्रिका 'सुचिता' के दूसरे अंक का विर्मोचन

## 12.6 एम एस टी सी लिमिटेड

एम एस टी सी संगठन में शुद्धता, सत्यनिष्ठा और कुशलता को बनाए रखने के लिए भ्रष्टाचार पर “शून्य बर्दाश्त” (जैडटी) की नीति का लगातार अनुसरण कर रहा है। इस संबंध में किए गए उपायों की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

- सत्यनिष्ठा समझौता : एम एस टी सी ने पारदर्शिता इंटरनेशनल के साथ वर्ष 2007 में एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। एक बाह्य स्वतंत्र मानीटर कार्यान्वयन और इसकी प्रगति को मानीटर करता रहा है।
- यादृच्छिक संवीक्षा और संपत्ति विवरणियों की जांच।
- व्हीसिल ब्लोअर स्कीम को क्रियान्वित किया गया है।

- सीपीजीआरएएमएस : कंपनी की वेबसाइट में केंद्रीयकृत लोक शिकायत समाधान और मानीटरिंग प्रणाली को क्रियान्वित किया गया है।
- सतर्कता मुद्दों पर संरचित बैठकों के माध्यम से सीएमडी के साथ आवधिक चर्चा की जाती है, सचिव (इस्पात) के साथ समीक्षा बैठकें और जांच एजेंसियों के साथ समन्वय बैठकें की जाती हैं।
- क्षेत्रों और शाखाओं में सतर्कता जागरूकता कार्यशाला/प्रशिक्षण आयोजित/रखा जाता है।
- अच्छे शासन पर सेमिनार : ई-कॉमर्स की भूमिका सतर्कता अध्ययन सर्किल कोलकाता के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था।

### 12.7 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफ एस एन एल)

वर्ष के दौरान, सतर्कता विभाग ने निरोधक सतर्कता पर विशेष जोर दिया है। संबंधित विभागाध्यक्षों के साथ वर्तमान नियमों/प्रक्रियाओं पर समय-समय पर विचार-विमर्श आयोजित किए गए ताकि अधिक पारदर्शिता लाने के लिए नियमों/प्रक्रियाओं में संशोधन/हटाने के लिए सिफारिश की जा सके। निवारक सतर्कता अभियान लागू करने के लिए उच्च सतर्कता जोखिम वाले क्षेत्रों में भी अचानक/समय-समय पर निरीक्षण आयोजित किए गए। सीवीसी और मंत्रालय द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों को कर्मचारियों में जागरूकता फैलाने के वास्ते व्यापक रूप से परिचालित किया गया। सीवीसी प्रयासों के अनुरूप भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने के लिए कंपनी में 28 अक्टूबर से 3 नवम्बर, 2013 तक "सतर्कता जागरूकता सप्ताह" आयोजित किया गया जिसके दौरान नारा प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता जैसी विभिन्न गतिविधियां संचालित की गईं और कर्मचारियों में सतर्कता जागरूकता पैदा करने के वास्ते उन्हें शपथ दिलाई गई और इन्हें स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रचारित किया गया।

### 12.8 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एच एस सी एल)

कंपनी के सतर्कता विभाग का प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी है। कंपनी के मुख्यालय के साथ-साथ इसकी इकाइयों में 28 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2013 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। कंपनी की छह प्रमुख इकाइयों में सतर्कता जागरूकता और परियोजना प्रबंध पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। निविदा प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिंग की जा रही है। ई-निविदा को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। ठेकेदारों के बिलों के भुगतान की स्थिति को नियमित आधार पर वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जा रहा है।

### 12.9 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन लिमिटेड के सतर्कता विभाग द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जिनका संक्षेप में विवरण नीचे दिया गया है :

**सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2013** : रांची स्थित मुख्यालय में नगर प्रशासन और मेकॉन के विभिन्न स्थानों के क्षेत्रीय/कार्यस्थलों पर 28 अक्टूबर से 3 नवम्बर, 2013 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

**मेकॉन में सत्यनिष्ठा समझौता लागू करना** : मेकॉन ने 64 सप्लायरों/ठेकेदारों के साथ सत्यनिष्ठा समझौते (आईपी) पर हस्ताक्षर किए हैं। सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर की श्रेण्डहोल्ड वैल्यू ( 1 करोड़ रुपए) है। यह समझौता एनआईटी दस्तावेज का भाग है और मेकॉन की वेबसाइट पर प्रत्येक एनआईटी के साथ डाउनलोड योग्य स्वरूप में अपलोड किया जाता है। सभी निविदाकर्ताओं को अपनी निविदाएं दाखिल करते समय सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करने होते हैं।

**ईआईएम (निष्पक्ष बाह्य निरीक्षक)** : मेकॉन में पिछले कुछ वर्षों से निष्पक्ष बाह्य निरीक्षक (ईआईएम) का कार्य कर रहा है। अब तक आईपी के तहत ठेकों और निविदाओं के मामलों में कोई प्रतिवेदन/शिकायत/विवाद प्राप्त नहीं हुआ है।

**मेकॉन में ई-प्रापण और ई-भुगतान लागू करना** : स्थानी विक्रेताओं की छोटी राशि के बिलों को छोड़कर विक्रेताओं को सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एन ई एफ टी/आर टी जी एस) के माध्यम से किए जा रहे हैं। बिक्री कर, सेवा कर आदि के लिए भुगतान भी आर टी जी एस/एन ई एफ टी के माध्यम से किए जाते हैं। मूल्य का ध्यान किए बिना अधिक पारदर्शिता के लिए निविदा दस्तावेज, ड्राईंग और डाटा, तकनीकी विनिर्देशन डाउनलोड किए जाने वाले रूप में मेकॉन की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। विक्रेताओं द्वारा पंजीकृत करके मेकॉन की वेबसाइट से निविदा दस्तावेज उनके द्वारा डाउनलोड किए जा सकते हैं। यह सभी पात्र बोलीदाताओं को समान अवसर देता है और निविदा करने की प्रणाली में पारदर्शिता लाता है।

**सतर्कता विभाग, मेकॉन, रांची का आईएसओ प्रमाणपत्र** : मेकॉन, रांची के सतर्कता विभाग का टीयूवी इंडिया ने रांची में 5 और 6 सितम्बर, 2013 को आईएसओ गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का वार्षिक पुनःप्रमाणीकरण ऑडिट किया। पुनःप्रमाणीकरण ऑडिट के दौरान टीयूवी इंडिया ने सतर्कता विभाग द्वारा अनुपालित क्यू एम एस पर संतोष व्यक्त किया।

### 12.10 के आई ओ सी एल लिमिटेड

**सत्यनिष्ठा समझौता कार्यक्रम** : सत्यनिष्ठा समझौता के आई ओ सी एल में 1 जनवरी, 2008 को लागू किया गया। आई पी खंड शामिल करके वर्ष 2013 के दौरान 119 निविदाएं जारी की गईं हैं।

**आईएसओ 9001:2008** : सतर्कता विभाग के आईएसओ प्रमाणपत्र आईएसओ पुनःवैध किया गया है और यह 10.02.2016 तक वैध है।

**वार्षिक संपत्ति विवरणियों को प्रस्तुत करना** : वार्षिक संपत्ति विवरणियों को प्रस्तुत करना आनलाइन किया गया है। संगठन में 431 कार्यपालक है। सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार उपर्युक्त के 20 प्रतिशत की हर वर्ष संवीक्षा की जानी है। तदनुसार, वर्ष के दौरान 87 अधिकारियों की वार्षिक संपत्ति विवरणियों की संवीक्षा की गई थी।

**निरीक्षण** : मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और विपथनों को समाप्त करने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण किए जा रहे हैं। वर्ष 2013 के दौरान, 3 सीटीई निरीक्षण, 31 औचक जांच, 35 सामान्य निरीक्षण और फाइलों की 29 संवीक्षा की गई थी।

**ई-गवर्नेंस** : सितम्बर 2004 से स्कैप का निपटान ई-नीलामी से हो रहा है। सितम्बर, 2010 से ई-खरीदारी रिवर्स नीलामी के माध्यम से की जाती है। ई-खरीदारी की प्रथम सीमा 5 लाख रुपए व अधिक मानी गई है। प्रारंभिक सीमा अर्थात् 1 लाख रुपए से अधिक मूल्य के सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जा रहे हैं।

### 12.11 बर्ड ग्रुप आफ कंपनीज (बीजीसी)

बीजीसी का सतर्कता विभाग के अध्यक्ष आर आई एन एल के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) है, और उसकी सहायता कोलकाता मुख्यालय में एक सतर्कता अधिकारी और सीवीओ के पीएसओ करते हैं। इसके अतिरिक्त दोनों ओएमडीसी खानों, ठकुरानी और बीएसएल खाने, बिरमित्रापुर के लिए दो सतर्कता अधिकारी (अतिरिक्त प्रभार) नियुक्त किए गए हैं। सतर्कता विभाग के कार्यों में कंपनी की सभी खानों के लिए और कोलकाता में पंजीकृत कार्यालय के लिए निवारक और दंडात्मक कार्रवाई शामिल है। कंपनी का सतर्कता विभाग अधिक से अधिक पारदर्शिता लाने के लिए क्रमबद्ध सुधार के लिए अपने प्रयास कर रहा है और कर्मचारियों में सतर्कता जागरूकता का सृजन करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम के परस्पर बातचीत सत्र चला रहा है। कंपनी नवम्बर माह के दौरान हर वर्ष "सतर्कता जागरूकता सप्ताह" मनाती है।

निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रणाली सुधार प्राप्त / सुधारे गए हैं :

- सभी सेवा नियमों का संहिताकरण किया गया है और उनका कार्यान्वयन बोर्ड के अनुमोदन से किया जा रहा है।
- सभी भुगतानों का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से संवितरण।
- व्हिसल ब्लोअर नीति को अपनाना।
- शिकायत प्रबंधन नीति को अपनाना।
- कंपनी की खानों में निगरानी प्रणाली की संस्थापना के लिए पहल।
- दैनिक आधार पर उत्पादन, बिक्री, निधि की स्थिति पर सूचना एकत्रित करने के लिए मुख्यालय में एन आईएस प्रणाली को अशोधित किया गया है।
- सामग्री की ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री।
- बीजीसी, सतर्कता विभाग के लिए गतिविधियों के संपूर्ण सेट का सतर्कता प्रबंध में आईएसओ 9001:2008 का प्रमाणन का कार्यान्वयन।
- सभी महत्वपूर्ण निकास बिन्दुओं पर तोल सेतु की संस्थापना और ऐसे तोल सेतुओं को कम्प्यूटर के साथ जोड़ा जाएगा ताकि विभिन्न प्लॉट / स्टॉक यार्ड में प्राप्त खनिजों की स्वतः रिकार्डिंग को सुनिश्चित किया जा सके ताकि डाटा का दिन-प्रतिदिन के आधार पर मिलान किया जा सके। यह चरणबद्ध ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है।

## शिकायत निवारण तंत्र

### 13.1 केंद्रीयकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली

मंत्रालय और उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जन शिकायतों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीयकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सी पी जी आर ए एम एस) लागू की गई है। सी पी जी आर ए एम एस निकनेट पर एक ऑनलाइन वेब प्रणाली है जिसे एनआईसी ने प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग (डी ए आर पी जी) के साथ मिलकर तैयार किया है। इसका उद्देश्य भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों की शिकायतों का तेजी से निपटारा और उनकी प्रभावकारी मॉनीटरिंग करना है। शिकायत निवारण कार्य का पूरा चक्र है : (i) नागरिक द्वारा शिकायत को दर्ज करना; (ii) संगठन द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने की पुष्टि; (iii) आगे की कार्रवाई के संबंध में शिकायतों का आकलन; (iv) आगे बढ़ाना और हस्तांतरण; (v) स्मरणपत्र और स्पष्टीकरण; तथा (vi) मामले का निपटारा।

1.4.2013 से 31.3.2014 तक सी पी जी आर ए एम एस के अंतर्गत निपटाए गए मामलों का विवरण निम्न है :

01.04.2013 को शेष शिकायतें	1.4.2013 से 31.3.2014 तक प्राप्त	1.4.2013 से 31.3.2014 के दौरान निपटाई गई	31.12.2014 को लंबित शिकायतें
24	300	279	45

इस्पात मंत्रालय में संशोधित सेवोत्तम अनुरूप नागरिक/ग्राहक चार्टर को अंतिम रूप दिया गया है और क्रियान्वित किया गया है। मंत्रालय और इस्पात पीएसयू में "सात उपाय आदर्श नागरिक केंद्रिक-सेवोत्तम" को अपनाने की ब्यौरेवार स्थिति अनुबंध—XVII में दी गई है।

केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के फैसलों/आदेशों पर कार्यान्वयन की स्थिति अनुबंध—XIII में दी गई है।

### 13.2 स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

सेल के संयंत्रों और इकाइयों में एक प्रभावकारी आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है। इसमें कार्यपालकों और गैर-कार्यपालकों के लिए अलग-अलग व्यवस्था है। सेल में शिकायत की प्रक्रिया कर्मचारियों, ट्रेड यूनियनों और संगठनों के साथ लगातार बातचीत और उनकी सहमति के बाद शुरू की गई।

सेल के संयंत्रों और इकाइयों में शिकायतों से 3 स्तरों में निपटा जाता है और कर्मचारियों को हर चरण में एक मौका दिया जाता है ताकि वे वेतन अनियमितताओं, कार्य परिस्थितियों, तबादले, छुट्टी, उन्हें सौंप गए कार्य और कल्याणकारी सुख-सुविधाओं आदि से जुड़ी शिकायतों को हर स्तर पर उठा सकें। शिकायत प्रबंधन की व्यवस्था के जरिए इनसे कारगर तरीके से निपटा जाता है। हालांकि इस्पात कारखानों के सहयोगपूर्ण वातावरण को देखते हुए अधिकतर शिकायतों को अनौपचारिक तरीके से ही निपटा दिया जाता है। यह प्रणाली व्यापक, सरल और लचीली है और कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को संवर्धित करने में प्रभावी सिद्ध हुई है।

1.4.2013 से 31.03.2014 के बीच शिकायतों/कर्मचारी शिकायतों की स्थिति इस प्रकार है :

क्र. सं.	शिकायतों के प्रकार	1.4.2013 को शेष शिकायतें	अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 के दौरान प्राप्त शिकायतें	अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	31.03.2014 को लंबित शिकायतें
1	जन शिकायतें	शून्य	219	211	8
2	कर्मचारी शिकायतें	44	1127	1157	14

### 13.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल)

आर आई एन एल में, कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण करने के लिए पृथक सुनियोजित एवं औपचारिक शिकायत निवारण प्रणालियां हैं। गैर-कार्यपालकों की औपचारिक शिकायत प्रणाली के अंतर्गत समिति में कामगारों का एक प्रतिनिधि उपस्थित होता है। इसके अलावा, कार्यपालक एवं गैर-कार्यपालक दोनों की शिकायत निवारण प्रणालियों में शिकायतों का निवारण करने के लिए समय-सीमा निश्चित की गई है। जन शिकायतों का निपटारा करने के लिए महाप्रबंधक स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी को विशेष कार्य अधिकारी (जन शिकायतों) के रूप में नियुक्त किया गया है।

**दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2014 तक की जन/कर्मचारी शिकायतों की स्थिति**

क्र. सं.	शिकायतों के प्रकार	1.4.2013 को शेष शिकायतें	अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 के दौरान प्राप्त शिकायतें	अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	31.03.2014 को लंबित शिकायतें
1	जन शिकायतें	शून्य	8	7	1
2	कर्मचारी शिकायतें	शून्य	1	शून्य	1

**13.4 एन एम डी सी लिमिटेड**

एन एम डी सी में शिकायत निवारण तंत्र मुख्यालय में एक महाप्रबंधक और चार उत्पादन परियोजनाओं में प्रत्येक के परियोजना प्रमुख के नेतृत्व में काम करता है। सीवीओ को शिकायत निवारण तंत्र की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी मनोनीत किया गया है। ये तंत्र संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है। लेकिन देखरेख की जा रही शिकायतों की मात्रा कम है। शिकायतें दर्ज करने के लिए एन एम डी सी की वेबसाइट के होम पेज पर जन शिकायतों के लिए भारत सरकार के पोर्टल के लिए "लिंक" दिया गया है। संगठन का जनता से सीधा संपर्क बहुत कम है, इस नाते समय सीमा आदि के लिए कोई दिशानिर्देश तय नहीं किए गए हैं। लेकिन जब कभी कोई जन शिकायत (चाहे प्रेस के जरिए ही क्यों न मिले) प्राप्त होती है तो उस पर तत्परता से कार्रवाई की जाती है। पूरी स्थिति से अवगत कराने के लिए मंत्रालय को हर महीने और हर तिमाही में कर्मचारी/जन शिकायतों की रिपोर्टें भेजी जाती हैं।

**01.04.2013 से 31.03.2014 की अवधि में जन/कर्मचारी शिकायतों की स्थिति :**

क्र. सं.	शिकायतों के प्रकार	1.4.2013 को शेष शिकायतें	अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 के दौरान प्राप्त शिकायतें	अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	31.03.2014 को लंबित शिकायतें
1	जन शिकायतें	शून्य	6	4	2
2	कर्मचारी शिकायतें	शून्य	143	143	शून्य

**13.5 मॉयल लिमिटेड**

मॉयल में कार्यपालक तथा गैर-कार्यपालक कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण की अपनी प्रक्रिया है। मॉयल में शिकायतों की निपटान व्यवस्था में प्रत्येक इकाई के लिए एक शिकायत अधिकारी मनोनीत किया जाता है। मुख्यालय में मनोनीत शिकायत अधिकारी कारगर तरीके से काम करने के लिए प्रत्येक इकाई के शिकायत अधिकारी के साथ समन्वय रखता है। मुख्यालय में निगरानी इकाई से प्राप्त आंकड़ों, शिकायत अधिकारी से हर महीने मिलने वाली रिपोर्ट और यहां तक कि मुख्यालय अधिकारियों के निरीक्षण के आधार पर मिलने वाली रिपोर्ट के जरिए शिकायतों पर निगरानी रखी जाती है।

**01.04.2013 से 31.03.2014 की अवधि में जन/कर्मचारी शिकायतों की स्थिति :**

क्र. सं.	शिकायतों के प्रकार	1.4.2013 को शेष शिकायतें	अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 के दौरान प्राप्त शिकायतें	अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	31.03.2014 को लंबित शिकायतें
1	जन शिकायतें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	कर्मचारी शिकायतें	शून्य	614	614	शून्य

**13.6 एम एस टी सी लिमिटेड**

कंपनी ने वेबसाइट [www.mstcindia.co.in](http://www.mstcindia.co.in) शुरू की है तथा इसे जन शिकायतों के निपटान के साथ जोड़ा जाता है। इस वेबसाइट पर खरीदार/संबद्ध व्यक्ति अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और वे दर्ज शिकायतों के लिए यह पोर्टल एक अनोखे सिस्टम से तैयार कोड उपलब्ध कराता है जिससे ऑनलाइन रजिस्टर की गई शिकायतों पर हो रही प्रगति देखी जा सकती है। वे आनलाइन पंजीकृत शिकायत की प्रगति भी देख सकते हैं।



## अध्याय—XIII

इसके अलावा, सीपीजीआरएएमएस (केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और मानीटरिंग) पर लिंक एमएसटीसी की कारपोरेट वेबसाइट के होम पृष्ठ पर भी दिया गया है जिसको नामित अधिकारियों द्वारा मानीटर किया जाता है।

विभिन्न क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों में शिकायत कक्ष भी गठित किए गए हैं ताकि शिकायतों को तत्काल छांटा जा सके और मामलों के समाधान के लिए कार्रवाई की जा सके।

कर्मचारियों की शिकायतों की विभागाध्यक्ष और क्षेत्रीय/शाखा प्रबंधकों द्वारा देखभाल की जाती है। कुछ शिकायतें डाक द्वारा केंद्रीय शिकायत कक्ष में भी प्राप्त होती हैं। इसके अलावा, एचआर विभाग कार्यालय को दिन-प्रतिदिन चलाने में कर्मचारियों से प्राप्त विभिन्न औपचारिक/अनौपचारिक शिकायतों को विभागाध्यक्ष और स्टाफ यूनिजनों, जहां कहीं भी आवश्यक हो, के साथ परामर्श से जांच करता है।

### 01.04.2013 से 31.03.2014 की अवधि में जन/कर्मचारी शिकायतों की स्थिति :

क्र. सं.	शिकायतों के प्रकार	1.4.2013 को शेष शिकायतें	अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 के दौरान प्राप्त शिकायतें	अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	31.03.2014 को लंबित शिकायतें
1	जन शिकायतें	शून्य	43	40	3
2	कर्मचारी शिकायतें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

### 13.7 फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड (एफ एस एन एल)

#### 01.04.2013 से 31.03.2014 की अवधि में प्राप्त जन/कर्मचारी शिकायतों की स्थिति :

क्र. सं.	शिकायतों के प्रकार	1.4.2013 को शेष शिकायतें	अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 के दौरान प्राप्त शिकायतें	अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	31.03.2014 को लंबित शिकायतें
1	जन शिकायतें	2	11	12	1
2	कर्मचारी शिकायतें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

### 13.8 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एच एस सी एल)

वर्ष 2012-13 और 2013-14 में जन/शिकायतों के निपटान के संबंध में अनुपालन किया गया है।

### 13.9 मेकॉन लिमिटेड

#### जन शिकायतें

आमतौर पर मेकॉन का जनता से कार्य व्यापार नहीं होता है। लेकिन यदि किसी प्रकार के उत्पीड़न से जुड़ी कोई निश्चित शिकायत मिलती है तो उसे एक शिकायत के रूप में लिया जाता है। उपभोक्ता की शिकायतों को अत्यंत गंभीरता से लिया जाता है और उनका निस्तारण किया जाता है। सामान्य तौर पर ठेकेदारों/उपभोक्ताओं या जनता की कोई शिकायत लंबित नहीं है। मेकॉन ने जन शिकायतों के लिए केंद्रीयकृत जन शिकायत निवारण और मॉनीटरिंग प्रणाली (सी पी जी आर ए एम एस) के अंतर्गत नोडल अधिकारी नामजद किया है तथा इस नोडल अधिकारी का नाम कार्मिक एवं जन शिकायत मंत्रालय की वेबसाइट पर रखा गया है।

#### कर्मचारियों की शिकायतें

मेकॉन में कर्मचारियों की शिकायतों के निपटारे के लिए तीन स्तरीय प्रक्रिया अपनाई जाती है। कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करने और उनके निपटारे की सिफारिश कार्यपालक और गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की एक शिकायत सलाहकार समिति करती है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के लिए भी अलग से एक प्रकोष्ठ है। फिलहाल कहीं से भी किसी कर्मचारी की कोई शिकायत नहीं मिली है। सामान्य तौर पर गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के मामले में कर्मचारी अपने मुद्दों/शिकायतों को उनके द्वारा निर्वाचित मेकॉन कर्मचारी यूनिजनों (एमईयू) के माध्यम से और कार्यपालक कर्मचारियों के मामले में मेकॉन एकजीक्यूटिव एसोसिएशन (एमईए) के माध्यम से रखने को प्राथमिकता देता है जिन्हें कंपनी ने मान्यता दे रखी है।

### 13.10 के आई ओ सी एल लिमिटेड

के आई ओ सी एल ने मार्च 1977 में अनुशासन संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत शिकायतों के निपटारे के लिए एक सुपरिभाषित प्रक्रिया तैयार कर ली थी जिसके दायरे में कार्यपालक और गैर-कार्यपालक सभी कर्मचारियों को रखा गया। शिकायतों के बारे में आसानी से पता लग जाता है और निचले स्तर पर ही उनका निपटान कर दिया जाता है। के आई ओ सी एल के पास विवाद समाधान तंत्र सहित सु-संरचित और बहु-स्तरीय लोक शिकायत निवारण तंत्र है। के आई ओ सी एल में लोक समाधान स्थापना बंगलौर में निगमित कार्यालय से लेकर सभी उत्पादन यूनिटों और संपर्क कार्यालयों में लागू की गई है। सभी स्थानों पर लोक शिकायत अधिकारी नामित किए जाते हैं। शिकायतकर्ता इन कार्यालयों से व्यक्तिगत रूप से या लिखित शिकायत या ई-मेल के माध्यम से सम्प्रेषण या टेलीफोन पर संपर्क कर सकता है। नियमित अंतरालों पर नियमित ग्राहक बैठक आयोजित की जाती है।

01.04.2013 से 31.03.2014 की जन/कर्मचारी शिकायतों की स्थिति :

क्र. सं.	शिकायतों के प्रकार	1.4.2013 को शेष शिकायतें	अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 के दौरान प्राप्त शिकायतें	अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	31.03.2014 को लंबित शिकायतें
1	जन शिकायतें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	कर्मचारी शिकायतें	शून्य	7	7	शून्य

### 13.11 बर्ड ग्रुप आफ कंपनीज (बीजीसी)

बर्ड ग्रुप आफ कंपनीज में निगमित और इकाई स्तरों पर शिकायत निपटान व्यवस्था लागू है। इस कार्य के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इन अधिकारियों के नाम और पदनाम कंपनी की वेबसाइट में प्रदर्शित किए गए हैं।

01.04.2013 से 31.03.2014 की जन/कर्मचारी शिकायतों की स्थिति :

क्र. सं.	शिकायतों के प्रकार	1.4.2013 को शेष शिकायतें	अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 के दौरान प्राप्त शिकायतें	अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	31.03.2014 को लंबित शिकायतें
1	जन शिकायतें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	कर्मचारी शिकायतें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

## निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का कार्यान्वयन

### 14.1 इस्पात मंत्रालय

इस्पात मंत्रालय और उसके तहत आने वाले सभी सार्वजनिक उपक्रम निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के कार्यान्वयन से जुड़े सभी सरकारी नियमों का पालन करते हैं। इस्पात मंत्रालय में 31.03.2014 तक, तीन (03) (एक नेत्र से निःशक्त, एक सुनने से निःशक्त और एक हड्डियों से निःशक्त) व्यक्ति को रोजगार मिला हुआ है।

### 14.2 स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

- सेल अपने कर्मचारियों के निःशक्त बच्चों को उनकी शिक्षा में सहायता देने के लिए छात्रवृत्तियां दे रहा है।
- वर्क्स प्रभाग में काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों, जो सेवाकाल में निःशक्त हो जाते हैं, को प्रशिक्षण देने के पश्चात पहचान किए गए पदों पर पुनः नियुक्त किया जाता है। उन्हें जयपुर फुट और व्हील चेयर जैसी उपयुक्त चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं।
- निःशक्त कर्मचारियों को आवास के आवंटन में विशेष छूट दी जाती है। ऐसे कर्मचारियों को आवंटन के समय नीचले तल पर आवास दिया जाता है।
- हकदार न होने पर भी, सेल कर्मचारी के आश्रित निःशक्त भाई और बहन को भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
- सेल के कारखानों में निःशक्त व्यक्तियों को दुकान, एसटीडी बूथ, दूध के बूथ, छोटी-मोटी दुकानें भी आवंटित की जाती हैं।
- कारखाना स्थलों में निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से विभिन्न खेल तथा सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। कारखाने के कुछ स्थानों में निःशक्त व्यक्तियों के लिए अलग से खेल के मैदान निश्चित किए गए हैं।

### 14.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल)

आर आई एन एल – विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने के निगमित कार्यालय/प्रमुख प्रशासनिक भवन में स्थित विभिन्न कार्यालयों में आने वाले निःशक्त लोगों की सुविधा के लिए निम्न व्यवस्थाएं की गई हैं :

- रैम्प मार्ग प्रदान करना
- भवन की दोनों लिफ्ट में स्पीकरों की व्यवस्था
- प्रमुख प्रशासनिक भवन के प्रवेश द्वार पर स्थित स्वागत कक्ष में व्हील चेयर का प्रावधान
- 7.2.1996 को निःशक्तता अधिनियम लागू होने के पश्चात आर आई एन एल ने विभिन्न निःशक्तताओं से ग्रस्त 94 लोगों को नियुक्त किया (जिसमें मेरिट पर चयन किए गए 7 व्यक्ति शामिल हैं)।

### 14.4 एन एम डी सी लिमिटेड

एन एम डी सी लिमिटेड एक खनन संगठन है तथा इस पर खनन अधिनियम तथा इसके नियम एवं विनियम लागू होते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से निःशक्त व्यक्तियों को खानों/कारखानों में नियुक्त नहीं किया जा सकता। फिर भी, निःशक्त व्यक्तियों को ऐसे पदों पर भर्ती करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जहां बाहर काम करने की जरूरत नहीं होती है और एन एम डी सी में इस समय विभिन्न पदों पर 43 निःशक्त कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। एन एम डी सी ने कंपनी के प्रशासनिक कार्यालयों में आने वाले निःशक्त व्यक्तियों की सुविधा के लिए कई कदम उठाए हैं जिसमें रैम्प मार्ग लिफ्टों में ऑडिटरी सिग्नल का प्रावधान शामिल है। निःशक्त व्यक्तियों को भत्ते और वाहन भत्ता या तो एन एम डी सी की स्कीम के अनुसार या केंद्रीय सरकार की स्कीम के अनुसार लेने का विकल्प भी दिया जाता है। परियोजनाओं में कर्मचारी, जो सेवा के दौरान निःशक्त हो जाते हैं, को पहचान किए पदों में पुनःनियोजित किया जाता है।

### 14.5 मॉयल लिमिटेड

मॉयल लिमिटेड एक खनन कंपनी है और इसकी प्रमुख गतिविधियां दुर्गम इलाकों में जमीन के अंदर खनन कार्य करना हैं। उपयुक्त पदों की पहचान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को कंपनी में रोजगार दिया जा सके। वर्तमान रूप से, मॉयल में निःशक्तता वाले 25 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है।

#### 14.6 एम एस टी सी लिमिटेड

31.03.2014 की स्थिति के अनुसार एम एस टी सी में निःशक्तता वाले 8 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया।

#### 14.7 फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड (एफ एस एन एल)

एफ एस एन एल स्क्रेप शोधन कंपनी है और एकीकृत इस्पात कारखानों को सेवाएं प्रदान करता है। एफ एस एन एल की गतिविधियां सभी मौसमों में खुले क्षेत्र में की जाती हैं। यहीं नहीं, परिचालन गतिविधियों के लिए बालिंग क्रेन, मैग्नेटिक सेपरेटर, डोजर, डम्पर्स आदि का प्रयोग किया जाता है। अतः एफ एस एन एल का वातावरण/कार्य परिस्थितियां निःशक्त व्यक्तियों के लिए ठीक नहीं हैं। अतः निःशक्तों को काम में लगाना उनके लिए सुरक्षित नहीं होगा।

जहां भी संभव हो एफ एस एन एल ऐसे व्यक्तियों को समूह "ग" के दफ्तरों में काम पर लगाता है। इसके अलावा समान अवसर, सुरक्षा और संपूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995 पारित होने पर कंपनी ने समूह "क" के गैर-कारखाना विभाग के 3 पदों की पहचान की है, जिसमें से 1 पद भरा गया, परंतु नियुक्त व्यक्ति ने सेवा से इस्तीफा दे दिया।

#### 14.8 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एच एस सी एल)

31.03.2014 की स्थिति के अनुसार एच एस टी सी में निःशक्तता वाले तीन व्यक्तियों को नियुक्त किया गया।

#### 14.9 मेकॉन लिमिटेड

कंपनी ने "निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित अधिनियम, 1995" के प्रावधानों को कार्यान्वित किया है। मेकॉन के कुल कर्मचारियों की संख्या 31.03.2014 को 1673 थी, जिनमें से निःशक्त लोगों की विभिन्न पदों पर संख्या 12 थी।

#### 14.10 के आई ओ सी एल लिमिटेड

के आई ओ सी एल में 31.03.2014 को विभिन्न समूहों में निःशक्तता श्रेणी से संबंधित 13 व्यक्ति हैं।

#### 14.11 बर्ड ग्रुप आफ कंपनीज़ (बीजीसी)

बीजीसी में दो निःशक्त व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं।

## हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

### 15.1 प्रस्तावना

केन्द्र सरकार की राजभाषा नीति को लागू करने के तहत राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा तैयार और जारी वार्षिक कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, इस्पात मंत्रालय ने वर्ष 2013–14 के दौरान शासकीय कार्यों में हिन्दी के व्यापक प्रयोग में काफी प्रगति की है।

मंत्रालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी कार्य संयुक्त सचिव के प्रशासकीय नियंत्रण में है। संयुक्त निदेशक (राजभाषा) के सीधे नियंत्रण में हिंदी अनुभाग राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित कार्य और हिंदी अनुवाद कार्य देखता है और इसमें एक सहायक निदेशक (राजभाषा), दो वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक, दो कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, एक उच्च श्रेणी लिपिक तथा अन्य सहायक कर्मचारी हैं।



24 फरवरी 2014 को लखनऊ में हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई

#### 15.1.1 राजभाषा कार्यान्वयन समिति

मंत्रालय के संयुक्त सचिव के अधीन राजभाषा कार्यान्वयन समिति है। यह समिति मंत्रालय और इसके अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करती हैं। समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान ऐसी चार बैठकें आयोजित की गईं।

#### 15.1.2 हिन्दी सलाहकार समिति

केंद्रीय इस्पात मंत्री की अध्यक्षता में हिन्दी सलाहकार समिति कार्यरत है जिसका मुख्य उद्देश्य मंत्रालय के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए परामर्श देना है। चूंकि हिन्दी सलाहकार समिति का कार्यकाल 14.06.2013 को समाप्त हो गया था, इसलिए 30.08.2013 को केंद्रीय इस्पात मंत्री की अध्यक्षता में इसका पुनर्गठन किया गया है। पुनर्गठित समिति की पहली बैठक 13.09.2013 को आयोजित की गई थी।

#### 15.1.3 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का कार्यान्वयन

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी दस्तावेजों को हिन्दी और अंग्रेजी में तैयार किया जाता है। क्षेत्र 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों में हिन्दी में पत्र भेजना सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में जांच बिन्दु बनाए गए हैं।



#### 15.1.4 हिन्दी में मौलिक कार्य के लिए प्रोत्साहन योजना

राजभाषा विभाग द्वारा हिन्दी में मौलिक कार्य के लिए शुरू की गई नकद प्रोत्साहन योजना को मंत्रालय में लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त, पदाधिकारियों को अंग्रेजी के साथ हिन्दी में अपना कार्य करने के लिए हिन्दी टंकण/आशुलिपि प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किया गया।

#### 15.1.5 राजभाषा शीलड / ट्रॉफी

इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए इस्पात राजभाषा शीलड (प्रथम पुरस्कार), इस्पात राजभाषा ट्रॉफी (द्वितीय पुरस्कार), और इस्पात राजभाषा ट्रॉफी (तृतीय पुरस्कार), के साथ ही क्षेत्र 'ग' में स्थित सार्वजनिक उपक्रमों के लिए एक राजभाषा शीलड पुरस्कार की संस्थापना की गई है। हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में उपक्रमों के वार्षिक निष्पादन के आधार पर प्रतिवर्ष सार्वजनिक उपक्रमों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इस्पात मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में निष्पादन का मूल्यांकन किया गया है तथा वर्ष 2011-12 के लिए ट्राफियां सेल, केआईओसीएल, एचएससीएल तथा आरआईएनएल को प्रदान की गई है।

#### 15.1.6 हिन्दी दिवस / हिन्दी पखवाड़ा

मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को शासकीय कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु माननीय इस्पात मंत्री ने 14 सितम्बर, 2013 को अपील जारी की। मंत्रालय में 2 सितम्बर से 16 सितम्बर 2013 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इस अवधि के दौरान, कार्यालयी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के प्रति सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

#### 15.1.7 हिन्दी / हिन्दी टंकण / हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण

सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है। जहां तक हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि का प्रश्न है, 6 अवर श्रेणी लिपिकों एवं 2 आशुलिपिकों में से 5 अवर श्रेणी लिपिक (1 अवर श्रेणी लिपिक को टंकण से छूट प्राप्त है) और दोनों आशुलिपिक क्रमशः हिन्दी टाइपिंग एवं आशुलिपि जानते हैं।

#### 15.1.8 मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा राजभाषा निरीक्षण

मंत्रालय के अधिकारियों ने मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विभिन्न कार्यालयों का दौरा इन कार्यालयों में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग का सुनिश्चय करने के लिए किया तथा साथ ही इन कार्यालयों में केन्द्र सरकार की राजभाषा नीति का क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया।

### 15.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर जोर देना जारी रखा है। सेल द्वारा हिन्दी के प्रचार के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। हिन्दी कम्प्यूटरीकरण के क्षेत्र में 52 कार्य सी एवं आईटी विभाग (साफ्टवेयर समूह) की सहायता से एकीकृत प्रणाली के जरिए संपन्न किये गये। मासिक हिन्दी प्रोत्साहन के लिए फार्मों के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण की सुविधा को शुरू किया गया है। इस प्रकार सेल पहला पीएसयू है जिसने एकीकृत प्रणाली के जरिए हिन्दी कम्प्यूटरीकरण के लिए ओरेकल प्लेटफार्म का इस्तेमाल किया है जिसकी विभिन्न मंचों द्वारा सराहना की गई है।

कम्पनी में राजभाषा के कार्यान्वयन में इसकी उत्कृष्टता के लिए सेल को अखिल भारत स्तर पर 'इंदिरा गांधी राजभाषा शीलड' भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने प्रदान की। यह अवार्ड 14 सितम्बर, 2013 को विज्ञान भवन में आयोजित हिन्दी दिवस समारोह में सेल के अध्यक्ष को प्रदान किया गया।

इस्पात मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों में राजभाषा के सर्वोत्तम क्रियान्वयन के लिए सेल को इस्पात राजभाषा शीलड (प्रथम पुरस्कार) प्रदान की गई। सेल के अध्यक्ष ने यह शीलड 24 फरवरी, 2014 को माननीय इस्पात मंत्री से प्राप्त की। सेल ने वर्ष 2013 में राजभाषा के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए नराकास राजभाषा शीलड (द्वितीय पुरस्कार) भी प्राप्त की।

सेल की अध्यक्षता में, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम), दिल्ली ने अनेक नवीन पहलें की हैं जैसे इसकी छाहरी पत्रिका "इन्द्रप्रस्थ स्वर" का प्रकाशन (चार अंक प्रकाशित किए जा चुके हैं), इसकी अपनी स्वयं की वेबसाइट [tolicsudelhio.org](http://tolicsudelhio.org), की शुरुआत, इसके क्रियाकलापों के प्रभावी प्रबंधन के लिए विभिन्न सदस्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिनिधित्व वाली विभिन्न उप-समितियों का गठन, राजभाषा हिन्दी के प्रचार के लिए नगर स्तर पर 10 हिन्दी प्रतियोगिताओं तथा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन।

हिन्दी में सेल की गृह पत्रिका "इस्पात भाषा भारती" का अभिकल्पन भी ई-पत्रिका के रूप में किया गया था तथा इसे सेल के पोर्टल, पर उपलब्ध कराया गया जिसके परिणामस्वरूप पत्रिका को अब संयंत्र/इकाईयों से सभी सेल कर्मचारियों द्वारा पढ़ा/देखा जा सकता है।

सेल की हिन्दी गृह पत्रिका 'इस्पात भाषा भारती' को वर्ष 2012-13 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों में सर्वोत्तम पत्रिका अधिनिर्णीत किया गया है। इसके अतिरिक्त, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति दिल्ली, कोलकाता तथा भिलाई जिनका नेतृत्व क्रमशः दिल्ली में सेल के कारपोरेट कार्यालय, भिलाई में भिलाई इस्पात संयंत्र तथा कोलकाता में आरएमडी द्वारा किया जा रहा है, को वर्ष 2013-14 में राजभाषा हिन्दी के संवर्धन में उनके उत्कृष्ट निष्पादन के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है।

### 15.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और विनिर्दिष्ट नियमों के अनुपालन को सदैव उचित महत्व दिया जाता है। कंपनी की अनुमोदित कार्य रूपरेखा के अनुरूप इस संबंध में प्रशिक्षण और विभिन्न अन्य क्रियाकलाप संचालित किए गए हैं। संगठन में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में और शीर्षस्थ प्रबंधन कार्मिकों को सदस्यों के रूप में शामिल करते हुए राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है। समिति तिमाही रूप से क्रियाकलापों की समीक्षा करती है और संगठन में राजभाषा के प्रभावी इस्तेमाल के लिए निदेश देती है।

वर्ष 2013-14 के दौरान हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :

- हिन्दी शिक्षण योजना, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित हिन्दी प्रबोध/प्रवीण पाठ्यक्रमों में दो बैचों में 167 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
- मुख्यालय, खानों एवं क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में आयोजित हिन्दी कार्यशालाओं में 606 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
- कम्प्यूटरों परयूनिकोड के जरिए हिन्दी में कार्य करने के लिए 141 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
- पुनर्वास कालोनियों की गृहिणियों के लिए दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा पाठ्यक्रमों के तहत हिन्दी कक्षाओं का आयोजन भी किया गया।
- हिन्दी सप्ताह/दिवस आयोजित किया गया तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।
- प्रत्येक तिमाही में छः विभागों/अनुभागों का निरीक्षण किया गया तथा राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की गई।
- हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के लिए हिन्दी हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया।
- आरआईएनएल में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा इस्पात मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति द्वारा 5 जून 2013, 13 सितम्बर, 2013 तथा 24 फरवरी 2014 को की गई थी।

संगठन में राजभाषा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किए गए प्रयासों की मान्यता स्वरूप, आरआईएनएल ने अनेक अवार्ड तथा पुरस्कार जीते:-

- 5वीं बार लगातार सम्मानित इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड का द्वितीय पुरस्कार।
- इस्पात राजभाषा शील्ड।
- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर के लिए तिमाही हिन्दी पत्रिका 'सुगंध' का चयन किया गया।
- हिन्दी गृह पत्रिका 'सुगंध' में प्रकाशित सर्वोत्तम लेख के लिए राष्ट्रीय स्तर का द्वितीय पुरस्कार।

### 15.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी लिमिटेड ने अपनी समस्त परियोजनाओं, इकाइयों एवं मुख्यालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के लिए सफल प्रयास किए।

हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जहां कर्मचारियों को फोनेटिक हिन्दी की-बोर्ड पर माइक्रो सॉफ्ट इंडिक कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। एमएस इंडिक और इटेलीजेंट की-बोर्ड पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी परियोजनाओं में राजभाषा अधिकारियों और उनके अधीनस्थों को तथा राजभाषा कार्य से संबंधित इकाइयों के अधिकारियों/प्रभारियों के लिए और साथ ही मुख्यालय में आयोजित राजभाषा सम्मेलन में भी आयोजित किया गया।

हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए मासिक हिन्दी नकद प्रोत्साहन योजना कार्यान्वित की गई और इस योजना के तहत बड़ी संख्या में कर्मचारी लाभान्वित हुए। तकनीकी क्षेत्रों में राजभाषा हिन्दी को क्रियान्वित करने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के वास्ते 54 राजभाषा तकनीकी संगोष्ठियां आयोजित की गईं और तकनीकी संगोष्ठी पत्रिका 'तकनीकी सोपान', 'तकनीकी क्षितिज' और राजभाषा पत्रिका "सर्जन, कानन कुसुम" भी प्रकाशित की गईं।

वर्ष के दौरान, हिन्दी में मासिक बुलेटिन “बैला समाचार, बछेली समाचार” और त्रिभाषी रूप में “दोणी समाचार” का प्रकाशन भी किया गया।

एनएमडीसी लिमिटेड को राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) हैदराबाद-सिकंदराबाद द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए प्रथम पुरस्कार के तौर पर राजभाषा शील्ड भी प्रदान की गई।

### 15.5 एमओआईएल लिमिटेड

एमओआईएल में कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। वर्ष के दौरान, कंपनी ने राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के कार्यान्वयन और प्रचार की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे ताकि हिन्दी के प्रचार के लिए कर्मचारियों को निबंध प्रतियोगिता, टिप्पण एवं मसौदा लेखन, कविता पाठ एवं लेख लेखन जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

कंपनी के सभी कम्प्यूटरों में यूनिकोड प्रणाली को क्रियान्वित किया गया है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को कम्प्यूटर में हिन्दी भाषा का साफ्टवेयर दिया है ताकि एमओआईएल के कर्मचारी अपने दैनंदिन कार्यकरण में उसका प्रयोग कर सकें। खानों में लगभग 96% कार्य हिन्दी में किया जा रहा है जिसकी अत्यंत सराहना की गई है।

“नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति” नागपुर ने विभिन्न अंतर कार्यालय प्रतियोगिताएं आयोजित की हैं जिनमें मुख्यालय तथा खानों के कर्मचारियों ने भाग लिया। “नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति” ने एमओआईएल को वर्ष 2011-12 के लिए हिन्दी के संवर्धन के लिए उनके उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया है।

कर्मचारियों को गृह मंत्रालय की “हिन्दी शिक्षण योजना” के तहत पुनः प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसमें 284 कर्मचारियों को पहले ही प्राज्ञ (उच्चतर स्तर) के लिए प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी हिन्दी में आंतरिक पत्रिका “संकल्प” का प्रकाशन भी कर रही है।

### 15.6 एमएसटीसी लिमिटेड

राजभाषा त्रिमास का उद्घाटन 16 सितम्बर 2013 को किया गया। इस अवधि के दौरान, मुख्यालय में और अंचल और शाखा कार्यालयों में हिन्दी प्रतियोगिताएं और हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गईं। हिन्दी प्रतियोगिताएं जीतने और हिन्दी ‘परीक्षाएं’ उत्तीर्ण करने वाले कुल 21 अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किये गये। राजभाषा विभाग, भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के तहत आयोजित हिन्दी परीक्षा के लिए कुल 07 अधिकारियों/कर्मचारियों को नामांकित किया गया।

राजभाषा विभाग के आईएसओ 9001:2008 प्रमाणन का नवीकरण किया गया है। मुख्यालय और क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों के कम्प्यूटरों में यूनिकोड की व्यवस्था की गई है। जहां कम्प्यूटर फॉर्मेट किए गए हैं वहां यूनिकोड की पुनः संस्थापना भी की जा रही है।

### 15.7 फेरो स्क्रीप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

राजभाषा नीति को लागू करने के संबंध में समय-समय पर सरकार से प्राप्त दिशानिर्देशों का एफएसएनएल द्वारा कड़ाई से पालन किया जाता है। वर्ष के दौरान हिन्दी टिप्पण/मसौदा लेखन प्रतियोगिताएं इत्यादि आयोजित की गईं और योजना के अनुसार विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए गए। कर्मचारियों को अपना दैनंदिन कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सतत निगरानी और प्रोत्साहन सुनिश्चित किया जाता है। विगत वर्षों की भांति, एफएसएनएल के कारपोरेट कार्यालय तथा सभी इकाइयों में सितम्बर 2013 के माह में हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया। इस अवसर पर हिन्दी निबंध लेखन, हिन्दी ज्ञान प्रतियोगिता, हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आदि जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं जिनमें कर्मचारियों ने उत्साह से भाग लिया।

### 15.8 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

कंपनी ने राजभाषा विभाग, भारत सरकार की राजभाषा नीति और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए कई उत्साहजनक प्रयास किए हैं। कंपनी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सदस्य है तथा इसके सभी कार्यक्रमों में बढ़-चढ़ कर भाग लेती है। कर्मचारियों को अपने दिन-प्रतिदिन के सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित व शिक्षित करने के लिए प्रत्येक तिमाही में यूनिकोड स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

14 सितम्बर, 2013 को हिन्दी दिवस मनाया गया जिसमें प्रबंध निदेशक ने अपना संदेश दिया। 14 सितम्बर से 28 सितम्बर, 2013 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया जिसमें हिन्दी निबंध लेखन, टिप्पण और प्रारूप, लेखन पहली प्रतियोगिता व भाषण प्रतियोगिताओं जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ।

इस्पात मंत्रालय की राजभाषा मूल्यांकन समिति ने 23.10.2013 को वर्ष 2011-12 के लिए इस्पात राजभाषा ट्राफी (तृतीय पुरस्कार) एचएससीएल को देने की घोषणा की।



श्री मलय चटर्जी, सीएमडी और अध्यक्ष टीओएलआईसी (उपक्रम) 14.9.2013 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति से इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार प्राप्त करते हुए

### 15.9 मेकॉन लिमिटेड

भारत सरकार की राजभाषा नीति का क्रियान्वयन अपने सरकारी कार्य में करने के लिए मेकॉन प्रभावी उपाय कर रहा है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति है। मेकॉन नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रांची का एक महत्वपूर्ण सदस्य है तथा सभी कार्यक्रमों में बढ़चढ़ कर भाग लेता है।

मेकॉन द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग के सहयोग से 19-20 सितम्बर 2013 के दौरान एक दो-दिवसीय तकनीकी शब्दावली (प्रशिक्षण) कार्यशाला सफलतापूर्वक आयोजित की गई जिसमें मेकॉन तथा टीओएलआईसी, रांची के सदस्य कार्यालयों से 50 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

कंपनी के मुख्यालय के साथ-साथ साइट कार्यालयों में 14.09.2012 से 28.09.2013 तक "हिन्दी पखवाड़ा" मनाया गया और इस अवधि के दौरान विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं जैसे कि हिन्दी निबंध एवं हिन्दी में धारा प्रवाह भाषण आदि आयोजित की गईं।

पखवाड़े के दौरान "कम्प्यूटर पर राजभाषा में कामकाज में वृद्धि" पर एक विशेष हिन्दी कार्यशाला और एक राजभाषा संगोष्ठी भी आयोजित की गईं। इसके अलावा 27 सितम्बर, 2013 को "हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में अटूट आत्मीय संबंध विषय पर एक राजभाषा संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया।

एक हिन्दी गृह पत्रिका "मेकॉन भारती" भी नियमित रूप से प्रकाशित की जा रही है, जो तकनीकी क्षेत्र में सृजनात्मक लेखन के लिए कर्मचारियों को एक मंच प्रदान करती है। मेकॉन की तिमाही गृह पत्रिका "मेकॉन संसार" में समाचार हिन्दी में भी प्रकाशित किए जाते हैं।

### 15.10 के आईओसीएल लिमिटेड

कंपनी इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार तथा गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करती है।

वर्ष के दौरान कर्मचारियों को अपना सरकारी कार्य हिन्दी में करने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण देने हेतु 4 हिन्दी कार्यशालाओं-हर तिमाही में एक-का आयोजन किया गया।

कंपनी बंगलौर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) की संयोजक है तथा बंगलौर में सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के

उपक्रमों के लिए नियमित बैठकों तथा संयुक्त हिन्दी माह कार्यक्रमों का आयोजन करती है। बैठकें 29 जुलाई, 2013 तथा 30 दिसम्बर, 2013 को आयोजित की गईं।

कम्पनी ने 16 सितम्बर 2013 से 23 अक्टूबर 2013 के बीच नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) के सदस्यों के लिए एक संयुक्त हिन्दी माह का आयोजन किया।

राजभाषा नीति के क्रियान्वयन में वर्ष 2011-12 के लिए टीओएलआईसी क्रियाकलापों के मान्यतास्वरूप, टीओएलआईसी (उपक्रम) को राजभाषा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा 22 फरवरी, 2013 को दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में वर्ष 2011-12 के लिए टीओएलआईसी क्रियाकलापों के मान्यतास्वरूप, टीओएलआईसी (उपक्रम) को भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 14 सितम्बर, 2013 को इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड प्रदान की गईं। यह अवार्ड राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा प्रदान किया गया।

### **15.11 बर्ड ग्रुप ऑफ कम्पनीज़ (बीजीसी)**

बीजीसी ने कर्मचारियों में हिन्दी के प्रयोग तथा जागरूकता को बढ़ाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। कम्पनी ने निबंध लेखन, हिन्दी गीत गायन, हिन्दी कविता पाठ तथा हिन्दी श्रुतलेख जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित कर 14 सितम्बर, से 28 सितम्बर, 2013 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया, जिसमें कर्मचारियों ने सक्रिय भाग लिया। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र एवं स्मृतिचिह्न दिए गए। द्विभाषी बोर्ड तथा विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। कर्मचारियों को प्रतिदिन नए शब्दों से अवगत कराने के लिए मुख्यालय में "राजभाषा शिक्षण बोर्ड" रखा गया है। बीजीसी में नियमित 'प्रबोध कक्षाएं' आरम्भ की गईं हैं।



## महिला सशक्तिकरण

### 16.1 प्रस्तावना

भारत के उच्चतम न्यायालय ने अगस्त, 1997 में विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के मामले में अपने फैसले में महिलाओं को लिंग समानता से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों और मानदंडों को उनके कार्य के संबंध में वैधता प्रदान करते हुए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को उनकी गरिमा के खिलाफ और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15(1) और 21 के प्रावधानों का उल्लंघन करार दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार सभी नियाक्ताओं, चाहे वे निजी क्षेत्र के हों या सार्वजनिक क्षेत्र के, को यौन प्रताड़ना रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए। इस व्यवस्था के भाग के रूप में, संगठन के बाहर के प्रतिनिधियों की सदस्यता युक्त एक शिकायत समिति (कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण रोकथाम) का गठन किया गया।

उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुपालन में इस्पात मंत्रालय ने महिला कर्मचारियों की शिकायतों की छानबीन करने और उनका समाधान करने के लिए उप-सचिव स्तर की महिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक पांच-सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसमें तीन महिला सदस्य हैं। समिति को वर्ष 2013-14 में एक भी शिकायत नहीं मिली है तथा यह मंत्रालय में महिला कार्यदल के लिए उत्कृष्ट माहौल का एक मुख्य संकेतक है।

#### 16.1.1 महिला सशक्तिकरण

वित्त मंत्रालय तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार इस्पात मंत्रालय में एक जेंडर बजट प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है जिसका उद्देश्य इस मंत्रालय में इस अवधारणा को लागू करने के लिए पहल करना है।

### 16.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)



महिलाओं को आजीविका अर्जित करने में समर्थ बनाने के लिए सेल द्वारा दक्षता प्रदान किया जाना

सेल एक समान अवसर नियोक्ता है जिसने योग्य महिलाओं तथा पुरुषों, दोनों को नियोजित किया है। इसके आरम्भ से ही अनेक महिलाओं ने न केवल इसके प्रबंधन में जिम्मेवार पद धारण किए हैं। बल्कि वे विभिन्न विभागों की प्रमुख भी रही हैं। सेल प्रबंधकीय, तकनीकी (इंजीनियर्स) पदों, चिकित्सा, अर्द्ध चिकित्सा सेवाओं और अकादमिक क्षेत्रों में महिलाओं को

नियुक्त करता है। कंपनी चयन, भर्ती और प्लेसमेंट अथवा पदोन्नति स्तरों पर कहीं भी भेदभाव नहीं करती है और सभी स्तरों पर स्त्री-पुरुष दोनों को समान अवसर प्रदान किये जाते हैं।

यह मानते हुए कि जेंडर समानता और महिला सशक्तिकरण से सामाजिक प्रगति तेज होती है भिलाई के स्थापित होते औद्योगिक परिसर में वर्ष 1957 में महिला समाज की स्थापना की गई। इस अग्रणी संस्था ने सेल के अन्य संयंत्रों में स्वयं अपने महिला समाज/समूहों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। संयंत्र स्तर के इन विभिन्न संगठनों की आज 4000 सदस्या हैं और राष्ट्रीय स्तर के 15 संगठनों के साथ इनकी संबद्धता है तथा ये संगठन सामुदायिक कल्याण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान कर रहे हैं। ये विशेषकर कमजोर वर्गों/अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के उत्थान के लिए कई कार्यक्रमों में शामिल हैं जिनमें आय सृजन योजनाएं शामिल हैं। इनके सदस्य आंतरिक रूप से चंदा जमा करके कई प्रकार के कार्य करते हैं जिनमें दस्तानों, मसालों, साबुन और थैलों के निर्माण के साथ-साथ महिला कॉलेजों तथा निःशक्त महिलाओं के पुनर्वास तथा ऐसी ही अन्य गतिविधियों में भी योगदान दिया जाना शामिल है।

सेल ने महिला समाज के सहयोग से गरीब महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इनमें से कुछ निम्न हैं :

सेल कर्मचारियों के लिए तैयार उत्पाद	दस्ताने, मसाले, साबुन इत्यादि।
सामुदायिक कल्याण	सिलाई/कढ़ाई केन्द्र, क्रेच, किंडरगार्टन स्कूल, विशेष लोगों के लिए स्कूल, प्रौढ़ शिक्षा, बाल पुस्तकालय, स्वास्थ्य और सफाई शिक्षा, दुर्व्यवहार की शिकार आदिवासी महिलाओं को मनोवैज्ञानिक समर्थन उपलब्ध कराना, चिकित्सा केन्द्र और औषधालय स्थापित करना, भिलाई में पेट्रोल पम्प का संचालन।
कार्यशालाएं	बैंकिंग, बीमा, महिलाओं के अधिकार, सूचना प्रौद्योगिकी, नागरिक सुविधाओं पर महिलाओं द्वारा कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता	कारगिल युद्ध राहत, राष्ट्रीय रक्षा कोष, हैजा नियंत्रण, उड़ीसा बाढ़/चक्रवात राहत, निर्धन महिला कल्याण, उड़ीसा मुख्यमंत्री बाढ़/सूखा राहत निधि, गुजरात भूकम्प इत्यादि।

### 16.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल-वीएसपी ने 'वीमेन इन पब्लिक सेक्टर' (विप्स), मंच के स्थानीय प्रकोष्ठ के माध्यम से महिला कर्मचारियों को एक मजबूत ताने-बाने से संबद्ध किया हुआ है।

कैरियर उत्थान, सशक्तिकरण, कौशल एवं व्यक्तित्व विकास, सुरक्षा जागरूकता, पेशेवर स्वास्थ्य, अंतःवैयक्तिक कौशल, संचार कौशल, कामकाजी जीवन में संतुलन, नेतृत्व एवं सुरक्षित व स्वस्थ जीवन शैली इत्यादि के ध्येय से महिला कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।

आरआईएनएल में महिलाओं के सशक्तिकरण/विकास के संबंध में सुव्यवस्थित कुछ प्रमुख मर्दे निम्नानुसार हैं :-

- लगभग 609 महिमला कर्मचारियों को विभिन्न तकनीकी तथा प्रबंधकीय विषयों पर विभिन्न आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अनन्य रूप से महिला कर्मचारियों के लिए "महिला विकास" पर दो कार्यशालाओं का आयोजन डब्ल्यूआईपीएस प्रकोष्ठ द्वारा प्रबंध विकास समूह के सहयोग से किया गया।
- महिला कर्मचारियों को बाह्य कार्यक्रमों, युवा प्रबंधकों के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं, गुणता मंडल अभिसमय इत्यादि के लिए नामांकित किया गया है। वर्ष 2013-14 के दौरान हासिल कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं :-
  - इस्तानबुल, तुर्की में "सूचना साक्षरता" पर यूरोपीय सम्मेलन
  - सिंगापुर में गैस क्रोमेटोग्राफ-मास स्पेक्ट्रोमीटर संबंधी कार्यक्रम
  - मै. ब्रुकर एलीमेंटल जीएमबीएच, जर्मनी द्वारा आयोजित "आप्टिकल एमीशन स्पेक्ट्रोमीटर" पर कार्यक्रम
- फरवरी, 2014 के आरआईएनएल-वीएसपी ने मातृत्व अवकाश को वर्तमान 84 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करने को अनुमोदित कर दिया है- देश के लाभ प्रदान करने वाले कुछेक सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों में से यह एक है।
- डब्ल्यूआईपीएस प्रकोष्ठ ने विशाखापट्टनम की पुनर्वास कालोनियों में रह रही महिलाओं के लिए टेलरिंग तथा ब्यूटिशियन पाठ्यक्रम, हस्त एम्ब्रायडरी, फैब्रिक पेंटिंग, साड़ी रोलिंग, साक्षरता कार्यक्रम इत्यादि जैसे महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सीएसआर विभाग के साथ सहयोग भी किया है।

आरआईएनएल के डब्ल्यूआईपीएस प्रकोष्ठ को आरआईएनएल द्वारा अपने महिला कर्मचारियों के विकास के लिए किए गए प्रशंसनीय कार्य की मान्यता स्वरूप डब्ल्यूआईपीएस (स्कोप के तत्वावधान के अंतर्गत) द्वारा संस्थापित वर्ष 2012-13 के लिए ज्यूसी का विशेष अवार्ड दिया गया था।

#### 16.4 एनएमडीसी लिमिटेड



एनएमडीसी के सी एस आर गतिविधियों के भाग के रूप में बैम्बू/सिसल हस्तशिल्प बनाने के लिए जनजातीय महिलाओं को प्रशिक्षण

एनएमडीसी लिमिटेड में 290 महिला कर्मचारी नियोजित हैं जो इसकी 5664 की कुल कर्मचारी संख्या का करीब 5.12 प्रतिशत है। पुरुष एवं महिलाओं दोनों को कंपनी चयन, भर्ती, नियुक्ति और पदोन्नति सभी स्तरों पर समान अवसर प्रदान करती है। वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की संख्या बढ़ रही है और एनएमडीसी बोर्ड में एक स्वतंत्र महिला निदेशक हैं।

कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न के निवारण के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में मुख्यालय और सभी परियोजना स्थलों पर शिकायत समितियों कागठन किया गया है। महिला कर्मचारी की अध्यक्षता में समिति प्राप्त शिकायतों की स्थिति की समीक्षा के लिए आवधिक बैठकें करती है। अभी तक उत्पीड़न का कोई भी मामला सामने नहीं आया है।

इसके सीएसआर कार्यक्रम के तहत, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:-

- एनएमडीसी शिक्षा सहयोग योजना, जिसके तहत बस्तर क्षेत्र के गरीब आदिवासी और अनु. जाति के छात्रों को 8वीं श्रेणी से आगे स्नातक स्तर तक शैक्षिक परिशीलन जारी रखने के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।
- बस्तर क्षेत्र की जनजातीय बालिका विद्यार्थियों के लाभ के लिए शुरू की गई केन्द्रित पहल बालिका शिक्षा योजना के तहत एनएमडीसी बालिका विद्यार्थियों को विभिन्न अकादमिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों-इंजीनियरिंग, मेडिसिन, बीडीएस, प्रबंधन, नर्सिंग, डिप्लोमा आदि के लिए प्रायोजित करती है। सम्पूर्ण व्यय एनएमडीसी द्वारा वहन किया जाता है। वर्ष 2012-13 में, 25 आदिवासी बालिकाओं को मै. अपोलो अस्पताल, हैदराबाद में नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट किया गया है तथा 10 और छात्राओं को छत्तीसगढ़ के कालेजों में नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट किया गया है। वर्ष 2013-14 में 40 लड़कियों को प्रायोजित किया गया है।



- छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर जिले के दांतेवाड़ा खण्ड में 84 सरकारी प्राथमिक स्कूलों में एनएमडीसी ने विशेष प्रयासों के जरिए बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर में कमी लाने और शिक्षा के स्तर में सुधार के उद्देश्य से एक तीन वर्षीय कार्यक्रम शुरू किया है। कुल 4367 लाभार्थियों में से 2027 छात्राएं हैं।
- नियमित आय उपार्जन के लिए कौशल विकास, एनएमडीसी द्वारा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की आदिवासी महिलाओं के लिए नियमित आय उपार्जन का अवसर प्रदान करने की पहल की दिशा में शुरू किये गये कार्यक्रम का भाग है। इस में टेराकोट, जूट एवं सिसल, बैम्बू और बेल मेटल क्राफ्ट्स इत्यादि का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

### 16.5 एमओआईएल लिमिटेड

एमओआईएल लि. में 819 महिला कर्मचारी नियोजित हैं जो 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार कुल 6466 कार्यबल का 12.66 प्रतिशत हैं।

कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न निवारण के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में वर्ष 1999 में एक शिकायत समिति का गठन किया गया था जिस में एक महिला चिकित्सक सहित तीन सदस्य हैं तथा मार्च 2006 में इसका पुनर्गठन किया गया। अभी कंपनी की खानों और मुख्यालय में उत्पीड़न का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। महिला कर्मचारियों में जागरूकता लाने के लिए निर्देशों का व्यापक प्रसार किया गया है।

कंपनी की सभी खानों में महिला मण्डल सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। दूरदराज के खान क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लाभ के लिए प्रौढ़ शिक्षा, रक्तदान शिविर, नेत्र शिविर और परिवार नियोजन जैसे विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक शैक्षिक और सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन नियमित तौर पर किया जाता है।

प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कंपनी मातृत्व अवकाश तथा परिवार नियोजन के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश देती है।

इसकी सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत खानों में स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है जिसमें दूरस्थ गांवों में रहने वाली महिलाओं को शामिल किया जाता है। इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मोमबत्ती, वाशिंग पाउडर, साबुन, बांस की टोकरियां बनाने, सिलाई सहित विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

### 16.6 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी लिमिटेड फोरम ऑफ वीमेन इन पब्लिक सेक्टर (विप्स) का कारपोरेट जीवनपर्यन्त सदस्य है तथा वर्ष 2013-14 में विप्स द्वारा आयोजित कई कार्यक्रमों में कंपनी की अनेक महिलाओं ने हिस्सा लिया। कंपनी की एक कार्यपालक विप्स के कार्यकारी मण्डल की सदस्य है तथा सार्वजनिक उपक्रमों में महिला कर्मचारियों के विकास और निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी गतिविधियों के माध्यम से समाज में पिछड़ी बालिकाओं/महिलाओं के उत्थान में भी सक्रिय योगदान कर रही है।

### 16.7 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

एफएसएनएल की विभिन्न प्रतियोगिताओं/क्षेत्रों में महिलाओं की क्षमता को स्वीकार करने के साथ ही सभी क्रियाकलापों में महिला कर्मचारियों को महत्व दिया गया है। यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए स्थापित समिति जैसी विभिन्न समितियों में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व सदैव सुनिश्चित किया जाता है।

### 16.8 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

कंपनी में 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार 12 महिला कर्मचारी हैं। ये सभी महिला कर्मचारी कंपनी की विभिन्न इकाइयों में नियुक्त हैं। अधिकांश महिलाएं बोकारो और भिलाई में पदस्थ हैं। कंपनी में महिला कर्मचारियों का कोई संगठन नहीं है। फिर भी, कंपनी प्रबंधन महिला कर्मचारियों के हितों और विशेषाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि कार्य स्थलों पर वे किसी भी किस्म के यौन उत्पीड़न का शिकार नहीं बनें।

### 16.9 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन लिमिटेड में महिला कर्मचारियों की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए एक समिति गठित की गई है जिसकी अध्यक्ष एक वरिष्ठ महिला कार्यपालक हैं।

### 16.10 केआईओसीएल लिमिटेड

वेतन का भुगतान, कार्य के घंटे, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के पहलुओं, मातृत्व लाभ इत्यादि जैसे मामलों में महिला कर्मचारियों के हितों के सुरक्षोपाय के लिए आवश्यक सभी उपायों/सांविधिक प्रावधानों का कंपनी पालन करती है।

कंपनी में 31.03.2014 को 30 महिला कर्मचारी कार्य कर रही हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए कंपनी के आचार नियमों में संशोधन करके एक उपयुक्त अनुच्छेद शामिल किया गया है। यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं की शिकायतों

की जांच करने के लिए सितंबर 1998 में एक शिकायत समिति का गठन किया गया। प्रबंधक स्तर की एक महिला कार्यपालक को शिकायत समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसमें दो महिला प्रतिनिधियों एक प्ररुष प्रतिनिधि और तृतीय पक्ष की सदस्य के रूप में कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक महिला वकील को नामित किया गया है।

केआईओसीएल में वीमेन इन पब्लिक सेक्टर नामक एक महिला संगठन कार्य कर रहा है और अधिकांश महिला कर्मचारी इसकी सदस्य हैं। केआईओसीएल विप्स का आजीवन सदस्य है। विप्स से सम्पर्क रखने के लिए केआईओसीएल से संयोजक बारी-बारी से नामांकित किए जाते हैं। और महिला कर्मचारियों (सदस्यों) को कंपनी द्वारा विप्स की वार्षिक/क्षेत्रीय बैठकों में हिस्सा लेने के लिए भेजा जाता है। कंपनी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है।

### 16.11 बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज़ (बीजीसी)

बीजीसी में जेंडर समानता को उपयुक्त महत्व दिया जाना जारी है। महिला कर्मचारियों की शिकायतों के निपटान के लिए कंपनी में एक महिला शिकायत प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। बीजीसी समान अवसर देने वाला नियोक्ता है और लिंग भेदभाव नहीं करता है।

बीजीसी में 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, इसके 1636 कर्मचारियों के कुल कार्यबल में महिला कर्मचारी लगभग 15% का संघटन करती हैं। महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए, महिला प्रतिनिधियों को शामिल कर 'जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठ' गठित किए गए हैं।



## इस्पात के इस्तेमाल को प्रोत्साहन

### 17.1 घरेलू इस्पात की खपत बढ़ाने के लिए उपाय

इस्पात मंत्रालय और भारत के प्रमुख इस्पात उत्पादकों द्वारा सर्वर्धित इस्पात विकास और प्रगति संस्थान (इंसडैग) पिछले एक दशक से अधिक समय से भारतीय निर्माण और आधारभूत क्षेत्रों में इस्पात गहन संरचनाओं की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए प्रचालन है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, संस्थान इस्पात संबंधी सूचना/ज्ञान का प्रसार व्यावसायिकों तथा अकादमीविदों को संगोष्ठियों, कार्यशालाओं तथा प्रकाशनों इत्यादि के माध्यम से करता है, पुरस्कार प्रतियोगिताएं करता है और इस्पात के उपयोग के नए-नए तथा बेहतर क्षेत्रों का पता लगाता है तथा विशेषीकृत परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराता है।

### 17.2 ग्रामीण भारत में इस्पात की मांग के आकलन हेतु अध्ययन

आने वाले वर्षों में भारत की इस्पात उत्पादन क्षमता में कई गुना वृद्धि होने की आशा है। वर्तमान में विश्व की 222 किलोग्राम की अनुमानित औसत खपत की तुलना में भारत में 60 किलोग्राम प्रति व्यक्ति की निराशाजनक न्यून खपत इस तर्क को बल देती है कि घरेलू इस्पात उद्योग में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। इस्पात मंत्रालय की अनुदानों के लिए मांगों (2007-2008) संबंधी संसदीय कोयला एवं इस्पात स्थायी समिति (पीएससी) ने अपनी 25वीं रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि 'इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, इस्पात उद्योग के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे के सृजन के साथ-साथ इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ाने की जरूरत है।'

पीएसई की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए, इस्पात मंत्रालय ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की मांग का आकलन करने के लिए संयुक्त संयंत्र समिति के जरिये एक सर्वेक्षण/अध्ययन करवाया है। संयुक्त संयंत्र समिति ने इस सर्वेक्षण की अपनी अंतिम रिपोर्ट जुलाई, 2011 में प्रस्तुत की। सर्वेक्षण से ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार इस्पात की प्रति व्यक्ति औसत खपत, और ग्रामीण भारत में इस्पात के उपभोग की प्रवृत्तियों इस्पात की भावी सम्भावनाओं का पता चला है। सर्वेक्षण के लिए विश्लेषण उद्देश्य से आंकड़े तीन वर्षों अर्थात् 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के लिए एकत्रित किये गए और ग्रामीण इस्पात मांग का आकलन 2011-12, 2016-17 और 2019-20 की अवधियों के लिए किया गया। ग्रामीण भारत में तैयार इस्पात की प्रति व्यक्ति औसत खपत 2007 से 2009 की अवधि के दौरान 9.78 किलोग्राम आंकी गई जिसके इस्पात उत्पादों के अधिक उपयोग के आधार पर 2020 में बढ़कर लगभग 12 किग्रा. होने का अनुमान लगाया है। यह वृद्धि मुख्य रूप से निर्माण गतिविधियों, के अधिकतर घरेलू स्तर पर उपयोग के कारण और साथ ही व्यावसायिक उपयोग के लिए फर्नीचर व वाहनों जैसी मदों की खरीद के कारण होगी। यह भी आशा है कि घरेलू मदों के लिए मांग कुछ वर्षों में कम हो जाएगी। इसका मुख्य कारण इस श्रेणी का प्रमुख अंशदायी मदों में इस्पात के स्थान पर प्लास्टिक का वर्धित उपयोग होना है।

सर्वेक्षण में ग्रामीण भारत में इस्पात का उपयोग बढ़ाने के लिए सिफारिशें भी की गई हैं यथा मकानों की संरचनाओं की किस्म में बदलाव, विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए इस्पात डिजाइन पर पुनर्विचार, सामुदायिक संरचनाओं में निवेश, छोटे और मंझोले इस्पात उत्पादों का विनिर्माण, इस्पात के लाभों पर प्रकाश, इस्पात के स्वरूप में सुधार, इस्पात के लिए संभार तंत्र तथा आपूर्ति शृंखला में सुधार तथा इस्पात की गुणवत्ता संबंधी मामलों पर ध्यान देना।

सर्वेक्षण में की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए इस्पात मंत्रालय ने एक कार्य योजना तैयार की है और वह उस पर आवश्यक कार्रवाई कर रहा है।

### 17.3 सेल द्वारा इस्पात के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

देश में इस्पात उत्पादकों के बीच सेल का विपणन कार्यालयों का नेटवर्क सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक है जो सेल को ग्राहकों की व्यापक शृंखला की अपेक्षाएं समय पर पूरी करने में सहायता करता है। 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, सेल के नेटवर्क में 37 शाखा बिक्री कार्यालय, 27 ग्राहक सम्पर्क कार्यालय, 24 विभागीय भांडागार तथा कंसाईनमेंट एजेंटों द्वारा प्रचालित 24 भंडारगार थे।

सेल का 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार 2948 डीलरों (1004 ग्रामीण डीलरों सहित) का एक व्यापक डीलर नेटवर्क भी है।

डीलरों को अपने कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उपयुक्त प्रोत्साहन योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उच्च निष्पादनकारी डीलरों को सम्मानित करने के लिए वर्तमान वर्ष के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में वार्षिक डीलर अवार्ड समारोह आयोजित किए गए। इस्पात के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए डीलर बैठक, शिल्पकार बैठक तथा राजगीर बैठक का नियमित आयोजन किया जाता है।

ग्राहकों द्वारा यथापेक्षित विशिष्ट अनुप्रयोगों की पूर्ति हेतु उत्पाद विकास सेल का सतत प्रयास रहा है। वर्ष 2013-14 में, सेल ने विविध अनुप्रयोगों के लिए 24 नए उत्पाद विकसित किए। विकसित किए गए कुछ उत्पादों में ये शामिल हैं सुपर

फोर्मेबल एलपीजी ग्रेड हॉट रोल्ड क्वायल्स (ईएन 10120 पी 245 एनबी), औजारों तथा स्पैनर खंड के लिए 41 सीआरवी 3 ग्रेड बिलेट तथा, निर्माण क्षेत्र के लिए आईएस 1786 एफई 415 एस ग्रेड टीएमटी वायर रॉड (10/12 मिमी)।



इस्पात के प्रयोग को बढ़ावा

#### 17.4 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल लगातार इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नए उत्पादों का विकास व आपूर्ति तथा विस्तृत कवरेज हेतु वितरण नेटवर्क में सुधार का प्रयास करता है। विशिष्ट अनुप्रयोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए नये उत्पादों के विकास का प्रयास किया जाता है जिससे इस्पात के उपयोग को संचालित करने में सहायता मिलती है। उपभोक्ताओं के साथ बार-बार बातचीत करके उनकी नए इस्पात उत्पादों/ग्रेडों/आकारों की जरूरत का अध्ययन किया जाता है। यदि यह प्रौद्योगिकीय रूप से व्यावहारिक पाया जाता है तो इन उत्पादों का विकास कर उपभोक्ताओं को इनकी आपूर्ति की जाती है। हाल में विकसित और ग्राहकों को आपूर्ति किये गये कुछ नए उत्पादों में ये शामिल हैं— पारेषण लाईन टावरों के लिए संरचनात्मक इस्पात, प्रोफाइल रोलिंग के लिए सी 18 एचएमएन, निर्माण क्षेत्र के लिए एफई 500 ईक्यूआर ग्रेड की भूकम्प रोधी टीएमटी छड़ें, क्षरण प्रवण माहौल के लिए क्षरण रोधी इस्पात की डीएचसीआरएम टीएमटी छड़ें, औजार उद्योग में प्रयोग हेतु 31 सीआरवी 3 इत्यादि।

ग्रामीण इलाकों में इस्पात की खपत को लोकप्रिय बनाने के लिए, आरआईएनएल/वीएसपी ने छोटे नगरों में जिला स्तरीय डीलरों के पंजीकरण की योजना और पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण डीलरों के पंजीकरण की योजना शुरू की है। ग्रामीण डीलरों के पंजीकरण की योजना की प्रक्रिया सतत और आसान है। ग्रामीण डीलरशिप के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प संख्यकों और महिला उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाती है। वर्ष 2013-14 के अंत तक अर्द्ध शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं को इस्पात उत्पादों की आपूर्ति के लिए देश में 28 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के 299 जिलों में आरआईएनएल के 697 ग्रामीण डीलर हैं।

आरआईएनएल का एक वितरण नेटवर्क है जिसमें 5 क्षेत्रीय कार्यालय, 23 शाखा कार्यालय, 22 स्टाकयार्ड और 5 कन्साइनमेंट सेल्स एजेंट्स शामिल हैं। आरआईएनएल ने शहरी, अर्द्धशहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात उत्पादों की आपूर्ति करने के लिए सम्पूर्ण राष्ट्र में फैले 114 रिटेलर्स और 697 ग्रामीण डीलर्स नियुक्त किये हैं।

आरआईएनएल ने रांची, रायपुर, त्रिची, इलाहाबाद, पानाजी, जम्मू तथा सिलीगुडी में विपणन सम्पर्क कार्यालय शुरू किए हैं।

कम्पनियों के महापंजीयक (आरजीओसी), श्री लंका को आरआईएनएल का आवेदन स्वीकृत हो गया है तथा विश्व व्यापार केन्द्र, कोलम्बो, श्री लंका में कार्यालय खोलने के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। कार्यालय का प्रचालन शीघ्र आरम्भ होने की आशा है।

### **17.5 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)**

एचएससीएल और इस्पात विकास एवं प्रगति संस्थान (इंसडैग) के बीच हस्ताक्षरित किए गए एक समझौते के अनुसार एचएससीएल ने कोलकाता में इस्पात गहन डिजाइन वाले इंसडैग भवन का निर्माण कार्य शुरू किया है। यह परियोजना पूर्ण होने की कगार पर है। एचएससीएल की भारत में इस्पात का उपयोग बढ़ाने के लिए इंसडैग के सहयोग से और परियोजनाएं शुरू करने की योजनाएं हैं। इसके अलावा, एचएससीएल द्वारा जनपथ, दिल्ली में पारम्परिक आरसीसी संरचनाओं के स्थान पर इस्पात संरचनाओं वाले हथकरघा विपणन परिसर का कार्यान्वयन भी पूरा कर लिया गया है।

## निगमित सामाजिक दायित्व

### 18.1 प्रस्तावना

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) एक ऐसी संकल्पना है जिसके तहत संगठन उपभोक्ताओं, कर्मचारियों शेयरधारकों, समुदायों और पर्यावरण पर अपने कार्य क्षेत्र के प्रचालनों के सभी पहलुओं के प्रभाव का उत्तरदायित्व लेकर समाज के हित का संरक्षण करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और कुल मिलाकर समाज पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अतः सीएसआर का स्थायी विकास के साथ सीधा संबंध है।

जहां तक संभव होता है, सीएसआर क्रियाकलाप आसपास के उन इलाकों में किए जाते हैं जहां कंपनी अपने वाणिज्यिक क्रियाकलाप संचालित कर रही हो। परन्तु यह आवश्यक नहीं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आसपास के इलाकों तक ही सीएसआर क्रियाकलापों का सीमित रखा जाए। सीएसआर क्रियाकलाप दीर्घ आपूर्ति शृंखला, उपभोक्ता आधार के व्यापकीकरण तथा सामाजिक और पर्यावरण मांगों को देखते हुए अन्यत्र भी संचालित किए जा सकते हैं।

लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 12 अप्रैल 2013 के का.ज्ञा. सं. 15(7)/2012-डीपीई(जीएम)-जीएल-104 के तहत “केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों के लिए निगमित सामाजिक दायित्व तथा सम्पोषणीयता संबंधी नए दिशानिर्देश” जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश 01.04.2013 से लागू हुए। इस्पात मंत्रालय के अधीन सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम नए दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहे हैं तथा उन्होंने तदनुसार आवंटन किए हैं। ब्यौरे अनुबंध XVI पर दिए गए हैं।

### 18.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)



सीएसआर गतिविधियों के भाग के रूप में सेल द्वारा संचालित सारांडा सुवन छात्रावास

सेल के सीएसआर क्रियाकलाप देश भर में इस्पात नगरियों, खानों और दूरदराज के स्थानों में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में संचालित किए जा रहे हैं। इनमें आदर्श इस्पात गांवों (एमएसवीज) का विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखभाल सुविधा उपलब्ध कराना, टीकाकरण, प्रसव पूर्व और उपरांत देखभाल, शिक्षा, पेयजल सुविधाएं पहुंचाना, सड़कों और सड़कों के किनारे नालियों का निर्माण एवं पथ प्रकाश, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, निःशक्त व्यक्तियों को सहायता, स्वयं सहायता समूहों के जरिए सतत आय सृजन खेल, कूद कला संस्कृति एवं आमोद-प्रमोद क्रियाकलापों का संवर्धन आदि शामिल हैं। नियमित सामाजिक दायित्व तथा सम्पोषणीयता के संबंध में संशोधित डीपीई दिशानिर्देश के समनुरूप बोर्ड की निगमित सामाजिक दायित्व तथा सम्पोषणीयता संबंधी उप समिति का गठन सेल में किया गया है।



- स्वास्थ्य देखभाल :** सेल ने 53 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 7 प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य केन्द्र, 23 अस्पताल और 7 उच्च विशेषीकृत अस्पताल स्थापित किये हैं जहां इसके संयंत्रों तथा इकाइयों की परिधि में रहने वाले 34.22 मिलियन से अधिक लोगों को विशेषीकृत तथा बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

अधिकार वंचित लोगों के घरों तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए वर्ष 2012-13 में देश भर में 4300 से अधिक शिविरों का आयोजन किया गया जिनमें निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, शरीर रोग विज्ञानी प्रयोगशाला उपचार, औषध, टीकाकरण इत्यादि की व्यवस्था से 2 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए। वर्ष 2013-14 में, देश भर में 3000 से अधिक शिविर आयोजित किए गए जिनसे लगभग 2.19 लाख व्यक्ति लाभान्वित हुए।

निर्धनों तथा दलितों की सहायता करने के लिए, विभिन्न एनजीओ को वर्ष 2007-08 से 90 मोबाईल चिकित्सा एकक (एमएमयू) एम्बुलेसमेंट उपलब्ध कराई गई हैं।

अनन्य रूप से निर्धन तथा जरूरतमंद परिवारों को दवाइयों सहित निःशुल्क चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराने के लिए सात स्वास्थ्य केन्द्र (कल्याण चिकित्सालय) संचालित किए जा रहे हैं। वर्ष 2012-13 में, इन अनन्य स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से 87,000 से अधिक लोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था की गई तथा वर्ष 2013-14 के दौरान लाभान्वित हुए व्यक्तियों की संख्या लगभग 90,000 थी।
- शिक्षा :** शिक्षा के माध्यम से समाज का विकास करने के लिए सेल ने लगभग 54,898 बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए इस्पात नगरियों में 148 से अधिक विद्यालय खोले हैं तथा यह 492 से अधिक स्कूलों को सहायता उपलब्ध करा रहा है।

गरीबी रेखा से नीचे रहे रहे लोगों के लिए निःशुल्क शिक्षा, मध्याह्न भोजन, वर्दी जिसमें जूते, पाठ्य पुस्तकें लेखन सामग्री मदे, विद्यालयी बैग, पानी की बोतलें तथा कुछ मामलों में परिवहन भी शामिल है, की सुविधाओं वाले सात विशेष विद्यालय पांच इस्पात संयंत्रों में निगमित सामाजिक दायित्व के तहत संचालित किए जा रहे हैं। इन विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या 1500 से अधिक है।

निर्धनों, अन्य पिछड़ी श्रेणियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति इत्यादि के उत्थान के लिए उठाए गए कुछ प्रमुख कदम ये हैं:- पात्र अवर स्नातक तथा स्नातकोत्तर इंजीनियरी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां, नक्सलवाद प्रभावित आदिवासी तथा लगभग समाप्त हो रही बीररहोर जाति के बच्चों को गोद लेना, युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण तथा नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए प्रायोजित करना, इत्यादि।

सेल अक्षय पात्र फाउंडेशन के जरिए भिलाई तथा राऊरकेला के 500 विभिन्न विद्यालयों में प्रतिदिन 73000 से अधिक विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध करा रहा है।
- संयोजकता :** सेल ने आरम्भण से ही सड़कों का निर्माण और मरम्मत करके 435 गांवों में 75.76 लाख से अधिक लोगों को पहुंच मार्ग की सुविधा उपलब्ध करवाई है।
- जल सुविधाओं तक पहुंच :** इसने 7381 जल स्रोतों की स्थापना करके दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जल अवसंरचना तक पहुंच उपलब्ध कराई है, जिससे 41.38 लाख से अधिक लोगों को पेयजल सुविधा उपलब्ध हुई है।
- आदर्श इस्पात गांव :** ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के बीच अंतराल को पाटने तथा भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना दोनों के व्यापक विकास की व्यवस्था करने के लिए, सेल ने देश भर में (8 राज्यों में) 79 गांवों को "आदर्श इस्पात गांव" के रूप में चिह्नित किया है। इन गांवों में चलाई जा रही विकास संबंधी गतिविधियों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, सड़कें तथा संयोजकता, स्वच्छता, समुदाय केन्द्र, जीविका उपार्जन, खेल-कूद सुविधाएं आदि शामिल हैं।
- अक्षय ऊर्जा :** ऊर्जा के अक्षय स्रोतों का संवर्धन करने के लिए, देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में सौर स्ट्रीट लाइटें लगाई गईं तथा देश के विभिन्न भागों में निर्धनों तथा जरूरतमंदों में सौर लालटेने तथा धुआंरहित चूल्हे वितरित किए गए हैं।
- सारंदा कार्य योजना :** दूरदराज के वन क्षेत्रों के सीमांतिकृत जन समूह को विकास की मुख्य धारा में लाने के प्रयास में सेल ने झाड़खंड सरकार तथा भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से सारंदा वन, झाड़खंड की विकास प्रक्रिया में सक्रिय भाग लिया। सेल ने सारंदा वन के दीघा गांव में एक एकीकृत विकास केन्द्र (आईडीसी) स्थापित किया और एम्बुलेंसे, साइकिले, ट्रांजिस्टर, सौर लालटेने उपलब्ध कराई। आईडीसी में स्थानीय जनता के लिए बैंक, पंचायत कार्यालय, राशन की दुकान, दूरसंचार कार्यालय, आंगनवाड़ी केन्द्र, बैठक कक्ष इत्यादि जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
- स्थायी आय सृजन :** बेहतर कृषि, मशरूम की खेती, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मात्स्यकी सुअर पालन, आचार/पापड़/अगरबत्ती निर्माण, वेल्डर, फिटर, तथा इलेक्ट्रिशियन प्रशिक्षण, सिलाई तथा कड़ाई, धुआंरहित चूल्हा निर्माण इत्यादि जैसे क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। ग्रामीण तथा बेरोजगार युवाओं के



लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र—भिलाई में 'भिलाई इस्पात कौशल कुटीर तथा स्वयंसिद्धा, दुर्गापुर में कौशल विकास तथा स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (एसडीएसईटीआई), सालेम में पारिधान तकनीशियन प्रशिक्षण, बोकारो में झाड़ क्राफ्ट तथा किरिबुरु अयस्क खानों में स्वतः रोजगार केन्द्र 'किरण' वित्तीय समावेशन/स्व सहायता समूहों/आय सृजन के लिए प्रशिक्षण देकर और फिर उन्हें मुख्य धारा का भाग बनने के लिए सशक्त बनाकर आम जनता को लाभान्वित कर रहे हैं।

### 18.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल सतत रूप से अनेक समुदाय विकास कार्यक्रम संचालित कर रहा है। सीएसआर क्रियाकलाप विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों और राज्य सरकार, नगर निगम, सीपीडब्ल्यूडी आदि की भागीदारी में चलाए जा रहे हैं। अधिकतर क्रियाकलाप पुनर्वास कालोनियों और आसपास के गांवों के उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने इस्पात कारखाना स्थापित करने के लिए अपनी जमीन दी। आदिवासी/अनु.जाति/अनु. जनजाति/समाज के कमजोर वर्ग वाले लोगों के रहने के क्षेत्र में कल्याण क्रियाकलापों के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समुदाय विकास आदि क्रियाकलाप शुरू किए गए हैं।

वर्ष 2013-14 के दौरान आरआईएनएल की प्रमुख सीएसआर गतिविधियों में ये शामिल हैं :

#### पर्यावरण की देखभाल :

- "ग्रीन विशाखा" पर्यावरण परियोजना के तहत परवाडा गांव, विशाखापत्तनम में 75000 वृक्षों का रोपण।
- परियोजना 'सूर्य' के तहत विशाखापत्तनम में वृद्धों के लिए सेंट जोसेफ होम में सौर विद्युत प्रणाली की व्यवस्था

#### स्वास्थ्य देखभाल :

- अंदरूनी गांवों में लोगों तक पहुंच के लिए अत्याधुनिक मोबाइल कैंसर डिटेक्शन वैन 'संजीवन' उपलब्ध करवाना ताकि शुरुआत में ही इस खतरनाक बीमारी का पता लगाया जा सके और तेजी से उपचार उपलब्ध हो सके।
- चिकित्सा शिविरों, बाल टीकाकरण कार्यक्रमों, एड्स जागरूकता अभियानों, नशारोधी कार्यक्रमों आदि का आयोजन जिनसे 17540 रोगी लाभान्वित हुए।
- किंग जार्ज अस्पताल परिसर, विशाखापत्तनम में बहुमंजिले अस्पताल परिसर की स्थापना के लिए अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता देना।
- शवगृह, किंग जार्ज सरकारी अस्पताल, विशाखापत्तनम में अतिरिक्त सुविधाओं/नवीनीकरण कार्यों की व्यवस्था कर इसे आन्ध्र प्रदेश का प्रथम वातानुकूलित तथा हवादार शवगृह बनाना।
- नवीनतम प्रौद्योगियों से सुसज्जित एक मोबाइल नेत्र क्लिनिक 'नेत्र ज्योति' की व्यवस्था करना – 24 नेत्र शिविर आयोजित किए गए तथा 1786 रोगियों का परीक्षण किया गया।

#### शिक्षा :

- गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था से लगभग 2000 बीपीएल बच्चे लाभान्वित हुए।
- अरुणोदय विशेष विद्यालय, उकुनाग्राम के माध्यम से विकलांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा।
- विशाखापत्तनम के आस-पास के तथा आदिवासी क्षेत्रों में मै. प्रथम शिक्षा फाउंडेशन के माध्यम से प्राढ़ महिला साक्षरता कार्यक्रमों के आयोजन से 375 महिलाएं लाभान्वित हुईं।
- 6 विद्यालयों को विद्यालय फर्नीचर, कम्प्यूटरों, खेल उपकरणों, पुस्तकालय पुस्तकों, जूतों, विद्यालय बैगों, प्लेटों, गिलासों इत्यादि का वितरण।

#### जन देखभाल :

- ग्रीष्म ऋतु के दौरान 4 माह की अवधि के लिए प्रतिदिन लगभग 13,000 लाभानुभोगियों तक पहुंचने वाले पेय जल की आपूर्ति वीएसपी की पुनर्वास कालोनियों में की गई।
- व्यावसायिक कौशल विकास कार्यक्रम अर्थात् सुरक्षा गार्ड, ड्राइविंग, आटो मोबाइल मैकेनिज्म, वैद्युत कार्य, डीटीपी, ड्रेस डिजाइनिंग, कढ़ाई, ब्यूटिशियन पाठ्यक्रम इत्यादि संचालित करना ताकि वीएसपी तथा खान क्षेत्रों के परिधीय गांवों में युवा आत्मनिर्भर बन सकें – लगभग 1035 बेरोजगार युवा लाभान्वित हुए।

#### प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता

ओडिशा तथा उत्तराखण्ड के राज्यों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपायों के लिए मुख्य मंत्री राहत कोष के लिए 475 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी।

## 18.4 एनएमडीसी लिमिटेड



एनएमडीसी लि. द्वारा प्रदान की जा रही चिकित्सा सुविधा

एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा सीएसआर के अधीन संचालित कुछेक प्रमुख क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं :

- बैलाडिला में 18 गांवों का समेकित विकास कार्य चल रहा है।
- वर्ष 2013-14 की अवधि में क्रमशः 97932 एवं 9622 स्थानीय आदिवासियों को निःशुल्क बहिरंग और अतरंग चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है।
- वर्ष 2013-14 के दौरान जनजातीय क्षेत्रों के 37 गांवों में 38941 आदिवासी ग्रामीणों का उपचार किया गया।
- वर्तमान अकादमिक वर्ष अर्थात् 2013-14 के दौरान, 40 लड़कियों के तीसरे बैच को एनडीएमसी की विशेष शिक्षा योजना-बालिका शिक्षा योजना के तहत अपोलो अस्पताल, हैदराबाद में जीएनएम एवं बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए प्रायोजित किया गया है। अभी तक नर्सिंग पाठ्यक्रमों का परिशीलन करने के लिए एनएमडीसी द्वारा 105 विद्यार्थी प्रायोजित किए गए हैं।
- वर्ष 2010 में नगरनार में शुरू किया गया आवासीय पब्लिक स्कूल 431 छात्रों के साथ सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है।
- नगरनार में आईटीआई में हर वर्ष 28 छात्रों के प्रवेश के साथ वैल्डर और मिस्त्री ट्रेड की पढ़ाई सफलतापूर्वक जारी है।
- पांच ट्रेड्स के साथ आईटीआई, भांसी में हर साल 76 छात्रों के प्रवेश के साथ सफलतापूर्वक अध्ययन जारी है।
- दांतेवाड़ा में वर्ष 2010 में 126 छात्रों के प्रवेश क्षमता वाला मेकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम्स के लिए शुरू किया गया एक पॉलिटेक्निक कॉलेज सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। रु. 3194.80 लाख के अनुमानित व्यय पर स्थाई भवन का निर्माण करने की योजना है।
- अजा./अजजा छात्रों को प्रेरित करने के लिए "एनएमडीसी शिक्षा सहयोग योजना" नामक छात्रवृत्ति स्कीम प्रचालन में है और वर्ष 2013-14 के दौरान 16472 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई है।

- दोणिमलाई परियोजना एवं आसपास के क्षेत्र में 8000 ग्रामीण स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन देने का कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है।
- दांतेवाड़ा ब्लॉक में 84 स्कूलों में शिक्षा सुधार कार्यक्रम चल रहा है। इसके तहत लाभार्थियों की संख्या 4200 है।
- आंध्र प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी में ऑगल एवं गुंटूर में अजा/अजजा की लड़कियों के हॉस्टल का निर्माण पूरा हो गया है।
- गोंडा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में जरूरतमंद छात्राओं के बीच 9000 सौर लालटेन वितरित की गई।
- एनएमडीसी रु. 1300.00 लाख की लागत पर दांतेवाड़ा में 4 मार्ग लेन वाले गौरव पथ के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के साथ भागीदारी कर रहा है।
- गोंडा क्षेत्र, उ.प्र. में रु. 1008.11 लाख की लागत पर 44 सड़कों (कुल लम्बाई – 22 किमी.) का निर्माण कार्य चल रहा है।
- अमेठी में 417 सौर स्ट्रीट लाइटों तथा गोण्डा क्षेत्र, उ.प्र. में 300 सोलर स्ट्रीट लाइटों की संस्थापना रु. 99.46 तथा 71.56 लाख रुपए की लागत पर की गई है।
- कर्नाटक सरकार की साझेदारी में बेल्लारी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उनका उन्नयन कर, विभिन्न आवश्यक/अपेक्षित चिकित्सा उपकरणों से सज्जित करते हुए सुदृढ़ करने के लिए 31.41 लाख रुपए की अतिरिक्त निधि की व्यवस्था की।
- बस्तर जिले के 67 गांवों में 257.00 लाख रुपए की लागत पर विद्युतीकरण संबंधी कार्य चल रहा है।
- बस्तर जिले के 30 गांवों में रु. 30.00 लाख प्रत्येक की लागत पर 30 सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण किया जा रहा है।
- बेसहारा, मानसिक रूप से विकलांग और वृद्ध लोगों के लिए “शांति धाम” गृह का रु. 505.00 लाख की लागत पर निर्माण कार्य चल रहा है।
- बस्तर जिले में 1500 लाख रुपए की लागत पर कृषक भूमि की चारदीवारी की व्यवस्था करने, बोर कुएं खोदने तथा हस्त पम्पों की संस्थापना के लिए कृषक विकास योजना एनएमडीसी द्वारा शुरू की गई है।
- दांतेवाड़ा जिले में 42 आश्रमों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।
- बीजापुर में 25 विद्यालयों में 30 लाख रुपए की लागत पर 5000 लिटर क्षमता के आरसीसी सिस्टर्न का निर्माण तथा फोर्सेलिपट पम्पों, टैंकों की संस्थापना।
- बस्तर में 328.50 लाख रुपए की लागत पर 219 हस्त पम्प संयोजित फ्लूराइड रिमूवल संयंत्र की संस्थापना वर्ष 2013–14 के दौरान छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार की भागीदारी में की गई।
- एनएमडीसी ने 16+2 आश्रमों में 273.60 लाख रुपए की लागत सौर प्रणाली आधारित पेय जल की व्यवस्था करने हेतु छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार के साथ भागीदारी की है।
- कर्नाटक की राज्य सरकार की भागीदारी में 78.34 लाख रुपए की लागत पर बंगलौर ग्रामीण जिला, कर्नाटक के 7 ग्रामों में पेयजल सुविधा की व्यवस्था।
- गोंडा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में 198.22 लाख रुपए की दर से 550 इण्डिया मार्क II हैंड पम्पों की संस्थापना।
- छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के 460 बेरोजगार आदिवासी युवाओं को आजीविका उपार्जन प्रशिक्षण देने के लिए 181.78 लाख रुपए की दर पर बांस, बैल मेटल तथा तुम्बा कला में आजीविका संबद्ध कौशल विकास कार्यक्रमों की शुरुआत की।
- रेहरा बाजार, बलरामपुर जिला, उत्तर प्रदेश में 121.25 लाख रुपए की लागत से 1000 बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न ट्रेडों अर्थात् वेल्डिंग, इलेक्ट्रिशियन फिटर में एक अन्य आजीविका संग्रह कौशल विकास प्रशिक्षण की शुरुआत की। वर्तमान में, 1000 युवाओं के परिकल्पित सम्मिलन में से 250 अम्भ्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

### 18.5 मॉयल लि.

एमओआईएल ने निम्न प्रमुख निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाकलाप शुरू किए हैं :-

- शिक्षा तथा कौशल विकास पहल के अंतर्गत, एमओआईएल ने ग्राम चिकला, जिला भंडारा (एमएस) में विद्यालय भवन का निर्माण शुरू किया है।

- बालाघाट (म.प्र.) में ग्राम भारवेली में अतिरिक्त कक्षा कक्षाओं का निर्माण।
- दूरदराज के क्षेत्रों में ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए, एमओआईएल ने 50 बोर वेल खोदने का प्रस्ताव किया है।
- मॉयल ने एनजीओ सूरज नेत्र संस्थान के साथ सहबद्धता की है तथा इसके लाईट टू लाईव्स कार्यक्रम के तहत, जरूरतमंद ग्रामीण निर्धन लोगों की निःशुल्क मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा की जा रही है।
- मॉयल ने जिला भंडारा में टमसर नगर के लिए क्षेत्र विकास परियोजना शुरू की है। परियोजना के अंतर्गत, मॉयल ने 1.5 किमी. लम्बी बायपास सड़क का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है, जल निकास्य का स्वच्छीकरण कार्य चल रहा है। इसका प्रस्ताव टमसर नगर में 400 सीटों वाले आधुनिक समुदाय कक्ष का निर्माण करने का भी है।
- महाराष्ट्र के राज्यों को सूखा राहत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। उत्तराखण्ड तथा ओडिशा के राज्यों को भी चक्रवात तथा बाढ़ प्रभावित आबादी के लिए राहत एवं पुनर्वास कार्य करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

### 18.6 एमएसटीसी लि.

वर्ष 2013-14 के दौरान, एमएसटीसी ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में 482.86 लाख रुपए का योगदान दिया है। इससे से 260 लाख रुपए ओडिशा में घटित आपदा के पीड़ितों के लिए राहत कार्य हेतु ओडिशा के मुख्य मंत्री राहत कोष में अदा किए गए।

एमएसटीसी ने पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में कुछ विद्यालयों में अवसंरचना विकास, सड़क निर्माण तथा और लाईटों की संस्थापना के क्षेत्र में परियोजनाएं शुरू की है। अधिकांश परियोजनाओं का निर्माण कार्य एचएससीएल, डब्ल्यूबीआरईडीए तथा मध्य प्रदेश जल निगम जैसी सरकारी एजेंसियों के माध्यम से पूरा किया गया।

### 18.7 फेरो स्क्रैप निगम लि. (एफएसएनएल)

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की नीति के तहत एफएसएनएल नजदीकी ग्रामों के साथ-साथ नजदीकी ग्रामों जहां एफएसएनएल की इकाईयां अवस्थित है में अभिज्ञात सरकारी स्कूलों में अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराता है। एफएसएनएल ने राउरकेला, बर्नपुर, भिलाई, बोकारो, विशाखापत्तनम, दुर्गापुर और डुबुरी (उड़ीसा) में एफएसएनएल इकाईयों के नजदीकी ग्राम में अवस्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की पहचान की है। इन अभिज्ञात विद्यालयों/ग्रामों के सरपंचों से प्राप्त आवश्यकताओं के आधार पर कम्पनी द्वारा आवश्यक सहायता, अवसंरचना सुविधाएं इत्यादि उपलब्ध कराई जाती हैं।

### 18.8 मेकॉन लिमिटेड



मेकॉन द्वारा निर्मित किसान उच्च विद्यालय, ओरमानजिह का स्कूल भवन



मेकॉन 1960 के दशक से आसपास के इलाकों में ग्रामीण/सामुदायिक विकास क्रियाकलाप संचालित कर रहा है। वर्ष 1976 में, एक समर्पित समूह का गठन किया गया तथा उसका नाम 'सामुदायिक विकास समिति (सीडीसी)' रखा गया तथा उसे 'निगमित सामाजिक दायित्व' के क्रियाकलापों की देखरेख करने का कार्य समनुदेशित किया गया। तत्पश्चात्, वर्ष 2010 में, संगठन के सीएसआर क्रियाकलापों का समन्वय आवश्यकतानुसार विभिन्न वर्गों से लिए गए अन्य कर्मचारियों के सहयोग से करने के लिए 'सीएसआर प्रकोष्ठ' की स्थापना की गई।

वित्त वर्ष 2013-14 में मेकॉन द्वारा संचालित प्रमुख विकास क्रियाकलाप इस प्रकार हैं :

- 'सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम' के अंतर्गत 13 प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों का संचालन रांची में और उसके आसपास के स्लम/पिछड़े/ग्रामीण इलाकों में पिछड़े और गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए किया जा रहा है। इन केन्द्रों में करीब 270 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।
- 'महिलाओं के लिए संसाधन सृजन योजना' के अंतर्गत निःशुल्क सिलाई/कढ़ाई प्रशिक्षण देने के लिए 9 सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र (झारखंड में और 7 पूर्वी उ.प्र. में 2) स्लम/पिछड़े इलाकों में चलाए जा रहे हैं। इन संसाधन सृजन केन्द्रों में 165 विद्यार्थी नामांकित हैं (115 झारखण्ड में, 50 ग्राम पकरी भुवारी, जिला बलरामपुर उत्तर प्रदेश में)। प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक केन्द्र को सिलाई मशीनें तथा प्रैक्टिस के लिए कपड़ा/अन्य अपेक्षित सामान दिया जाता है।
- ऐसे पिछड़े युवाओं को, जो उच्च शिक्षा जारी नहीं रख सकते, निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए रांची, झारखण्ड में व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान चलाया जा रहा है। यह संस्थान नई दिल्ली स्थित, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) के साथ सम्बद्ध है। वर्तमान में, संस्थान पांच प्रकार के पाठ्यक्रम संचालित करता है— रेडियो एंड टीवी टेक्नीशियन, वैल्विंग टेक्नोलोजी, कम्प्यूटर अनुप्रयोग और योग। एक अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (वैद्युत ट्रेड) उत्तर प्रदेश में ग्राम उत्तरुला, जिला बलरामपुर में खोला गया है। तथापि, तकनीकी संस्थान से संबंधन अभी प्रतीक्षित है।
- 'समुदाय स्वास्थ्य कार्यक्रम' के तहत, पूरे दिन के स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए थे। नौ शिविर रांची जिले में विभिन्न स्थानों पर मोबाईल एम्बुलेंस वैन में आयोजित किए गए जिसमें डॉक्टरों की एक टीम, अर्ध चिकित्सीय स्टॉफ तथा दवाईयां इत्यादि थी जहां निर्धन एवं जरूरतमंद रोगियों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की सुविधा तथा दवाईयां दी गई। इस्पात अस्पताल, रांची में 04.09.2013 को मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया जहां रोगियों को निःशुल्क शल्य चिकित्सा, दवाईयां, गॉगल, बिस्तर, भोजन, परिवहन इत्यादि की सुविधाएं दी गई।
- विद्यालयों/अस्पतालों/सांस्कृतिक केन्द्रों/संस्थाओं के लिए "अवसंरचना विकास कार्यक्रम" (भवन, पेयजल, स्वच्छता इत्यादि) के तहत निम्न पहलें की गई :-
  - रांची में तथा उसके आसपास के स्लम क्षेत्रों/ग्रामों में तथा झाड़खंड के गोद लिए गए ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था प्रयोजन के लिए बोरवेलों का निर्माण (23 बोरवेलों का निर्माण पूर्ण हो चुका है)।
  - शौचालय परिसरों का निर्माण (चार भिन्न स्थानों पर) – ग्राम पंचा तायमारा, जिला रांची तथा ग्राम सुंगी, जिला खुंटी (एक परिसर पूर्ण, अन्य परिसरों के शीघ्र पूरा होने की संभावना है)।



रांची में महिलाओं के लिए संसाधन सृजन केन्द्र



### 18.9 केआईओसीएल लिमिटेड

सीएसआर के तहत केआईओसीएल लि. द्वारा किए जा रहे कुछ प्रमुख क्रियाकलाप निम्न प्रकार हैं :-

#### शिक्षा :

- कुद्रेमुख तथा आसपास के ग्रामों से कलासा तक तथा वापस यात्रा करने वाले विद्यार्थियों के लिए बस सुविधा की व्यवस्था।
- प्रेरणा विशेष विद्यालय, हैदराबाद को कम्प्यूटर तथा प्रिंटर उपलब्ध कराया।
- कुलुरु चर्च हायर प्राइमरी तथा हाईस्कूल मंगलौर में विद्यालय कक्ष के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता।
- ब्रह्ममाश्री नारायण गुरु एजुकेशन ट्रस्ट, मंगलौर के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति।

#### सामुदायिक विकास

- अनंतपुरामु जिला, आंध्र प्रदेश में आंगनवाड़ी केन्द्रों को स्वच्छ पेय जल सुविधा के लिए सहायता।
- श्री कृष्ण आंगनवाड़ी तथा रंगमंदिर रेनोवेशन कमेटी, मंगलौर को एसी रुफ शीट के लिए वित्तीय सहायता।

#### पर्यावरण :

- पिलीकुल निसर्ग धाम, मंगलौर में पश्चिमी घाट की विरली खतराग्रस्त तथा जोखिम ग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए वृक्ष पार्क का विकास।
- मंगलौर के विद्यालयों में हरित पालन पोषण कार्यक्रम।
- बीजीएस स्कूल, मंगलौर को वर्मीकम्पोस्ट बिन के लिए वित्तीय सहायता।

#### मुख्य मंत्री राहत कोष में अंशदान

- उत्तराखण्ड राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत तथा पुनर्वास क्रियाकलापों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान।
- ओडिशा के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में राहत तथा पुनर्वास क्रियाकलापों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान।

### 18.10 बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज (बीजीसी)

ओएमडीसी स्वास्थ्य, शिक्षा और जलापूर्ति तथा सामुदायिक विकास जैसे सीएसआर क्रियाकलापों पर ध्यान केन्द्रित करती है। वर्ष 2013-14 के लिए सीएसआर बजट के लिए रु. 38.5 लाख की राशि आवंटित की गई है। ओएमडीसी इसके कर-पश्चात् लाभ का 3 प्रतिशत सीएसआर बजट के तहत आवंटित करती है। सीएसआर क्रियाकलाप लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुरूप संचालित किए जाते हैं।

## इस्पात मंत्रालय के अधीन तकनीकी संस्थान

### 19.1 प्रस्तावना

इस्पात क्षेत्र में कामगारों की तकनीकी कुशलता को लगातार निखारने के सतत् प्रयास किए जा रहे हैं। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्थापित किए गए निम्नलिखित संस्थानों के सहायनीय कार्य एवं योगदान का उल्लेख करना आवश्यक है :

### 19.2 बीजू पटनायक नेशनल स्टील इंस्टीट्यूट (बीपीएनएसआई)

इस्पात मंत्रालय द्वारा गठित एक कृत्तिक बल द्वारा विकसित अवधारणा योजना के आधार पर पुरी में एक नेशनल स्टील इंस्टीट्यूट (एनएसआई) की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। इसे एक प्रशिक्षण-सेवा-शोध एवं विकास केन्द्र के तौर पर स्थापित किया जाना था। यह संस्थान सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत है और इसने 1 जनवरी, 2002 से काम करना शुरू किया। जेपीसी के चेयरमैन ही बीपीएनएसआई के चेयरमैन भी हैं। इसकी स्थापना वैश्विक एवं भारतीय इस्पात उद्योगों में हो रहे तेज बदलाव के अनुरूप घरेलू द्वितीयक इस्पात उद्योग को ढालने में मदद देने के उद्देश्य से की गई थी। मंत्रिमंडल ने 20 फरवरी, 2004 को जेपीसी के पूंजीगत निधियन से पुरी में एक पूर्णकालिक संस्थान के तौर पर बीपीएनएसआई की स्थापना किए जाने को मंजूरी दी। फिलहाल, यह संस्थान पुरी में दो पृथक इमारतों से चलाया जाता है और यह पुस्तकालय, प्रयोगशाला और संगोष्ठी कक्ष जैसी सुविधाओं में युक्त है। प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने के लिए वेल्डिंग टेक्नोलॉजी की एक कार्यशाला पुरी में स्थापित की गई है।

बीपीएनएसआई द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं :

- अक्टूबर, 2006 से संस्थान 'लौह एवं इस्पात निर्माण और संयंत्र प्रबंधन' में प्रगत प्रमाणपत्र पर एक पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसके अंतर्गत छात्रों को उद्योग में प्रबंधकीय जिम्मेदारियों को ग्रहण करने के लिए तैयार किया जाता है। इस समय छठे बैच (2013-14) में छात्रों ने प्रवेश लिया है और पहले सेमेस्टर की पढ़ाई चल रही है।
- पांचवें (2012-13) के विद्यार्थी आरआईएनएल, विशाखापटनम एमएसपी मेटेलिक्स लि. झारसुगुडा तथा भिलाई इस्पात संयंत्र में अपना औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
- चौथे (2012-13) बैच के उत्तीर्ण छात्रों ने अपने पूर्व के बैच के छात्रों की तरह इस्पात उद्योग जैसे कि एनआईएनएल, एसएन माइनिंग, मेसको, एमएसपी मेटेलिक्स इत्यादि जैसे संगठनों में महत्वपूर्ण पद ग्रहण किये हैं।
- कार्यकारी कार्यपालकों के लाभ के लिए यही पाठ्यक्रम ट्रेनिंग एंड फर्दर एजुकेशन (टीएफई) के तहत जनवरी, 2007 से आयोजित किया जा रहा है।
- इस संस्थान के भुवनेश्वर कार्यालय में, संयुक्त संयंत्र समिति की ओर से, ओडिशा में इस्पात उद्योगों से उत्पादन आंकड़े और ओडिशा राज्य में प्रवृत्त लौह अयस्क के मूल्य एकत्र किए जा रहे हैं।
- संस्थान के लिए मंत्रालय की विस्तार योजनाओं में मानद विश्वविद्यालय के दर्जे वाले राष्ट्रीय इस्पात शिक्षा उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में इसका संवर्धन किया जाना शामिल है। उड़ीशा सरकार संस्थान के लिए विस्तृत रूपांतर हेतु संकल्पना टिप्पणी तैयार कर रहा है।
- ओडिशा सरकार ने इस संस्थान के लिए पूर्ण विकसित परिसर की स्थापना के लिए जमीन स्वीकृत कर दी है।

### 19.3 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी (एनआईएसएसटी)

गौण इस्पात क्षेत्र, जिसमें इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस (ईएफ) या इंडक्शन फर्नेस (आईएफ) से लैस स्टील मेल्टिंग यूनिट आते हैं, तथा रि-रिलोगि इकाइयों में मानव संसाधन विकास और प्रौद्योगिकी उन्नयन की जरूरत लंबे समय से महसूस की जाती रही है। 1984 में भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय द्वारा गठित स्टील रोलिंग इंडस्ट्रीज से संबद्ध सलाहकार समिति ने भी ऐसी ही राय प्रकट की थी। इन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और साथ ही उद्योग की मांग को भी देखते हुए 18 अगस्त, 1987 को तत्कालीन लौह एवं इस्पात विकास आयुक्त एवं इस्पात मंत्रालय के वर्तमान संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में पंजीकृत सोसायटी के तौर पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी का गठन किया गया।

इस संस्थान के क्षेत्राधिकार में द्वितीयक इस्पात क्षेत्र के निम्न क्षेत्र आते हैं :

- वैद्युत आर्क और इंडक्शन भट्टियां
- लैडल रिफाइनिंग
- रोलिंग मिलें (हॉट और कोल्ड)
- डायरेक्ट रिडयूस्ड आयरन यूनिट

### प्रमुख उपलब्धियां

एनआईएसएसटी अपनी प्रयोगशालाओं के लिए एक आईएसओ 9001-2000 प्रमाणित संगठन है। वर्ष 2013-14 के दौरान संस्थान ने कुछ उपलब्धियां हासिल की और पहलें की जो निम्नानुसार हैं :-

- वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, एनआईएसएसटी ने विभिन्न औद्योगिक सेवाओं के जरिए 100.65 रुपए अर्जित किए हैं।
- संस्थान उत्पाद, प्रक्रिया तथा प्रौद्योगिकी विकास संबंधी अनुसंधान और विकास परियोजनाएं संचालित करता है। इसने विगत में दो अनुसंधान और विकास परियोजनाएं पूर्ण की है तथा एसडीएफ द्वारा स्वीकृत "कम्प्यूटर सिमुलेशन एण्ड ई-डिमांड स्ट्रेशन ऑफ रीहीटिंग फर्नेसिस" संबंधी एक परियोजना चल रही है। दो और परियोजनाएं तैयार की जा रही है।
- एनआईएसएसटी को मै. केरल मिनरल्स एण्ड मेटल्स लि., केरल द्वारा "रीसाईकलिंग एण्ड री-यूजेबिलिटी ऑफ आयरन आक्साईड स्लज/पाउडर" संबंधी अरम्भिक अध्ययन समनुदेशित किए गए हैं।
- एनआईएसएसटी ने भारत में एसआरआरएम क्षेत्र के लाभ के लिए ऊर्जा संरक्षण, प्रक्रिया सुधार, प्रशिक्षण इत्यादि से जुड़े विभिन्न कार्यों के लिए निवासी मिशनों के प्रबंधन के रूप में यूएनडीपी-जीईएफ परियोजना (इस्पात) शुरू की है।
- एनआईएसएसटी "अपस्केलिंग एनर्जी एफीशियंट प्राइवट इन स्मॉल स्केल स्टील इंडस्ट्री इन इण्डिया" संबंधी नई यूएनडीपी परियोजना के विभिन्न समनुदेशन भी प्राप्त कर रहा है।
- एनआईएसएसटी ने परीक्षण तथा अंशाकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) का प्रत्यायन भी प्राप्त कर लिया है।
- एनआईएसएसटी ने इस्पात के प्रति कर्तव्यों का अनुपालन करने की बचनबद्धता के रूप में पुनः चक्रण इस्पात उद्योग के लिए रेडियो एक्टिव संदूषण के कुप्रभावों तथा निवारक उपायों संबंधी जागरूकता तथा शिक्षा का प्रसार करने के लिए परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड (ईआरबी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- एनआईएसएसटी को ऊर्जा किफायत ब्यूरो द्वारा अपने अर्हक तथा पंजीकृत ऊर्जा लेखापरीक्षकों के जरिए ऊर्जा लेखापरीक्षा संचालन के लिए सूचीबद्ध किया गया है। पंजाब राज्य बिजली बोर्ड, बैंकों इत्यादि के भवनों सहित उद्योगों तथा भवनों की ऊर्जा लेखा परीक्षा की जा रही है तथा राष्ट्र की सेवा में ऊर्जा संरक्षण हेतु उपाय सुझाए जाते हैं।
- एनआईएसएसटी द्वारा संचालित इस्पात निर्माण तथा रोलिंग प्रौद्योगिकी में कार्यान्मुखी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (जेओसीसी) ने अपने प्रचालन के 22वें वर्ष में प्रवेश किया है।
- एनआईएसएसटी चुनौती का सामना करने के लिए गुणवत्ता, उत्पादन, मूल्य वर्धन तथा लागत अपचयन में सुधार लाने हेतु निरंतर गौण इस्पात क्षेत्र को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है।

### 19.4 इंस्टीट्यूट फॉर स्टील डेवेलपमेंट एंड ग्रोथ (इंसडैग)

इस्पात मंत्रालय और प्रमुख इस्पात उत्पादकों द्वारा संवर्धित इंसडैग संस्थान एक दशक से भी अधिक समय से भारतीय निर्माण व आधारभूत क्षेत्र में इस्पात सघन संरचनाओं को बढ़ावा देने के लिए निरंतर काम कर रहा है। अपने लक्ष्य विवरण के अनुसरण में, इंसडैग ने इस्पात संबंधी सूचना/ज्ञान को संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/प्रकाशनों आदि के जरिए व्यावसायिकों और शिक्षाविदों को प्रसारित करना, पुरस्कार प्रतियोगिताएं आयोजित करना, नवीनतम संहिताओं और मानकों को तैयार करने में अपने संसाधनों को लगाना, इस्पात उपयोग के नए और बेहतर तरीकों की खोज तथा नवीकरण करना और विशेषीकृत परामर्श उपलब्ध कराना जारी रखा है।

आज तक इंसडैग ने विभिन्न प्रशिक्षण मॉडयूल्स के तहत 877 संकाय सदस्यों, 5047 पेशेवरों और बड़ी संख्या में छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों के अनुरूप नवीनतम अत्याधुनिक डिजाइन पद्धतियों (आईएस : 800-लिमिट स्टेट मेथड) और कई अन्य इस्पात अनुप्रयोग संबंधी जानकारी में प्रशिक्षित किया है।

वर्ष 2013-14 के दौरान, इंसडैग ने अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए हैं जिनमें आईआईटी मद्रास, चेन्नई, आरटीयू कोटा, नई दिल्ली तथा एल एवं टी चेन्नई में अनन्य रूप से उनके इंजीनियरों के लिए संगोष्ठियां, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम तथा अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।

इंसडैग बीआईएस तथा आईआरसी के तहत विभिन्न इस्पात संबंधित संहिताओं तथा मानकों के विकास से संबद्ध रहा है। इंसडैग और इस्पात मंत्रालय ने रायपुर, छत्तीसगढ़ में तथा मंडी गोविंदगढ़, पंजाब में "आशोधित इस्पात तथा इस्पात उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण आदेश से सबद्ध इस्पात उत्पादों संबंधी बीआईएस प्रमाणन प्रक्रिया पर इस्पात उद्योग के लिए जागरूकता कार्यक्रम" पर संगोष्ठियों का संयुक्त रूप से आयोजन किया।

संबंधित मंत्रालयों जैसे सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय (जीआरएसई), आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, विभिन्न राज्य सरकारों जैसे त्रिपुरा सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार तथा अग्रणी सरकारी संगठनों जैसे सीपीडब्ल्यूडी, सेल, बीआरओ, एमओआरटीएच तथा आरडीएसओ से सम्पर्क करने तथा उन्हें अपनी आने वाली परियोजनाओं में इस्पात गहन निर्माण अपनाने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु सतत प्रयास किए गए। एमओआरटीएच, सीपीडब्ल्यूडी जैसे सरकारी संगठनों ने कुछ महत्वपूर्ण समनुदेशन देकर इंसडैग में अपना विश्वास प्रदर्शित किया।

## सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

### 20.1 प्रस्तावना

भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को 15 जून, 2005 को लागू किया। इस अधिनियम का उद्देश्य प्रशासन में खुलेपन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना और देश में अच्छे अभिशासन की व्यवस्था करना है।

### 20.2 इस्पात मंत्रालय में आरटीआई अधिनियम का कार्यान्वयन

मंत्रालय में आरटीआई अधिनियम के क्रियान्वयन और इसकी निगरानी के लिए निदेशक स्तर के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के तौर पर मनोनीत किया गया है। उप-सचिव/निदेशक, या समकक्ष स्तर, के अधिकारी और संबंधित संयुक्त सचिव को क्रमशः जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और अपीलीय प्राधिकारी के तौर पर नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त, दो सहायक जन सूचना अधिकारियों (एपीआईओ) का मनोनयन भी किया गया है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देश पर, एक संयुक्त सचिव स्तरीय अधिकारी को भी इस्पात मंत्रालय के लिए बतौर 'पारदर्शिता अधिकारी' नामित किया गया है। मंत्रालय अपने सीधे प्रशासनिक नियंत्रण वाले पीएसयू/कंपनियों और अन्य संगठनों में सूचना का अधिकार अधिनियम की प्रगति/क्रियान्वयन पर भी नजर रखता है। 17 मर्दों के मैनुअल, अपीलीय प्राधिकारी/जन सूचना अधिकारी, सहायक सूचना अधिकारियों का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट [www.steel.gov.in](http://www.steel.gov.in) पर उपलब्ध कराया गया है। सूचना का अधिकार आवेदनों की ऑन लाइन फाईलिंग के लिए वेबपोर्टल कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा शुरू किया गया है तथा इस्पात मंत्रालय 25.06.2013 से आनलाईन वेबपोर्टल का एक भाग है। वर्ष 2013-14 (31 मार्च, 2014 तक) के दौरान इस्पात मंत्रालय को भौतिक रूप से 220 आरटीआई आवेदन तथा आरटीआई वेब पोर्टल पर 448 आनलाईन आवेदन प्राप्त हुए, जिन्हें नियत अवधि में यथेष्ट रूप से निपटा दिया गया।

### 20.3 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल के लिए एक अनन्य आरटीआई पोर्टल तैयार करके सेल की वेबसाइट पर उपलब्ध कर दिया गया है। आरटीआई मैनुअल जिसमें 17 मॉड्यूलों, पारदर्शिता अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी/जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारियों का विवरण एवं सेल कारखानों/इकाइयों के नाम हैं, को नियमित तौर पर अद्यतन किया जाता है और सेल की वेबसाइट [www.sail.co.in](http://www.sail.co.in) पर उपलब्ध कराया जाता है।

“आरटीआई के अधीन जन प्राधिकारियों के दायित्व” पर एक जागरूकता कार्यक्रम/कार्यशालाओं का आयोजन प्रत्येक वर्ष सेल के कारपोरेट कार्यालय/संयंत्रों/इकाइयों में किया जाता है तथा इन कार्यक्रमों में सूचना आयुक्तों को आमंत्रित किया जाता है। इसके अलावा, नियमित रूप से संयंत्र/इकाई स्तर पर और कारपोरेट कार्यालय स्तर पर आरटीआई अधिनियम पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

01.04.13 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान कम्पनी में कुल 4940 आवेदन और 942 अपील आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त हुईं और सभी का निपटारा आरटीआई अधिनियम के अनुसार नियत समय-सीमा में किया गया। केवल 47 मामले सीआईसी को भेजे गए और अब तक इनका भी निपटान कर दिया गया है।

### 20.4 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आईआरएनएल-वीएसपी का एक अनन्य आरटीआई पोर्टल शुरू किया गया है और आरटीआई के 17 मैनुअलों में उपलब्ध सूचना को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (ख) की अपेक्षा के अनुरूप कंपनी की वेबसाइट पर अद्यतन किया गया है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन की तिमाही विवरणियां, वार्षिक विवरणियां नियमित रूप से सीआईसी पोर्टल पर प्रस्तुत की जा रही हैं।

आईआईएनएल को 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कुल 529 अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इनमें से 412 अनुरोधों को आवेदकों को सूचना उपलब्ध कराकर निपटाया गया। 90 मामले प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को भेजे गए जिनमें से आज की तिथि के अनुसार 52 अपीलों का निपटान किया जा चुका है। ऐसे मामलों की संख्या दो थी, जिनके संबंध में आवेदक द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में अपील की गई और इन दोनों मामलों को सीआईसी द्वारा निपटा दिया गया।

### 20.5 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी ने आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4 (1)(ख) के तहत सूचना को अपनी वेबसाइट [www.nmdc.co.in](http://www.nmdc.co.in) पर प्रकाशित किया है। सूचना मांगे गए प्रारूप में अधिकतम सीमा तक और आवश्यक होने पर स्थानीय भाषा में भी उपलब्ध

कराई जाती है। वर्ष के दौरान प्राप्त और निपटाए गए आरटीआई आवेदनों की संख्या निम्नानुसार है :

01.04.2013 को लंबित आवेदन	2013-14 के दौरान प्राप्त आवेदन	2013-14 के दौरान निपटाये गये आवेदन	31.03.2014 को लंबित आवेदन
	85	86	03

## 20.6 एमओआईएल लिमिटेड

एमओआईएल ने अपने निगमित कार्यालय में पीआईओ नियुक्त किये हैं और इसकी सभी खनन इकाइयों में भी पीआईओ/एपीआईओ की नियुक्ति की गई है। इस अधिनियम के तहत कार्यपालक निदेशक (तक.) को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त/नामित किया गया है। कंपनी की वेबसाइट www.moil.nic.in पर सभी पीआईओ/एपीआईओ एवं अपीलीय प्राधिकारियों के नाम उपलब्ध कराए गए हैं। आरटीआई अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अनुच्छेद (ख) के तहत यथा निर्धारित 17 शीर्षों के तहत कम्पनी, इसके कर्मचारियों इत्यादि के संबंध में सूचना तैयार की गई है और उसे कम्पनी के पोर्टल पर डाला गया है। एमओआईएल निर्धारित प्राधिकारियों को आवश्यक सूचना तथा विवरणियां प्रस्तुत करता है और समय-समय पर इसे अद्यतन करता है।

01.04.2013 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान लंबित, प्राप्त आवेदन, उनके निपटान का विवरण निम्नवत है :

01.04.2013 को लंबित आवेदन पत्र	01.04.2013 से 31.03.2014 के दौरान प्राप्त आवेदन	01.04.2013 से 31.03.2014 के दौरान निपटाये गये आवेदन	31.03.2014 को लंबित आवेदन
शून्य	67	67	00

## 20.7 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी ने कंपनी के विभिन्न स्थानों पर सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई के लिए अपने मुख्यालय में एक सीपीआईओ तथा पीआईओ और प्रत्येक क्षेत्र/शाखा में एक पीआईओ और एक सहायक पीआईओ नामित किया है। आरटीआई आवेदनों पर आरटीआई अधिनियम के उपलब्धों के अनुसार कार्रवाई की गई है। तिमाही रिपोर्ट ऑनलाइन दाखिल की जाती है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

01.04.2013 को लंबित आवेदन पत्र	01.04.2013 से 31.03.2014 के दौरान प्राप्त आवेदन	01.04.2013 से 31.03.2014 के दौरान निपटाये गये आवेदन	31.03.2014 को लंबित आवेदन
शून्य	63	61	02

## 20.8 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

एफएसएनएल ने एक जन सूचना अधिकारी और एक सहायक जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति कारपोरेट कार्यालय में तथा एक एपीआईओ की नियुक्ति अपने 8 यूनिटों में से प्रत्येक में की है। प्रबंध निदेशक, एफएसएनएल आरटीओ अधिनियम, 2005 के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी है। कम्पनी ने अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के तहत यथापेक्षित 17 विभिन्न टेम्पलेटों/संहिताओं/स्वैच्छिक/स्व प्रेरणा प्रकटन के लिए संहिताओं के तहत जानकारी संकलित की है तथा उसे कम्पनी की वेबसाइट दिसपन्दपबण्पद पर डाला है तथा इस प्रकार प्रकाशित सूचना को नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है। तिमाही रिपोर्ट सीआईसी को नियमित रूप से प्रस्तुत की जाती है।

पहली अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक प्राप्त आरटीआई आवेदनों की कुल संख्या 30 थी। इनमें से, 30 आवेदनों का निपटान किया जा चुका है।

## 20.9 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

एचएससीएल ने एक सीपीआईओ और 16 एपीआईओ नामित किए हैं। कंपनी के लिए इस अधिनियम के तहत एचएससीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पहले अपीलीय प्राधिकारी हैं। 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि में प्राप्त आवेदनों और निपटाए गए मामलों का विवरण निम्न है :



## अध्याय—XX

- प्राप्त आरटीआई आवेदनों की कुल संख्या : 126
- सीपीआईओ द्वारा निपटाए गए आरटीआई आवेदनों की कुल संख्या : 123
- प्राप्त प्रथम अपीलों की कुल संख्या : 19
- अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निपटाई गई प्रथम अपीलों की कुल संख्या : 19

### 20.10 मेकॉन लिमिटेड

आरटीआई अधिनियम, 2005 के सभी संगत मैनुअलों को 19 सितंबर, 2005 से मेकॉन की वेबसाइट [www.meconlimited.co.in](http://www.meconlimited.co.in) पर उपलब्ध कराया गया है। एक जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को मेकॉन द्वारा अपने मुख्यालय में नियुक्त किया गया है और सहायक जन सूचना अधिकारियों (एपीआईओ) को विभिन्न क्षेत्रीय और स्थल कार्यालयों में मनोनीत तैनात किया गया है। जनता की ओर से मेकॉन को मिलने वाले ऐसे आवेदनों को ये नामित अधिकारी निपटाते हैं और नियत अवधि में जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) द्वारा इसका जवाब दिया जाता है। महाप्रबंधक स्तर का एक अधिकारी मेकॉन में पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, वर्ष 2013-14 के दौरान प्राप्त आवेदन एवं उनके निपटारे की स्थिति निम्नवत है:

01.04.2013 को लंबित आवेदन पत्र	01.04.2013 से 31.03.2014 के दौरान प्राप्त आवेदन	01.04.2013 से 31.03.2014 के दौरान निपटाये गये आवेदन	31.03.2014 को लंबित आवेदन
03	103	104	02

### 20.11 केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल ने निगमित कार्यालय में पीआईओ/एपीआईओ तथा अपने सभी कारखानों/अन्य इकाइयों में भी पीआईओ/एपीआईओ नियुक्त किये हैं। अधिनियम के तहत शीर्ष स्तरीय कार्यपालकों को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त/पदनामित किया गया है। सभी पीआईओ/एपीआईओ और अपीलीय प्राधिकारी के नाम केआईओसीएल की वेबसाइट [www.kioclld.com](http://www.kioclld.com) पर दिये गये हैं। धारा (4) की उप-धारा (1) के अनुच्छेद (ख) में निर्धारित मैनुअल तैयार करने के दायित्व का अनुपालन कर लिया गया है और उसे भी अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा के अन्दर केआईओसीएल के पोर्टल पर डाला दिया गया है तथा उसकी नियमित अंतरालों पर समीक्षा की जाती है तथा उसे अद्यतन किया जाता है।

01.04.2013 को लंबित आवेदन पत्र	01.04.2013 से 31.03.2014 के दौरान प्राप्त आवेदन	01.04.2013 से 31.03.2014 के दौरान निपटाये गये आवेदन	31.03.2014 को लंबित आवेदन
शून्य	58	55	03

### 20.12 बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज (बीजीसी)

बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज के तहत कम्पनियां सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का पालन कर रही हैं। आरटीआई पृच्छाओं की प्राप्ति एवं उत्तर देने के लिए एक जन सूचना अधिकारी व उप जन सूचना अधिकारी का मनोनयन किया गया है।

## पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास

### 21.1 प्रस्तावना

इस्पात मंत्रालय को इस उद्देश्य हेतु अपना 10 प्रतिशत बजटीय आवंटन नामनिर्दिष्ट करने की अनिवार्यता से छूट दी गई है।

### 21.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

गुवाहाटी, असम में इस्पात प्रसंस्करण इकाई (एसपीयू) की स्थापना का प्रस्ताव सेल बोर्ड ने अप्रैल 2008 में सिद्धान्त रूप में मंजूर किया था। प्रस्तावित सुविधाओं तथा उत्पाद-मिश्र में 88,000 टीपीए के टीएमटी बार मिल की परिकल्पना की गई है। गुवाहाटी आईआईटी के पास उत्तरी गुवाहाटी में तिलिनगांव में इस परियोजना के लिए सेल को रु. 7.97 करोड़ की लागत पर 31 एकड़ जमीन आबंटित कर दी गई है। भूमि सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है। कंटीली तार युक्त चारदीवारी, सुरक्षा कक्ष एवं प्रवेश द्वार का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। राज्य सरकार से रियायतों तथा लाभ के बिना यह परियोजना अव्यवहार्य है। राज्य सरकार से मांगी गई रियायतें तथा लाभ अभी भी प्रतीक्षित हैं।

### 21.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल क्षेत्र के विभिन्न ग्राहकों की मांग की पूर्ति सीधे कोलकाता स्थित अपने शाखा बिक्री कार्यालय (बीएसओ) और गुवाहाटी तथा अगरतला में नियुक्त कसाइन्मेंट बिक्री एजेंटों (सीएसए) की मार्फत करता है। बीएसओ कोलकाता ने पूर्वोत्तर राज्यों में 25 ग्रामीण डीलर नियुक्त किए हैं जो निम्नानुसार हैं :

राज्य	डीलरों की संख्या
असम	7
मेघालय	4
त्रिपुरा	3
सिक्किम	1
मणिपुर	2
मिजोरम	4
अरुणाचल प्रदेश	4
<b>कुल</b>	<b>25</b>

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विक्रय को बढ़ावा देने के लिए, बीएसओ, कोलकाता क्षेत्र के परियोजना उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है। आरआईएनएल उत्तर पूर्व क्षेत्र में सीधे कोलकाता में वीएसपी के भण्डार और खुदरा विक्रेताओं और ग्रामीण डीलरों की मार्फत हाइड्रो, इलेक्ट्रिक, सड़क और दूसरी परियोजनाओं को इस्पात उत्पादों की आपूर्ति भी कर रहा है।

वर्ष 2013-14 के दौरान कोलकाता भण्डार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को 8,517 टन विक्रेय इस्पात की सीधी बिक्री की गई।

### 21.4 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी का पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता। परन्तु कम्पनी पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों जैसे ऑयल इण्डिया लिमिटेड, ओएनजीसी, बीआरपीएल, नार्थ इस्टर्न कोल फील्ड्स लि., इत्यादि एवं बेंगलुरु, हाशीमारा, जोरहाट इत्यादि क्षेत्रों में स्थित सार्वजनिक सेल की इकाइयों, रक्षा इकाइयों तथा सर्व सैनिक बलों को परोक्ष रूप से स्क्रेप का विक्रय करने का काम करती है। आमतौर पर इन इकाइयों का स्क्रेप स्थानीय व्यापारियों द्वारा खरीदा जाता है जिससे अपरोक्ष रूप से यह क्षेत्र लाभान्वित होता है।

### 21.5 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

कंपनी को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत पूर्वोत्तर के त्रिपुरा राज्य में ग्रामीण सड़कों के निर्माण में भारत सरकार के भारत निर्माण कार्यक्रम में हिस्सा लेने का गौरवपूर्ण विशेषाधिकार प्राप्त है। एचएससीएल वहां पर एक परियोजना कार्यान्वयन इकाई के रूप में कार्य कर रहा है और उसकी जिम्मेदारी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने से लेकर सड़कों के निर्माण के बाद 5 वर्षों तक उनका रखरखाव भी करने की है।

यह कार्य 250 से 1000 + के बीच की आबादी सघनता वाले ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान सड़कों का उन्नयन करने तथा नवीन संयोजकता स्थापित करने के लिए त्रिपुरा सरकार के लोक निर्माण विभाग के तहत चरणों में एक परियोजना कार्यान्वयन

इकाई के रूप में एचएससीएल द्वारा शुरू किया गया है। कार्य में मृदा परीक्षण, सर्वेक्षण तथा निर्माण/उन्नयन के क्रियाकलाप शामिल हैं जिनमें सौंपने के पश्चात पांच वर्ष के लिए निर्मित सड़कों का अनुरक्षण शामिल है। एचएससीएल वर्तमान में दो जिलों – ढलाई और उत्तरी जिले में कार्यरत है। त्रिपुरा में पीएमजीएसवाई के तहत परियोजनाओं का सारांश निम्न प्रकार है :-

कार्य का कुल मूल्य	: 880.00 करोड़ रु.
कुल लम्बाई	: 1080 किमी.
पूर्ण किया गया कार्य	: 556 किमी.

पांच चरणों अर्थात् चरण IV, V, VI, VII, VIII तथा X के तहत त्रिपुरा के दो जिलों – उत्तरी तथा ढलाई में पीएमजीएसवाई कार्य कार्यशील कार्मिकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा और कठोर पर्यावेक्षणधीन चल रहा है। पर्याप्त संख्या में सम्पर्क पहले ही जनता के लिए खोल दिए जा चुके हैं। कार्य के मूल्य में चरणों में और बढ़ोत्तरी होने की संभावना है।

पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़कों के अलावा, कम्पनी ने उदयपुर, कैलाशहर तथा कुलाई में तीन 150 बिस्तर वाले जिला अस्पतालों का सफलतापूर्वक निर्माण कर उन्हें सौंप दिया है। तेलियामूरा में 100 बिस्तर वाला अस्पताल कुछ बाधाओं का सामना करने के बावजूद पूरा होने वाला है। कुलाई में ट्रामा देखभाल केन्द्र तथा स्टॉफ क्वार्टर एवं कैलाशहर में स्टॉफ क्वार्टरों की प्रगति संतोषजनक है। पीडब्ल्यूडी के तहत फूलकुमारी में पोलीटेक्नीक पूरा हो चुका है तथा शहरी विकास निदेशालय के तहत जलनिकासी कार्य की प्रगति भी संतोषजनक है।

देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र एचएससीएल द्वारा अवसंरचना विकास के प्रमुख क्षेत्रों में से एक बन गया है।

एचएससीएल ने सिक्किम के पूर्वोत्तर राज्यों में निम्न दो परियोजनाओं का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है जिससे राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास एवं पर्यटन को बढ़ाने में मदद मिलेगी :

- सिक्किम के सोलोपोक में पिलग्रिमेज सेंटर का निर्माण, जिसमें खूबसूरत सिक्किम के पहाड़ी इलाके में 108 फीट उंची भगवान शिव की मूर्ति की स्थापना एवं अनेक हिंदू देवी-देवताओं के मंदिरों का निर्माण शामिल है। 'प्राणप्रतिष्ठा' की जा चुकी है और इस गंतव्य को तीर्थ यात्रियों के लिए खोल दिया गया है।
- यांगयांग में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना।

अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में, निम्न प्रमुख परियोजनाएं भी एचएससीएल द्वारा क्रियान्वयनाधीन हैं :-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य	परियोजना की लागत (करोड़ रुपए)
1.	मिजोरम में दो अस्पताल तथा दो ओडिटोरियम	93
2.	मेघालय में वेलो ई-रंगबेलांग सड़क 40 किमी. का सुधार, उसे चौड़ा करना और उसका सुदृढ़ीकरण	32
3.	दीमापुर, नागालैंड में एफसीआई के दो गोदामों का निर्माण	17
4.	तेजपुर तथा ईटानगर में आईटीबीपी के बटालियन मुख्यालय का निर्माण	102
5.	गुवाहाटी, शिलांग तथा मिजोरम में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) का परिसर विकास तथा भवन परियोजना	75
6.	टीआईएसएस के गुवाहाटी परिसर का निर्माण	210
7.	गृह मंत्रालय के अधीन देश में विभिन्न अवस्थलों पर एसएसबी के बटालियन मुख्यालय का निर्माण	
8.	राज्य खेलकूद परिषद् मेघालय के तहत क्रमशः तुरा तथा अम्पाटी में अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्टस स्टेडियम	87

## अंतरराष्ट्रीय सहयोग

इस्पात क्षेत्र में अत्याधुनिक विकास के लिए वैश्विक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस्पात मंत्रालय ने लौह एवं इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए आयोजित विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय बैठकों/सम्मेलनों/संगोष्ठियों में भाग लिया। विवरण इस प्रकार है :-

- इस्पात मंत्रालय ने पेरिस (फ्रांस) में 01-02 जुलाई 2013 को आयोजित 74वीं ओईसीडी इस्पात समिति बैठक में भाग लिया।
- इस्पात मंत्रालय ने 27-28 सितम्बर 2013 को मोस्को (रूस) में आयोजित आधुनिकीकरण तथा औद्योगिक सहयोग संबंधी कार्यकारी समूह के तहत खनन उप समूह की बैठक में भाग लिया।
- अध्यक्ष, सेल तथा आईसीवीएल ने 21-22 अक्टूबर 2013 को मोस्को, रूस में भारत-रूस सीईओ परिषद् की दूसरी बैठक में भाग लिया।
- केन्द्रीय इस्पात मंत्री के नेतृत्व में एक शिष्ट मंडल ने भारत-पोलैंड आर्थिक भागीदारी पर चर्चा करने के लिए 28-30 अक्टूबर 2013 के दौरान पोलैंड का दौरा किया।
- कनाडा के प्राकृतिक संसाधन मंत्री के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया तथा 13 जनवरी 2014 को केन्द्रीय इस्पात मंत्री के साथ एक आशयपत्र पर हस्ताक्षर किए।
- पोलैंड गणराज्य के अर्थव्यवस्था मंत्रालय के राज्य सचिव के नेतृत्व में एक शिष्ट मंडल ने 8 अक्टूबर 2013 को इस्पात मंत्रालय दौरा किया तथा पोलैंड के एक व्यवसाय शिष्टमंडल ने 11 फरवरी 2014 को सचिव (इस्पात) से भेंट की। पोलैंड तथा मेकॉन लि. के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 12 फरवरी 2014 को किए गए।
- इस्पात मंत्रालय ने 3 मार्च 2014 को दुबई में भारत-अरब इस्पात शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
- डीजी, विदेश मंत्री के नेतृत्व में चेक गणराज्य शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया तथा इस्पात क्षेत्र में द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 27 मार्च 2014 को सचिव (इस्पात) के साथ बैठक की।
- इस्पात मंत्रालय ने अनेक देशों के साथ अंतर-सरकारी आयोग/संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग/संयुक्त कृत्तिक बल/संयुक्त व्यापार समिति/संयुक्त कार्यकारी समूह/संयुक्त निवेश सहयोग/संयुक्त मंत्रालयीय आयोग में भाग लिया जिनमें रूस, अजेरबैजान, हंगरी, पोलैंड, कोरिया, कनाडा, बेलारूस, किरगीस्तान, कजाकस्तान, इराक, उक्रेन, स्वीडन, आस्ट्रेलिया तथा तनजानिया शामिल हैं।

अनुलग्नक-I

**भारत सरकार (कार्य आवंटन)**  
**नियम, 1961 के अनुसार इस्पात मंत्रालय**  
**को आवंटित विषयों की सूची**

1. इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ) इकाइयों, इंडक्शन फर्नेस (आईएफ) इकाइयों, रिलेल्स, फ्लैट उत्पादों (हॉट/कोल्ड रोलिंग इकाइयों), कोटिंग इकाइयों, वायर ड्राइंग इकाइयों और शिप ब्रेकिंग समेत स्टील स्कैप प्रसंस्करण जैसी प्रोसेसिंग सुविधाओं के साथ लौह और इस्पात उत्पादन सुविधाओं की स्थापना के लिए आयोजना, विकास और सहायता।
2. सार्वजनिक क्षेत्र में लौह अयस्क खानों एवं अन्य अयस्क खानों का विकास (मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, लाइमस्टोन, सिलिमेनाइट, कॉयनाइट और लौह एवं इस्पात उद्योग में प्रयुक्त अन्य खनिज, परन्तु इनमें खनन लीज या तत्संबंधित मामले शामिल नहीं हैं)।
3. लौह और इस्पात एवं फेरो एलॉयज का उत्पादन, वितरण, कीमतें, आयात एवं निर्यात।
4. निम्न उपक्रमों की सहायक कंपनियों समेत उनसे संबंधित मामले, नामतः:
  - (i) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल);
  - (ii) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल);
  - (iii) कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि. (केआईओसीएल);
  - (iv) मैंगनीज और (इण्डिया) लिमिटेड (मॉयल लिमिटेड);
  - (v) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. (एनएमडीसी) ;
  - (vi) मेटलर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इण्डिया) लि. (मेकॉन) ;
  - (vii) स्पंज आयरन इण्डिया लि. (एसआईआईएल) ;
  - (viii) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल);
  - (ix) भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि. (बीआरएल)
  - (x) मेटल स्कैप ट्रेड कारपोरेशन (एमएसटीसी)
  - (xi) फेरो स्कैप निगम लिमिटेड; तथा
  - (xii) बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज।



अनुलग्नक-II

इस्पात मंत्रालय के प्रभारी मंत्री और अधिकारीगण  
(उप सचिव स्तर तक)  
(31.03.2014 की स्थिति के अनुसार)

इस्पात मंत्री	श्री बेनी प्रसाद वर्मा
सचिव	श्री जी. मोहन कुमार
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार	श्री विनोद कुमार ठकराल
संयुक्त सचिव	श्री उपेंद्र प्रसाद सिंह श्री सय्यदैन अब्बासी श्री लोकेश चन्द्र
आर्थिक सलाहकार	श्री सूरज भान
मुख्य लेखा नियंत्रक	श्री पी.एल. साहु
निदेशकगण	श्री डी.बी. सिंह श्री एच.एल. मीना श्री टी. श्रीनिवास श्री अनुपम प्रकाश श्री महाबीर प्रसाद श्री सुनील प्रकाश
उप सचिव	श्री मनीष बैजल श्रीमती मौली तिवारी
उप सचिव स्तर के अधिकारी	श्री आर.के. महाजन, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव

अनुलग्नक-III

मुख्य एवं अन्य उत्पादकों के उत्पादन सारांश						
('000 टन)						
क्र.सं.	मद/उत्पादक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14*
<b>उत्पादन</b>						
<b>I.</b>	<b>कच्चा इस्पात :</b>					
	मुख्य उत्पादक	22969	23543	23314	24417	25795
	एएसपी + वीआईएसएल	308	308	291	195	135
	<b>अन्य उत्पादक</b>					
	ई.ए.एफ. यूनिट (कॉरेक्स एवं एमबीएफ/ईओएफ सहित)	22738	23880	26750	28119	28117
	इंडक्शन फर्नेस	19824	22941	23936	25685	27494
	<b>कुल (कच्चा इस्पात)</b>	<b>65839</b>	<b>70672</b>	<b>74291</b>	<b>78416</b>	<b>81541</b>
	अन्य उत्पादकों का प्रतिशत % अंश	64.7%	66.3%	68.2%	68.6%	68.2%
<b>II.</b>	<b>कच्चा लोहा :</b>					
	मुख्य उत्पादक	731	579	502	674	552
	अन्य उत्पादक	5153	5105	4869	6196	6737
	<b>कुल (बिक्री के लिए कच्चा लोहा उत्पादन)</b>	<b>5884</b>	<b>5684</b>	<b>5371</b>	<b>6870</b>	<b>7289</b>
	अन्य उत्पादकों का % अंश	87.6%	89.8%	90.7%	90.2%	92.4%
<b>III.</b>	<b>स्पंज आयरन</b>					
	गैस आधारित	6148	6071	5166	3940	2616
	कोयला आधारित	18178	19270	19805	19066	20020
	<b>कुल (स्पंज आयरन)</b>	<b>24326</b>	<b>25341</b>	<b>24971</b>	<b>23006</b>	<b>22636</b>
	प्रक्रिया द्वारा % अंश (कोयला आधारित)	74.7%	76.0%	79.3%	82.9%	88.4%
<b>IV.</b>	<b>बिक्री के लिए तैयार इस्पात (मिश्र/गैर-मिश्र)</b>					
	मुख्य उत्पादक	18038	18407	17978	19244	21099
	अन्य उत्पादक	51093	57890	66426	70376	72442
	घटाइए आईपीटी/स्वयं की खपत	8507	7676	8708	7940	8487
	<b>कुल (बिक्री हेतु तैयार इस्पात)</b>	<b>60624</b>	<b>68621</b>	<b>75696</b>	<b>81680</b>	<b>85054</b>
	अन्य उत्पादकों का % अंश	84.3%	84.4%	87.8%	86.2%	85.2%

- मुख्य : सेल, टीएसएल एवं आरआईएनएल (वीएसपी)
- अन्य : मुख्य (एस्सार, जेएसडब्ल्यू इस्पात, जेएसडब्ल्यूएल एवं जेएसपीएल) और ईएएफ, आईएफ, कॉरेक्स-बीओएफ इत्यादि
- ईएएफ : इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस
- एमबीएफ : मिनी ब्लास्ट फर्नेस
- ईओएफ : एनर्जी ऑप्टिमाइजिंग फर्नेस
- आईपीटी : अंतर संयंत्र अंतरण
- \* अनंतिम

अनुलग्नक-IV  
कच्चे / तरल इस्पात का उत्पादन  
(उत्पादकों द्वारा)

उत्पादक	2009 - 10			2010 - 11			2011 - 12			2012 - 13			2013 - 14*		
	कार्यशील क्षमता	उत्पादन	% उपयोग	कार्यशील क्षमता	उत्पादन	% उपयोग	कार्यशील क्षमता	उत्पादन	% उपयोग	कार्यशील क्षमता	उत्पादन	% उपयोग	कार्यशील क्षमता	उत्पादन	% उपयोग
सार्वजनिक क्षेत्र															
बीएसपी	3925	5108	130%	3925	5329	136%	3925	4901	125%	3925	5008	128%	3925	5136	174%
डीएसपी	1802	1966	109%	1802	1961	109%	1802	1914	106%	1802	2034	113%	1802	2019	149%
आएएसपी	1900	2128	112%	1900	2160	114%	1900	2170	114%	1900	2209	116%	1900	2291	161%
बीएसएल	4360	3599	83%	4360	3592	82%	4360	3647	84%	4360	3757	86%	4360	3776	115%
आईएसपी	500	400	80%	500	411	82%	500	330	66%	500	135	27%	500	127	34%
एसएसपी	234	205	88%	234	200	85%	234	200	85%	234	131	56%	234	122	69%
एसएसपी							180	96	53%	180	73	41%	180	91	67%
बीआईएसएल	118	103	87%	118	108	92%	118	91	77%	118	64	54%	118	13	15%
कुल (सेल)	12839	13509	105%	12839	13761	107%	13019	13349	103%	13019	13411	103%	13019	13575	139%
आरआईएल	2910	3205	110%	2910	3235	111%	2910	3128	107%	2910	3071	106%	2910	3202	147%
कुल (सार्वजनिक क्षेत्र)	15749	16714	106%	15749	16996	108%	15929	16477	103%	15929	16482	103%	15929	16777	140%
निजी क्षेत्र															
टाटा स्टील लि.	6800	6563	97%	6800	6856	101%	6800	7128	105%	6800	8130	85%	6800	9163	127%
मुख्य	18233	14381	79%	18433	14549	79%	25540	17015	67%	25540	18424	72%	25540	18308	96%
अन्य ईएएफ इकाईयां / कोरेक्स-बीओएफ / एमबीएफ-इओएफ	8419	8357	99%	9140	9332	102%	11580	9735	84%	12010	9695	81%	12010	9809	109%
इंडव्हान	25800	19824	77%	30241	22939	76%	31017	23936	77%	33945	25685	76%	36491	27494	100%
फर्नेस यूनिट															
कुल (निजी क्षेत्र)	59252	49125	83%	64614	53676	83%	74937	57814	77%	81095	61934	76%	83641	64764	103%
कुल योग	75001	6583	88%	80363	70672	88%	90866	74291	82%	97024	78416	81%	99570	81541	109%

मुख्य = एसआर, जेएसडब्ल्यू, इस्पात,  
जेएसडब्ल्यूएल एवं जेएसपीएल

\*अनतिम

अनुलग्नक-V

कच्चे/तरल इस्पात का उत्पाद (मार्ग द्वारा)					
('000 टन)					
श्रेणी	2009 - 10	2010 - 11	2011 - 12	2012 - 13	2013 - 14*
<b>ऑक्सीजन मार्ग</b>					
बी एस पी	5108	5329	4901	5008	5136
डी एस पी	1966	1961	1914	2034	2019
आर एस पी	2128	2160	2170	2209	2291
बी एस एल	3599	3592	3647	3757	3776
आई एस पी	400	411	330	135	127
एस एस पी			96	73	91
वी आई एस एल	103	108	91	64	13
आर आई एन एल	3205	3235	3128	3071	3202
टी एस एल	6563	6856	7128	8130	9153
जेएसडब्ल्यू स्टील लि.	6254	6508	7442	8518	9257
अन्य ऑक्सीजन मार्ग	506	486	379	350	531
<b>कुल ऑक्सीजन मार्ग :</b>	<b>29832</b>	<b>30646</b>	<b>31226</b>	<b>33349</b>	<b>35596</b>
<b>इलेक्ट्रिक मार्ग</b>					
<b>इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस</b>					
ए एस पी	205	200	200	131	122
एस्सार स्टील लि.	3474	3392	4348	4163	3245
इस्पात इंडस्ट्रीज लि.	2689	2377	2466	2711	2971
जिंदल स्टील एंड पावर लि.	1961	2270	2759	3031	2835
लॉयड्स स्टील लि.	505	553	620	601	559
जिंदल स्टेनलेस लि.	679	703	752	1107	1085
अन्य इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस	6667	7590	7984	7637	7634
<b>कुल इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस :</b>	<b>16180</b>	<b>17085</b>	<b>19129</b>	<b>19381</b>	<b>18451</b>
<b>इलेक्ट्रिक इंडक्शन फर्नेस</b>					
इंडक्शन फर्नेस	19827	22941	23936	25685	27494
<b>कुल इलेक्ट्रिक मार्ग :</b>	<b>36007</b>	<b>40026</b>	<b>43065</b>	<b>45066</b>	<b>45945</b>
<b>कुल योग :</b>	<b>65839</b>	<b>70672</b>	<b>74291</b>	<b>78415</b>	<b>81541</b>

\* अनंतिम

अनुलग्नक - VI

तप्त धातु का उत्पादन						
('000 टन)						
	संयंत्र	2009-10	2010-11	2011 -12	2012-13	2013-14*
<b>क</b>	<b>सार्वजनिक क्षेत्र</b>					
	भिलाई इस्पात संयंत्र	5370	5708	5126	5202	5377
	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	2174	2143	2099	2241	2191
	राउरकेला इस्पात संयंत्र	2258	2303	2309	2366	2538
	बोकारो इस्पात संयंत्र	4066	4108	4012	4124	4100
	इस्को इस्पात संयंत्र	502	495	451	231	220
	विश्वेश्वराया लौह एवं इस्पात संयंत्र	126	131	118	94	21
	राष्ट्रीय इस्पात निगम	3900	3830	3778	3814	3769
	<b>उप योग (क) :</b>	<b>18396</b>	<b>18718</b>	<b>17893</b>	<b>18072</b>	<b>18216</b>
<b>ख</b>	<b>निजी क्षेत्र</b>					
	टाटा स्टील लिमिटेड	7232	7503	7746	8858	9893
	मिनी ब्लास्ट फर्नेस	15893	16713	19061	21764	22825
	<b>उप योग (ख) :</b>	<b>23125</b>	<b>24216</b>	<b>26807</b>	<b>30622</b>	<b>32718</b>
	<b>कुल (क+ख) :</b>	<b>41521</b>	<b>42934</b>	<b>44700</b>	<b>48694</b>	<b>50934</b>
	<b>निजी क्षेत्र का % अंश</b>	<b>55.7%</b>	<b>56.4%</b>	<b>60.0%</b>	<b>64.2%</b>	<b>64.2%</b>

\* अन्तिम



अनुलग्नक-VII

कच्चे लोहे का विक्रय के लिए उत्पादन						
(000 टन)						
	संयंत्र	2009 - 10	2010 - 11	2011 - 12	2012 - 13	2013 - 14*
क.	सार्वजनिक क्षेत्र					
	भिलाई इस्पात संयंत्र	114	58	7	14	0
	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	42	21	7	3	38
	राउरकेला इस्पात संयंत्र	16	15	9	0	87
	बोकारो इस्पात संयंत्र	111	143	26	84	40
	इस्को इस्पात संयंत्र	36	21	49	65	55
	विश्वेश्वराया लौह एवं इस्पात संयंत्र	4	3	9	15	5
	राष्ट्रीय इस्पात निगम	408	318	395	493	327
	उप योग (क) :	731	579	502	674	552
ख.	निजी क्षेत्र					
	अन्य ब्लास्ट फर्नेस/कोरेक्स इकाईयां	5153	5104	4869	6196	6737
	उप योग (ख) :	5153	5104	4869	6196	6737
कुल (क + ख) :		5884	5683	5371	6870	7289
निजी क्षेत्र का % अंश		87.6%	89.8%	90.7%	90.2%	92.4%

\* अनंतिम

अनुलग्नक-VIII

तैयार इस्पात का विक्रय के लिए उत्पादन (गैर-मिश्र एवं मिश्र इस्पात)						
(000 टन)						
	संयंत्र	2009 - 10	2010 - 11	2011 - 12	2012 - 13	2013 - 14*
क.	सार्वजनिक क्षेत्र					
	भिलाई इस्पात संयंत्र	3356	3574	3279	3614	3470
	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	666	673	621	612	620
	राउरकेला इस्पात संयंत्र	1963	1994	2041	2111	2057
	बोकारो इस्पात संयंत्र	3382	3344	3128	3273	3330
	इस्को इस्पात संयंत्र	330	328	221	134	186
	राष्ट्रीय इस्पात निगम	2960	2928	2831	2717	2811
	एलॉय इस्पात संयंत्र	24	51	46	40	9
	सेलम इस्पात संयंत्र	227	273	298	270	451
	विश्वेश्वराया लौह एवं इस्पात संयंत्र	110	84	58	47	17
	<b>कुल (क) :</b>	<b>13018</b>	<b>13249</b>	<b>12523</b>	<b>12818</b>	<b>12951</b>
ख.	निजी क्षेत्र					
	टाटा स्टील लि.	5019	5157	5456	6427	7584
	मुख्य	16049	19257	21955	23220	23456
	अन्य	35044	38632	44472	47156	48986
	घटाएं स्वखपत (मुख्य एवं अन्य)	8507	7675	8708	7940	8487
	<b>उपयोग (ख) :</b>	<b>47605</b>	<b>55371</b>	<b>63175</b>	<b>68863</b>	<b>71539</b>
	<b>विक्रय हेतु कुल उत्पादन (क + ख)</b>	<b>60623</b>	<b>68620</b>	<b>75698</b>	<b>81681</b>	<b>84490</b>
	निजी क्षेत्र में % अंश	<b>78.5%</b>	<b>80.7%</b>	<b>83.5%</b>	<b>84.3%</b>	<b>84.7%</b>

\*अंतिम

अनुलग्नक- IX

विक्रय हेतु तैयार इस्पात का श्रेणीवार उत्पादन (गैर-मिश्र+मिश्र)

श्रेणी	2009 - 10				2010 - 11				2011 - 12				2012 - 13				2013 - 14* (अनुमानित)			
	मुख्य उत्पाद	मुख्य + अन्य उत्पाद	आईपीटी/स्व-खपत	विक्री हेतु उत्पादन	मुख्य उत्पाद	मुख्य + अन्य उत्पाद	आईपीटी/स्व-खपत	विक्री हेतु उत्पादन	मुख्य उत्पाद	मुख्य + अन्य उत्पाद	आईपीटी/स्व-खपत	विक्री हेतु उत्पादन	मुख्य उत्पाद	मुख्य + अन्य उत्पाद	आईपीटी/स्व-खपत	विक्री हेतु उत्पादन	मुख्य उत्पाद	मुख्य + अन्य उत्पाद	आईपीटी/स्व-खपत	विक्री हेतु उत्पादन
<b>1. गैर-मल्टी उत्पाद</b>																				
बार्स एंड रॉड्स	5731	16039		21770	5792	20124	3	25913	5579	22695	172	28102	5803	23128	137	28794	6227	23792		30019
स्ट्रक्चरल्स/विशेष संरक्षण	823	3318		4141	798	3765		4553	707	4233	1	4939	661	5271		5932	864	5768		6632
रेल व रेलवे सामग्री	862	179		1041	898	27		925	901	9		910	881	57		938	822	61		883
कुल (गैर-मल्टी उत्पाद)	7416	19536	0	26952	7488	23906	3	31391	7187	26937	173	33951	7345	28456	137	35664	7913	29621	0	37534
<b>2. मल्टी उत्पाद</b>																				
प्लेट्स	2521	1454	2	3973	2593	2028	4	4617	2480	2203	17	4666	2426	1831	95	4162	2497	1495		3992
एचआर कॉइल/स्केल्य/स्ट्रिप्स	5033	11726	4757	12002	5210	11940	4012	13138	5433	14934	3917	16450	6678	16418	3706	19390	7687	16625	4846	19466
एचआर शीट्स	283	342	22	603	265	333	27	571	217	320		537	195	391	31	555	200	203		403
सीआर कॉइल/शीट/स्ट्रिप्स	1761	7545	3392	5914	1778	7918	2975	6721	1658	9416	4036	7038	1584	9864	3494	7654	1722	10077	3245	8554
जीपी/जीसी शीट्स	785	4855		5620	671	4910	25	5556	659	5261	238	5682	710	5650	73	6287	739	6257		6996
इलेक्ट्रिक शीट	79	67		146	77	75		152	63	87		150	72	83		155	69	87		156
टिन प्लेट्स	18	221		239	7	223		230	12	241		253	8	293		301	9	291		300
टीएमबीपी	0			0	0	0		0	0	4		4	0	5		5	0	5		5
टिन फ्री इस्पात	7			7	0	16		16	0	15		15	0	16		16	0	17		17
कुल (मल्टी उत्पाद)	10460	26217	8173	28504	10601	27443	7043	31001	10522	32481	8208	34795	11673	34251	7399	38525	12923	35057	8091	39889
<b>3. पाइपस् (बढ़ा व्यास)</b>	60	1576		1636	84	1775		1859	77	1877		1954	75	1931		2006	63	1988		2021
कुल तैयार इस्पात (गैर-मिश्र)	17936	47329	8173	57092	18173	53124	7046	64251	17786	61295	8381	70700	19093	64638	7536	76195	20899	66636	8091	79444
कुल-तैयार इस्पात (मिश्र/स्टेनलेस स्टील)	102	3764	334	3532	235	4765	630	4370	193	5132	326	4999	151	5738	404	5485	200	5806	396	5610
कुल तैयार इस्पात (गैर-मिश्र+मिश्र)	18038	51093	8507	60624	18408	57889	7676	68621	17979	66427	8707	75699	19244	70376	7940	81680	21099	72442	8487	85054

अनुलग्नक-X

प्रमुख भारतीय बंदरगाहों के जरिये लौह और इस्पात का आयात						
(000 टन)						
क्र.सं.	श्रेणी	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14*
I	<b>अर्द्ध-तैयार इस्पात (गैर-मिश्र)</b>					
	अर्द्ध तैयार	327.3	240.8	514.4	517.5	43.2
	रि-रोलेबल स्क्रैप	95.9	94.0	213.1	243.9	208.1
	<b>तैयार इस्पात (गैर-मिश्र)</b>					
	बार्स एंड रॉड्स	589.7	438.0	425.1	514.5	293.1
	स्ट्रक्चरल्स	90.7	81.3	63.1	90.9	43.0
	रेलवे मैटिरियल्स	11.7	12.3	12.1	18.8	4.4
	प्लेट्स	911.9	802.1	661.1	861.6	409.9
	एचआर शीट्स	23.5	66.5	53.6	122.4	102.1
	एचआर कॉइल्स/स्केल्प/स्ट्रिप्स	2986.3	2346.0	1812.9	1871.6	1104.2
	सीआर कॉइल्स/शीट्स	892.4	1148.1	1456.6	1568.6	1277.1
	जीपी/जीसी शीट्स	291.8	353.1	368.1	432.7	367.7
	इलेक्ट्रिक शीट्स	281.5	317.4	275.7	386.8	346.3
	टीएमबीपी	1.0	1.2	1.3	0.9	0.8
	टिन प्लेट्स	155.5	136.0	119.7	142.7	160.5
	टिन प्लेट्स डब्ल्यू/डब्ल्यू	41.4	33.7	30.3	41.1	27.9
	टिन फ्री स्टील	34.0	56.1	50.3	66.3	56.5
पाइप्स	29.2	37.8	107.8	134.4	101.4	
<b>कुल-तैयार इस्पात (गैर-मिश्र)</b>	<b>6340.6</b>	<b>5829.6</b>	<b>5437.7</b>	<b>6253.0</b>	<b>4294.9</b>	
II	<b>मिश्र/स्टेनलेस इस्पात</b>					
	अर्द्ध-तैयार इस्पात (मिश्र)	19.8	4.0	15.0	31.1	7.1
	गैर-फ्लैट मिश्र	150.1	198.7	259.5	352.4	236.6
	फ्लैट मिश्र	890.6	635.6	1165.1	1319.1	914.59
	<b>कुल तैयार इस्पात (मिश्र)</b>	<b>1040.7</b>	<b>834.3</b>	<b>1424.6</b>	<b>1671.6</b>	<b>1151.2</b>
<b>कुल इस्पात (I + II)</b>	<b>7824.3</b>	<b>7002.7</b>	<b>7604.8</b>	<b>8717.0</b>	<b>5704.5</b>	
III	<b>अन्य इस्पात मर्दे</b>					
	फिटिंग्स	45.1	55.3	544.7	340.0	298.0
	विविध इस्पात मर्दे	974.4	1222.1	1789.3	2293.7	3402.9
	स्टील स्क्रैप	4423.4	3616.6	5719.8	7772.7	4926.5
IV	<b>लौह</b>					
	कच्चा लौहा	10.8	8.9	8.3	20.6	34.2
	स्पंज लोहा	30.2	0.2	0.1	0.2	7.3
	एच.बी. लोहा	—	—	302.6	0.1	0.0
V	<b>फेरो-अलॉयज</b>	<b>96.2</b>	<b>133.5</b>	<b>142.4</b>	<b>179.6</b>	<b>140.5</b>
	<b>कुल जोड़ :</b>	<b>13404.4</b>	<b>12039.3</b>	<b>16111.9</b>	<b>19324.0</b>	<b>14513.9</b>

\*अनंतिम

अनुलग्नक-XI

श्रेणीवार निर्यात					
(000 टन)					
श्रेणी	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14*
अर्ध-तैयार इस्पात (गैर-मिश्र)	625.0	350.0	198.2	142.7	478.8
तैयार इस्पात (गैर-मिश्र)					
गैर-फ्लैट					
बार्स एवं रॉड्स	212.0	136.0	225.1	413.0	585.1
स्ट्रक्चरल्स	55.0	37.0	44.5	60.6	64.5
रेलवे सामग्री		6.0	41.8	2.7	1.2
कुल (गैर-फ्लैट)	267.0	179.0	311.4	476.3	650.8
फ्लैट					
प्लेट्स	66.0	235.1	374.0	246.3	154.7
एचआर कॉइल्स/स्केल्प/स्ट्रिप्स/शीट्स	540.0	533.8	1277.3	1878.2	1809.08
सीआर कॉइल्स/शीट्स	345.0	283.0	295.3	412.0	536.2
जीपी/जीसी शीट्स	1287.0	1312.3	1443.1	1543.8	1782.5
इलेक्ट्रिक शीट्स	3.0	1.3	1.2	7.0	3.0
टिन प्लेटें	75.0	62.0	28.6	54.6	70.0
टिन मुक्त इस्पात			2.1	1.2	0.5
पाइप्स	495.0	608.0	470.8	136.6	108.5
कुल (फ्लैट)	2811.0	3035.5	3892.4	4279.7	4464.5
कुल तैयार इस्पात (गैर-मिश्र)	3078.0	3214.5	4203.8	4756.0	5115.3
कुल इस्पात (गैर-मिश्र)	3703.0	3564.5	4402.0	4898.7	5594.1
मिश्र/स्टेनलेस इस्पात					
अर्ध-तैयार इस्पात (मिश्र)	0.0	0.0	3.3	1.5	2.0
गैर-फ्लैट मिश्र	135.0	266.9	237.2	215.8	227.9
फ्लैट मिश्र	38.0	155.2	146.6	396.2	250.7
कुल तैयार इस्पात (मिश्र)	173.0	422.1	383.8	612.0	478.6
कुल इस्पात (मिश्र)	173.0	422.1	387.1	613.5	480.6
कुल तैयार इस्पात (गैर-मिश्र+मिश्र)	3251.0	3636.6	4587.6	5368.0	5593.9
कुल इस्पात (गैर-मिश्र+मिश्र)	3876.0	3986.6	4789.1	5512.2	6074.8
कच्चा लोहा	362.0	358.0	490.9	414.2	943.1
स्पंज आयरन	25.0	20.1	53.7	58.0	74.0

\*अनंतिम



अनुलग्नक - XII

**हालिया महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकन**

**2013 की रिपोर्ट सं. 13**

**स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि. (सेल)**

लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसरण में स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि. ने अपने कार्यपालकों के लिए निष्पादन संबद्ध वेतन योजना की शुरुआत की है। कम्पनी के एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक पारिश्रमिक समिति ने पीआरपी तथा निर्धारित सीमा में इसके वितरण हेतु नीति का निर्णय करना था। लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों ने अन्य बातों के अलावा निर्धारित किया कि कम्पनी को ;पद्ध कार्यपालकों का ग्रेड निर्धारण करने में एक "बेल कर्व दृष्टि कोण" अपनाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक 10 से 15 प्रतिशत कार्यपालकों को ही अत्युत्तम/उत्कृष्ट के रूप में ग्रेड दिया जाए तथा 10 प्रतिशत कार्यपालकों को 'स्तर से नीचे' के रूप में ग्रेड दिया जाए। स्तर से नीचे दर निर्धारण प्राप्त करने वालों को कोई पीआरपी नहीं दिया जाना था ;पद्ध "अत्युत्तम, बहुत अच्छा", "अच्छा तथा सही" निष्पादन दर निर्धारण प्राप्त करने वाले कार्यपालकों को 100 प्रतिशत, 80 प्रतिशत, 60 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत तक पीआरपी दिया जाना था। इस प्रकार पीआरपी की प्रमात्रा को कार्यपालकों के कार्यनिष्पादन दर निर्धारण के साथ संबद्ध किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि (i) कम्पनी ने ग्रेडनिर्धारण में "बेल कर्व दृष्टिकोण" को नहीं अपनाया तथा अपने सभी कार्यपालकों को पीआरपी का भुगतान किया (ii) पारिश्रमिक समिति ने एक पीआरपी सूत्र अपनाया जिसमें कर्मचारी निष्पादन दर निर्धारण के भारांश के लिए गुणक लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक था।

लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों का अनुपालन न कर कम्पनी ने वर्ष 2007-08 से 2010-11 के लिए अपने कार्यपालकों को 319.61 करोड़ रुपए का अनियमित भुगतान किया।

**2012-13 की रिपोर्ट सं. 20 : एनएमडीसी (इस्पात मंत्रालय) द्वारा लौह अयस्क के उत्पादन तथा बिक्री संबंधी निष्पादन लेखापरीक्षा**

एनएमडीसी लि. द्वारा लौह अयस्क के उत्पादन तथा बिक्री संबंधी निष्पादन लेखापरीक्षा संसद में 20.12.2012 को प्रस्तुत की गई थी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों का सारांश नीचे दिया गया है :-

**अध्याय 2 : लौह अयस्क का उत्पादन**

तथापि, देश के लौह अयस्क उत्पादन में कम्पनी का हिस्सा वर्ष 2005-06 में 14 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2009-10 में 11 प्रतिशत रह गया किन्तु कर्नाटक में निजी खनन पर प्रतिबंध के कारण यह वर्ष 2011-12 में बढ़कर 16 प्रतिशत हो गया। बाजार अंश में गिरावट का कारण अन्य उत्पादकों द्वारा निम्न ग्रेड लौह अयस्क के उत्पादन में वृद्धि का होना था। कम्पनी ने 74 प्रतिशत से 105 प्रतिशत के बीच क्षमता उपयोग हासिल किया किन्तु सात वर्षों में वर्ष 2007-08, 2010-11 तथा 2011-12 को छोड़कर शेष चार वर्षों में यह वार्षिक उत्पादन लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाई। कम्पनी के उत्पादन में कमी मुख्यतः निकासी बाधाओं के कारण थी। (पैरा 2.2)

लेखापरीक्षा ने पाया कि उत्पादन क्षमता वर्ष 2010-11 में 32 एमटीपीए थी जो कारपोरेट योजना लक्ष्य के समनुरूप थी। देश में 28,526 मिलियन टन के कुल सिद्ध भंडारों में से कम्पनी के पास 1565 मिलियन टन (एमटी) के कुल लौह अयस्क भंडार थे। कम्पनी को नई खानों के अधिग्रहण हेतु एक कार्यनीति निरूपित करने की आवश्यकता है ताकि दीर्घतर क्षैतिज में प्रचालनों का अनुरक्षण किया जा सके। (पैरा 2.3)

एनएमडीसी ने वर्ष 1997 तथा 2003 में क्रमशः कुमारास्वामी निक्षेप तथा 11ख निक्षेप का विकास करने का निर्णय किया। ये दो परियोजनाएं जिनसे 14 एमटीपीए की क्षमता का वर्धन होने की आशा है, वर्ष 2012 में अभी भी क्रियान्वयनाधीन हैं। (पैरा 2.9)

कुमारास्वामी परियोजना की पूर्ति में विलम्ब तथा परियोजना के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन परियोजना लागत के 296.03 करोड़ रुपए (अप्रैल 2003) से बढ़कर 898.55 करोड़ रुपए (दिसम्बर 2010) होने में परिणामी हुआ। (पैरा 2.11)

1997 में संकल्पित होने के बावजूद, कर्नाटक के बेलरी जिले में कुमारास्वामी परियोजना का कार्य सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करने में विलम्ब होने के कारण प्रभावी रूप से फरवरी 2009 के पश्चात ही शुरू हो सका। (पैरा 2.12)

11बी परियोजना की पूर्ति में विलम्ब के परिणामस्वरूप परियोजना की लागत 295.89 करोड़ रुपए (जनवरी 2005) से बढ़कर 607.17 करोड़ रुपए (दिसम्बर 2010) हो गई जो क्षमता को 3 एमटीपीए से बढ़ाकर 7 एमटीपीए करने (139.17 करोड़ रुपए) तथा सामान्य मूल्य वृद्धि (172.11 करोड़ रुपए) के कारण थी। (पैरा 2.48)

### **अध्याय 3 : निकासी सुविधाएं**

निकासी का संदर्भ लौह अयस्क का संवहन खानों से क्रेता स्थलों/पत्तनों तक करने से है। एनएमडीसी की निकासी क्षमता 30 एमटीपीए है जबकि उत्पादन क्षमता 32 एमटीपीए की है। कमी छत्तीसगढ़ में बेलाडिला क्षेत्र में थी। यद्यपि बेलाडिला में निकासी क्षमता वर्ष 2007-08 में अपर्याप्त हो गई थी, क्षमता को बढ़ाने के लिए उपलब्ध विकल्प का एनएमडीसी द्वारा जोरदार परिशीलन नहीं किया गया। (पैरा 3.2 से 3.4)

बोर्ड ने जुलाई 2008 में किरडुल से विशाखापट्टनम तक स्लरी पाईपलाईन (8 एमटीपीए की क्षमता) बिछाने के लिए अनुमोदन दे दिया था किन्तु मार्च 2012 तक केवल 'सम्यक् तत्परता' को ही पूरा किया जा सका। (पैरा 3.9)

3 एमटीपीए क्षमता को बढ़ाने के लिए किरणडुल-जगदलपुल रेलवे लाईन को दोगुना करने का एक अन्य विकल्प रेलवे के साथ जेसीएम में केवल फरवरी 2010 में उठाया गया और उसके पश्चात् उसका कठोर परिशीलन नहीं किया गया। (पैरा 3.13)

### **अध्याय 4 : लौह अयस्क की बिक्री**

कम्पनी घरेलू तथा निर्यात बाजार में लौह अयस्क की बिक्री के लिए ग्राहकों के साथ पांच वर्ष की अवधि के दीर्घावधि करार (एलटीए) निष्पादित करती है। ऐसे एलटीए में कम्पनी द्वारा आपूर्ति की जाने वाली न्यूनतम तथा अधिकतम प्रमात्राओं की व्यवस्था होती है। वर्ष 2011-12 के दौरान, इसने देश के लौह अयस्क उत्पादन के 16 प्रतिशत का योगदान दिया तथा 23 प्रतिशत घरेलू मांग की पूर्ति की। कम्पनी की 84 प्रतिशत घरेलू बिक्री एलटीए के जरिए हुई। केवल 3 प्रतिशत बिक्री घरेलू तत्स्थल बिक्री के जरिए हुई। (पैरा 4.4)

वर्ष 2010-11 तक कम्पनी की निर्यात कीमतों के आधार पर घरेलू कीमतें नियत की जाती थी। कम्पनी ने लौह अयस्क की आपूर्ति के लिए जापानी स्टील मिल्स (जेएसएम) के साथ दीर्घावधि करार निष्पादित किए। कम्पनी द्वारा वार्ता की गई कीमत जेएसएम द्वारा आस्ट्रेलियाई तथा ब्राजीलाई आपूर्तिकर्ताओं को अदा की जाने वाली कीमत के समनुरूप थी। तथापि, घरेलू संविदाओं में कमियों तथा कम्पनी द्वारा बाजार रुझानों के मद्देनजर कीमतों को संशोधित करने के लिए की गई अपर्याप्त कार्रवाई के कारण कम्पनी को घरेलू बिक्री पर वर्ष 2007-10 के दौरान 745.94 करोड़ रुपए की हानि हुई। (पैरा 7.9 तथा 7.10)

कीमत में अवांछित/अनावश्यक कमी करके कम्पनी ने वर्ष 2010-11 के दौरान ग्राहकों को 600.83 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया। इसके अतिरिक्त, निर्यात कीमतों में वृद्धि के समनुरूप पूर्ण प्रतिशतता द्वारा कीमतों को न बढ़ाकर, इसे इसी अवधि के दौरान 227.34 करोड़ रुपए की हानि हुई। (पैरा 4.19 तथा 4.21)

वर्ष 2011-12 के दौरान, कम्पनी ने लौह अयस्क की घरेलू कीमतें नियत करने के लिए "नेट बैंक" विधि तथा 'घरेलू कीमत समानता' की विधि का प्रयोग किया। नेट बैंक कीमत निर्यात कीमत से निर्यात रेलवे भाड़ा, पत्तन प्रभार, रायल्टी तथा निर्यात शुल्क जैसे व्ययों को घटा कर नियत की जाती है। नेट बैंक विधि उच्चतर निर्यात संबद्ध व्ययों के कारण घरेलू कीमत को कम कर देती है। घरेलू कीमत समानता विधि, जो आईएमसी कीमतों पर आधारित होती है, कीमतें नियत करने की एक अथयार्थ विधि है क्योंकि व्यष्टि खान बाह्य कीमतें अयस्क की गुणता तथा संवहन दूरी के आधार पर भिन्न होती हैं। (पैरा 4.27 से 4.31)।

यह मानते हुए कि अंत उत्पाद (इस्पात) कीमतें बाजार चालित हैं, यह वांछनीय है कि एक ऐसा प्रक्रम स्थापित किया जाए जो निम्न पर ध्यान दें (i) एनएमडीसी के अयस्क के लिए इष्टतम कीमत वसूली, (ii) घरेलू इस्पात उत्पादकों को आश्वासित आपूर्ति, तथा (iii) कीमत की अनुभेयता। (पैरा 4.33)

### **अध्याय 5 : अभिशासन मुद्दे**

निदेशक मंडल से यह आशा की जाती है कि वह प्रचालनों के मुख्य क्षेत्रों की निगरानी करे तथा जहां भी अपेक्षित हो समुचित उपचारी कार्रवाई के निदेश दे। जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, क्षमता विस्तार परियोजनाओं की पूर्ति में विलम्ब, निकासी सुविधाओं की अपर्याप्तता तथा कीमतें नियत करने में कमजोरियां तीन उच्च जोखिम सरोकार थे। (पैरा 5.2)

यद्यपि, बोर्ड ने अप्रैल 2005 तथा मार्च 2012 के बीच 63 बैठकें आयोजित की थीं, क्षमता विस्तार परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति पर चर्चा जनवरी 2010 तक नहीं की गई थी। अपर्याप्त निकासी क्षमता के मुद्दे पर चर्चा बोर्ड द्वारा केवल जुलाई 2008 में ही की गई किन्तु बाद में इसका परिशीलन नहीं किया गया। बोर्ड ने मार्च 2010 में ही विस्तार योजनाओं की प्रगति का अनुवीक्षण करने के लिए निदेशकों की एक उप-समिति का गठन किया। (पैरा 5.3)

अनुलग्नक - XIII

## केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के फैसलों / आदेशों के कार्यान्वयन की स्थिति

इस्पात मंत्रालय और उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आने वाले सार्वजनिक उपक्रमों के संबंध में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण का कोई भी फैसला / आदेश अविलम्ब कार्यान्वयन के लिए लंबित नहीं है।

अनुलग्नक - XIV

सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों का तुलनात्मक पीबीटी  
(कर-पूर्व लाभ)

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कंपनी	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14*
<b>क. लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कंपनियां</b>						
1	सेल	10132.03	7194.31	5150.87	3240.66	3225.00
2	आरआईएनएल	1247.65	981.66	1110.01	526.47	549.15
3	एनएमडीसी	5207.32	9727.17	10759.47	9465.12	9700.00
4	एमओआईएल	706.79	880.15	606.63	636.78	769.33
5	एमएसटीसी	135.99	149.40	176.15	193.40	150.03
6	एफएसएनएल	5.76	1.78	2.03	2.53	3.49
7	एसआईआईएल**	(-) 12.55	एनएमडीसी लि. के साथ विलय हो गया			
8	ओएमडीसी\$	112.26	13.35	8.28	26.25	16.74
9	ईआईएल ##	11.93	06.74	2.22	1.96	0.23
10	मेकॉन	124.69	140.93	201.54	150.73	28.44
11	केआईओसीएल	(-) 194.95	99.95	115.39	32.34	61.40
<b>ख. घाटा उठाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कंपनियां</b>						
12	एचएससीएल	(-) 54.59	(-) 38.09	(-) 28.08	(-) 19.81	(-) 24.26
13	बीएसएलसी\$	620.63	(-) 5.45	(-) 6.86	(-) 18.14	(-) 18.77
	<b>कुल</b>	<b>18042.96</b>	<b>19151.90</b>	<b>18097.65</b>	<b>14238.29</b>	<b>14460.78</b>

\* अनंतिम, \*\* एसआईआईएल का वर्ष 2010 के दौरान एनएमडीसी में विलय हो गया।

## ईस्टर्न इनवेस्टमेंट लि. (ईआईएल), \$ ओडिशा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लि. (ओएमडीसी), बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लि. (बीएसएलसी) बर्ड समूह की कंपनियों के संघटक हैं।

अनुलग्नक - XIV (क)

**इस्पात के सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों का तुलनात्मक पीएटी  
(कर-पश्चात् लाभ)**

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कंपनी	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14*
<b>क. लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कंपनियां</b>						
1	सेल	6754.37	4904.74	3542.72	2170.35	2616.00
2	आरआईएनएल	796.67	658.49	751.46	352.83	366.45
3	एनएमडीसी	3447.26	6499.22	7265.39	6342.37	6400.00
4	एमओआईएल	466.35	588.05	410.77	431.72	509.56
5	एमएसटीसी	86.09	99.16	118.39	130.73	99.04
6	एफएसएनएल	4.18	1.20	1.37	1.96	2.11
7	एसआईआईएल**	(-) 31.62	एनएमडीसी लि. के साथ विलय हो गया			
8	ओएमडीसी \$	74.44	7.72	3.44	12.86	6.26
9	ईआईएल ##	11.07	06.32	1.69	1.47	0.09
10	मेकॉन	82.62	93.68	136.37	101.03	18.77
11	केआईओसीएल	(-) 177.27	76.27	94.30	31.05	39.93
<b>ख. घाटा उठाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कंपनियां</b>						
12	एचएससीएल	(-) 54.59	(-) 38.09	(-) 28.08	(-) 19.81	(-) 24.26
13	बीएसएलसी\$	620.63	(-) 5.45	(-) 6.86	(-) 18.14	(-) 18.77
	<b>कुल</b>	<b>12080.20</b>	<b>12891.31</b>	<b>12290.96</b>	<b>9538.42</b>	<b>10015.18</b>

\* अन्ततिम,

\*\* एसआईआईएल का वर्ष 2010 के दौरान एनएमडीसी में विलय हो गया।

## ईस्टर्न इनवेस्टमेंट लि. (ईआईएल), \$ ओडिशा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लि. (ओएमडीसी), बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लि. (बीएसएलसी) बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज के संघटक हैं।



अनुलग्नक - XV

केन्द्र सरकार और सरकारी बीमा कंपनियों में सार्वजनिक क्षेत्र के  
इस्पात उपक्रमों का योगदान

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कंपनी	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14*
1	सेल	8973.00	8715.68	8072.72	8599.06	8188.00
2	आरआईएनएल	1344.63	1477.70	1635.73	1775.24	1643.10
3	एनएमडीसी	2668.59	4357.54	5669.62	6588.00	8952.00
4	एमओआईएल	341.55	413.27	223.86	236.74	291.75
5	एमएसटीसी	76.94	74.89	97.50	83.22	107.81
6	एफएसएनएल	22.17	24.63	27.61	36.69	40.83
7	एसआईआईएल**	7.89	एनएमडीसी लि. के साथ विलय हो गया			
8	मेकॉन	60.00	121.14	110.23	151.08	85.16
9	केआईओसीएल	85.54	150.28	155.72	209.95	281.92
10	एचएससीएल	0.16	0.90	0.39	0.32	21.00
11	बीजीसी	30.84	11.18	6.71	2.58	2.66
	<b>कुल</b>	<b>13611.31</b>	<b>15347.21</b>	<b>16000.09</b>	<b>17682.88</b>	<b>19614.23</b>

\*अनंतिम

\*\* एसआईआईएल का वर्ष 2010 के दौरान एनएमडीसी में विलय हो गया।

अनुलग्नक - XV (क)

राज्य सरकारों को सार्वजनिक क्षेत्र के  
इस्पात उपक्रमों का योगदान

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कंपनी	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14*
1	सेल	2160.00	2452.19	2935.00	3524.25	3373.00
2	आरआईएनएल	340.36	333.49	593.16	598.85	606.62
3	एनएमडीसी	454.09	1114.43	1234.83	901.00	932.00
4	एमओआईएल	93.79	109.29	70.53	77.27	83.24
5	एमएसटीसी	97.53	28.40	30.70	28.28	45.86
6	एफएसएनएल	0.53	0.32	0.36	0.35	0.73
7	मेकॉन	1.51	4.95	6.05	3.04	0.77
8	केआईओसीएल	4.13	8.25	31.22	29.66	16.85
9	एचएससीएल	1.04	0.26	1.93	2.21	25.00
10	बीजीसी	9.47	16.53	6.25	4.38	4.75
	<b>कुल</b>	<b>3162.45</b>	<b>4068.11</b>	<b>4910.03</b>	<b>5169.29</b>	<b>5088.82</b>

\*अनंतिम

अनुलग्नक - XVI

सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों द्वारा सीएसआर संबंधी बजटीय व्यवस्था और व्यय

(रु. लाख में)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	2009.10		2010.11		2011.12		2012.13		2013.14*	
	बजटीय व्यवस्था	व्यय	बजटीय व्यवस्था	व्यय	बजटीय व्यवस्था	व्यय	बजटीय व्यवस्था	व्यय	बजटीय व्यवस्था	व्यय
सेल	8000.00	7879.40	9400.00	6895.26	6400.00	6125.00	4200.00	5329.00	4000	4487.00
आरआईएनएल	900.00	937.00	1540.00	1173.00	1200.00	1062.22	750.00	1600.00	750.00	2031.00
एनएमडीसी	8000.00	8307.00	8156.00	6223.00	8013.00	8671.00	14530.00	10110.00	17105.00	13142.00
एमओआईएल	300.00	157.00	542.00	575.00	628.00	655.91	680.00	1056.00	863.00	1036.00
केआईओसीएल	150.00	271.00	100.00	59.36	230.00	119.00	283.00	79.00	93.00	226.00
एमएसटीसी	110.00	67.75	100.00	95.74	150.00	166.00	355.00	193.28	260.00	482.86
एफएसएनएल	2.00	2.00	10.00	9.06	9.00	9.06	9.00	9.00	4.00	4.50
मेकॉन	140.00	80.71	180.50	110.91	325.00	220.51	497.49	235.33	460.46	257.63
एचएससीएल	10.00	0.00	25.00	2.87	0.00	7.51	0.00	24.02#	0.00	0.00
बीजीसी	3.00	0.34	216.00	83.00	38.00	26.00	17.00	48.00	64.00	93.00
<b>कुल</b>	<b>17615.00</b>	<b>17702.20</b>	<b>20269.50</b>	<b>15227.20</b>	<b>16993.00</b>	<b>17062.21</b>	<b>21321.49</b>	<b>18683.63</b>	<b>23599.46</b>	<b>21759.99</b>

\* अनंतिम

# विगत वर्ष से अग्रेषित निधि में से व्यय किया।

अनुलग्नक - XVII

## द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के अनुसार, 'नागरिक केन्द्रित सात सूत्रीय मॉडल-सेवोत्तम' का अंगीकरण

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी 12वीं रिपोर्ट "नागरिक केन्द्रित प्रशासन-शासन की आत्मा" के पैरा 4.6.2 में नागरिक चार्टर को अधिक प्रभावी एवं अनिवार्य बनाते हुए, संगठन को पारदर्शी, जवाबदेह एवं नागरिकों के अनुकूल बनाने के लिए सिफारिश की है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत (ए आर एंड पी जी) विभाग ने जन सेवा प्रदान करने (सेवोत्तम) में बेंचमार्किंग उत्कृष्टता के लिए एक मॉडल विकसित किया है। यह मॉडल नागरिकों को दी जा रही सेवा की गुणवत्ता का आकलन करने एवं सुधारने के लिए संगठनों को एक रूपरेखा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से बिजनेस प्रक्रिया को अधिक सूचनाप्रद बनाने के लिए अभिनव प्रणालियों का उपयोग करते हुए नागरिकों को दी जा रही सेवाओं की पहचान, सेवा की गुणवत्ता, उसका उद्देश्य, गुणवत्ता में सुधार शामिल है।

इस्पात मंत्रालय ने अपना 'नागरिक चार्टर' निकाला है और इसे पणधारकों की बदलती जरूरतों एवं अपेक्षाओं के अनुरूप समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। इस चार्टर को मंत्रालय की वेबसाइट [www.steel.nic.in](http://www.steel.nic.in) पर डाला गया है। मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं कंपनियों में संबंधित चार्टर एवं सात सूत्रीय मॉडल का कार्यान्वयन विभिन्न अवस्थाओं में है। विभिन्न कंपनियों में इस संबंध में प्रगति का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :

### स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

नागरिक चार्टर (जन सेवा प्रदान करने में उत्कृष्टता) तैयार कर लिया गया है और इसके रूपांतर 1.2 को सेल की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इसमें मोटे तौर पर तीन भागों में सूचना दी गई है। पहले भाग में चार्टर का दायरा एवं कंपनी के बारे में सामान्य सूचना दी गई है। दूसरे भाग में चार्टर का उद्देश्य, नागरिकों के प्रति प्रबंधन की वचनबद्धता, एवं नागरिकों से प्रत्याशाओं के बारे में सूचना दी गई है। तीसरे भाग में नागरिकों को सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया, निगरानी एवं चार्टर की समीक्षा के जरिये चार्टर में सुधार का वर्णन मिलता है।

### मॉयल

- (i) मॉयल में "सेवोत्तम" के रूप में नागरिक चार्टर तैयार किया गया है। मॉयल ने इस चार्टर के कार्यान्वयन के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उसे कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है और कंपनी के विभागध्यक्षों एवं खानों में भी वितरित किया गया है। कम्पनी ने संगठन के ऐसे प्रमुख स्थलों जहां नागरिकों का आना-जाना होता है, पर भी नागरिक चार्टर की प्रति प्रदर्शित की हैं।
- (ii) कम्पनी ने परिचर्चा करने, जागरूकता पैदा करने एवं नागरिक चार्टर के समुचित कार्यान्वयन के लिए कंपनी के प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला का आयोजन किया है।
- (iii) नागरिक चार्टर के कार्यान्वयन के बाद कोई प्रतिकूल फीडबैक प्राप्त नहीं हुआ है और मॉयल लि. ने उसकी किसी धारा में संशोधन नहीं किया है।

## केआईओसीएल लिमिटेड

सेवोत्तम अनुपालक नागरिक चार्टर विकसित करने के बाद कंपनी की वेबसाइट <http://kiocltd.co.in> पर डाला गया है। कंपनी ने प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के केन्द्रीय लोक शिकायत निवारण तंत्र के पोर्टल के लिए अपनी वेबसाइट पर लिंकेज प्रदान किया है ताकि शिकयतों को दर्ज किया जा सके और उनका निवारण हो सके।

## बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज (बीजीसी)

बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज ने प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी “सेवोत्तम दिशा निर्देश-सितम्बर 2011” विशेषतः “सेवोत्तम का सात सूत्रीय मॉडल” को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।





परिशिष्ट



भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

के लिए

**आर एफ डी**

(रिजल्ट्स – फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट)

(2012–2013)

## खंड 1 : दृष्टिकोण, मिशन, उद्देश्य और कार्य

### दृष्टिकोण

इस्पात उत्पादक तथा इस्पात की खपत वाले राष्ट्र दोनों के ही रूप में इस्पात के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नायक के रूप में स्थापित करना तथा इस उद्योग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना।

### मिशन

वर्ष 2012-13 तक प्रतिवर्ष लगभग 100 मिलियन टन की राष्ट्रीय इस्पात उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए नीतियों, पहलों और प्रोत्साहनों को बढ़ावा देना। विशेषकर खनिज नीति और खान आबंटन क्षेत्र, प्रशुल्क और कराधान उपाय, और भूमि आबंटन तथा पर्यावरणीय और वन स्वीकृतियों के संबंध में अधिकतम इस्पात उत्पादन के लिए विनियामक पर्यावरण को सुकर बनाना; विशेष रूप से रेलवे, सड़क, पत्तन, विद्युत और जल आपूर्ति क्षेत्रों में समन्वित प्रयासों के माध्यम से राष्ट्रीय इस्पात उत्पादन बढ़ाने के लिए अपेक्षित अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देना। प्रोत्साहनात्मक प्रयासों और इस्पात कंपनियों के खुदरा नेटवर्क को बढ़ाकर इस्पात संबंधी घरेलू मांग को बढ़ाना। इस्पात मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रचालनों की तकनीकी – आर्थिक कुशलता बढ़ाना।

### उद्देश्य

1. वर्ष 2012-13 के दौरान इस्पात निर्माण क्षमता के सृजन और इस्पात उत्पादन में वृद्धि को सुकर बनाना।
2. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कैपेक्स और आधुनिकीकरण कार्यक्रमों को पूरा करने की निगरानी करना।
3. घरेलू और विदेशी स्रोतों से इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल, विशेषकर इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से लौह अयस्क और कोयले की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना।
4. अनुसंधान और विकास हस्तक्षेप, गुणवत्ता नियंत्रण और निर्यात संवर्धन के माध्यम से लौह और इस्पात उद्योग के कार्यनिष्पादन में सुधार करना।
5. इस्पात मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किए जाने वाले विलय, अधिग्रहण और संयुक्त उद्यमों को सुकर बनाना और उनकी निगरानी करना।
6. नई नीतिगत पहलों को अंतिम रूप देना।
7. री-रोलिंग उद्योग के संबंध में जानकारी और डाटाबेस को अद्यतन करना।

### कार्य

1. लोहे और इस्पात तथा फेरो-अलॉय के उत्पादन, वितरण, आयात और निर्यात से संबंधित मामले।
2. मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा उनकी सहायक कंपनियों से संबंधित मामले अर्थात् (i) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल); (ii) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एन एम डी सी); (iii) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल); (iv) मैंगनीज (ओर) इंडिया लिमिटेड (एम ओ आई एल); (v) मेटल स्कैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड (एम एस टी सी); (vi) फेरो स्कैप निगम लिमिटेड (एफ एस एन एल); (vii) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एच एस सी एल); (viii) मेटालर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स लिमिटेड (मेकॉन); (ix) कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (के आई ओ सी एल); और (x) बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज, तथा कोयला संबंधी परिसंपत्तियों के विदेशी अधिग्रहण के लिए स्थापित कंपनी/उपक्रम अर्थात् इंटरनेशनल कोल वेंचर्स लिमिटेड (आई सी वी एल)।

3. इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ई ए एफ) इकाइयों, इंडक्शन फर्नेस (आई एफ) इकाइयों सहित लौह तथा इस्पात उत्पादन सुविधाओं की स्थापना, री-रोलर्स, प्लैट प्रोडक्ट्स (गर्म/ठंडी रोलिंग इकाइयां), कोटिंग इकाइयों, वायर ड्राइंग इकाइयों जैसी प्रसंस्करण सुविधाओं तथा शिप ब्रेकिंग सहित इस्पात स्क्रेप प्रोसेसिंग की आयोजना, विकास और उन्हें सुकर बनाना।
4. सार्वजनिक क्षेत्र में लौह अयस्क खानों तथा अन्य अयस्क खानों (लौह और इस्पात उद्योग में उपयोग में लाए जाने वाले मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, चूना-पत्थर, सिलीमैनाइट, कायानाइट और अन्य खनिज लेकिन खनन पट्टे और उससे संबंधित मामलों को छोड़कर) का विकास।

खंड 2 : प्रमुख उद्देश्यों, सफलता के संकेतकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएं

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य / मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट 100%	बहुत अच्छा 90%	अच्छा 80%	ठीक 70%	खराब 60%
वर्ष 2012-13 के दौरान उत्पात उत्पादन क्षमता के सृजन और उत्पात उत्पादन में वृद्धि को सुकर बनाना	15.00	(1.1) उत्पात उत्पादन क्षमता को प्राप्त करने के लिए सुविधा प्रदान करना, समन्वय और आवश्यक नीति निर्माण करना	(1.1.1) उत्पात की उत्पादन क्षमता	मिलियन टन	5.00	95	93	91	89	87
			(1.1.2) कच्चे उत्पात का उत्पादन	मिलियन टन	5.00	78	76	75	74	72
		(1.2) उत्पात क्षेत्र के वृद्धि के लिए कार्रवाई किए जाने वाले मुद्दे : उत्पात विकासकर्ताओं द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के साथ हस्ताक्षरित किए गए समझौता ज्ञापनों के कार्यान्वयन की स्थिति तथा अवसरचना के विकास, भूमि अधिग्रहण, कच्चे माल, जल, विद्युत इत्यादि के आबंटन से संबंधित प्रमुख मुद्दों की समीक्षा	(1.2.1) अंतर-मंत्रालयीय समूह (आई एम जी) की बैठकें	संख्या	2.00	2	1	0	0	0
			(1.2.2) समझौता ज्ञापनों के कार्यान्वयन के लिए मानीटरिंग तंत्र विकसित करना	तारीख	1.00	31.01.2013	15.02.2013	28.02.2013	15.03.2013	31.03.2013
		(1.3) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ परियोजना विशिष्ट बैठकें : (क) रेलवे की परियोजनाएं : 1. तालचेर -	(1.3.1) क्षेत्र/परियोजना विशिष्ट बैठकें	संख्या	2.00	5	4	3	2	1

**खंड 2 :**  
**प्रमुख उद्देश्यों, सफलता के संकेतकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएं**

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य / मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
		<p>सम्बलपुर रेलवे लाइन को दोहरा करना। 2. अंगुल - समलपुर (171 किलोमीटर) रेलवे लाइन को दोहरा करना। 3. पूर्वी तटीय रेलवे द्वारा तेजी के साथ भूमि अधिग्रहण (102 किलोमीटर)। 4. किरन्दूल - कोट्टा वाल्सो लाइन को दोहरा करना और बैलाडिला / किरन्दूल से विशाखापत्तनम तक लाइन की क्षमता बढ़ाना और वदलापुडी से आर आई एन एल तक तीसरा ट्रेक अथवा 5. कोई अन्य नई परियोजना (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग : 1. पारादीप और धामरा जैसे पूर्वी पत्तनों से कनेक्टिंग सड़कों को छ: लेन वाला बनाना। 2. तालचेर कोलफील्ड और देश के विभिन्न भागों को जोड़ने वाले सड़कों के नेटवर्क का उन्नयन। 3. अंगुल से बुधापाल एस एच 63 तक एन एच 42 से एन एच 200 तक चार लेन बनाना। 4. कोइरा से कलाईपोज तक चार लेन बनाना।</p> <p>5. अनकापल्ली से विशाखापत्तनम तक मौजूदा चार लेनों को छ: लेनों में बदलना अथवा 6. कोई अन्य नई परियोजना। (ग) पत्तन : 1. पारादीप और धामरा पत्तनों पर लौह और कोल बर्था का उन्नयन।</p>								

खंड 2 :  
प्रमुख उद्देश्यों, सफलता के संकेतकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएं

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य / मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
2. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कैपेक्स और आधुनिकीकरण कार्यक्रमों को पूरा करने की निगरानी करना।	47.00	2. हलदियापत्तन में अतिरिक्त कैपिटल बर्थ 3,80,000 - 1,20,000 डी डब्ल्यू टी के जलयानों को संभालने के लिए हलदिया पत्तन का उन्नयन अथवा 4. कोई अन्य परियोजना। (घ) पर्यावरण और वन : पर्यावरण और वन मंत्रालय के पास लंबित इस्पात क्षेत्र के पर्यावरण और वन स्वीकृति संबंधी प्रस्तावों पर शीघ्रता से कार्रवाई करना। (2.1) सेल : क) वित्तीय : अपने कैपेक्स कार्यक्रम के लिए वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय संबंधी लक्ष्य प्राप्त करना। (2.2) सेल : ख) वास्तविक : (i) 31.03.2013 तक हॉट मेटल की 2.5 मिलियन टन की क्षमता वृद्धि के लिए राउरकेला इस्पात संयंत्र में सुविधाओं को वास्तविक रूप से पूरा करना। (2.3) (ii) 31.03.2013 तक हॉट मेटल की 2.5 मिलियन टन की क्षमता बढ़ाने के लिए आई एस पी, बर्नपुर में सुविधाओं को वास्तविक रूप से पूरा करना।								
			(2.1.1) वर्ष 2012-13 के दौरान ल के आधुनिकीकरण और विस्तार संबंधी कैपेक्स कार्यक्रम के लिए निवेश	करोड़ रुपए	2.00	12000	10000	9500	9000	8500
			(2.2.1) नई कोक ओवन बैटरी संख्या 6 को पूरा करना	तारीख	2.00	31.08.2012	30.09.2012	31.10.2012	30.11.2012	31.12.2012
			(2.2.2) नई ब्लास्ट फर्नेस नम्बर 5 को पूरा करना	तारीख	2.00	30.11.2012	31.12.2012	31.01.2013	28.02.2013	31.03.2013
			(2.3.1) नई कोक ओवन बैटरी संख्या 11 को पूरा करना	तारीख	2.00	31.07.2012	31.08.2012	30.09.2012	31.10.2012	30.11.2012
			(2.3.2) वायर रॉड मिल को पूरा करना	तारीख	2.00	30.09.2012	31.11.2012	31.12.2012	31.01.2013	28.02.2013



**खंड 2 :**  
**प्रमुख उद्देश्यों, सफलता के संकेतकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएं**

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक	
						100%	90%	80%	70%	
		(2.4) (iii) भिलाई इस्पात संयंत्र में सुविधाओं को पूरा करना।	(2.4.1) ओर हैडलिंग संयंत्र – ए को पूरा करना।	तारीख	1.00	31.12.2012	31.01.2013	28.02.2013	15.03.2013	31.03.2013
		(2.5) (iv) बोकारो इस्पात संयंत्र में सुविधाओं को पूरा करना।	(2.5.1) ब्लास्ट फर्नेस के लिए कास्ट हाउस स्लैग ग्रैज्युलेशन संयंत्र को पूरा करना।	तारीख	1.00	31.01.2013	15.02.2013	28.02.2013	15.03.2013	31.03.2013
		(2.6) सेल के अनुमोदिन तकनीकी आर्थिक मानकों में सुधार की निगरानी करना।	(2.6.1) कोल डस्ट इजेक्शन (सीडीआई) की दर।	किग्रा/टीएचएम	1.00	60	50	45	44	42
			(2.6.2) कन्क्रास्ट रूट के माध्यम से कच्चे इस्पात का उत्पादन।	मिलियन टन	1.00	10	9.8	9.5	9.4	9.3
			(2.6.3) ब्लास्ट फर्नेस कोक की दर।	किग्रा/टीएचएम	1.00	512	514	516	518	520
			(2.6.4) बीएफ उत्पादकता	टीएचएम/एम 3/दिन	1.00	1.56	1.54	1.52	1.51	1.50
			(2.6.5) विशिष्ट ऊर्जा खपत	जी कैल/टी सी एस	1.00	6.72	6.74	6.76	6.78	6.80
			(2.6.6) श्रम उत्पादकता	टी सी एस/व्यक्ति/वर्ष	1.00	245	240	235	230	225
			(2.6.7) अनुसंधान और विकास व्यय	% पी ए टी	1.00	1.25	1.00	0.90	0.80	0.70
		(2.7) विशेष ग्रेड के इस्पात का विकास	(2.7.1) नये इस्पात उत्पाद का विकास	संख्या	0.50	3	2	1	0	0
		(2.8) आर आई एन एल : (क) वित्तीय : वित्तीय वर्ष 2012-13	(2.8.1) उत्पादन क्षमता को 3 मिलियन टन की वर्तमान	करोड़ रुपए	1.00	1050	1000	950	900	850

खंड 2 :  
प्रमुख उद्देश्यों, सफलता के संकेतकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएं

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य/मानदंड मूल्य								
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक					
						100%	90%	80%	70%					
		में आर आई एन एल के कैपेक्स कार्यक्रम में निवेश ताकि उत्पादन क्षमता 3 मिलियन टन से बढ़कर 6.3 मिलियन टन हो जाए।	क्षमता से बढ़ाकर 6.3 मिलियन टन करने के लिए वर्ष 2012-13 के दौरान आर आई एन एल के कैपेक्स कार्यक्रम में निवेश।											
		(2.9) आर आई एन एल : (ख) वास्तविक : (i) आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए कैपेक्स कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं को शुरू करना।	(2.8.2) उत्पादन क्षमता में वृद्धि (2.9.1) कोक ओवन बैटरी - 4 (सी ओ बी -4) में विद्युत संयंत्र को शुरू करना।	मिलियन टन	3.00	3.55	3.47	3.29	3.13	2.97				
		(2.10) (ii) ग्रामीण मार्केटिंग वितरण नेटवर्क का विस्तार : - डीलरों की नियुक्ति	(2.10.1) नियुक्ति पत्र जारी करना	संख्या	1.00	100	90	80	70	60				
		(2.11) (iii) फलाई एश/बी एफ स्लैग का उपयोग : - सीमेंट संयंत्र के लिए संयुक्त उद्यम की प्रक्रिया को शुरू करना	(2.11.1) रूचि की अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन ऑफ इंटरस्ट) जारी करना	तारीख	1.00	31.12.2012	31.01.2013	28.02.2013	15.03.2013	31.03.2013				
		(2.12) आर आई एन एल के तकनीकी आर्थिक मानकों में सुधार :- (i) बी एफ उत्पादकता	2.12.1) बी एफ उत्पादकता	टी/सीयूएम/दिन	1.00	1.96	1.87	1.78	1.69	1.60				
		(2.13) (ii) एल डी कन्वर्टर उत्पादकता	(2.13.1) एल डी इस्पात उत्पादकता	टी सी एस/सीयूएम/दिन	1.00	22.48	21.41	20.34	19.32	18.36				

**खंड 2 :**  
**प्रमुख उद्देश्यों, सफलता के संकेतकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएं**

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य / मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
		(2.14) (iii) श्रम उत्पादकता	(2.14.1) संशोधित कार्य दिवस	टी/सीयूएम/वर्ष	1.00	337	321	305	290	275
		(2.15) (iv) विशिष्ट ऊर्जा खपत	(2.15.1) ऊर्जा खपत में कमी	जी कैल/टी सी एस	1.00	6.52	6.85	7.21	7.59	7.99
		(2.16) (v) जल की खपत	(2.16.1) जल की खपत में कमी	सीयूएम/टी सी एस	1.00	2.80	2.94	3.09	3.26	3.43
		(2.17) (vi) ब्लास्ट फर्नेस कोक की दर	(2.17.1) ब्लास्ट फर्नेस कोक की दर	कि. ग्राम - टी/एचएम	1.00	500	505	510	515	520
		(2.18) (vii) अनुसंधान और विकास व्यय	(2.18.1) पूर्व सहमत लक्ष्यों की प्राप्ति	% पी ए टी	1.00	1.25	1.00	0.90	0.80	0.70
		(2.19) विशिष्ट ग्रेड के इस्पात का विकास	(2.19.1) नए इस्पात उत्पादों का विकास	संख्या	0.50	3	2	1	0	0
		(2.20) लौह अयस्क खानों का अधिग्रहण : आर आई एन एल को लौह अयस्क के आर्बटन के लिए खान मंत्रालय के साथ मामला उठाना	(2.20.1) 31.03.2013 तक राज्य सरकारों को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना	आवेदनों की संख्या	1.00	10	8	6	4	2
		(2.21) एन एम डी सी : (क) वित्तीय : अपने कैपेक्स कार्यक्रम के लिए वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय संबंधी लक्ष्य प्राप्त करना	(2.21.1) वर्ष 2012-13 के दौरान घरेलू कैपेक्स व्यय (2.21.2) वर्ष 2012-13 के दौरान एन एम डी सी द्वारा विदेशी अधिग्रहण पर व्यय	करोड़ रुपए करोड़ रुपए	1.00	3455	3400	3000	2600	2200
					1.00	400	320	280	220	170

खंड 2 :  
प्रमुख उद्देश्यों, सफलता के संकेतकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएं

उद्देश्य	वर्जन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वर्जन	लक्ष्य / मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
		(2.22) एन एम डी सी : (ख) वास्तविक : - (i) नगरनार, छत्तीसगढ़ में एन एम डी सी के प्रस्तावित ग्रीनफील्ड 3 एमटीपीए क्षमता वाले इस्पात संयंत्र की निगरानी करना	(2.22.1) 7 प्रमुख प्रौद्योगिकीय पैकेजों के लिए मूलभूत इंजीनियरिंग का कार्य पूरा करना	संख्या	1.00	7	6	5	4	3
			(2.22.2) ब्लास्ट फर्नेस स्टावों और ब्लास्ट फर्नेस प्रापर और स्टाक हाउस की नींव पूरी करना	तारीख	1.00	31.12.2012	15.01.2013	31.01.2013	28.02.2013	31.03.2013
			(2.22.3) कोक ओवन बैटरी की 20 प्रतिशत पाइलिंग का कार्य पूरा करना	तारीख	1.00	31.12.2012	15.01.2013	31.01.2013	28.02.2013	31.03.2013
			(2.22.4) आर एम एच एस पैकेज के कन्वेयर्स गैलरी को खड़ा करने संबंधी कार्य प्रारंभ करना	तारीख	1.00	31.12.2012	15.01.2013	31.01.2013	28.02.2013	31.03.2013
			(2.23.1) कूलर, भट्टे और मिक्सर को खड़ा करना	तारीख	1.00	28.02.2013	10.03.2013	20.03.2013	25.03.2013	31.03.2013
		(2.23) (ii) एन एम डी सी के दोनीमलै, कर्नाटक स्थित 1.2 एमटीपीए पेलेट संयंत्र के कार्य की निगरानी करना	(2.24.1) मुख्य संयंत्र पैकेज के अंतर्गत शामिल मैकेनिकल इरेक्शन का कार्य प्रारंभ करना	तारीख	1.00	15.02.2013	28.02.2013	10.03.2013	20.03.2013	31.03.2013
			(2.25) नगरनार, छत्तीसगढ़ में पेलेटाइजेशन संयंत्र	तारीख	1.00	30.09.2012	31.10.2012	30.11.2012	31.12.2012	31.01.2013

**खंड 2 :  
प्रमुख उद्देश्यों, सफलता के संकेतकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएं**

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य/मानदंड मूल्य					
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक	खराब	
						100%	90%	80%	70%	60%	
(3) इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा इस्पात उद्योग के लिए घरेलू और विदेशी स्रोतों से कच्चे माल विशेषकर लौह अयस्क और कोयले की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना	9.00	(2.26) मेकॉन : राउरकेला इस्पात संयंत्र की 7 मीटर ऊंची कोक ओवन बैटरी संख्या 6 की हीटिंग	(2.26.1) हीटिंग	तारीख	1.00	31.01.2013	28.02.2013	31.03.2013	-	-	
		(3.1) एन एम डी सी : (i) 3 एम टी पी ए की क्षमता के लिए कुमारस्वामी लौह अयस्क खान का विकास	(3.1.1) सेकेंडरी क्रशर हाउस और प्राइमरी क्रशर हाउस के प्रमुख सिविल कार्यों को पूरा करना	तारीख	1.00	31.12.2012	31.01.2013	28.02.2013	15.03.2013	31.03.2013	
		(3.2) (ii) पाइप लाइन के माध्यम से बैलाडिला से विजाग तक लौह अयस्क फाइन्स/स्लाइम्स का परिवहन	(3.2.1) किरन्दूल (सी जी) से विजाग (ए पी) तक स्लरी पाइप लाइन के पाइप लाइन मार्ग का विस्तृत सर्वेक्षण पूरा करना	तारीख	1.00	15.02.2013	28.02.2013	10.03.2013	20.03.2013	31.03.2013	
		(3.3) (iii) एन एम डी सी द्वारा लौह अयस्क को घरेलू लौह और इस्पात उद्योग से जोड़ना	(3.3.1) वर्ष 2012-13 के दौरान घरेलू लौह और इस्पात कंपनियों को आपूर्ति किया गया लौह अयस्क	मिलियन टन	1.00	24	23	22.50	22	21.50	
		(3.4) मॉयल : (i) मैंगनीज अयस्क फाइन्स की सिन्दरिंग के माध्यम से मूल्यवर्धन तकनीकी - आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना	(3.4.1) परामर्शदाताओं द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करना	तारीख	1.00	31.12.2012	15.01.2013	28.02.2013	15.03.2013	31.03.2013	
		(3.5) (ii) उद्यम विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी सहायता करने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाना,	(3.5.1) जेंगरी बुजुंग ओपनकास्ट खान का विकास	000 एम क्यूब	1.00	4805	4576	4347	4130	3924	

खंड 2 :  
प्रमुख उद्देश्यों, सफलता के संकेतकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएं

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
		समन्वय करना और आवश्यक नीति प्रतिपादन करना।	(3.5.2) गुमगांव खान और मुंसार खान के लिए ओ एच एस ए एस 18001 – 2007 प्रमाणन	तारीख	1.00	30.11.2012	31.12.2012	31.01.2013	28.02.2013	31.03.2013
		(3.6) बर्ड ग्रुप : ओ एम डी सी की बैगियाडुरु खानों का खनन कार्य प्रारंभ करना	(3.6.1) कार्य की शुरूआत	तारीख	1.00	28.02.2013	10.03.2013	15.03.2013	20.03.2013	31.03.2013
		(3.7) के आई ओ सी एल : (i) बाल मिल में ग्राइंडिंग मीडिया के इष्टतमीकरण संबंधी अध्ययन	(3.7.1) पूरा करने की तारीख	तारीख	0.50	31.10.2012	31.11.2012	31.12.2012	31.01.2013	28.02.2013
		(3.8) (ii) इन्ड्यूस्ट्रिंग मशीन में तेल आधारित प्रणाली से गैस आधारित प्रणाली को अंतरण संबंधी अध्ययन	(3.8.1) पूरा करने की तारीख	तारीख	0.50	30.09.2012	31.10.2012	31.11.2012	31.12.2012	31.01.2013
		(3.9) एम एस टी सी : ऑटो-मोबाइल स्क्रेप के उपयोग के लिए श्रेडिंग संयंत्र की स्थापना	(3.9.1) ई ओ आईके लिए नोटिस, परामर्शदाता का चयन और परियोजना स्थल/भूमि की पहचान करना	तारीख	0.50	31.12.2012	31.01.2013	28.02.2013	15.03.2013	31.03.2013
		(3.10) एफ एस एन एल : 10 मिमी से कम आकार वाले इस्पात स्क्रेप का व्यवसायीकरण	(3.10.1) स्लैग फाइन्स से इस्मैग्नेटिड लौह के विखंडन के लिए उपयोगी उपस्करों और प्रक्रिया संबंधी जानकारी के एकत्रण सहित जांचों और अध्ययन को पूरा करना	तारीख	0.25	31.01.2013	15.02.2013	28.02.2013	15.03.2013	31.03.2013



**खंड 2 :**  
**प्रमुख उद्देश्यों, सफलता के संकेतकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएं**

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य / मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक	
						100%	90%	80%	70%	
		(3.11) एच एस सी एल : उद्यम विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी सहायता करने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाना, समन्वय करना और आवश्यक नीति प्रतिपादन करना।	(3.11.1) एच एस सी एल की पुनर्संरचना के लिए मंत्रिमंडल टिप्पण को अंतिम रूप दिया जाना	तारीख	0.25	31.01.2013	15.02.2013	28.02.2013	15.03.2013	31.03.2013
(4) अनुष्ठांन और विकास हस्तक्षेप, गुणवत्ता नियंत्रण और निर्यात संवर्धन के माध्यम से लौह और इस्पात उद्योग के निष्पादन में सुधार करना	6.00	(4.1) अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा और निगरानी करना।	(4.1.1) योजना निधि के अंतर्गत 7 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए परियोजना समीक्षा समिति (सी आर सी) की बैठक : 1. निम्न गुणवत्ता वाले लौह अयस्क और फाइन्स के युक्तिसंगत उपयोग के लिए डीप बेनिफिशिएशन और एकीकरण प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सेंटर उत्पादकता में सुधार, नेशनल मेटालर्जिकल लैबोरेटरी, (एन एम एल) जमशेदपुर; 2. एन एम एल द्वारा भारतीय कच्चे माल के संबंध में लौह / इस्पात बनाने का वैकल्पिक अनुसूचक तरीका; 3. इन्स्टीट्यूट ऑफ मिनरल एंड मेटेरियल टेक्नालॉजी, (आई एम एम टी), भुवनेश्वर द्वारा न्यूनतम अथवा न	संख्या	1.00	14	12	10	9	7

खंड 2 :  
प्रमुख उद्देश्यों, सफलता के संकेतकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएं

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य / मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक	
						100%	90%	80%	70%	
			के बराबर सीओ2 उत्सर्जन के साथ हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक रिकॉटेस का उपयोग करते हुए कार्बनमुक्त लौह उत्पादन के लिए भविष्योन्मुखी प्रौद्योगिकी का विकास; 4. आर डी सी आई एस (सेल) द्वारा भारत में बार्सुआ और अन्य खानों से लौह अयस्क स्लाइस्स का बेनिफिशिएशन; 5. आर डी सी आई एस (सेल) द्वारा भिन्न-भिन्न डिग्री की गुणवत्ता सहित भारतीय गोथिटिक / हीमेटिटिक अयस्क संबंधी प्रायोगिक स्तर की पेलेटाइजेशन प्रौद्योगिकी का विकास; 6. आई आई टी खडगपुर द्वारा प्रक्रिया इष्टतमीकरण के माध्यम से लौह और इस्पात उत्पादन में सीओ2 का परित्याग; 7. आई एम एम टी द्वारा हाई एश भारतीय कोयले से लो एश कोयले का उत्पादन							
			(4.1.2) एसडीएफ के अंतर्गत 5 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए अधिकार प्राप्त	संख्या	1.00	10	9	8	7	5

**खंड 2 :**  
**प्रमुख उद्देश्यों, सफलता के संकेतकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएं**

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक	खराब
			<p>बोर्ड की बैठक : 1. मेकॉन, रांची द्वारा इन्फ्रारेड कैमरा आधारित लैडल स्थिति निगरानी प्रणाली;</p> <p>2. मेकॉन, रांची द्वारा निरंतर मल्टी नैस मानीटर का विकास; 3. बंगाल इंजीनियरिंग एंड साइंस यूनिवर्सिटी और टाटा स्टील द्वारा उच्च शक्ति वाले लेक र्बन मल्टीफेस स्टील का विकास; 4. जादवपुर विश्वविद्यालय द्वारा स्व-स्थाने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से बिना परत चढ़े और परत चढ़े ऑटोमोटिव इस्पात में विकृति और क्षति मैकेनिज्म की जांच;</p> <p>5. आर डी सी आई एस (सेल) द्वारा कोक ओवन बहिष्कारों के लिए एकीकृत उपचार प्रक्रिया का विकास।</p>			100%	90%	80%	70%	60%
			<p>(4.1.3) एस डी एफ के अंतर्गत अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के संबंध में अधिकार प्राप्त समिति, (ई सी) की बैठक</p>	तारीख	1.00	30.06.2012	31.08.2012	31.10.2012	31.12.2012	28.02.2013
		(4.2) लोहे और इस्पात उत्पादों की गुणवत्ता की निगरानी	<p>(4.2.1) गुणवत्ता वाले इस्पात उत्पादों के लिए जागरूकता अभियान प्रारंभ करना</p>	तारीख	1.00	31.12.2012	31.01.2013	28.02.2013	31.03.2013	—

खंड 2 :  
प्रमुख उद्देश्यों, सफलता के संकेतकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएं

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य / मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट 100%	बहुत अच्छा 90%	अच्छा 80%	ठीक 70%	खराब 60%
			(4.2.2) अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आर्डर के अंतर्गत अतिरिक्त लोहे और इस्पात उत्पादों की अधिसूचना	तारीख	1.00	31.12.2012	31.01.2013	28.02.2013	31.03.2013	-
		(4.3) शुल्क छूट स्कीम के अंतर्गत मानक इनपुट - आउटपुट मानदंड	(4.3.1) रंग की परत चढ़े इस्पात शीट के उत्पादों के संबंध में मानक इनपुट - आउटपुट मानदंडों के निर्धारण/समीक्षा के वास्ते इस्पात मंत्रालय की सिफारिश को अंतिम रूप देना	तारीख	1.00	30.09.2012	31.10.2012	30.11.2012	31.12.2012	31.01.2013
5. इस्पात मंत्रालय के सार्वजनिक सेल के उपक्रमों द्वारा विलय, अधिग्रहण और संयुक्त उद्यमों को सुकर बनाना और उनकी निगरानी करना	3.00	(5.1) सेल : (i) नए व्यावसायिक विकास के लिए संभावित भागीदारों के साथ कार्यनीति आधारित गठबंधन करना (5.2) (ii) कोबे इस्पात संयंत्र के सहयोग से आईटी एम के 3 प्रौद्योगिकी आधारित लौह नगोट संयंत्र की स्थापना (5.3) 3 बोली और एक अधिग्रहण के लक्ष्य मूल्य सहित आई सी वी एल द्वारा विदेश में परिसंपत्तियों का अधिग्रहण	(5.1.1) मार्च, 2013 तक किए गए समझौता ज्ञापनों / संयुक्त उद्यम करारों / कार्यनीति आधारित गठबंधनों की संख्या (5.2.1) सेल कोबे इस्पात संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना (5.3.1) विदेशों में परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए करार / टर्म शीट पर हस्ताक्षर करना	संख्या	1.00	3	2	1	-	-
				तारीख	0.50	31.07.2012	15.08.2012	29.09.2012	15.10.2012	30.11.2012
				ख्या	0.50	1	0	0	0	0

**खंड 2 :**  
**प्रमुख उद्देश्यों, सफलता के संकेतकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएं**

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य / मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक	खराब
						100%	90%	80%	70%	
			(5.3.2) विदेशों में परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए बोलियां प्रस्तुत करना	संख्या	0.50	3	2	1	0	0
		(5.4) आर आई एन एल : फेरा- मैंगनीज संयंत्र के लिए आर आई एन एल - मॉयल संयुक्त उद्यम	(5.4.1) निविदा को अंतिम रूप देना	तारीख	0.50	31.01.2013	15.02.2013	28.02.2013	15.03.2013	31.03.2013
(6) नई नीतिगत पहलों को अंतिम रूप देना	3.00	(6.1) (i) नई राष्ट्रीय इस्पात नीति को अंतिम रूप देना	(6.1.1) राष्ट्रीय इस्पात नीति पर मंत्रिमंडल के समक्ष मंत्रिमंडल टिप्पण प्रस्तुत करना	तारीख	1.00	28.02.2013	10.03.2013	20.03.2013	25.03.2013	31.03.2013
		(6.2) (ii) लौह अयस्क निर्यातों के युक्तिकरण संबंधी कार्य समूह की रिपोर्ट तैयार करना और लौह अयस्क फाइल का फेलेटाइजेशन प्रारंभ करना	(6.2.1) रिपोर्ट को अंतिम रूप देना	तारीख	1.00	31.01.2013	28.02.2013	10.03.2013	20.03.2013	31.03.2013
		(6.3) (iii) ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात सर्वेक्षण संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई	(6.3.1) ग्रामीण क्षेत्रों इस्पात की पत संबंधी सर्वेक्षण की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई की निगरानी करने के लिए निगरानी समिति की बैठक	संख्या	1.00	3	2	1	-	-
(7) शी-रोलिंग उद्योग के संबंध में जानकारी और डाटाबेस को अद्यतन करना	2.00	(7.1) संयुक्त संयंत्र समिति (जे पी सी) द्वारा इस्पात शी-रोलिंग उद्योग का व्यापक सर्वेक्षण	(7.1.1) तकनीकी लेखापरीक्षा सहित सर्वेक्षण को पूरा करना	तारीख	2.00	31.10.2012	31.12.2012	28.02.2013	31.03.2013	-

खंड 2 :  
प्रमुख उद्देश्यों, सफलता के संकेतकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएं

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट 100%	बहुत अच्छा 90%	अच्छा 80%	ठीक 70%	खराब 60%
* आर एफ डी प्रणाली की कुशल कार्यप्रणाली	3.00	अनुमोदन के लिए समय शेष मसौदा प्रस्तुत करना परिणामों को समय से प्रस्तुत करना	समय से प्रस्तुत करना	तारीख	2.0	05.03.2012	06.03.2012	07.03.2012	08.03.2012	09.03.2012
* प्रशासनिक सुधार	6.00	भ्रष्टाचार के संभावित जोखिम को कम करने संबंधी न्यूनीकरण कार्रवाइयों को कार्यान्वित करना अनुमोदित कार्रवाई योजना के अनुसार आईएसओ 9001 कार्यान्वित करना विभागीय अभिनव कार्रवाई योजना (आई ए पी) को समय से तैयार करना	समय से प्रस्तुत करना कार्यान्वयन का प्रतिशत कवर किए गए प्रचालन के क्षेत्र	तारीख प्रतिशत प्रतिशत	1.0 2.0 2.0	01.05.2012	03.05.2012	04.05.2012	05.05.2012	06.05.2012
* आंतरिक कुशलता / प्रतिक्रियात्मकता / मंत्रालय/विभाग को सेवा की आपूर्ति में सुधार करना	4.00	सेवात्मक का कार्यान्वयन	समय से प्रस्तुत करना सिडिजन चार्टर के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखापरीक्षा	तारीख प्रतिशत	2.0 2.0	01.05.2013	02.05.2013	03.05.2013	06.05.2013	07.05.2013
* वित्तीय जवाबदेही फ्रेमवर्क का अनुपालन सुनिश्चित करना	2.00	सी एवं एजी के लेखापरीक्षा पैरा पर की गई कार्रवाई टिप्पण समय से प्रस्तुत करना	लोक शिकायत निपटान प्रणाली के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखापरीक्षा वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से निर्धारित तिथि (4 माह) के भीतर प्रस्तुत किए गए की गई कार्रवाई टिप्पण की प्रतिशतता	-तिशत प्रतिशत	2.0 0.5	100	90	80	70	60

\*अनिवार्य उद्देश्य



**खंड 2 :**  
**प्रमुख उद्देश्यों, सफलता के संकेतकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएं**

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक	खराब
						100%	90%	80%	70%	
		पी ए सी की रिपोर्टों पर पी ए सी सचिवालय को की गई कार्रवाई रिपोर्टों को समय से प्रस्तुत करना	वर्ष के दौरान पी ए सी द्वारा संसद को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की तारीख से निर्धारित तारीख (6 माह) के भीतर प्रस्तुत की गई कार्रवाई रिपोर्टों की प्रतिशतता	प्रतिशत	0.5	100	90	80	70	60
		31.03.2012 से पहले संसद को प्रस्तुत की गई सी एवं एजी रिपोर्टों के लेखापरीक्षा पैरा पर लंबित की गई कार्रवाई टिप्पणों का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निस्तारित की गई बकाया कार्रवाई टिप्पणों की प्रतिशतता	प्रतिशत	0.5	100	90	80	70	60
		31.03.2012 से पहले संसद को प्रस्तुत की गई पी ए सी रिपोर्टों संबंधी लंबित की गई कार्रवाई रिपोर्टों का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निस्तारित की गई बकाया कार्रवाई रिपोर्टों की प्रतिशतता	प्रतिशत	0.5	100	90	80	70	60

\*अनिवार्य उद्देश्य

खंड 3 :  
सफलता के संकेतकों के प्रचलन मूल्य

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता के संकेतक	इकाई	वित्तीय वर्ष 10-11 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 11-12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 12-13 के लिए लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 13-14 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 14-15 के लिए अनुमानित मूल्य
(1) वर्ष 2012-13 के दौरान उत्पादन क्षमता के सृजन और उत्पादन में वृद्धि को सुकर बनाना	(1.1) उत्पाद उत्पादन क्षमता को प्राप्त करने के लिए सुविधा प्रदान करना, समन्वय और आवश्यक नीति निर्माण करना	1.1.1) उत्पाद की उत्पादन क्षमता	मिलियन टन	-	-	93	-	-
		1.1.2) कच्चे उत्पाद का उत्पादन	मिलियन टन	-	-	76	-	-
	(1.2) उत्पाद क्षेत्र के वृद्धि के लिए कार्रवाई किए जाने वाले मुद्दे : उत्पाद विकासकर्ताओं द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के साथ हस्ताक्षरित किए गए समझौता ज्ञापनों के कार्यान्वयन की स्थिति तथा अवसंरचना के विकास, भूमि अधिग्रहण, कच्चे माल, जल, विद्युत इत्यादि के आबंटन से संबंधित प्रमुख मुद्दों की समीक्षा	1.2.1) अंतर- मंत्रालयीय समूह (आई एम जी) की बैठकें 1.2.2) समझौता ज्ञापनों के कार्यान्वयन के लिए मानीटरिंग तंत्र विकसित करना	संख्या रीख		-	-	1 15.02.2013	-
	(1.3) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ परियोजना विशिष्ट बैठकें : (क) रेलवे की परियोजनाएं : 1. तालचेर - सम्बलपुर रेलवे लाइन को दोहरा करना। 2. अंगुल - सम्बलपुर (171 किलोमीटर) रेलवे लाइन को दोहरा करना। 3. पूर्वी तटीय रेलवे द्वारा तेजी के साथ भूमि अधिग्रहण (102 किलोमीटर)। 4. किरन्दूल - कोट्टा वाल्सो लाइन को दोहरा करना और	1.3.1) क्षेत्र / परियोजना विशिष्ट बैठकें	संख्या	-	-	4	-	-

**खंड 3 :  
साफलता के संकेतकों के प्रचलन मूल्य**

उद्देश्य	कार्रवाई	साफलता के संकेतक	इकाई	वित्तीय वर्ष 10-11 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 11-12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 12-13 के लिए लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 13-14 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 14-15 के लिए अनुमानित मूल्य
	<p>बैलाडिला/किरन्दूल से विशाखापत्तनम तक लाइन की क्षमता बढ़ाना और वदलापुडी से आर आई एन एल तक तीसरा ट्रेक अथवा 5. कोई अन्य नई परियोजना (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. पारादीप और धामरा जैसे पूर्वी पत्तनों से कनेक्टिंग सड़कों को छ: लेन वाला बनाना।</li> <li>2. तालचेर कोलफील्ड और देश के विभिन्न भागों को जोड़ने वाले सड़कों के नेटवर्क का उन्नयन।</li> <li>3. अंगुल से बुधापाल एस एच 63 तक एन एच 42 से एन एच 200 तक चार लेन बनाना।</li> <li>4. कोइरा से कलाईपोज तक चार लेन बनाना। 5. अनकापल्ली से विशाखापत्तनम तक मौजूदा चार लेनों को छ: लेनों में बदलना अथवा 6. कोई अन्य नई परियोजना। (ग) पत्तन :</li> <li>1. पारादीप और धामरा पत्तनों पर लौह और कोल बर्थों का उन्नयन। 2. हल्दियापत्तन में अतिरिक्त कैप्टिव।</li> <li>3. 80,000 – 1,20,000</li> </ol>							

खंड 3 :  
सफलता के संकेतकों के प्रचलन मूल्य

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता के संकेतक	इकाई	वित्तीय वर्ष 10-11 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 11-12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 12-13 के लिए लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 13-14 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 14-15 के लिए अनुमानित मूल्य
	डी डब्ल्यू टी के जलयानों को संभालने के लिए हल्दिया पतन का उन्नयन अथवा 4. कोई अन्य परियोजना। (घ) पर्यावरण और वन : पर्यावरण और वन मंत्रालय के पास लंबित इस्पात क्षेत्र के पर्यावरण और वन स्वीकृति संबंधी प्रस्तावों पर शीघ्रता से कार्रवाई करना।							
2. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कैपेक्स और आधुनिकीकरण कार्यक्रमों को पूरा करने की निगरानी करना।	(2.1) सेल : क) वित्तीय : अपने कैपेक्स कार्यक्रम के लिए वित्तीय वर्ष 2012-13 में संचय संबंधी लक्ष्य प्राप्त करना। (2.2) सेल : ख) वास्तविक : (i) 31.03.2013 तक हॉट मेटल की 2.5 मिलियन टन की क्षमता वृद्धि के लिए राउरकेला इस्पात संयंत्र में सुविधाओं को वास्तविक रूप से पूरा करना। (2.3) (ii) 31.03.2013 तक हॉट मेटल की 2.5 मिलियन की क्षमता बढ़ाने के लिए आई एस पी, बर्नपुर में सुविधाओं को वास्तविक रूप से पूरा करना।	(2.1.1) वर्ष 2012-13 के दौरान सेल के आधुनिकीकरण और विस्तार 'बंदी' कैपेक्स कार्यक्रम के लिए निवेश (2.2.1) नई कोक ओवन बैटरी संख्या 6 को पूरा करना। (2.2.2) नई ब्लास्ट फर्नेस नम्बर 5 को पूरा करना। (2.3.1) नई कोक ओवन बैटरी संख्या 11 को पूरा करना। (2.3.2) वायर रॉड मिल को पूरा करना।	करोड़ रुपए	-	-	10000	-	-
			तारीख	-	-	30.09.2012	-	-
			तारीख	-	-	31.12.2012	-	-
			तारीख	-	-	31.08.2012	-	-
			तारीख	-	-	30.11.2012	-	-

**खंड 3 :  
सफलता के संकेतकों के प्रचलन मूल्य**

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता के संकेतक	इकाई	वित्तीय वर्ष 10-11 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 11-12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 12-13 के लिए लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 13-14 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 14-15 के लिए अनुमानित मूल्य
	(24) (iii) भिलाई इस्पात संयंत्र में सुविधाओं को पूरा करना।	(2.4.1) ओर हैंडलिंग संयंत्र - ए को पूरा करना।	तारीख	-	-	31.01.2013	-	-
	(25) (iv) बोकारो इस्पात संयंत्र में सुविधाओं को पूरा करना।	(2.5.1) ब्लास्ट फर्नेस के लिए कास्ट हाउस स्लैग ग्रैनुलेशन संयंत्र को पूरा करना।	तारीख	-	-	15.02.2013	-	-
	(26) सेल के अनुमोदिन तकनीकी आर्थिक मानकों में सुधार की निगरानी करना।	(2.6.1) कोल डस्ट इंजेक्शन (सीडीआई) की दर।	किग्रा/टीएचएम	-	-	50	-	-
		(2.6.2) कन्क्रास्ट रूट के माध्यम से कच्चे इस्पात का उत्पादन।	मिलियन टन	-	-	9.8	-	-
		(2.6.3) ब्लास्ट फर्नेस कोक की दर।	किग्रा/टीएचएम	-	-	514	-	-
		(2.6.4) बीएफ उत्पादकता	टीएचएम/एम 3/दिन	-	-	1.54	-	-
	(27) विशेष ग्रेड के इस्पात का विकास	(2.6.5) विशिष्ट ऊर्जा खपत	जी कैल/टी सी एस	-	-	6.74	-	-
		(2.6.6) श्रम उत्पादकता	टी सी एस/व्यक्ति/वर्ष	-	-	240	-	-
		(2.6.7) अनुसंधान और विकास व्यय	% पी ए टी	-	-	1.00	-	-
		(2.7.1) नये इस्पात उत्पाद का विकास	संख्या	-	-	2	-	-
(28) आर आई एन एल :	(2.8.1) उत्पादन क्षमता	करोड़ रुपए	-	-	1000	-	-	

खंड 3 :  
सफलता के संकेतकों के प्रचलन मूल्य

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता के संकेतक	इकाई	वित्तीय वर्ष 10-11 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 11-12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 12-13 के लिए लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 13-14 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 14-15 के लिए अनुमानित मूल्य
	(क) वित्तीय वर्ष 2012-13 में आर आई एन एल के कैपेक्स कार्यक्रम में निवेश ताकि उत्पादन क्षमता 3 मिलियन टन से बढ़कर 6.3 मिलियन टन हो जाए।	3 मिलियन टन की वर्तमान क्षमता से बढ़ाकर 6.3 मिलियन टन करने के लिए वर्ष 2012-13 के दौरान आर आई एन एल के कैपेक्स कार्यक्रम में निवेश।		-	-	3.47	-	-
	(2.9) आर आई एन एल : (ख) वास्तविक : (i) आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए कैपेक्स कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं को शुरू करना।	(2.8.2) उत्पादन क्षमता में वृद्धि (2.9.1) कोक ओवन बैटरी - 4 (सी ओ बी -4) में विद्युत संयंत्र को शुरू करना।	मिलियन टन तारीख	-	-	31.01.2013	-	-
	(2.10) (ii) ग्रामीण मार्केटिंग वितरण नेटवर्क का विस्तार : - डीलरों की नियुक्ति	(2.10.1) नियुक्ति पत्र जारी करना	संख्या	-	-	90	-	-
	(2.11) (iii) पलाई एश/बी एफ स्लैग का उपयोग : - सीमेंट संयंत्र के लिए संयुक्त उद्यम की प्रक्रिया को शुरू करना	(2.11.1) रूचि की अभिव्यक्ति जारी करना	तारीख	-	-	31.01.2013	-	-
	(2.12) आर आई एन एल के तकनीकी आर्थिक मानकों में सुधार :- (i) बी एफ उत्पादकता	(2.12.1) बी एफ उत्पादकता	टी/सीयूएम/दिन	-	-	1.87	-	-



**खंड 3 :**  
**साफलता के संकेतकों के प्रचलन मूल्य**

उद्देश्य	कार्रवाई	साफलता के संकेतक	इकाई	वित्तीय वर्ष 10-11 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 11-12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 12-13 के लिए लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 13-14 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 14-15 के लिए अनुमानित मूल्य
	(2.13) (ii) एल डी क्वार्टर उत्पादकता	(2.13.1) एल डी इस्पात उत्पादकता	टी सी एस/ सीयूएम/दिन	-	-	21.41	-	-
	(2.14) (iii) श्रम उत्पादकता	(2.14.1) संशोधित कार्य दिवस	टी/सीयूएम/ वर्ष	-	-	321	-	-
	(2.15) (iv) विशिष्ट ऊर्जा खपत	(2.15.1) ऊर्जा खपत में कमी	जी कैल/ टी सी एस	-	-	6.85	-	-
	(2.16) (v) जल की खपत	(2.16.1) जल की खपत में कमी	सीयूएम/ टी सी एस	-	-	2.94	-	-
	(2.17) (vi) ब्लास्ट फर्नेस कोक की दर	(2.17.1) ब्लास्ट फर्नेस कोक की दर	किग्राम - टी/ एचएम	-	-	505	-	-
	(2.18) (vii) अनुसंधान और विकास व्यय	(2.18.1) पूर्व सहमत लक्ष्यों की प्राप्ति	% पी ए टी	-	-	1.00	-	-
	(2.19) विशिष्ट ग्रेड के इस्पात का विकास	(2.19.1) नए इस्पात उत्पादों का विकास	संख्या	-	-	2	-	-
	(2.20) लौह अयस्क खानों का अधिग्रहण : आर आई एन एल को लौह अयस्क के आबटन के लिए खान मंत्रालय के साथ मामला उठाना	(2.20.1) 31.03.2013 तक राज्य सरकारों को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना	आवेदनों की संख्या	-	-	8	-	-
	(2.21) एन एम डी सी : (क) वित्तीय : अपने कैपेक्स कार्यक्रम के लिए वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय संबंधी	(2.21.1) वर्ष 2012-13 के दौरान घरेलू कैपेक्स व्यय	करोड़ रुपए	-	-	3400	-	-
		(2.21.2) वर्ष 2012-13 के दौरान	करोड़ रुपए	-	-	320	-	-

खंड 3 :  
सफलता के संकेतकों के प्रचलन मूल्य

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता के संकेतक	इकाई	वित्तीय वर्ष 10-11 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 11-12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 12-13 के लिए लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 13-14 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 14-15 के लिए अनुमानित मूल्य
	लक्ष्य प्राप्त करना	एन एम डी सी द्वारा विदेशी अधिग्रहण पर व्यय						
	(2.22) एन एम डी सी : (ख) वास्तविक : - (i) नगरनार, छत्तीसगढ़ में एन एम डी सी के प्रस्तावित ग्रीनफील्ड 3 एम टी पी ए क्षमता वाले इस्पात संयंत्र की निगरानी करना	(2.22.1) 7 प्रमुख प्रौद्योगिकीय पैकेजों के लिए मूलभूत इंजीनियरिंग का कार्य पूरा करना (2.22.2) ब्लास्ट फर्नेस स्टोवों और ब्लास्ट फर्नेस प्रापर और स्टॉक हाउस की नींव पूरी करना (2.22.3) कोक ओवन बैटरी की 20 प्रतिशत पाइलिंग का कार्य पूरा करना (2.22.4) आर एम एच एस पैकेज के कचेयर्स गैलरी को खड़ा करने संबंधी कार्य प्रारंभ करना (2.23.1) कूलर, भट्टे और मिक्सर को खड़ा करना	संख्या तारीख तारीख तारीख	- - - -	- - - -	6 15.01.2013 15.01.2013 15.01.2013	- - - -	- - - -
	(2.23) (ii) एन एम डी सी के दोणिमलै, कर्नाटक स्थित 1.2 एमटीपीए पेलेट संयंत्र के कार्य की निगरानी करना	(2.23.1) कूलर, भट्टे और मिक्सर को खड़ा करना	तारीख	-	-	10.03.2013	-	-
	(2.24) (iii) दोणिमलै, कर्नाटक स्थित बी एच जे बेनिफिशिएशन संयंत्र की निगरानी करना	(2.24.1) मुख्य संयंत्र पैकेज के अंतर्गत शामिल मैकेनिकल इरेक्शन का कार्य प्रारंभ करना	तारीख	-	-	28.02.2013	-	-
	(2.25) नगरनार, छत्तीसगढ़ में पेलेटाइजेशन संयंत्र	(2.25.1) नगरनार, छत्तीसगढ़ स्थित पेलेटाइजेशन संयंत्र के संबंध में	तारीख	-	-	31.10.2012	-	-

**खंड 3 :  
सफलता के संकेतकों के प्रचलन मूल्य**

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता के संकेतक	इकाई	वित्तीय वर्ष 10-11 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 11-12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 12-13 के लिए लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 13-14 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 14-15 के लिए अनुमानित मूल्य
3. इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा घरेलू और विदेशी स्रोतों से कच्चे माल विशेषकर लौह अयस्क और कोयले की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना	(2.26) मेकॉन : राउरकेला इस्पात संयंत्र की 7 मीटर ऊंची कोक ओवन बैटरी संख्या 6 की हीटिंग	निवेश प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए एन एम डी सी के बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना (2.26.1) हीटिंग	तारीख	-	-	28.02.2013	-	-
	(3.1) एन एम डी सी : (i) 3 एम टी पी ए की क्षमता के लिए कुमार स्वामी लौह अयस्क खान का विकास	(3.1.1) सेकेंडरी क्रशर हाउस और प्राइमरी क्रशर हाउस के प्रमुख सिविल कार्यों को पूरा करना	तारीख	-	-	31.01.2013	-	-
	(3.2) (ii) पाइप लाइन के माध्यम से बैलाडिला से विजाग तक लौह अयस्क फाइन्स/स्लाइम्स का परिवहन	(3.2.1) किरन्दूल (सी जी) से विजाग (ए पी) तक स्लरी पाइप लाइन के पाइप लाइन मार्ग का विस्तृत सर्वेक्षण पूरा करना	तारीख	-	-	28.02.2013	-	-
	(3.3) (iii) एन एम डी सी द्वारा लौह अयस्क को घरेलू लौह और इस्पात उद्योग से जोड़ना	(3.3.1) वर्ष 2012-13 के दौरान घरेलू लौह और इस्पात कंपनियों को आपूर्ति किया गया लौह अयस्क (3.4.1) परामर्शदाताओं द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करना	मिलियन टन	238	221.87	23.0	33.4	35.7
	(3.4) मॉयल : (i) मैंगनीज अयस्क फाइन्स की सिन्ट्रिंग के माध्यम से		तारीख	-	-	15.01.2013	-	-

खंड 3 :  
साफलता के संकेतकों के प्रचलन मूल्य

उद्देश्य	कार्रवाई	साफलता के संकेतक	इकाई	वित्तीय वर्ष 10-11 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 11-12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 12-13 के लिए लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 13-14 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 14-15 के लिए अनुमानित मूल्य
	मूल्यवर्धन :- तकनीकी - आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना							
	(3.5) (ii) उद्यम विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी सहायता करने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाना, समन्वय करना और आवश्यक नीति प्रतिपादन करना।	(3.5.1) डोंगरी बुजुंग ओपनकारस्ट खान का विकास	000 एम क्यूब	-	-	4576	-	-
	(3.6) बर्ड ग्रुप : ओ एम डी सी की बैगियाबुरु खानों का खनन कार्य प्रारंभ करना	(3.5.2) गुमगांव खान और मुंसार खान के लिए ओ एच एस ए एस 18001 - 2007 प्रमाणन	तारीख	-	-	31.12.2012	-	-
	(3.7) के आई ओ सी एल :	(3.6.1) कार्य की शुरुआत	तारीख	-	-	10.03.2013	-	-
	(i) बाल मिल में ग्राइंडिंग मीडिया के इष्टतमीकरण संबंधी अध्ययन	(3.7.1) पूरा करने की तारीख	तारीख	-	-	30.11.2012	-	-
	(3.8) (ii) इन्ड्यूस्ट्रिंग मशीन में तेल आधारित प्रणाली से गैस आधारित प्रणाली का अंतरण संबंधी अध्ययन	(3.8.1) पूरा करने की तारीख	तारीख	-	-	31.10.2012	-	-
	(3.9) एम एस टी सी : ऑटो मोबाइल स्क्रीप के उपयोग के लिए श्रैडिंग संयंत्र की स्थापना	(3.9.1) ई ओ आई के लिए नोटिस, परामर्शदाता का चयन और परियोजना स्थल/भूमि की पहचान करना	तारीख	-	-	31.01.2013	-	-
	(3.10) एफ एस एन एल : 10 मिमी से कम आकार वाले	(3.10.1) स्लैग फाइन्स के इम्प्रेगनेटिड लौह के विखंडन के	तारीख	-	-	15.02.2013	-	-

**खंड 3 :  
सफलता के संकेतकों के प्रचलन मूल्य**

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता के संकेतक	इकाई	वित्तीय वर्ष 10-11 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 11-12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 12-13 के लिए लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 13-14 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 14-15 के लिए अनुमानित मूल्य
	इस्पात स्क्रैप का व्यवसायीकरण	लिए उपयोगी उपस्करों और प्रक्रिया संबंधी जानकारी के एकत्रण सहित जांचों और अध्ययन को पूरा करना						
	(3.11) एच एस सी एल : उद्यम विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी सहायता करने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाना, समन्वय करना और आवश्यक नीति प्रतिपादन करना।	(3.11.1) एच एस सी एल की पुनर्संरचना के लिए मंत्रिमंडल टिप्पण को अंतिम रूप दिया जाना	तारीख	-	-	1345	-	-
4. अनुसंधान और विकास	हस्तक्षेप, गुणवत्ता नियंत्रण और निर्यात संवर्धन के माध्यम से लौह और इस्पात उद्योग के निष्पादन में सुधार करना	(4.1) अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा और निगरानी करना।	संख्या	-	-	12	-	-
		(4.1.1) योजना निधि के अंतर्गत 7 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए परियोजना समीक्षा समिति (पीआरसी) की बैठक : 1. निम्न गुणवत्ता वाले लौह अयस्क और फाइन्स के युक्तिसंगत उपयोग के लिए डीप बेनिफिशिएशन और एकीकरण प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सिंटर उत्पादकता में सुधार, नेशनल मेटालर्जिकल लैबोरेटरी, (एनएमएल) जमशेदपुर; 2. एन एम एल द्वारा भारतीय कच्चे माल के संबंध में लौह/इस्पात बनाने का वैकल्पिक अनुपूरक तरीका; 3. इन्स्टीट्यूट						

**खंड 3 :**  
**साफलता के संकेतकों के प्रचलन मूल्य**

उद्देश्य	कार्रवाई	साफलता के संकेतक	इकाई	वित्तीय वर्ष 10-11 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 11-12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 12-13 के लिए लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 13-14 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 14-15 के लिए अनुमानित मूल्य
		ऑफ मिनरल एंड मैटेरियल टेक्नोलॉजी, (आई एम एम टी), भुवनेश्वर द्वारा न्यूनतम अथवा न के बराबर सीओ <sub>2</sub> उत्सर्जन के साथ हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक रिककटेंस का उपयोग करते हुए कार्बनमुक्त लौह उत्पादन के लिए भविष्यन्मुखी प्रौद्योगिकी का विकास; 4. आरडीसी आई एस (सेल) द्वारा भारत में बार्फुआ और अन्य खानों से लौह अयस्क स्लाइस का बेनिफिशिएशन; 5. आर डी सी आई एस (सेल) द्वारा भिन्न-भिन्न डिग्री की गुणवत्ता सहित भारतीय गैथेटिक / हीमेटिटिक अयस्क संबंधी प्रायोगिक स्तर की पेलेटाइजेशन प्रौद्योगिकी का विकास; 6. आई आई टी खडगपुर द्वारा प्रक्रिया इष्टतमीकरण के माध्यम से लौह और इस्पात उत्पादन में सीओ <sub>2</sub> का परित्याग; 7. आई एम एम टी द्वारा हाई एश भारतीय कोयले से लो एश कोयले का उत्पादन	संख्या	-	-	9	-	-
		(4.1.2) एसडीएफ के अंतर्गत 5 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं						



**खंड 3 :  
सफलता के संकेतकों के प्रचलन मूल्य**

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता के संकेतक	इकाई	वित्तीय वर्ष 10-11 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 11-12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 12-13 के लिए लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 13-14 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 14-15 के लिए अनुमानित मूल्य
		<p>की प्रगति की निगरानी के लिए अधिकार प्राप्त बोर्ड (ईबी) की बैठक :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. मेकों, रांची द्वारा इन्फ्रारेड कैमरा आधारित लैडल स्थिति निगरानी प्रणाली;</li> <li>2. मेकों, रांची द्वारा निरंतर मल्टी गैस मानीटर का विकास; 3. बंगाल इंजीनियरिंग एंड साइंस यूनिवर्सिटी और टाटा स्टील द्वारा उच्च शक्ति वाले लो कार्बन मल्टीफेस का विकास;</li> <li>4. जादवपुर विश्वविद्यालय द्वारा स्व-स्थाने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से बिना परत चढ़े और परत चढ़े ऑटोमोटिव इस्पात में विकृति और क्षति मैकेनिज्म की जांच;</li> <li>5. आर डी सी आई एस (सेल) द्वारा कोक ओवन बहिष्कारों के लिए एकीकृत उपचार प्रक्रिया का विकास।</li> </ol>						
		(4.1.3) एस डी एफ के अंतर्गत अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के संबंध में अधिकार प्राप्त समिति, (ई सी) की बैठक	तारीख	-	-	31.08.2012	-	-

खंड 3 :  
साफलता के संकेतकों के प्रचलन मूल्य

उद्देश्य	कार्रवाई	साफलता के संकेतक	इकाई	वित्तीय वर्ष 10-11 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 11-12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 12-13 के लिए लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 13-14 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 14-15 के लिए अनुमानित मूल्य
	(4.2) लोहे और इस्पात उत्पादों की गुणवत्ता की निगरानी	(4.2.1) गुणवत्ता वाले इस्पात उत्पादों के लिए जागरूकता अभियान प्रारंभ करना	तारीख	-	-	31.01.2013	-	-
		(4.2.2) अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आर्डर के अंतर्गत अतिरिक्त लोहे और इस्पात उत्पादों की अधिसूचना	तारीख	-	-	31.01.2013	-	-
	(4.3) शुल्क छूट स्कीम के अंतर्गत मानक इनपुट - आउटपुट मानदंड	(4.3.1) रंग की परत चढ़े इस्पात शीट्स के उत्पादों के संबंध में मानक इनपुट - आउटपुट मानदंडों के निर्धारण/समीक्षा के वास्ते इस्पात मंत्रालय की सिफरिश को अंतिम रूप देना	तारीख	-	-	31.10.2012	-	-
(6) इस्पात मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विलय, अधिग्रहण और संयुक्त उद्यमों को सुकर बनाना और उनकी निगरानी करना	(5.1) सेल : (i) नए व्यावसायिक विकास के लिए संभावित भागीदारों के साथ कार्यनीति आधारित गठबंधन करना	(5.1.1) मार्च, 2013 तक किए गए समझौता ज्ञापनों/संयुक्त उद्यम करारों/कार्यनीति आधारित गठबंधनों की संख्या	संख्या	-	-	2	-	-
	(5.2) (ii) कोबे इस्पात संयंत्र के( सहयोग से आईटी एम के 3 प्रौद्योगिकी आधारित लौह नगट संयंत्र की स्थापना	5.2.1) सेल कोबे इस्पात संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना	तारीख	-	-	15.08.2012	-	-

**खंड 3 :  
सफलता के संकेतकों के प्रचलन मूल्य**

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता के संकेतक	इकाई	वित्तीय वर्ष 10-11 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 11-12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 12-13 के लिए लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 13-14 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 14-15 के लिए अनुमानित मूल्य
	(5.3) 3 बोली और एक अधिग्रहण के लक्ष्य मूल्य सहित आईसीवीएल द्वारा विदेश में परिसंपत्तियों का अधिग्रहण	(5.3.1) विदेशों में परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए करार / टर्म शीट पर हस्ताक्षर करना	संख्या	-	-	0	-	-
		(5.3.2) विदेशों में परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए बोलियाँ प्रस्तुत करना	संख्या	-	-	2	-	-
	(5.4) आर आई एन एल : फेरा- मैंगनीज संयंत्र के लिए आर आई एन एल - मॉयल संयुक्त उद्यम	(5.4.1) निविदा को अंतिम रूप देना	तारीख	-	-	15.02.2013	-	-
(6) नई नीतिगत पहलों को अंतिम रूप देना	(6.1) (i) नई राष्ट्रीय इस्पात नीति को अंतिम रूप देना (6.2) (ii) लौह अयस्क निर्यातों के युक्तिकरण संबंधी कार्य समूह की रिपोर्ट तैयार करना और लौह अयस्क फाइन्स का पेलेटाइजेशन प्रारंभ करना (6.3) (iii) ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात सर्वेक्षण संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई	(6.1.1) राष्ट्रीय इस्पात नीति पर मंत्रिमंडल के समक्ष मंत्रिमंडल टिप्पण प्रस्तुत करना	तारीख	-	-	10.03.2013	-	-
		(6.2.1) रिपोर्ट को अंतिम रूप देना	तारीख	-	-	28.02.2013	-	-
		(6.3.1) ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात उपकरण संबंधी सर्वेक्षण की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई की निगरानी करने के लिए निगरानी समिति की बैठक	संख्या	-	-	2	-	-

खंड 3 :  
साफलता के संकेतकों के प्रचलन मूल्य

उद्देश्य	कार्रवाई	साफलता के संकेतक	इकाई	वित्तीय वर्ष 10-11 के वार्षिक मूल्य	वित्तीय वर्ष 11-12 के वार्षिक मूल्य	वित्तीय वर्ष 12-13 के लिए लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 13-14 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 14-15 के लिए अनुमानित मूल्य
(7) शी-रोलिंग उद्योग के संबंध में जानकारी और डाटाबेस को अद्यतन करना	(7.1) संयुक्त संयंत्र समिति (जे पी सी) द्वारा इस्पात शी-रोलिंग उद्योग का व्यापक सर्वेक्षण	(7.1.1) तकनीकी लेखापरीक्षा सहित सर्वेक्षण को पूरा करना	तारीख	-	-	31.12.2012	-	-
* आर एफ डी प्रणाली की कुशल कार्यप्रणाली	अनुमोदन के लिए समय से मसौदा प्रस्तुत करना	समय से प्रस्तुत करना	तारीख	05.03.2010	07.03.2011	06.03.2012	-	-
	परिणामों के समय से प्रस्तुत करना	समय से प्रस्तुत करना	तारीख	29.04.2011	26.04.2012	03.05.2012	-	-
* प्रशासनिक सुधार	भ्रष्टाचार के संभावित जोखिम को कम करने संबंधी न्यूनीकरण कार्यनीतियों को कार्यान्वित करना	कार्यान्वयन का प्रतिशत	%	-	-	95	-	-
	अनुमोदित कार्रवाई योजना के अनुसार आईएसओ 9001 कार्यान्वित करना	कवर किए गए प्रचालन के क्षेत्र	%	-	-	95	-	-
	विभागीय अभिनव कार्रवाई योजना (आई ए पी) को समय से तैयार करना	समय से प्रस्तुत करना	तारीख	-	-	06.03.2013	-	-
* आंतरिक कुशलता / प्रतिक्रियात्मकता / मंत्रालय / विभाग को सेवा की आपूर्ति में सुधार करना	सेवोत्तम का कार्यान्वयन	सिडिजन चार्टर के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखापरीक्षा	%	-	-	95	-	-
* वित्तीय जवाबदेही फ्रेमवर्क का अनुपालन सुनिश्चित करना	सी एवं एजी के लेखापरीक्षा पैरा पर की गई कार्रवाई टिप्पण समय से प्रस्तुत करना	लोक शिकायत निपटान प्रणाली के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखापरीक्षा	%	-	-	95	-	-
		वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से निर्धारित तिथि (4 माह) के भीतर	%	-	-	90	-	-

\* अनिवार्य उद्देश्य

**खंड 3 :  
सफलता के संकेतकों के प्रचलन मूल्य**

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता के संकेतक	इकाई	वित्तीय वर्ष 10-11 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 11-12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 12-13 के लिए लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 13-14 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 14-15 के लिए अनुमानित मूल्य
	पी ए सी की रिपोर्टों पर पी ए सी सचिवालय को की गई कार्रवाई रिपोर्टों को समय से प्रस्तुत करना	प्रस्तुत किए गए की गई कार्रवाई टिप्पण की प्रतिशतता	%	-	-	90	-	-
	31.03.2012 से पहले संसद को प्रस्तुत की गई सी एवं एजी रिपोर्टों के लेखापरीक्षा पैरा पर लंबित की गई कार्रवाई टिप्पणों का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान पी ए सी द्वारा संसद को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की तारीख से निर्धारित तारीख (6 माह) के भीतर प्रस्तुत की गई कार्रवाई रिपोर्टों की प्रतिशतता	%	-	-	90	-	-
	31.03.2012 से पहले संसद को प्रस्तुत की गई पी ए सी रिपोर्टों संबंधी लंबित की गई कार्रवाई रिपोर्टों का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निस्तारित की गई बकाया कार्रवाई टिप्पणों की प्रतिशतता	%	-	-	90	-	-

\*अनिवार्य उद्देश्य

खंड 4

सफलता के संकेतकों का विवरण और परिभाषा और प्रस्तावित मापन कार्यपद्धति

मद	सफलता के संकेतकों की परिभाषा	प्रस्तावित मापन कार्यपद्धति
1	अवसंरचना से संबंधित मुद्दों की पहचान करना	पहचान किए गए और समाधान किए गए मुद्दों की संख्या के दृष्टिकोण से मापन किया गया
2	(i) वर्ष 2012-13 के दौरान सेल, आर आई एन एल और एन एम डी सी के कैपेक्स कार्यक्रम के लिए विनिर्दिष्ट राशि का निवेश	व्यय किए गए रुपयों में मापन किया गया
	(ii) सेल, आर आई एन एल और एन एम डी सी द्वारा वास्तविक प्रगति की लक्षित उपलब्धियों को प्राप्त करना	वाल्यूमेट्रिक/वजन के दृष्टिकोण अथवा प्रतिशतता पूर्ण करने के आधार पर मापन किया गया
	(iii) सेल, आर आई एन एल और एन एम डी सी की समीक्षा की समयोचितता/आवृत्ति	पूर्णतया त्रैमासिक के आधार पर बैठकों के आयोजन की आवृत्ति के दृष्टिकोण से मापन किया गया
	(iv) एन एम डी सी के डोनिमलाई, कर्नाटक स्थित 1.2 एम टी पी ए पेलेट संयंत्र की निगरानी करना	समयोचितता के दृष्टिकोण से मापन किया गया
3	(i) कुमारस्वामी लौह अयस्क खान के विकास के लिए सेकेंडरी क्रशर हाउस और प्राइमरी क्रशर हाउस के प्रमुख सिविल कार्यों को पूरा करना	समयोचितता के दृष्टिकोण से मापन किया गया
	(ii) किरन्दूल से विजाग तक स्लरी पाइप लाइन के लिए पाइप रूट के विस्तृत सर्वेक्षण को पूरा करना	
	(iii) ओ एम डी सी की बैगियाबुरु के प्रचालन की शुरुआत	
4	(i) योजना निधि के अंतर्गत 7 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए परियोजना समीक्षा समिति (पी आर सी) की बैठक : 1. निम्न गुणवत्ता वाले लौह अयस्क और फाइन्स के युक्तिसंगत उपयोग के लिए डीप बेनिफिशिएशन और एकीकरण प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सिंटर उत्पादकता में सुधार, नेशनल मेटालर्जिकल लैबोरेटरी, (एन एम एल) जमशेदपुर; 2. एन एम एल द्वारा भारतीय कच्चे माल के संबंध में लौह/इस्पात बनाने का वैकल्पिक अनुपूरक तरीका;	संख्या की दृष्टिकोण से मापन किया गया



	<p>3. इन्स्टीट्यूट ऑफ मिनरल एंड मैटेरियल टेक्नालॉजी, (आई एम एम टी), भुवनेश्वर द्वारा न्यूनतम अथवा न के बराबर सीओ<sub>2</sub> उत्सर्जन के साथ हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक रिककटेंस का उपयोग करते हुए कार्बनमुक्त लौह उत्पादन के लिए भविष्योन्मुखी प्रौद्योगिकी का विकास;</p> <p>4. आर डी सी आई एस (सेल) द्वारा भारत में बार्सुआ और अन्य खानों से लौह अयस्क स्लाइम्स का बेनिफिशिएशन;</p> <p>5. आर डी सी आई एस (सेल) द्वारा भिन्न-भिन्न डिग्री की गुणवत्ता सहित भारतीय गोथिटिक / हीमेटिटिक अयस्क संबंधी प्रायोगिक स्तर की पेलेटाइजेशन प्रौद्योगिकी का विकास;</p> <p>6. आई आई टी खडगपुर द्वारा प्रक्रिया इष्टतमीकरण के माध्यम से लौह और इस्पात उत्पादन में सीओ<sub>2</sub> का परित्याग;</p> <p>7. आई एम एम टी द्वारा हाई एश भारतीय कोयले से लो एश कोयले का उत्पादन</p>	
	<p>(ii) एसडीएफ के अंतर्गत 5 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए अधिकार प्राप्त बोर्ड की बैठक : 1. मेकॉन, रांची द्वारा इन्फ्रारेड कैमरा आधारित लैडल स्थिति निगरानी प्रणाली;</p> <p>2. मेकॉन, रांची द्वारा निरंतर मल्टी गैस मानीटर का विकास;</p> <p>3. बंगाल इंजीनियरिंग एंड साइंस यूनिवर्सिटी और टाटा स्टील द्वारा उच्च शक्ति वाले लो कार्बन मल्टीफेस इस्पात का विकास; 4. जादवपुर विश्वविद्यालय द्वारा स्व-स्थाने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से बिना परत चढ़े और परत चढ़े ऑटोमोटिव इस्पात में विकृति और क्षति मैकेनिज्म की जांच;</p> <p>5. आर डी सी आई एस (सेल) द्वारा कोक ओवन बहिस्त्रावों के लिए एकीकृत उपचार प्रक्रिया का विकास।</p>	<p>संख्या की दृष्टिकोण से मापन किया गया</p>
	<p>(iii) एस डी एफ के अंतर्गत अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के संबंध में अधिकार प्राप्त समिति, (ई सी) की बैठक</p>	<p>समयचितता के दृष्टिकोण से मापन किया गया</p>
	<p>(iv) गुणवत्ता वाले इस्पात उत्पादों के लिए जागरूकता अभियान प्रारंभ करना</p>	<p>समयचितता के दृष्टिकोण से मापन किया गया</p>
	<p>(v) अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आर्डर के अंतर्गत अतिरिक्त लोहे और इस्पात उत्पादों की अधिसूचना</p>	<p>समयचितता के दृष्टिकोण से मापन किया गया</p>

	(vi) रंग की परत चढ़े इस्पात सीट के उत्पादों के संबंध में मानक इनपुट – आउटपुट मानदंडों के निर्धारण/समीक्षा के वास्ते इस्पात मंत्रालय की सिफरिश को अंतिम रूप देना	समयोचितता के दृष्टिकोण से मापन किया गया
5	सेल द्वारा हस्ताक्षर किए गए संयुक्त उद्यम करारों संबंधी परियोजना कार्य प्रारंभ करना	समयोचितता के दृष्टिकोण से मापन किया गया
6	नई राष्ट्रीय इस्पात नीति को अंतिम रूप देना	समयोचितता के दृष्टिकोण से मापन किया गया
7	जे पी सी द्वारा री-रोलिंग उद्योग के सर्वेक्षण कार्य को पूरा करना	समयोचितता के दृष्टिकोण से मापन किया गया

## खंड 5 :

### अन्य विभागों से अपेक्षित विशेष कार्यनिष्पादन

1. संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की बैठक को प्रभावी ढंग से आयोजित करने और इसकी सिफारिशों के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए रेल मंत्रालय से सहायता।
2. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा राज्य सरकारों से शीघ्रता के साथ पर्यावरण/वन स्वीकृतियां प्राप्त करना।
3. कोयला मंत्रालय द्वारा कोल ब्लॉकों का आबंटन।
4. प्रस्तावित वित्तीय सुधारों/प्रशुल्क उपायों के संबंध में वित्त मंत्रालय/वाणिज्य मंत्रालय से सहायता।
5. अनुषंगी और संरचना के प्रावधान के लिए सतही परिवहन, विद्युत मंत्रालयों तथा राज्यों सरकारों से सहायता।
6. हिन्दुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एच एस सी एल) की पुनर्संरचना के लिए योजना आयोग/वित्त मंत्रालय से सहायता।

खंड 6 :  
विभाग/मंत्रालय के परिणाम/प्रभाव

विभाग/मंत्रालय के परिणाम/प्रभाव	निम्न लिखित विभाग/मंत्रालय के साथ इस परिणाम/प्रभाव को प्रभावित करने के संबंध में संयुक्त रूप से उत्तरदायी	सफलता के संकेतक	इकाई	वित्तीय वर्ष 10-11	वित्तीय वर्ष 11-12	वित्तीय वर्ष 12-13	वित्तीय वर्ष 13-14	वित्तीय वर्ष 14-15
1. इस्पात उत्पादन में वृद्धि	रेल, सतही परिवहन, पत्तन/ नौवहन, विद्युत, खान, कोयला, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय/ विभाग, संबंधित राज्य सरकारें	उत्पादन मिलियन टन में	मिलियन टन	69.58	72	78	89	97
2. इस्पात निर्माण क्षमता में वृद्धि	रेल, सतही परिवहन, पत्तन/ नौवहन, विद्युत, खान, कोयला, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय/ विभाग, संबंधित राज्य सरकारें	उत्पादन क्षमता मिलियन टन में	मिलियन टन	78	84.8	92	105	115
3. इस्पात के आयात में कमी	रेल, सतही परिवहन, पत्तन/ नौवहन, विद्युत, खान, कोयला, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय/ विभाग, संबंधित राज्य सरकारें	तैयार इस्पात का आयात	मिलियन टन	6.7	6.8	6.0	5.5	5.5
4. तैयार इस्पात के निर्यात में वृद्धि	रेल, सतही परिवहन, पत्तन/ नौवहन, विद्युत, खान, कोयला, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय/ विभाग, संबंधित राज्य सरकारें	तैयार इस्पात का निर्यात	मिलियन टन	3.64	4.04	4.00	5.00	6.00
5. तैयार इस्पात की खपत में वृद्धि	रेल, सतही परिवहन, पत्तन/ नौवहन, विद्युत, खान, कोयला, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय/ विभाग, संबंधित राज्य सरकारें	तैयार इस्पात की वास्तविक खपत	मिलियन टन	65.6	70.00	77.30	85.05	93.60

## कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				उपलब्धि	कार्यनिष्पादन			
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक		खराब	अपरिष्कृत स्कोर	भारित स्कोर	एच पी सी द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार
						100%	90%	80%	70%		60%			
1. वर्ष 2012-13 के दौरान उत्पादन क्षमता के सृजन और उत्पादन में वृद्धि को सुकर बनाना	15.00	इस्पात उत्पादन क्षमता को प्राप्त करने के लिए सुविधा प्रदान करना, समन्वय और आवश्यक नीति निर्माण करना	इस्पात की उत्पादन क्षमता कच्चे इस्पात का उत्पादन	मिलियन टन	5.00	95	93	91	89	87	96.71	100.0	5.0	96.71
		इस्पात क्षेत्र के वृद्धि के लिए कार्रवाई किए जाने वाले मुद्दे: इस्पात विकासकर्ताओं द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के साथ हस्ताक्षरित किए गए समझौता ज्ञापनों के कार्यान्वयन की स्थिति तथा अवसंरचना के विकास, भूमि अधिग्रहण, कच्चे माल, जल, विद्युत इत्यादि के आबंटन से संबंधित प्रमुख मुद्दों की समीक्षा	अंतर-मंत्रालयीय समूह (आईएमजी) की बैठकें	संख्या	2.00	1	0	0	0	2	100.0	2.0	2	
			समझौता ज्ञापनों के कार्यान्वयन के लिए मानीटरिंग तंत्र विकसित करना	तारीख	1.00	31.01.2013	15.02.2013	28.02.2013	15.03.2013	31.03.2013	05.02.2013	96.67	0.97	05.02.2013
		भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ परियोजना विशिष्ट बैठकें : (क) रेलवे की परियोजनाएं : 1. तालचौर - सम्बलपुर रेलवे लाइन को दोहरा करना। 2. अंगुल - सम्बलपुर (171 किलोमीटर) रेलवे लाइन को दोहरा करना	क्षेत्र/परियोजना विशिष्ट बैठकें	संख्या	2.00	5	4	3	2	1	5	100.0	2.0	5

## कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य/मानदंड मूल्य			उपलब्धि	कार्यनिष्पादन			
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	ठीक		अपरिष्कृत स्कोर	भारित स्कोर	एच पी सी द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार	
		3. पूर्वी तटीय रेलवे द्वारा तेजी के साथ भूमि अधिग्रहण (102 किलोमीटर)। 4. किरन्दूल - कोट्टा वाल्सो लाइन को दोहरा करना और बैलाडिला/किरन्दूल से विशाखापत्तनम तक लाइन की क्षमता बढ़ाना और वदलापुडी से आर आई एन एल तक तीसरा ट्रैक अथवा 5. कोई अन्य नई परियोजना (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग : 1. पारादीप और धामरा जैसे पूर्वी पत्तनों से कनेक्टिंग सड़कों को छः लेन वाला बनाना। 2. तालचौर कोलफील्ड और देश के विभिन्न भागों को जोड़ने वाले सड़कों के नेटवर्क का उन्नयन। 3. अंगुल से बुधापाल एस एच 63 तक एन एच 42 से एन एच 200 तक चार लेन बनाना। 4. कोइरा से कलाईपोज तक चार लेन बनाना।				100%	90%	80%	70%	60%			

## कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				उपलब्धि			कार्यनिष्पादन		
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक	खराब	अपरिष्कृत स्कोर	भारित स्कोर	एच पी सी द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार		
		5. अनकापल्ली से विशाखापत्तनम तक मौजूदा चार लेनों को छः लेनों में बदलना अथवा 6. कोई अन्य नई परियोजना। (ग) पत्तन : 1. पारादीप और धामरा पत्तनों पर लीह और कोल बर्थों का उन्नयन। 2. हल्दिया पत्तन में अतिरिक्त कैप्टिव। 3. 80,000 - 1,20,000 डी डब्ल्यू टी के जलयानों को संभालने के लिए हल्दिया पत्तन का उन्नयन अथवा 4. कोईअ न्य परियोजना। (घ) पर्यावरण और वन : पर्यावरण और वन मंत्रालय के पास लंबित इस्पात क्षेत्र के पर्यावरण और वन स्वीकृति संबंधी प्रस्तावों पर शीघ्रता से कार्रवाई करना।				100%	90%	80%	70%						
2. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कैपेक्स और	47.00	सेल : क) वित्तीय : अपने कैपेक्स कार्यक्रम के लिए वित्तीय वर्षद	वर्ष 2012-13 केक पैरान सेल के	रोड2 रुपए	.00	12000	10000	9500	9000	8500	9519	80.38	1.61	95.19	



कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				उपलब्धि	कार्यनिष्पादन			
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक		खराब	अपरिष्कृत स्कोर	भारित स्कोर	एच पी सी द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार
आधुनिकीकरण कार्यक्रमों को पूरा करने की निगरानी करना।		2012-13 में व्यय संबंधी लक्ष्य प्राप्त करना।	आधुनिकीकरण और विस्तार संबंधी कैपेक्स कार्यक्रम के लिए निवेश											
		सैल : ख) वास्तविक : (i) 31.03.2013 तक हॉट मेटल की 2.5 मिलियन टन की क्षमता वृद्धि के लिए राउरकेला इस्पात संयंत्र में सुविधाओं को वास्तविक रूप से पूरा करना।	नई कोक ओवन बैटरी संख्या 6 को पूरा करना। नई ब्लास्ट फर्नेस नम्बर 5 को पूरा करना।	तारीख	2.00	31.08.2012	30.09.2012	31.10.2012	30.11.2012	31.12.2012	28.07.2012	100.0	2.0	28.07.2012
		(ii) 31.03.2013 तक हॉट मेटल की 2.5 मिलियन टन की क्षमता बढ़ाने के लिए आई एस पी, बर्नपुर में सुविधाओं को वास्तविक रूप से पूरा करना।	नई कोक ओवन बैटरी संख्या 11 को पूरा करना। वायर रॉड मिल को पूरा करना।	तारीख	2.00	30.11.2012	31.12.2012	31.01.2013	28.02.2013	31.03.2013	31.12.2012	90.0	1.8	31.12.2012
		(iii) भिलाई इस्पात संयंत्र में सुविधाओं को पूरा करना।	वायर रॉड मिल को पूरा करना। ओर हैंडलिंग संयंत्र - ए को पूरा करना।	तारीख	2.00	31.07.2012	31.08.2012	30.09.2012	31.10.2012	30.11.2012	30.05.2012	100.0	2.0	30.05.2012
				तारीख	2.00	30.09.2012	31.11.2012	31.12.2012	31.01.2013	28.02.2013	30.09.2012	100.0	2.0	30.09.2012
				तारीख	1.00	31.12.2012	31.01.2013	28.02.2013	15.03.2013	31.03.2013	31.12.2012	100.0	1.0	31.12.2012

## कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	वजन	कार्यवाही	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				उपलब्धि	कार्यनिष्पादन			
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक		खराब	अपरिष्कृत स्कोर	भारित स्कोर	एच पी सी द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार
						100%	90%	80%	70%	60%				
		(iv) बोकारो इस्पात संयंत्र में सुविधाओं को पूरा करना।	ब्लॉस्ट फर्नेस के लिए कास्ट हाउस स्लैग ग्रैनुलेशन संयंत्र को पूरा करना।	रीख	1.00	31.01.2013	15.02.2013	28.02.2013	15.03.2013	31.03.2013	31.01.2013	100.0	1.0	31.01.2013
		सेल के अनुमोदित तकनीकी आर्थिक मानकों में सुधार की निगरानी करना।	कोल इस्ट इंजेशन(सीडी आई) की दर। कच्चास्ट रूट के माध्यम से कच्चे इस्पात का उत्पादन। ब्लॉस्ट फर्नेस कोक की दर। बीएफ उत्पादकता। विशिष्ट ऊर्जा खपत। श्रम उत्पादकता। अनुसंधान और विकास व्यय	किग्रा/टीएचएम मिलियन टन किग्रा/टीएचएम टीएचएम/एम3/दिन जीसीएल/टीसीएस	1.00	60	50	45	44	42	54	94.0	0.94	5.4
						10	9.8	9.5	9.4	9.3	9.5	80.0	0.8	9.5
						512	514	516	518	520	512	100.0	1.0	512
						1.56	1.54	1.52	1.51	1.50	1.58	100.0	1.0	1.58
						6.72	6.74	6.76	6.78	6.80	6.68	100.0	1.0	6.68
						245	240	235	230	225	255	100.0	1.0	255
						1.25	1.00	0.90	0.80	0.70	5.99	100.0	1.0	5.99

कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				उपलब्धि	कार्यनिष्पादन			
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक		खराब	अपरिष्कृत स्कोर	भारित स्कोर	एच पी सी द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार
		विशेष ग्रेड के इस्पात का विकास	नये इस्पात उत्पाद का विकास	संख्या	0.50	3	2	1	0	0	3	100.0	0.5	3
		आर आई एन एल : (क) वित्तीय : वित्तीय वर्ष 2012-13 में आर आई एन एल के कैपेक्स कार्यक्रम में निवेश ताकि उत्पादन क्षमता 3 मिलियन टन से बढ़कर 6.3 मिलियन टन हो जाए।	उत्पादन क्षमता को 3 मिलियन टन की वर्तमान क्षमता से बढ़ाकर 6.3 मिलियन टन करने के लिए वर्ष 2012-13 के दौरान आर आई एन एल के कैपेक्स कार्यक्रम में निवेश।	करोड़ रुपए	1.00	1050	1000	950	900	850	1280	100.0	1.0	1280
		आर आई एन एल : (ख) वास्तविक : (i) आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए कैपेक्स कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं को शुरू करना।	उत्पादन क्षमता में वृद्धि	मिलियन टन	3.00	3.55	3.47	3.29	3.13	2.97	3.55	100.0	3.0	3.55
			कोक ओवन बैटरी - 4 (सी ओ बी -4) में विद्युत संयंत्र को शुरू करना।	तारीख	3.00	31.12.2012	31.01.2013	28.02.2013	15.03.2013	31.03.2013	04.04.2012	100.0	3.0	04.04.2012

## कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य / मानदंड मूल्य				उपलब्धि	कार्यनिष्पादन			
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक		खराब	अपरिष्कृत स्कोर	भारित स्कोर	एच पी सी द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार
		(ii) ग्रामीण मार्केटिंग वितरण नेटवर्क का विस्तार : - डीलरों की नियुक्ति	नियुक्ति पत्र जारी करना	संख्या	1.00	100	90	80	70	60	274	100.0	1.0	274
		(iii) प्लाई एश/बी एफ स्लैग का उपयोग : - सीमेंट संयंत्र के लिए संयुक्त उद्यम की प्रक्रिया को शुरू करना	रूचि की अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन ऑफ इंटररेस्ट) जारी करना	तारीख	1.00	31.12.2012	31.01.2013	28.02.2013	15.03.2013	31.03.2013	30.11.2012	100.0	1.0	30.11.2012
		आरआईएनएल के तकनीकी आर्थिक मानकों में सुधार :- (i) बी एफ उत्पादकता	बी एफ उत्पादकता		1.00	1.96	1.87	1.78	1.69	1.60	1.47	0.0	0.00	1.47
		(ii) एल डी कन्वर्टर उत्पादकता	एल डी इस्पात उत्पादकता	टीसीएस/सीयूएम/दिन	1.00	22.48	21.41	20.34	19.32	18.36	24	100.0	1.0	24
		(iii) श्रम उत्पादकता	संशोधित कार्य दिवस	टी/सीयूएम/वर्ष	.00	337	321	305	290	275	362	100.0	1.0	362
		(iv) विशिष्ट ऊर्जा खपत	ऊर्जा खपत का कमी	जीसीएल/टीसीएस	1.00	6.52	6.85	7.21	7.59	7.99	6.31	100.0	1.0	6.31
		(v) जल की खपत	जल की खपत में कमी	सीयूएम/टीसीएस	1.00	2.80	2.94	3.09	3.26	3.43	2.37	100.0	1.0	2.37

कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य/मानदंड मूल्य			उपलब्धि	कार्यनिष्पादन				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	ठीक		अच्छा	खराब	अपरिष्कृत स्कोर	भारत स्कोर	एच पी सी द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार
		(vi) ब्लास्ट फर्नेस कोक की दर	ब्लास्ट फर्नेस कोक की दर	कि.ग्रा/ टीएचएम	1.00	500	505	510	515	520	511	78.0	0.78	511
		(vii) अनुसंधान और विकास व्यय	पूर्व सहमत लक्ष्यों की प्राप्ति	%पीएटी	1.00	1.25	1.00	0.90	0.80	0.70	8.9	100.0	1.0	8.9
		विशिष्ट ग्रेड के इस्पात का विकास	नए इस्पात उत्पादों का विकास	संख्या	0.50	3	2	1	0	0	10	100.0	0.5	10
		लौह अयस्क खानों का अधिग्रहण : आर आई एन एल को लौह अयस्क के आबंटन के लिए खान मंत्रालय के साथ मामला उठाना	31.03.2013 तक राज्य सरकारों को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना	आवेदन संख्या	1.00	10	8	6	4	2	29	100.0	1.0	29
		एन एम डी सी : (क) वित्तीय : अपने कैपेक्स कार्यक्रम के लिए वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय संबंधी लक्ष्य प्राप्त करना	वर्ष 2012-13 के दौरान घरेलू कैपेक्स व्यय	करोड़ रुपए	1.00	3455	3400	3000	2600	2200	1607.24	0.0	0.0	1607.24
			वर्ष 2012-13 के दौरान एन एम डी सी द्वारा विदेशी अधिग्रहण पर व्यय	करोड़ रुपए	1.00	400	320	280	220	170	0	0.0	0.0	0

## कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				उपलब्धि	कार्यनिष्पादन			
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक		खराब	अपरिष्कृत स्कोर	भारित स्कोर	एच पी सी द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार
						100%	90%	80%	70%		60%			
		एन एम डी सी : (ख) वास्तविक : - (घ) नगरनर छत्तीसगढ़ में एन एम डी सी के प्रस्तावित ग्रीनफील्ड 3 एम टी पी ए क्षमता वाले इस्पात संयंत्र की निगरानी करना	7 प्रमुख प्रौद्योगिकीय पैकेजों के लिए मूलभूत इंजीनियरिंग का कार्य पूरा करना	संख्या	1.00	7	6	5	4	3	4	70.0	0.7	4
			ब्लास्ट फर्नेस स्टोवों और ब्लास्ट फर्नेस प्रापर और स्टॉक हाउस की नींव पूरी करना	तारीख	1.00	31.12.2012	15.01.2013	31.01.2013	28.02.2013	31.03.2013	15.10.2012	100.0	1.0	15.10.2012
			कोक ओवन बेटरी की 20 प्रतिशत पाइलिंग का कार्य पूरा करना	तारीख	1.00	31.12.2012	15.01.2013	31.01.2013	28.02.2013	31.03.2013	30.08.2012	100.0	1.0	30.08.2012
			आर एम एच एस पैकेज केक न्वेस् गैलरी को खड़ा करने संबंधी कार्य प्रारंभ करना	तारीख	1.00	31.12.2012	15.01.2013	31.01.2013	28.02.2013	31.03.2013	31.01.2013	80.0	0.8	31.01.2013

कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				उपलब्धि		कार्यनिष्पादन		
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक	खराब	अपरिष्कृत स्कोर	भारित स्कोर	एच पी सी द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार	
						100%	90%	80%	70%	60%				
		(ii) एन एम डी सी के दोगिमलै, कर्नाटक स्थित 1.2 एमटीपीए पेलेट संयंत्र के कार्य की निगरानी करना	कूलर, भट्टे और मिक्सर को खड़ा करना	तारीख	1.00	28.02.2013	10.03.2013	20.03.2013	25.03.2013	31.03.2013	31.01.2013	100.0	1.0	31.01.2013
		(iii) दोगिमलै, कर्नाटक स्थित बी एच जे बेनिफिशिएशन संयंत्र की निगरानी करना	मुख्य संयंत्र पैकेज के अंतर्गत शामिल मैकेनिकल इरेक्शन का कार्य प्रारंभ करना	तारीख	1.00	15.02.2013	28.02.2013	10.03.2013	20.03.2013	31.03.2013		लागू नहीं	लागू नहीं	
		नगरनार, छत्तीसगढ़ में पेलेटाइजेशन संयंत्र	नगरनार, छत्तीसगढ़ स्थित पेलेटाइजेशन संयंत्र के संबंध में निवेश प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए एनएमडीसी के बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना	तारीख	1.00	30.09.2012	31.10.2012	30.11.2012	31.12.2012	31.01.2013	30.09.2012	100.0	1.0	30.09.2012
		मेकॉन : राउरकेला इस्पात संयंत्र की	हीटिंग	तारीख	1.00	31.01.2013	28.02.2013	31.03.2013	-	-	28.07.2012	100.0	1.0	28.07.2012



## कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				उपलब्धि	कार्यनिष्पादन			
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक		खराब	अपरिष्कृत स्कोर	भारित स्कोर	एच पी सी द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार
3. इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा घरेलू और विदेशी स्रोतों से कच्चे माल विशेषकर लौह अयस्क और कोयले की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना	9.00	7 मीटर ऊंची कोक ओवन बैटरी संख्या 6 की हीटिंग एन एम डी सी : (i) 3 एम टी पी ए की क्षमता के लिए कुमार स्वामी लौह अयस्क खान का विकास (ii) पाइप लाइन के माध्यम से बैलाडिला से विजाग तक लौह अयस्क फाइन्स/स्लाइम्स का परिवहन (iii) एन एम डी सी द्वारा लौह अयस्क को घरेलू लौह और इस्पात उद्योग से जोड़ना	सेकेंडरी क्रशर हाउस और प्राइमरी क्रशर हाउस के प्रमुख सिविल कार्यों को पूरा करना किरन्दूल (सी जी) से विजाग (ए पी) तक स्लरी पाइप लाइन के पाइप लाइन मार्ग का विस्तृत सर्वेक्षण पूरा करना वर्ष 2012-13 की दौरान घरेलू लौह और इस्पात कंपनियों को आपूर्ति किया गया लौह अयस्क	तारीख	1.00	31.12.2012	31.01.2013	28.02.2013	15.03.2013	31.03.2013	27.12.2012	100.0	1.0	27.12.2012
				तारीख	1.00	15.02.2013	28.02.2013	10.03.2013	20.03.2013	31.03.2013		लागू नहीं	लागू नहीं	
				मलियन टन	1.00	24	23	22.50	22	21.50	24.67	100.0	1.0	24.67

कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				उपलब्धि			कार्यनिष्पादन	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक	खराब	अपरिष्कृत स्कोर	भारित स्कोर	एच पी सी द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार	
														100%
		मॉडल : (i) मैगनीज अयस्क फाइन्स की सिन्डरेमिग के माध्यम से मूल्यवर्धन :- तकनीकी - आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना (ii) उद्यम विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी सहायता करने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाना, समन्वय करना और आवश्यक नीति प्रतिपादन करना।	परामर्शदाताओं द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करना	तारीख	1.00	31.12.2012	15.01.2013	28.02.2013	15.03.2013	31.03.2013	24.12.2012	100.0	1.0	24.12.2012
			डोंगरी बुजुंग ओपनकास्ट खान का विकास	000 एम क्यूब	1.00	4805	4576	4347	4130	3924	4515	87.34	0.87	4515
			गुमगांव खान और मुंसार खान के लिए ओ एच एस ए एस 18001 - 2007 प्रमाणन	तारीख	1.00	30.11.2012	31.12.2012	31.01.2013	28.02.2013	31.03.2013	25.10.1012	100.0	1.0	25.10.1012
		बर्ड ग्रुप : ओ एम डी सी की बैगियाबुरु खानों का खनन कार्य प्रारंभ करना	कार्य की शुरुआत	तारीख	1.00	28.02.2013	10.03.2013	15.03.2013	20.03.2013	31.03.2013		लागू नहीं	गू नहीं	
		के आई ओ सी एल : (i) बाल मिल में ग्राइंडिंग	पूरा करने की तारीख	तारीख	0.50	31.10.2012	30.11.2012	31.12.2012	31.01.2013	28.02.2013	30.10.2012	100.0	0.5	30.10.2012

## कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				उपलब्धि	कार्यनिष्पादन		
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक		खराब	अपरिष्कृत स्कोर	भारित स्कोर
		मीडिया के इष्टतमीकरण संबंधी अध्ययन				100%	90%	80%	70%				
		(ii) इन्ड्यूरिंग मशीन में तेल आधारित प्रणाली से गैस आधारित प्रणाली को अंतरण संबंधी अध्ययन	पूरा करने की तारीख	तारीख	0.50	30.09.2012	31.10.2012	30.11.2012	31.12.2012	29.09.2012	100.0	0.5	29.09.2012
		एम एस टी सी : ऑटो मोबाइल स्कैप के उपयोग के लिए श्रैडिंग संयंत्र की स्थापना	ई ओ आई केत लिए नोटिस, परामर्शदाता का चयन और परियोजना स्थल/भूमि की पहचान करना	तारीख	0.50	31.12.2012	31.01.2013	28.02.2013	15.03.2013	25.10.2012	100.0	0.5	25.10.1012
		एफ एस एन एल : 10 मिमी से कम आकार वाले इस्पात स्कैप का व्यवसायीकरण	स्लैग फाइन्स के इम्पेगनेटिड लौह के विखंडन के लिए उपयोगी उपस्करों और प्रक्रिया संबंधी जानकारी के एकत्रण सहित जांचों और	तारीख	0.25	31.01.2013	15.02.2013	28.02.2013	15.03.2013	31.01.2013	100.0	0.25	31.01.2013

कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				उपलब्धि	कार्यनिष्पादन			
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक		खराब	अपरिष्कृत स्कोर	भारित स्कोर	एच पी सी द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार
			अध्ययन को पूरा करना	तारीख	0.25	100%	90%	80%	70%					
		एच एस सी एल : उद्यम विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी सहायता करने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाना, समन्वय करना और आवश्यक नीति प्रतिपादन करना	एच एस सी एल की पुनर्संरचना के लिए मंत्रिमंडल टिप्पण को अंतिम रूप दिया जाना	31.01.2013	15.02.2013	28.02.2013	15.03.2013	31.03.2013	20.04.2012	100.0	0.25	20.04.2012		
4. अनुसंधान और विकास हस्तक्षेप, गुणवत्ता नियंत्रण और निर्यात संवर्धन के माध्यम से लौह और इस्पात उद्योग के निष्पादन में सुधार करना	6.00	अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा और निगरानी करना	योजना निधि के अंतर्गत 7 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए परियोजना समीक्षा समिति (पी आर सी) की बैठक : 1. निम्न गुणवत्ता वाले लौह अयस्क और फाइन्स के युक्तिसंगत के	संख्या	1.00	14	12	10	9	7	14	100.0	1.0	14

## कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				उपलब्धि	कार्यनिष्पादन			
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक		खराब	अपरिष्कृत स्कोर	भारित स्कोर	एच पी सी द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार
						100%	90%	80%	70%	60%				
			उपयोग के लिए डीप बेनिफिशिएशन और एकीकरण प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सिंटर उत्पादकता में सुधार, नेशनल मेटालर्जिकल लैबोरेटरी, (एन एम एल) जमशेदपुर; 2. एन एम एल द्वारा भारतीय कच्चे माल के संबंध में लौह/इस्पात बनाने का वैकल्पिक अनुपूरक तरीका; 3. इस्टीट्यूट ऑफ मिनरल एंड मैटेरियल टेक्नालॉजी, (आई एम एम टी)											

## कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				उपलब्धि	कार्यनिष्पादन			
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक		खराब	अपरिष्कृत स्कोर	भारत स्कोर	एच पी सी द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार
						100%	90%	80%	70%	60%				
			भुवनेश्वर द्वारा न्यूनतम अथवा न के बराबर सीओ2 उत्सर्जन के साथ हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक रिकटेंस का उपयोग करते हुए कार्बनमुक्त लौह उत्पादन के लिए भविष्योन्मुखी प्रौद्योगिकी का विकास; 4. आर डी सी आई एस (सेल) द्वारा भारत में बार्सुआ और अन्य खानों से लौह अयस्क स्लाइम्स का बेनिफिशिएशन; 5. आर डी सी आई एस (सेल) द्वारा मिन्-मिन्											

## कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				उपलब्धि	कार्यनिष्पादन	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक		खराब	अपरिष्कृत स्कोर
			डिग्री की गुणवत्ता सहित भारतीय गोथिटिक / हीमैटिटिक अयस्क संबंधी प्रायोगिक स्तर की पेलेटाइजेशन प्रौद्योगिकी का विकास; 6. आई आई टी खडगपुर द्वारा प्रक्रिया इष्टतमीकरण के माध्यम से लौह और इस्पात उत्पादन में ऑयड का परित्याग; 7. आई एम एम टी द्वारा हाई एश भारतीय कोयले से लो एश कोयले का उत्पादन			100%	90%	80%	70%	60%		



कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				उपलब्धि	कार्यनिष्पादन			
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक		खराब	अपरिष्कृत स्कोर	भारित स्कोर	एच पी सी द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार
						100%	90%	80%	70%	60%				
				संख्या	1.00	10	9	8	7	5	10	100.0	1.0	10
			एसडीएफ के अंतर्गत 5 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए अधिकार प्राप्त बोर्ड की बैठक : 1. मेकॉन, रांची द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर आधारित लैडल स्थिति निगरानी प्रणाली; 2. मेकॉन, रांची द्वारा निररू मल्टी गैस मानीटर का विकास; 3. बंगाल इंजीनियरिंग एंड साइंस यूनिवर्सिटी और टाटा स्टील द्वारा उच्च शक्ति वाले लो कार्बन											

## कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				उपलब्धि	कार्यनिष्पादन			
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक		खराब	अपरिष्कृत स्कोर	भारित स्कोर	एच पी सी द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार
			मल्टीफेस का विकास; 4. जादवपुर विश्वविद्यालय द्वारा स्व-स्थाने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से बिना परत चढ़े और परत चढ़े ऑटोमोटिव इस्पात में विकृति और क्षति मैकेनिज्म की जांच; 5. आर जी सी आई एस (सेल) द्वारा कोक ओवन बहिष्कारों के लिए एकीकृत उपचार प्रक्रिया का विकास।											

### कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				उपलब्धि	कार्यनिष्पादन			
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक		खराब	अपरिष्कृत स्कोर	भारत स्कोर	एच पी सी द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार
			एस डी एफ के अंतर्गत अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के संबंध में अधिकार प्राप्त समिति, ई सी की बैठक	तारीख	1.00	30.06.2012	31.08.2012	31.10.2012	31.12.2012	28.02.2013	23.06.2012	100.0	1.0	23.06.2012
		लोहे और इस्पात उत्पादों की गुणवत्ता की निगरानी	गुणवत्ता वाले इस्पात उत्पादों के लिए जागरूकता अभियान प्रारंभ करना	तारीख	1.00	31.12.2012	31.01.2013	28.02.2013	31.03.2013	-	01.11.2012	100.0	1.0	01.11.2012
		शुल्क छूट स्कीम के अंतर्गत मानक इनपुट - आउटपुट मानदंड	अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आर्डर के अंतर्गत अतिरिक्त लोहे और इस्पात उत्पादों की अधिसूचना	तारीख	1.00	31.12.2012	31.01.2013	28.02.2013	31.03.2013	-		लागू नहीं	1.0	
			रंग की परत चढ़े इस्पात सीट के उत्पादों के संबंध में एक इनपुट	तारीख	1.00	30.09.2012	31.10.2012	30.11.2012	31.12.2012	31.01.2013	31.05.2012	100.0	1.0	31.05.2012

## कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				उपलब्धि	कार्यनिष्पादन				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक		खराब	अपरिष्कृत स्कोर	भारित स्कोर	एच पी सी द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार	
						100%	90%	80%	70%	60%					
5. इस्पात मंत्रालय के सार्वजनिक के उपक्रमों द्वारा विलय, अधिग्रहण और संयुक्त उद्यमों को सुकर बनाना और उनकी निगरानी करना	3.00	सेल : (i) नए व्यावसायिक विकास के लिए संभावित भागीदारों के साथ कार्यनीति आधारित गठबंधन करना	आउटपुट मानदंड के निर्धारण / समीक्षा के वास्ते इस्पात मंत्रालय की सिफारिश को अंतिम रूप देना	संख्या	1.00	3	2	1			3	100.0	1.0	3के	
						0.50	31.07.2012	15.08.2012	29.09.2012	15.10.2012	30.11.2012	25.05.2012	100.0	0.5	25.05.2012
		(ii) कोबे इस्पात संयंत्र के सहयोग से आईटी एम के 3 प्रौद्योगिकी आधारित लौह नगोट संयंत्र की स्थापना	सेल कोबे इस्पात संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना	तारीख											
		3 बोली और एक अधिग्रहण के लक्ष्य मूल्य सहित आई सी वी एल द्वारा विदेश	विदेशों में परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के	संख्या	0.50		1	0	0	0					

कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				उपलब्धि	कार्यनिष्पादन		
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक		खराब	अपरिष्कृत स्कोर	भारत स्कोर
						100%	90%	80%	70%		60%	एच पी सी द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार	
		में परिसंपत्तियों का अधिग्रहण	लिए करार/टर्म शीट पर हस्ताक्षर करना										
			विदेशों में परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए बोलियाँ प्रस्तुत करना	संख्या	0.50	3	2	1	0	3	100.0	0.5	3
		आर आई एन एल : फेरा- मैंगनीज संयंत्र के लिए आर आई एन एल - मॉयल संयुक्त उद्यम	निविदा को अंतिम रूप देना	तारीख	0.50	31.01.2013	15.02.2013	28.02.2013	15.03.2013	31.03.2013	लागू नहीं	लागू नहीं	
		(i) नई राष्ट्रीय इस्पात नीति को अंतिम रूप देना	राष्ट्रीय इस्पात मंत्रिमंडल के समक्ष मंत्रिमंडल टिप्पण प्रस्तुत करना	तारीख	1.00	28.02.2013	10.03.2013	20.03.2013	25.03.2013	31.03.2013	लागू नहीं	लागू नहीं	
6. नई नीतिगत पहलों को अंतिम रूप देना	3.00	(ii) लौह अयस्क निर्यातों के युक्तिकरण संबंधी कार्य समूह की रिपोर्ट तैयार करना और	रिपोर्ट को अंतिम रूप देना	तारीख	1.00	31.01.2013	28.02.2013	10.03.2013	20.03.2013	31.03.2013	90.0	0.9	28.02.2013

## कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				उपलब्धि	कार्यनिष्पादन				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक		खराब	अपरिष्कृत स्कोर	भारित स्कोर	एच पी सी द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार	
															100%
		लौह अयस्क फाइन्स का पेलेटाइजेशन प्रारंभ करना													
		(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात सर्वेक्षण संबंधी अनुवर्ती कार्रवाईस	ग्रामीण क्षेत्रों इस्पात की खपत बंधी सर्वेक्षण की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई की निगरानी करने के लिए निगरानी समिति की बैठक	संख्या	1.00	3	2	1		2	90.0	0.9	2		
7. री-रोलिंग उद्योग 'संघ' में जानकारी और डाटाबेस को अद्यतन करना	2.00	संयुक्त संयंत्र समिति (जे पी सी) द्वारा इस्पात री-रोलिंग उद्योग का व्यापक सर्वेक्षण	तकनीकी लेखापरीक्षा सहित सर्वेक्षण को पूरा करना	तारीख	2.00	31.10.2012	31.12.2012	28.02.2013	31.03.2013	30.09.2012	100.0	2.0		30.10.2012	
* आर एफ डी प्रणाली की कुशल कार्यप्रणाली	3.00	अनुमोदन के लिए समय से मसौदा प्रस्तुत करना	समय से प्रस्तुत करना	तारीख	2.0	05.03.2012	06.03.2012	07.03.2012	08.03.2012	03.03.2012	100.0	2.0		03.03.2012	
		परिणामों को समय से प्रस्तुत करना	समय से प्रस्तुत करना	तारीख	1.0	01.05.2012	03.05.2012	04.05.2012	05.05.2012	26.04.2012	100.0	1.0		26.04.2012	

## कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				उपलब्धि	कार्यनिष्पादन			
						सर्क्यूट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक		खराब	अपरिष्कृत स्कोर	भारित स्कोर	एच पी सी द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार
						100%	90%	80%	70%		60%			
* प्राथमिक सुधार	6.00	भ्रष्टाचार के संभावित जोखिम को कम करने संबंधी न्यूनीकरण कार्यनीतियों को कार्यान्वित करना	कार्यान्वयन का प्रतिशत	प्रतिशत	2.0	100	95	90	85	80	100	100.0	2.0	100
		अनुमोदित कार्रवाई योजना के अनुसार आईएसओ 9001 कार्यान्वित करना	कवर किए गए प्रचालन के क्षेत्र	प्रतिशत	2.0	100	95	90	85	80	100	100.0	2.0	100
		विभागीय अभिनव कार्रवाई योजना (आई ए पी) को समय से तैयार करना	समय से प्रस्तुत करना	तारीख	2.0	01.05.2013	02.05.2013	03.05.2013	06.05.2013	07.05.2013		लागू नहीं	लागू नहीं	
* आंतरिक कुशलता/प्रतिक्रियात्मकता/मंत्रालय/विभाग को सेवा की आपूर्ति में सुधार करना	4.00	सेवेतम का कार्यान्वयन	सिटिजन चार्टर के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखापरीक्षा	प्रतिशत	2.0	100	90	80	70	60	33	0.0	0.0	33
			लोक शिकायत निपटान प्रणाली के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखापरीक्षा	प्रतिशत	2.0	100	90	80	70	60	77.14	77.14	1.54	77.14
* वित्तीय जवाबदेही प्रेमवर्क का	2.00	सी एवं एजी के लेखापरीक्षा पैरा पर की गई कार्रवाई	वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा	प्रतिशत	0.5	100	90	80	70	60	100	100.0	0.5	100



## कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				उपलब्धि	कार्यनिष्पादन				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक		खराब	अपरिष्कृत स्कोर	भारत स्कोर	एच पी सी द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार	
															100%
अनुपालन सुनिश्चित करना		टिप्पण समय से प्रस्तुत करना	संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से निर्धारित तिथि (4 माह) के भीतर प्रस्तुत किए गए की गई कार्रवाई टिप्पण की प्रतिशतता												
		पी ए सी की रिपोर्टों पर पी ए सी सचिवालय की गई कार्रवाई रिपोर्टों को समय से प्रस्तुत करना	वर्ष के दौरान पी ए सी द्वारा संसद को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की तारीख से निर्धारित तारीख (6 माह) के भीतर प्रस्तुत की गई कार्रवाई रिपोर्टों की प्रतिशतता	प्रतिशत	0.5	100	90	80	70	60	100	100.0	0.5	100	
		31.03.2012 से पहले संसद को प्रस्तुत की गईं सी एवं एजी रिपोर्टों के लेखापरीक्षा पैरा पर लंबित की गईं	वर्ष के दौरान निस्तारित की गईं बकाया कार्रवाई टिप्पणों	प्रतिशत	0.5	100	90	80	70	60	100	100.0	0.5	100	

\* अनिवार्य उद्देश्य

खंड 6 :  
कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				उपलब्धि	कार्यनिष्पादन			
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक		खराब	अपरिष्कृत स्कोर	भारित स्कोर	एच पी सी द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार
		कार्रवाई टिप्पणों का शीघ्र निपटान	की प्रतिशतता											
		31.03.2012 से पहले संसद को प्रस्तुत की गई एच पी सी रिपोर्टों संबंधी लंबित की गई कार्रवाई रिपोर्टों का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निस्तारित की गई बकाया कार्रवाई रिपोर्टों की प्रतिशतता	प्रतिशत	0.5	100	90	80	70	60	100	100.0	0.5	100

\*अनिवार्य उद्देश्य

कुल संयुक्त स्कोर : 84.61

— |

| —

— |

| —

# सेल और आरआईएनएल का देशव्यापी इस्पात वितरण तंत्र





सत्यमेव जयते

**इस्पात मंत्रालय**

भारत सरकार

[www.steel.gov.in](http://www.steel.gov.in)

[www.chiranjn.com](http://www.chiranjn.com)